

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

खंसदीय प्रक्रिया

डॉ. सुभाष काश्यप की कुछ रचनाएँ हिन्दी में

मूल रचनाएँ

हमारी ससद, ससदीय प्रक्रिया, भारतीय सरकार एवं “नीति, मार्गदैरण राजनीति के नए मोड़-दल बदल और राज्यों की राजनीति”, राजनीतिकोश, जवाहरलाल नेहरू और भारत का सविधान, सविधान की आत्मा, सविधान की कहानी, सर्वेधानिक विकास और स्वाधीनता सघर्ष, स्वाधीनता सघर्ष, स्वाधीनता आनंदोत्तम का इतिहास (1857-1947)

सम्पादित

भारतीय राजनीति और राजनीतिक दल, भारत में निर्वाचन, भारत का सविधान—गई चुनौतियाँ, नये उत्तर, राष्ट्र-मण्डल की ससदें, नेहरू और ससद, सोकतन्त्र समीक्षा—यैमासिक (1969-1973), ससदीय पत्रिका—यैमासिक (1984-), प्रभात—मासिक (1947-48), परिवर्तन—दिनिक (1947)

In English

Original Works

Our Parliament, History of the Freedom Movement (1857-1947), The Political System and Institution Building under Jawaharlal Nehru, Parliament of India — Myths and Realities, Parliamentary Practice and Procedure with Kaul & Shakher, Jawaharlal Nehru, the Constitution and the Parliament, Human Rights and Parliament, The Ministers and the Legislators, The Politics of Defection, The Politics of Power, The Unknown Nietzsche, Tryst with Freedom, The Framing of India's Constitution—A Study (with Shiva Rao Committee), Govind Ballabh Pant—Parliamentarian, Statesman and Administrator

Edited

Nehru and Parliament, Parliaments of the Commonwealth, Union State Relations in India, The Union and the States, The Framing of India's Constitution —Select Documents in 4 Volumes (with the Shiva Rao Committee), Elections and Electoral Reforms in India, Parliamentary Committees in India, Indian Political Parties, Bangladesh, Indian Parties and Politics, Journal of Constitutional and Parliamentary Studies - quarterly (1967-1973), Journal of Parliamentary Information-quarterly (1984-)

संसदीय प्रक्रिया

संसद

डॉ. शुभाद नारायण



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
जयपुर

प्रथम संस्करण : 1991

मूल्य : 37.00 रुपये मात्र

भानव संसाधन विकास मन्त्रालय
भारत सरकार की विश्वविद्यालय
स्तरीय ग्रन्थ-निर्माण पोजना के प्रन्त-
गंत राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकाशिती,
जयपुर द्वारा प्रकाशित ।

◎ सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक :

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकाशिती
ए-26/2, विद्यालय मार्ग, तिलक नगर
जयपुर-302 004

मूल्दक :

भूसेलाल प्रिष्टसं
जयपुर

प्रकाशकीय भूमिका

राजस्थान हिन्दी पत्त्य अकादमी प्रबन्धनी स्थापना के 22 वर्ष पूरे करके 15 जुलाई, 1991 को 23वें बर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इस अवधि में विश्व माहित्य के विभिन्न विषयों के हिन्दी अनुवाद तथा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर के भौतिक पत्त्यों को हिन्दी में प्रकाशित कर अकादमी ने हिन्दी जगत के गिरावँ, छात्रों एवं पत्त्यों को मेवा करने का महत्वपूर्ण काम किया है और इस प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी में गिरावँ के मार्ग को मुगम बनाया है।

अकादमी को नीति हिन्दी में अन्यों को प्रकाशित करने की रही है जो विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोन्नत पाठ्यक्रमों के अनुकूल हैं। विश्वविद्यालय स्तर के ऐसे उत्कृष्ट स्नातक पत्त्य जो उपयोगी होते हुए भी पुस्तक प्रकाशन की व्यापाराधिकता की दौड़ में घटना भव्यता स्थान नहीं पा सकते हैं, और ऐसे पत्त्य भी जो अंग्रेजी को प्रतियोगिता के सामने ठिक नहीं पाते हैं, अकादमी प्रकाशित करती है। इस प्रकार अकादमी ज्ञान-विज्ञान के हर विषय में उन दुनिया मानक पत्त्यों को प्रकाशित करनी रही है और करेंगी जिनको पाकर हिन्दी के पठक सामान्यत ही नहीं, गौरवान्वित भी हो सके। हमें यह कहने हूए दृष्ट होता है कि अकादमी ने 350 में भी अधिक ऐसे दुनिया और महत्वपूर्ण पत्त्यों का प्रकाशन किया है जिनमें से एकाधिक केन्द्र, राज्यों के बोडी एवं पत्त्य संस्थाओं द्वारा पुस्तक लिये गये हैं तथा अनेक विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अनुगमित।

राजस्थान हिन्दी पत्त्य अकादमी को इनसे स्थापना कान से हो भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय से प्रेरणा और सहयोग प्राप्त होता रहा है तथा राजस्थान सरकार ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, भूतः अकादमी इनसे नहीं को प्राप्ति में दोनों सरकारों को भूमिका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है।

स्वतन्त्रता के बाद भारत में स्वेच्छा में समौद्रीय व्यवस्था को घरनामा गया है। यह नितान्त आवश्यक है कि देश के समस्त नागरिक समौद्रीय प्रक्रिया के बारे में पूर्ण जानकारी रखें। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इस महत्वपूर्ण विषय के अध्ययन-अध्यायन की आवश्या नहीं है। सच तो यह है कि इस विषय पर जानकारी और पठन मापदंश की भारी कमी है। इसी कमी को पूरा करने हेतु विद्यालय सेक्षक ने प्रस्तुत पुस्तक में समौद्रीय प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घायामों पर बहुत ही सरल और रोचक भाषा में प्रकाश डाना है।

हम पुस्तक के विद्यालय सेक्षक डॉ. मुमाय कारन, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त सहयोग हेतु आभारो है।

भरोसह शेखावत

मुम्यक, राजस्थान सरकार एवं
आम्यम, राजस्थान हिन्दी पत्त्य अकादमी,
जयपुर

डॉ. वेद प्रकाश

महायक निदेशक

राजस्थान हिन्दी पत्त्य अकादमी
जयपुर

आमुख

भारत में हमने अपनी स्वेच्छा से संसदीय व्यवस्था को स्वीकारा—अपनाया है। हम भारत के सोग, अपने जीवन का क्षण क्षण संसदीय शासन प्रणाली की सुरक्षा के प्रधीन रहकर बिताते हैं। किन्तु, आश्चर्य और दुर्भाग्य का विषय है कि संसदीय प्रक्रिया के बारे में आवश्यक जानकारी जन-साधारण को देने की कोई समुचित व्यवस्था घाज तक नहीं हो पाई है। स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक में इस महत्वपूर्ण विषय के अध्ययन-अध्यापन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे पाठ्यश्रमों में इस विषय की पूर्ण अवहेलना की जाती है। सच तो यह है कि इस विषय पर जानकारी और पठन सामग्री की भी सीमा कमी है। इसी कमी को पूरा करने की दिशा में प्रस्तुत पुस्तक एक विनीत प्रयास है।

यदोकि पुस्तक स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम के लिए भी है, इसके अन्त में "लोकसभा का विषयन" और "दल सचेतक" संसदीय विषेयाधिकार और दल-परिषतेन विरोधी कानून" शीर्षक दो विषेय सेल जोड़े जा रहे हैं जो उन समस्याओं के उदाहरण हैं जो संसदीय प्रक्रिया के क्षेत्र में समय-नमय पर उठती रहती है और जिनको मुनाफ़ा होता है। साथ ही यह ध्यान रखते हुए कि "संसदीय प्रक्रिया" वितान्त गुप्त और बोम्हिन न लगे, दो टोकक सेल "समद और हाई बिनोद" तथा "लोक सभा" में कविता और शेर और शो-शायरी"—भी प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

भागा है पाठ्यक्रम पुस्तक उपयोगी, छविकर और पठनीय लगेगी और जन-साधारण, भवेत् मानविक और जिज्ञासु विद्यार्थीण इसका स्वागत करेंगे।

मैं राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी का विषेय रूप से आभारी हूँ बयोकि यह पुस्तक उन्हीं के ग्राहक का परिणाम है।

M.R.A.H.

—सुसाध काश्यप

33 औरगानेब रोड,

नई दिल्ली।

अनुक्रम

- प्रकाशकीय भूमिका

- आमुन्न

1	हमारी राजनीतिक व्यवस्था में संसद् का स्थान	1
2	संसद् का कार्यकरण और अधिकार दोष, सदनों की भूमिका, विभिन्न कृत्य	19
3	निर्वाचन और सदनों का गठन	35
4	संसदीय कार्य में प्रक्रिया का महत्व	45
5	सदनों के भव और बैठके प्राक्षङ्खण, कार्यक्रम, कार्य-मूल्य, गणरूपि, स्थगन और विषट्ठन की प्रक्रिया	57
6	नसद् के अधिकारी प्रध्याया, वीटामीन अधिकारी तथा मटामचिद	65
7	प्रश्न प्रक्रिया प्रश्नों के प्रकार, आव्याप्ति के नियम, आवेदन घटे की चर्चा और “गृन्ध” कार्य	83
8	विधायी प्रक्रिया साधारण विधि और साविधानिक संशोधन	93
9	वित्तीय मामलों में प्रक्रिया बजट और वित्तीय विधान	113
10.	संकल्प, प्रस्ताव, घ्यानाकरण सूचनाएँ और अल्पकालीन चर्चाएँ मदन में लोक महसूस के मामले उठाने की प्रक्रियाएँ, अविश्वास और निर्दा प्रस्ताव मम्बन्धी प्रक्रियाएँ	122
11.	संसदीय समितियाँ प्रकार, गठन और विधा-विधि	142

2/ संघीय प्रक्रिया

संघीय व्यवस्था प्रत्ये तत्रो की प्रपेक्षा अधिक मुसम्म्य और सुमस्कृत है वयोंकि इसमें लोग संसद् में मिल-बैठ कर बातचीत के द्वारा अपने मतभेदों का हल साझने का प्रयास करते हैं तथा राजनीतिक शक्ति के लिए सबत संपर्क भी या तो आम नुनावों वे समय मतभेदियों वे माध्यम से होता है या किर संसद् के सदनों में बाद-विवाद के द्वारा। संघीय व्यवस्था का भूलभूल यही है कि स्वतंत्र चर्चा हो। हर राष्ट्रीय महसूब के मामले पर खुले आम बहन हो, आलोचना की पूरी छूट हो और विभिन्न मतों में टकराव, सभी पक्षों द्वारा आपसी बातचीत और बाद-विवाद के बाद देश हित में निर्णय लिये जाये।

संसद् की संरचना

संविधान ने अनुसार भारत गणराज्य (Republic of India) के संघीय विधान मण्डल (Union Legislature) को संसद् (Parliament) कहा जाता है। संविधान के संसद् सम्बन्धी अध्याय 2 में अनुच्छेद (Article) 79 स्पष्ट हृष्ट से कहता है कि भूमि के लिए एक संसद् होगी जो राष्ट्रपति (President) और दो मदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्य सभा (Council of States) और लोक सभा (House of the people) होंगे।

$$\text{राष्ट्रपति} + \text{राज्य सभा} + \text{लोक सभा} = \text{संसद्}$$

राष्ट्रपति यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति संसद् का उसी प्रकार अभिवायं यथ है जैसे मनद के दो सदन। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मण्डल (Electoral college) द्वारा किया जाता है। संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित गदर्श्य और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर निर्वाचन मण्डल का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति संसद् के किसी भी मदन में न तो बैठता है न उनको बचायियों में भाग लेना है, तथापि संसद् से संवधित कुछ ऐसे साविधानिक कृत्य हैं जिनका उसे समय-समय पर निवंहन करना होता है। यह ध्यान रखने की बात है कि राष्ट्रपति प्रायः अपने सभी कृत्यों का निवंहन प्रधानमंत्री अध्यवाची परिषद के परामर्श से ही करता है। वह समय-समय पर संसद् के दोनों मदनों को बैठक के लिये ऐसे समय और स्थान पर जो वह उचित समझे, आमंत्रित (Summoned) करता है। सत्र की अन्तिम बैठक और प्रागामी मन्त्र की प्रथम बैठक के लिये नियत तारीख के बीच छ. माम से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति दोनों सदनों का समय-गमय पर मतावाहान (Protogation of the session) करता है और तोक सभा को उसका नियत कार्यकाल (Prescribed term) समाप्त होने गे पूर्व भी भंग (Dissolve) कर राता है। किसी भी विषेयक (Bill) को कानून अध्यवाचिय (Act) बनने के लिए दोनों मदनों के द्वारा पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति (Assent) प्राप्त होना जरूरी है। जब संसद् दोनों सदन अधिवेशन (Session) में न हो और ऐसी स्थिति पैदा हो

जाये जिसमें राष्ट्रपति की राय में तुरन्त कुछ कार्यवाही किया जाना ज़हरी हा तो राष्ट्रपति प्रधारेन्स (Ordinance) द्वारा अस्थायी कानून बना सकता है। इन कानूनों की शक्ति और प्रभाव यहो होता है जो ससद् द्वारा पारित विधि का होता है। किन्तु इन प्रधारेन्सों के स्थायी कानून का रूप पाने के लिए समृद्ध का अनुमतिवान और उनको साधारण संसदीय प्रक्रिया (Parliamentary procedure) के द्वारा विधि के रूप में पारित किया जाना आवश्यक है।

लोक सभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् प्रथम अधिवेशन के प्रारम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के प्रारम्भ में, राष्ट्रपति एक साथ सभवेत समृद्ध के दोनों सदनों में समस्त अधिभाषण करता है और सदनों की बैठक के लिए आमंत्रित होने के कारणों (Causes of summons) की ससद् को मूलना दता है। इसके स्तरिक्त, वह समृद्ध के विभी एक सदन के समक्ष अवधारणा एक नाय सभवेत दोनों सदनों के समक्ष अधिभाषण कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अवैधता वर नहीं है। उसे समृद्ध में उस समय लिखित किसी विधेयक संदेश (Message) या कोई अन्य संदेश किसी भी सदन को भेजने का अधिकार है और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस संदेश द्वारा जिस विधय पर विचार करना अपेक्षित हो तो उस पर सुविधानसभा शीघ्रता में विचार नहीं है। कुछ प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की हिफारिण प्राप्त करने के पश्चात् ही ऐसे जो सकते हैं और उन पर आगे बाई कार्यवाही की जा सकती है।

समृद्ध के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को सदन में अपना स्थान घटाने करने से एहते राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के मामने जप्त (Oath) लेनी पड़ती है प्रथमा प्रतिज्ञान (Solemn affirmation) करना पड़ता है।

सुविधान के अनुसार समृद्ध सबधी कुछ भन्य कृत्य भी हैं जिनका निर्वहन राष्ट्रपति से अपेक्षित है। जब कभी आवश्यक हो वह लोक सभा का अध्याई अध्यक्ष (Speaker pro tempore) और राज्य सभा का कार्यवाही सम्पादि (Acting Chairman) नियुक्त करता है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच अमृहमृत होने की विधित में वह उनकी समुक्त बैठक (Joint-sitting) दुखाता है। राष्ट्रपति प्रभाव वर्ष सरकार का बजट, जिस सुविधान में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (Annual financial statement) कहा गया है, कंप्रिलर और ऑडिटर-जनरल के नियन्त्रक-महानेत्रारोपी (Comptroller and Auditor-General), विन आयोग (Finance Commission), सध लोक सेवा आयोग (Union public Service Commission), अनु-मूलित जातियों तथा अनुयूनित जनजातियों के लिए विन आयोग आयोड़री (Special Officer for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) तथा विद्युत वर्ष आयोग (Backward Classes Commission), जैसे सर्वेश्वरीक प्राधिकरणों (Constitutional functionaries) के कुछ अन्य प्रतिवेदन (Reports) समृद्ध के

4/संसदीय प्रक्रिया

समक्ष रखता है। यदि उसको राय हो कि आंग्ल-भारतीय समुदाय (Anglo-Indian Community) का लोक सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह सदन के लिए उस समुदाय के दो से बनाये गए मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति माहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे मामलों के विषय में विशेष ज्ञान अवश्यक व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्य राज्य सभा के लिए भी मनोनीत करता है। इसके अतिरिक्त, उसे निर्वाचन आयोग (Election Commission) की राय प्राप्त करने के पश्चात् फैसला करने की शक्ति प्राप्त है कि वया विधिवत् निर्वाचित कोई सदस्य संविधान के अनुच्छेद 108 में निर्धारित अनहृताओं (Disqualifications) से वस्त होता है अर्थात् नहीं। इस विषय में उसका फैसला प्रत्यन्ति होता है। राष्ट्रपति अपने पद का कायंभार समाजने की तिथि से पांच वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले कभी भी उपराष्ट्रपति के नाम पत्र लिखकर पद त्याग कर सकता है। ऐसे पदत्याग की मूलता तुरन्त लोक सभा अध्यक्ष को दिया जाना होता है। राष्ट्रपति को उसका कायकाल समाप्त होने से पहले महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने पर चलाया जा सकता है और उसके लिए ग्रसद किसी एक सदन में दांतिहाई बहुमत से दोपारोपण का प्रस्ताव सकल्प द्वारा किया जाना चाहिये तथा दूसरे सदन द्वारा अनुसंधान के पश्चात् दांतिहाई बहुमत से ही यह सकल्प पास होना चाहिये कि राष्ट्रपति पर लगाया गया दोष सिद्ध हो गया है।

राज्य सभा राज्य सभा (Council of States) राज्यों की परिषद है। संविधान के अनुसार राज्य सभा में 250 तक सदस्य हो सकते हैं जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत (Nominated by the president) होते हैं और शेष 238 राज्यों (States) और सभ राज्य शेन्टों (Union Territories) द्वारा चुने हुए। राज्य सभा के चुने गये सदस्य राज्य संविधान समाधो द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पदात् (Proportional Representation System) के अनुसार एकल सक्रमणीय मत (Single transferable vote) से निर्वाचित किये जाते हैं। राज्य सभा का सदस्य चुने जाने के लिए 30 वर्ष का व्यवस्थम आयु का प्रावधान है।

सभ के विभिन्न राज्यों को राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। भारत में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की गुणवा उपादातर उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। इस प्रकार, जबकि राज्य सभा में उत्तर प्रदेश के 34 सदस्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, तिपुरा आदि जैसे अपेक्षित घोटे राज्यों का केवल एक-एक सदस्य है। अन्दमान तथा निकाबार द्वीप समूह, चण्डोगड़, दादरा तथा नागर हुवेली, दमन तथा दीव और लक्षद्वीप जैसे कुछ सभ राज्य शेन्टों का जनसंख्या इतनी कम है कि राज्य सभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता।

इस समय में राज्य सभा में कुल सदस्य 245 हैं। इन स्थानों का वितरण निम्न प्रकार है :

राज्य

1 आंध्र प्रदेश	18	14. परिषापुर	1
2 झरणाचल प्रदेश	1	15 मेघालय	1
3 ग्रन्थम	7	16 मिजोरम	1
4 बिहार	22	17 नागानेड	1
5 गोवा	1	18 उडीसा	10
6 गुजरात	11	19 पंजाब	7
7. हरियाणा	5	20 राजस्थान	10
8 हिमाचल प्रदेश	3	21. मिश्रिकम	1
9 जम्मू लद्दाख कश्मीर	4	22. तमिलनाडु	18
10 कर्नाटक	12	23. त्रिनगर	1
11 केरल	9	24. उत्तर प्रदेश	34
12 मध्य प्रदेश	16	25. पश्चिम बंगाल	16
13 महाराष्ट्र	19		

संघ राज्य सभा

26 दिल्ली	3	27 पाहिनेरी	1
मनोनीत	12		

राज्य सभा एक स्थायी निकाय है और उसे भाग नहीं किया जा सकता। उसका विघटन (Dissolution) नहीं हो सकता। राज्य सभा के प्रत्येक सदस्य की कार्यविधि द्वारा वर्तों की है, उसके सदस्यों में से प्रधानमंत्र एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर निवृत हो जाते हैं। सदस्यों की पदावधि उस तिथि से आरम्भ हो जाती है जब भारत सरकार द्वारा सदस्यों वे नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति जो सदृश के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राज्य सभा का पदेन (Ex-officio) समाप्ति होता है, जबकि उपसभापति पद के तिए राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से हिस्सी सदस्य को निर्वाचित किया जाता है।

लोक सभा, लोक सभा (House of the People) याम लोगों का, जनता का सदन है। यह सदन सर्वभौम व्यापक मताधिकार (Universal adult franchise) के भाग्यान्तर पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct election) से चुने गये प्रतिनिधियों से बनता है। व्यापक मताधिकार के लिये आयु जो अब तक 21 वर्ष थी अब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। प्रथम अब काई भी भारतीय नागरिक नारी अधिकारी हो जाता है। लोक सभा के निर्वाचन में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552

6/संमदीप्र प्रक्रिया

हो सकती है। संविधान के अनुमार लोक सभा के 530 से अधिक सदस्य राज्यों में प्रदेशिक निवाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रीति से चुने जाएंगे और 20 से अधिक सदस्य सभा राज्य द्वेषों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनका निवाचन ऐसी रीति से होगा जैसे संसद विधि द्वारा उपचान्च करे। इसके अतिरिक्त, गण्डपति आगल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो से अधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है। निवाचित किए जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या को राज्यों के बीच ऐसी रीति से वितरित किया जाता है जिसमें कि प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक स्थानों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच यथासम्भव ऐसा अनुपात रहे जो सब राज्यों के लिए समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को चुनाव द्वेषों में इस प्रकार बाटा गया है कि प्रत्येक चुनाव द्वेष को दिये गये स्थानों और उसकी जनसंख्या का अनुपात जहाँ तक सम्भव हो एक जैसा रहे।

इस समय लोक सभा की गदस्य मरुया तथा राज्यों एवं सभा राज्य द्वेषों के लिए उसमें नियत किए गए स्थान निम्न प्रकार हैं—

राज्य	स्थान संख्या	राज्य	स्थान संख्या
1. आधि प्रदेश	42	14. मणिपुर	2
2. अरुणाचल प्रदेश	2	15. मेधावी	2
3. असम	14	16. मिजोरम	1
4. बिहार	54	17. नागालैंड	1
5. गोद्वा	2	18. उडीसा	21
6. गुजरात	26	19. पंजाब	13
7. हरियाणा	10	20. राजस्थान	25
8. हिमाचल प्रदेश	4	21. मिक्रिम	1
9. जम्मू तथा कश्मीर	6	22. तमिलनाडु	39
10. कर्नाटक	28	23. त्रिपुरा	2
11. केरल	20	24. उत्तर प्रदेश	85
12. मध्य प्रदेश	40	25. पश्चिम बंगाल	42
13. महाराष्ट्र	48		

संघ राज्य द्वेष

स्थान संख्या

1. ग्रन्दमान निकोयार द्वीप समूह	1
2. चण्डीगढ़	1
3. दादर तथा नागर हृवेली	1
4. दिल्ली	7
5. दमन तथा दीव	1
6. लक्ष्मद्वीप	1
7. पांडिचेरी	1

मनोनीत

(आगले-भारतीय)

2

लोक सभा की कार्यादिति संविधान ने निर्णीति कर दी है ग्रन्तीकृत लोकतन्त्र में यह नियामन आवश्यक है कि देश की मर्दोंच्च प्रतिनिधिक सरथा गमय-नमय पर जनादेश (People's mandate) प्राप्त करती रहे। लोक सभा की कार्यादिति उगको प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से पाँच दर्जा की है। पाँच दर्जों की प्रवधि समाप्त हो जाने पर गदन स्वतं गम हो जाता है। कुछ प्रतिनिधित्वों में सदन की पूर्ण कार्यादिति समाप्त होने से पूर्व ही इसे भग किया जा सकता है। जब भाषात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब गमद् लोक सभा की कार्यादिति ऐसी प्रवधि के लिए बढ़ा सकती है जो एक बार में एक बर्ध से अधिक नहीं हो और उद्घोषणा के प्रवृत्त न रहने के पश्चात् किसी भी दशा में उमड़ी कार्यादिति यहां से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती।

सोक-समा-राज्य सभा हमारी साविधानिक योजना में जिन दो सदनों का प्रावधान है उनमें से किसी को भी निम्न सदन (Lower House) और ऊच्च सदन (Upper House) प्रथम सदन (First Chamber) और द्वितीय सदन (Second Chamber) अथवा प्रारम्भिक सदन (Primary Chamber) और पुनरीक्षक सदन (Revising Chamber) कहना उचित नहीं होगा। भारतीय सत्रदीय अधिकारी में समद् के दोनों सदन स्थान, अधिकार, सम्मान और शक्ति के मामले में समान हैं। कुछ मामले जैसे वित्तीय (Financial) और मधीपरिषद् के उत्तरदायित्व (Ministerial responsibility) उचित मामले लगभग पूर्णतया लोक सभा के प्रधिकार द्वेष में हैं तो कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनमें भारतीय सभ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा होने के कारण राज्य सभा को कुछ विशेष अक्षियाँ प्रदान की गई हैं जो लोक सभा को नहीं दी गई जैसे अधिल भारतीय सेवा (All India Services) का सूचन और राज्य सूची (State List) में वर्णित किसी विषय पर राष्ट्रद्वित में समद् द्वारा विधान दनाने सम्बन्धी सकल रिजल्यूशन (Resolution) जिन पर केवल राज्य सभा का ही प्राधिकार है। क्योंकि संविधान के प्रावधानी (Provisions of the Constitution) वे अन्तर्गत मन्त्री परिषद् द्वेष प्रत्यक्ष रूप में निर्णीति (Directly elected) लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है, मधीपरिषद् में अविवास का प्रस्ताव (Motion of no-confidence) अथवा वैसा कुछ प्रणाव रखने वाले प्रस्ताव जैसे स्थगन प्रस्ताव (Adjournment motion) राज्य सभा में नहीं रखे जा सकते। लोक सभा में जनता का मीधा प्रतिनिधित्व होने के कारण हमारे संविधान के प्रत्युमार समद् का विश्वास प्राप्त होने का अर्थ लोक सभा का विश्वास प्राप्त होना और कार्यपालिका के उत्तरदायित्व का अर्थ लोक सभा के प्रति उत्तरदायित्व माना गया है। इसी प्रकार क्योंकि सिद्धातत् कर लगाने (Taxation) की तथा जनराशि

(Public funds) में से खर्च करने की अनुमति देने का अधिकार केवल जनना के भीषे चुने हुए प्रतिनिधियों को ही प्राप्त है कोई धन विधेयक (Money Bill) राज्य सभा में पेश नहीं किया जा सकता। किसी धन विधेयक को अस्वीकृत करने अथवा उसमें संशोधन करने का राज्य सभा को अधिकार नहीं है किसी भी धन विधेयक के मिलियनों में राज्य सभा केवल सिफारिश अथवा सम्मति (Recommendation) पर मँकती है। यदि कोई धन विधेयक जिसे लोक सभा ने पास करके राज्य सभा को भेजा था, तो वह इसकी विधेयता की भीतर लोक सभा को लोटाया नहीं जाता तांगे उसे यह अवधि समाप्त होते ही लोक सभा द्वारा पारित स्पष्ट में ही दोनों सदनों द्वारा पारित किया माना जाएगा। कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है अथवा नहीं, इस विषय में लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय अनितम और संवैधानिक होगा। यदि राज्य सभा वो अनुदानों की मांगों (Demands for grants) को अस्वीकृत करने का अधिकार नहीं है, वह बजट अथवा वार्षिक विवरण (Budget or Annual Financial Statement) पर पूरी वहसु बर मँकती है।

इन सदके बाबजूद ऐसा नहीं है कि लोक सभा की तुलना में राज्य सभा का महत्व किसी प्रकार कम हो अथवा इसे द्वितीय स्थान दिया गया हो। जहाँ तक विधेयक (Legislation) का संबंध है, धन विधेयकों को छोड़कर अन्य सब प्रकार के विधेयकों के मामले में राज्य सभा की शक्तियाँ लोक सभा के बराबर हैं। धन विधेयकों को छोड़कर, कोई भी विधेयक लोक सभा अथवा राज्य सभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी गैर-वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने में पूर्व दोनों में ने प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महानियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, सुविधान में मंगोलन करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्य सभा वो लोक सभा के ममान शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेशों, आपात की उद्धोषणा और किसी राज्य में गवेंद्रानिक व्यवस्था के विकल हो जाने की उद्धोषणा को समझ के दोनों सदनों के समक्ष रखना यन्त्रिक है। किसी धन विधेयक और सुविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच अमहसुति को दोनों सदनों द्वारा समूक्त बैठक में दूर किया जाता है जिसमें मामले बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों सदनों की ऐसी समूक्त बैठक का पीटामीन अधिकारी लोक सभा का अध्यक्ष होता है इसके प्रतिरित, सुविधान के अधीन राज्य सभा वो दुख विशेष शक्तियाँ मौजूद हैं। यह घोषणा करने की शक्ति केवल राज्य सभा वो प्राप्त है कि समूद्र के निए राज्य मूर्ची में बहिन किसी विषय के मम्बद्ध में विधान बनाना राष्ट्रीय हित में होगा। यदि राज्य सभा इस आण्य का मक्क्य दो निहाई बहुमत ने पास बर देती है तो नघीय समूद्र “राज्य मूर्ची” में बहिन किसी विषय के मवध में भी मम्पूलुं देश के निए अथवा देश के किसी भाग के निए विधान बना मँकती है। इसके अतिरिक्त, यदि राज्य सभा उप-

मिथन और मतदान करने वाले गदस्यो में से कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्पित ग्रन्थात्मक द्वारा घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या अप्रीनोन है तो गविधान के प्रधीन गमद् वो, विधि द्वारा, सप्त और राज्यों के निए समिक्षित एक या अधिक अधिगत भारतीय मेवासो के मृजन वे निए उपचार बनाए रखी जानी हैं।

गमद के दोनों गदनों में चीख गम्भीर आवश्यक है। ऐसे बहुत गे अप्रसर प्राप्त है जब दोनों गदनों को गक दूसरे में गम्पके स्थापित करना होता है। ऐसा प्राय एक गदन द्वारा दूसरे का निर्वित मदेश भेज कर किया जाता है। निर्वित गदेश एक गदन में पास हुए किधेयक को दूसरे गदन में भेजने के निए अधिकार प्रस्ताव तथा सहभ्य पास बरके दूसरे को जनवारी के लिए अधिकार महारप्ति प्राप्त करने के निए भेजे जाते हैं। गम्पर्दे के इन तरीकों हैं मदुक्त समितियों को बैठके अधिकार दोनों गदनों की गम्पुक्त बैठकों।

संसद और सरकार

समर्पीय नामकरण में संसद और सरकार का विधातापालिका (Legislatutive) और कार्यपालिका (Executive) का गम्भीर अन्यन्त परिषट होता है। हमारे गविधान के गमनांत जहाँ राष्ट्रपति गमद का एक भग है वहाँ कार्यपालिका का प्रमुख भी बही है। कार्यपालिका की मार्गी गलियों राष्ट्रपति में निर्वित हैं और इनका प्रयोग वह स्वयं अधिकार प्रदाने कार्यपालिका अधिकारियों के हाथ वार गहरा है। दस्तिये गविधार के गम्पी काम राष्ट्रपति वे नाम में ही किये जाते हैं। जिन्हुंने गविधान का यह भी प्रादेश है कि राष्ट्रपति अपने गम्पी हृत्यों का निर्येत्वन मन्त्री-परिषद् को महान्ता और परामर्श (Advisory and advice) के द्वारा ही करे। राष्ट्रपति वस्तुत एक शोभनार्थी (Formal, ceremonial), सावित्रानिक (Constitutional) अधिकार नाममात्र का (Nominal) प्रमुख होता है। मन्त्री परिषद् ही वास्तविक कार्यपालिका होती है क्योंकि प्रधान मन्त्री उसका प्रमुख। प्रधान नई लोक गम्पी तो विधिवत निवाचन और गठन के पश्चात् राष्ट्रपति ऐसे दल या दलों के नेता वो सरकार बनाने के लिए आमतित करता है किसे लोक गम्पी में भागे से अधिक सदस्यों वा गम्धर्मन प्राप्त हो। इन प्रकार, प्रधान मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। मन्त्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मन्त्री वी भवणा में नियुक्त किए जाने हैं। राष्ट्रपति को प्रधान मन्त्री नियुक्त करने में निजी इच्छा (Personal discretion) का प्रयोग करने का प्राय बोई अवगार नहीं मिलता। परन्तु यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि विनी भी दल वो तोड़ गम्पा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसी ऐसे नेता वा चयन करने में अविवेक (Individual judgement) का प्रयोग कर सकता है जिसे, उम्मी राय में, गदन में बहुमत वा गम्धर्मन प्राप्त होने की सम्भावना हो।

प्रधान मंत्री आम तौर पर लोअर गभा का मदस्य होता है परन्तु मंत्री मंसद के दोनों सदनों में लिए जाते हैं। इसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त गिया जा सकता है जो मंसद के बिमी भी सदन का मदस्य न हो। परन्तु उसे दूहे गारा के अन्दर पद छोड़ना पड़ता है यदि, इस बीच, वह दोनों में में यिसी मदन के लिए निर्वाचित न हो जाए। मंत्रियों का यह नवेंधानिक दायित्व है कि वे लोक गभा का विश्वास ग्रांटे ही सामूहिक रूप से पद-स्थापन कर दें। साथ ही, प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रमादपर्यन्त पद धारणा करता है और उसके द्वारा उसे वर्गीकृत किया जा सकता है। परन्तु राष्ट्रपति नूँकि प्रधान मंत्री की मवणा से ही ऐसा करता है अब यह शक्ति वास्तव में प्रधान मंत्री को प्राप्त है।

हमारे समाजीय लोकतन्त्र में कार्यपालिका और विधानपालिका का एक घटूट गठबन्धन है। उनमें इसी प्रकार के विरोध शक्ति विभाजन की गुजाइश नहीं है। समाज स्वयं शामन नहीं करती और न कर ही सकती है। अब मंसद द्वारा यह उत्तर-दायित्व मंत्रिपरिषद को सौंपा जाना है। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के मंसारीय रूप की यह विशेषता है कि शामन मंसद के बीच होता है। मंत्रिपरिषद मंसद के दातां सदनों के गद्दमों के द्वारा निर्मित होती है। वह मंसद में निर्कलती है और मंसद में ही रहती है। बहुत मंत्रिपरिषद मंसद का एक अग्र मात्र है, मंसद में बाहर कोई पृथक् शक्ति केन्द्र नहीं तथापि, मंसद और कार्यपालिका के कृत्यों और भूमिकाओं में अन्तर है। मंसद का काम है—जनता के कल्याण तथा देश में अच्छा शागम कायम बनाने के लिए विधान बनाना (Law-making) तोति निर्धारण (Policy formulation), शामन पर मंसारी रखता (Parliamentary surveillance over administration), राजनीतिक और वित्तीय नियंत्रण (Political and financial control), जनता का प्रतिनिधित्व करना तथा उनकी शिकायतों को अभिव्यक्त करना और दूर करना (Representational and grievance ventilation and redressal)। दूसरी ओर कार्यपालिका का काम है मंसद द्वारा बनाई विधियों और नीतियों को लागू करना और शामन चालाना। यदि कार्यपालिका को विधायी और वित्तीय प्रस्ताव तैयार करने और उन्हें मंसद के ममता रखने तथा स्वीकृत नीतियों को, मंसद द्वारा इसी भी प्रकार की प्रट्टन पेंदा किए विता, कार्य रूप देने का लगभग असीमित अधिकार प्राप्त है तो मंसद को यूचना प्राप्त करने, जर्वी करने, दानवीत करने और कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर जन-प्रतिनिधियों की स्वीकृति की मुहर लगाने की शक्ति प्राप्त है।

मंसद मंस्यों को कई ऐसे तरीके उपलब्ध हैं जिनके द्वारा वे कार्यपालिका में जानकारी मांग सकते हैं और मंत्रियों तथा प्रणाली को लगानार चौकप्रा रख सकते हैं। नरसार यो मंसद में अपने प्रत्येक कार्य यो मकाई पेंग करनी होती है। विभिन्न क्षेत्रों में गरसार की नीतियों तथा कृत्यों की मदस्य ममता-ममता पर ध्यापक

गमीआ और आनोखमा कर मड़ते हैं। विषय द्वारा को गई आनोखनामो और सरकार द्वारा की गई मफाईयो से साफ पता चल जाता है कि देश के भासने आई समस्याओं ने प्रति विभिन्न पक्षों के बाया विचार है अथवा बाया वैकल्पिक नीतियों या रास्ते सम्भव हैं। मगद नियत समय पर वादिक विष्ट पर दिचार करती है और स्वेष्टिप्रदान करती है। इस स्वीकृति के बिना न तो सरकार कोई कर वसूल कर सकती है और न ही सरकारी कोई से कोई पैमा लचं कर सकती है। समय-समय मुख्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं और परिवर्तनों, देश की विदेश नीति और प्रविन्दवनीय लोक महत्व वे अन्य मामलों पर भी चर्चा करती है। खास मामलों में भविष्यरिण्ड की उम्मी भूलो के लिए लोक सभा में निन्दा की जा सकती है अथवा उम्मी विषद् अधिश्वास का प्रस्ताव रखा जा सकता है।

समद् और न्यायपालिका

समद् और सरकार अथवा विधानपालिका और कार्यपालिका के साथ-साथ राज्य का तीसरा प्रमुख धर है न्यायपालिका (Judiciary) उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) और उच्च न्यायालय (High Courts) मिलकर देश की न्यायपालिका वा निर्णय करते हैं। उच्चतम न्यायालय को न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। वह देश का उच्चतम न्यायाधिकरण है। समद् को न्यायालयों के गठन, समठन, अधिकार देने एवं शक्तिया विनियमित करने वाल विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है। भरत का उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। सविधान में पहले यह निर्धारित था कि मुख्य न्यायाधीश के अन्यायाधीशों की मृत्या मात्र से अधिक नहीं होगी। परन्तु समद् को शक्ति दी गई थी कि वह विधि द्वारा, अधिक सहवा में न्यायाधीश निर्धारित करे। इस उपर्युक्त के अधीन, समद् ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की सहवा) अधिनियम, 1956 पास किया जिसके अनुसार अन्य न्यायाधीशों की सहवा बढ़ाकर दस कर दी गई और बाद में इस अधिनियम से अनेक सशोधनों द्वारा 25 कर दी गई। इस प्रकार इस ममत्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सहवा, मुख्य न्यायाधीश सहित 26 है।

प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय है जो मुख्य न्यायाधीश तथा ऐने अन्य न्यायाधीशों से बनता है जो राष्ट्रपति समय-ममत्य एवं नियुक्त करना प्रावश्यक समझे। सविधान के अधीन समद् विधि द्वारा किसी सभ राज्य देश (Union Territory) पर किसी उच्च न्यायालय के अधिकार देश का विस्तार कर सकती है या किसी सभ राज्य देश को किसी उच्च न्यायालय के अधिकार देश (Jurisdiction) में निकाल सकती है दो या दो से अधिक राज्यों तथा सभ राज्य देश के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, और किसी सभ राज्य देश के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है या किसी ऐसे राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय को सविधान के सभी या किसी एक प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है।

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से, जैसे वह आदिकरण समझे, परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, सम्बन्धित राज्य के राजपात्र और उग उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किए जाते हैं। किसी भी न्यायालय का न्यायाधीश अपने हाथ में लिये हर, राष्ट्रपति का सदाहित हरके, अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है परन्तु उगे, निवाय 'महाभियोग' (Impeachment) की प्रक्रिया के द्वारा जैसे सविगत में निर्धारित है, अपने पद से छाड़ाया जा सकता। इस प्रकार किसी न्यायाधीश दो अपने पद से तभी हटाया जा सकता है परि सदाद के दातों सदनों द्वारा एक विशेष बहुमत से (अर्थात् उस सदन की तुल सदस्य मरण के बहुमत द्वारा तथा प्रत्येक सदन के उपर्युक्त और मतदान वरने वाले सदस्यों के कम से 4 म दो तिहाई बहुमत द्वारा) पासीक्या गया गयुक्त समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाए। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के उसके वर्तम्यों के निर्वहन में आचरण के विषय में, मिथाय उग न्यायाधीश को हटाने की प्रारंभना करने वाले गमावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव में, अन्य किसी प्रकार चर्चा करने की मसद का शक्ति प्राप्त नहीं है। ऐसा उपबन्ध स्पष्टतया इसलिए रखा गया है कि न्यायाधीश कायाकालिक। तथा विधानमण्डल के प्रभाव से मुक्त रहे। परन्तु इस सब्द में न्यायाधीश को प्राप्त गरधार उसके न्यायिक कर्तव्यों तक सीमित है, उसके निजी आचरण के लिए नहीं।

सदाद विधि द्वारा, नघ के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण (administrative tribunal) और प्रत्यक्ष राज्य के लिए या दो या दो से अधिक राज्यों के सिए एक पृथक् प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के लिए उपबन्ध कर सकती है। इस उपबन्ध के अधीन वनाए गए कानून में यह उल्लेख किया जाता है कि अधिकरणों के अधिकार दोनों वया-वया होंगे और शक्तियों वया-वया होंगी। ऐसे कानून से, उच्चतम न्यायालय के सविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन कार्यदेव के सिवाय, सभी न्यायालयों के अधिकार दोनों का तुष्ट उल्लिखित सामलो के नवध में अपवर्जन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सविधान के अधीन सदाद का एक अलिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service) वनाने की शक्ति प्राप्त है जिसमें जिला न्यायाधीश (District Judge) से छोटा कोई पद नहीं होता।

सदाद के किसी भी सदन की दिग्भी कार्यवाही की विधिमान्यता को, प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर, किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रत्येक सदन का पीठामीन अधिकारी (Presiding Officer) या कोई अन्य अधिकारी या सदाद सदस्य जिसमें प्रतिया को विनियमित करने या सदाद के

किसी भी सदन के निर्णय को लागू करने या कार्य स्वयं देने की शक्तिया सामयिक और पर निहित की गई हो, उन शक्तियों का प्रयोग करने में न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आता। सदन के आतंरिक मामलों को प्रभावित करने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में “रिट”, निदेश या आदेश जारी करना न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र से परे है।

ऐसे संविधान के हाँचे में जो व्यक्तिगत मूल अधिकारों की सारटी देता है, सब तथा गाउंयों की अनग-ग्रलग शक्तियों का उपवन्ध करता है और संसद् गहित राज्य के प्रत्येक निकाय की शक्तियों एवं कृत्यों की स्पष्ट परिभाषा करता है और उनका परिसीमन करता है, न्यायपालिका न्यायिक पुनरविलोकन (Judicial Review) की अपनी शक्तियों के अधीन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बदा करती है। समृद्ध द्वारा बनाए गए किसी भी विधान को न्यायालय संविधान की शक्तियों में बाहर और इस कारण जून्य एवं अप्रवर्तनीय (Null and void) घोषित कर सकते हैं। संविधान ने अनुच्छेद 13 में यह स्पष्ट उपवन्ध है कि समृद्ध, राज्य विधान-मण्डल या कोई भी अन्य प्राधिकरण ऐसा विधान न बनाए जो संविधान के भाग 3 में वर्णित किसी भी मूल अधिकार से असंगत हो, या उसे ज्यून करता हो। अनुच्छेद 32 और 226 द्वारा इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कमज़ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को ज़रूर प्रदान की गई है। इस प्रकार, भारत में किसी विधान की संविधानित वैधता (Constitutional validity) को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि विधान का विषय—

(क) उस विधानमण्डल के अधिकार धोके में नहीं है जिसने इस पास किया है;

(ख) संविधान के उपवन्धों के प्रतिकूल है, या

(ग) मूल अधिकारों में से किसी का हमन करता है।

कभी कभी ऐसा मान लिया जाता है और प्रायः कहा जाता है कि जैसे विधानमण्डल का काम विधान बनाना और कार्यपालिका का काम उसे कार्यान्वित करना है, उसी तरह न्यायालयों का काम संविधान एवं विधियों की व्याख्या करना है। ऐसी धारणा बहुत ही भ्रामक एवं गलत है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में केवल न्यायपालिका ही व्याख्या नहीं करती है। अनेक ऐसे प्राधिकरण हैं जो लगभग प्रतिवेदन अपने कृत्यों का निवेदन करते हुए बहुत वैधता से संविधान की व्याख्या करते हैं। उदाहरणार्थ, समृद्ध के दानों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को अपने विनियोग (rulings) देते हुए, जो उनके अपने-अपने सदनों में अतिम हीते हैं, संविधान के उपवन्धों की व्याख्या करनी पड़ती है। न्यायालयों का मूल जून्य व्यक्तियों के दीन, व्यक्तियों और राज्यों के दीन, एक राज्य और दूसरे राज्य के दीन और मध्य राज्यों के दीन विवादों का न्यायनिर्णय (adjudication) करता है और

न्यायनिर्णय करने हुए न्यायालयों के लिए संविधान तथा विधियों की ध्यान्या बरना अपेक्षित हो सकता है। और जो ध्यान्या उच्चतम न्यायालय द्वारा वी जाती है वह विधान बन जाती है जिसे देश के सभी न्यायालय मानते हैं। उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं है। वह तब तक देश के कानून के स्पष्ट में बना रहता है जब तक कि स्वयं उच्चतम न्यायालय उग ध्यान्या का पुनरावलोकन (review) न करे या उसका बदल न दे या जब तक समझौता उग कानून में या संविधान में उपयुक्त संशोधन न कर दिया जाए। यदि समझौता का कोई अधिनियम न्यायपालिका द्वारा रह बर दिया जाता है तो समझौता उम्मी अटियों को दूर करके जनके कारण वह रद्द किया गया हा, उसे फिर से अधिनियमित कर सकती है। इसके अनियन्त्रित समझौता अपनी संविधानिक शक्तियों वी सीमा में रहते हुए संविधान में ऐसी गीति में संशोधन कर सकती है जिसमें कि वह कानून असंविधानिक न रहे।

इस प्रकार, भारतीय समझौता इतनी संवर्गक्ति सम्पद नहीं है जितनी कि विदित समझौता है जहा विधान के न्यायिक पुनरावलोकन की अनुमति नहीं है। साथ ही, भारतीय न्यायपालिका इतनी संवर्गक्ति सम्पद नहीं है जितनी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है जहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की वस्तुता, कोई सीमा ही नहीं है।

विधायी शक्ति का वितरण

संविधान ने मध्य विधानपालिका (Union Legislature) और राज्यों की विधानपालिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया है।

भारतीय सघ में इस समय 25 राज्य (States) हैं और सात मध्य राज्यक्षेत्र (Union Territories) हैं, जैसा कि मावधान भी पहली मन्त्रमूर्ची (First Schedule) में उल्लिखित है। मध्य का राज्यक्षेत्र राज्यों और मध्य राज्यक्षेत्रों में बटा हुआ है। किसी राज्य द्वारा बनाया गया विधान उस राज्य के राज्यक्षेत्र में ही लागू हो सकता है। मध्य की समझौता भारत के मध्यूले राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए विधान बना सकती है। समझौता राज्यक्षेत्रीय विधान (extra-territorial laws) बनाने की शक्ति भी प्राप्त है, पर्याप्त इसके द्वारा बनाया गया कोई विधान बेबत भारतीय राज्यक्षेत्र के लोगों और सरकार पर ही लागू नहीं होगा बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर भी लागू हो सकता है। राज्यों को ऐसा विधान बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

संविधान में मध्य और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण तीन मूलियों के अन्तर्गत करने का उपयन्ध किया गया है। मूली 1 (List 1) अवयवा सुप मूर्ची (Union List) में 97 विषय हैं जिनके बारे में केवल समझौता ही विधान बना सकता है। मूली 2 (List 2) या राज्य मूर्ची (State List) में 66 विषय हैं जिनके बारे में केवल राज्य विधानमण्डल ही विधान बना सकते हैं। मूली 3 (List 3) या

समवर्ती मूची (concurrent list) में 47 मटे हैं जिनके द्वारे मे समद और राज्य विधानमण्डल दोनों द्वारा विधान बना सकते हैं। मविधान द्वारा विधान प्रबन्ध-प्रबन्ध थेटों में, समद और राज्य विधानमण्डलों की पुराणे स्वायत्तता (autonomy) प्राप्त है, तथापि जनकिया के वितरण (distribution of powers) जो दोनों में विभाजी क्षेत्र में समद के सामान्य प्रभुत्व पर बल दिया गया है।

सब मूची में, जो नीमों गूचियों में सबसे लम्बी है, राज्य, वैदेशिक वायं, रेलवे, सचार, बैंकिंग, मुद्रा आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं। अर्द्धमण्डल जनकियाँ, (residuary powers) प्रधार्यतु एसे विषय के सम्बन्ध में विधान की जनकियाँ जो नीमों में किसी भी सूची में वर्णित न हो, समद को प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त समवर्ती मूची में, एक ही विषय के सम्बन्ध में सब के और उनके विधान में टकराव होने की स्थिति में, सब का विधान मान्य होता है। दूसरे शब्दों में, इस सम्बन्ध के सब के विधान का स्थान पहचान है। गमदर्ती थेट के किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य की विधि के पक्ष में इस नियम का अप्रदाद है कि समद के पक्ष के किसी विधान के माध्य टकराव होने के मामले में राज्य का विधान मान्य रहता है, यदि उसे विचारायं रखित रखा गया हो और गण्डूरति की अनुमति (President's assent) उस पर प्राप्त हो चुकी हो। परन्तु इस उपचार में समद ही निए हेतु कोई गोक नहीं है कि वह राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाए गए विधान में बाट में मजोहत नहीं कर सकती, उसे बदल नहीं सकती या निरस्त नहीं दर सकती। प्रत्येक राज्य की आप-प्रानिका जन्मि का प्रयोग इस प्रशार विधा जाना बरेश्वित है जिसमें समद द्वारा दबाए गए विधान का अनुपायन सुनिश्चित हो।

राज्यों के निए पूर्णतया रक्षित सेवों में भी, समद को बृहद् अतिरिक्तियों में विधान द्वारा वी जनकि प्राप्त है। इस प्रभार जब कभी राज्य या एक सरकार पास बरबे, जिसे विशेष बहुमत प्राप्त हो, वह दोषराम करती है कि उन्होंना दरना राज्यीय हिन में आवश्यक या स्पोर्चित है तो समद राज्य मूची में उत्तिविति किसी विषय पर विधान बना सकती है। इसके अतिरिक्त बड़े दायात्र की उद्देश्यगति (proclamatio of emergency) प्रबन्ध में हो तो समद वी विधान बनाने की जनकि का विचार हो जाता है जिसमें वह राज्य मूची के स्त्री भी विषय पर विधान दता सकती है। यद्यपि समद राष्ट्रीय हिन ने या आदाद स्थिति के दौरान प्रयोग की गई किसी जनकिये ने किसी राज्य के विधानमण्डल की सामान्य विधायी जन्मि को प्रतिविचित नहीं करती, तथापि टकराव की स्थिति में समद द्वारा बनाया गया विधान प्रबन्ध में रहता है और जब उक्त वह प्रबन्ध में रहता है तब तक राज्य का विधान जहां तक समद के विधान में उसके टकराव का सम्बन्ध है, अप्रवर्तनीय (inoperative) रहता है।

किसी देश के माध्य की गई मन्त्रि (treats), समझौते (agreement) या अभिमम्य (convention) को या किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एमोर्सिएशन या अन्य निकाय में निसी विषय पर, यदि वह विषय राज्य मूची में हो तो भी निए गए फैसले को कार्यान्वयन करने के लिए विधान बनाने की शक्ति समद् को ही प्राप्त है।

समद् में निवेदन किए जाने पर भी वह राज्य मूची के किसी विषय पर विधान बना सकतो है। यदि दो या दों से अधिक राज्य विधानसभाओं तेरा वाद्य-मीय समझौते हैं कि उनके अधिकार शेष वाले किसी विषय का विनियमन (regulation) समद् के विधान द्वारा हासा चाहिए और इस शास्त्रीय का मतल्य पास करते हैं तो, समद् राज्यों के निमन्त्रण पर राज्य मूची के विसी विषय पर आवश्यक विधान बना सकतो है। परन्तु इस प्रकार चलाया गया विधान उन राज्यों से प्रभावित रहता है जिन्होंने इस हेतु निवेदन किया हो अथवा उन राज्य राज्यों से जो इस वारे में मतल्य पाये रखे वाले से उसे अपेक्षा नहें। यह मूची की तुद्धि प्रविष्टियों से ही समद् को जन्म प्रदान हो जाती है कि वह, विधि द्वारा अंतर्भूत घोषणा करके, तुद्धि शेष और विषय राज्य के शेष में अपने अधिकार में ले ले।

मविधान में उपबन्ध है कि यदि राष्ट्रपति वा, किसी राज्य के राजपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है निम्ने उम राज्य का शामन मविधान के उपबन्धों के अनुगार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उदधोपणा (Presidential Proclamation) द्वारा उम राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य अपने हाथ में ले सकता है और यह घोषणा कर यहां है कि राज्य के विधानसभाले की जक्तियों का प्रयोग समद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किया जाएगा।

नये राज्यों की स्थापना एवं गठन के मामलों से भी समद् के प्रमुख का गंभीर मिलता है। समद् को यह शक्ति प्राप्त है कि वह—

(क) किसी राज्य में गे उसका राज्यशेष अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है;

(ख) किसी राज्य का शेष वडा या पटा सकती है;

(ग) किसी राज्य की सीमाएँ में परिवर्तन कर सकती है, और

(घ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है।

ये परिवर्तन मविधान में गशोधनों की नश्हे न होकर ऐसे गशोधन हैं जो राष्ट्रपति की गिरफ्तरिश पर समद् द्वारा साधारण बहुमत में विधेयक (Bill) पास करके दिए जा सकते हैं। ऐसे विधेयकों पर सम्बन्धित राज्यों के विधानसभालों द्वारा, इस प्रयोजनाये विधानित अवधि में, विचार जानने के लिए उनके पास भेजना अनिवार्य है। परन्तु विधेयक इस प्रकार विधान मण्डलों के पास भेजने में समद् के हाथ

बघते नहीं हैं और वह जैसे उचित गमभे देखे परिवर्तन कर सकती है। इसके अतिरिक्त, गमद को किसी राज्य में संविधान परिषद् का गांधारण प्रक्रिया द्वारा उत्पादन पा गृजन करने की शक्ति प्राप्त है जिसके लिए संविधान में मणोधन करना आवश्यक नहीं है। यदि किसी राज्य की संविधान भाषा विशेष वटुपत से इस आधार का ग्रहण कर देती है तो सगद् के अधिनियम द्वारा ही ऐसा ही सकता है। संविधान में निर्धारित गोमात्रों में रहकर सभ और राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अपने दोनों में दोनों एक दूसरे के अधीन नहीं हैं। अम्बेटकर ने शब्दों में, “संविधान द्वारा नियत किए गए अपने दोनों में राज्य उन्हें ही अनुसारी-सम्भाल (Sovereign) हैं जितना कि वेन्ड संविधान द्वारा सोने गए अपने दोनों में हैं”। एक वा प्राधिकार दूसरे के प्राधिकार में ममन्दवपकारी है। वास्तव में, भारत में सभ और राज्यों का सम्बन्ध नियन्त्रित दो विरोधी विचारों में गमभोगे का प्रतीक है—

- (1) शक्तियों का सामाज्य विभाजन जिसके अनुसार राज्य अपने दोनों में स्वायत्त हैं,
- (2) विशेष परिस्थितियों में राज्यकीय एकता द्वारा मजबूत सभ की आवश्यकता।

संविधान में मणोधन करने की शक्ति अथवा संविधायी शक्ति (constituent power) संविधान ने सगद् को दीर्घी है। संविधान मणोधन विधेयक सदन के किसी भी सदन में पेश किये जा सकते हैं। सगद् संविधान में कोई भी आवश्यक सुशोधन कर सकती है, गिवाय टगके कि कुछ मामलों में संविधान में सशोधन करने वाले विधेयक के लिए राज्य संविधानमण्डली द्वारा अनुमत्यन आवश्यक है तथा न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार संविधानपालिका ऐसे विशेषज्ञ नहीं कर भक्तों मणोधन जो संविधान के मूल दावे अथवा आधारभूत मिटानों के विषद हैं। संविधान मणोधन में राज्य संविधान मण्डलों की भूमिका सीमित है।

संभेद

रायेप में कह गरते हैं कि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में सभी वर्षक लोग अर्थात् जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मतदाता हैं, वे अपने अपने राज्यों में सोने सभा के घोर विधान सभायों के सदस्य चुनते हैं। राज्यों की संविधान सभाएँ किस राज्य सभा के सदस्य चुनती हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचिक-मण्डल (Electoral college) द्वारा किया जाता है जिसमें राज्य सभा, तोड़ सभा और राज्यों की विधान सभायों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति नामस्त्र अथवा संविधानिक राज्यपालिका है, वाल्विक अथवा राजनीतिक कार्यपालिका भविष्यतिप्रद होती है। संविधान संसद् सदस्य अवश्य होने चाहिए, और वे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी

होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जहां तक कार्यपालिका और विधानमण्डल के संबंधों का प्रश्न है, उनकी स्थिति विरोधात्मक नहीं है। दोनों जनता की सेवा में भागीदार हैं।

भारत की संसद, राष्ट्रीय स्तर पर संविधानिक रूप से संगठित सभी लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, उसका देश की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें जनता की "प्रभुता" (Sovereignty) का ममावेश एवं सार है, यह राष्ट्र की धावाज और उसका दर्पण है।

संसद को सर्वोपरि यह देखना होता है कि लोगों की जिन इच्छाओं पर आकाशांशों का प्रतिपादन इसके सदनों में किया जाता है उनकी यथासम्भव उत्तम रीति से पूर्ति हो। लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में संसद सदस्य लोगों की विभिन्न मामलों पर शिकायतों और विचारों को संसद के सदनों में व्यक्त करते हैं, मरकार के कार्यकरण की द्यानदान करते हैं और विधान बनाते हैं। संसद "राष्ट्र की जाच पड़ताल करने वाली एवं प्रहरी महान संस्था" के रूप में कार्य करती है।

इसके विधायी अधिकार द्वेष की सीमा से, संविधान-निर्माण की इसकी शक्तियों से, आपात की स्थितियों में इसकी भूमिका से और न्यायपालिका, कार्यपालिका, राज्य विधानमण्डलों और संविधान के अधीन अन्य प्राधिकरणों के साथ इसके सम्बन्धों से पता चलता है कि संसद की शक्ति एवं अधिकार द्वेष कितना अधिक और विस्तृत है परन्तु भारतीय संसद को उस प्रकार प्रमुखता-सम्पद निकाय नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार कि द्रिटिश गवर्नर को जाना जाता है। इसकी शक्ति बहुत अधिक है परन्तु असीम नहीं है। हमारी संसद का प्राधिकार और अधिकार द्वेष अन्य निकायों की शक्तियों द्वारा, सभा और राज्यों में विधायी शक्तियों के विभाजन द्वारा, मूल अधिकारों द्वारा, न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए सामान्य उपबन्ध द्वारा और स्वतंत्र न्यायपालिका होने के कारण सीमित होते हैं। इसके प्राधिकार की इन सीमाओं के बावजूद, संविधान के अधीन जो शक्तियां इसे प्राप्त हैं वे इतनी पर्याप्त हैं कि जो भूमिका इसके लिए नियत है, उमे वह भली-भाति निभा सकती है।

2.

संसद् का कार्यकरण और अधिकार क्षेत्र सदनों की भूमिका, विभिन्न कृत्य

गणद् व विधायी कृत्य (Legislative function) को देखते हुए गवर्नरशाप-रण में संसद् को नेतृत्व विधान बनाने यामी निकाय ही माना जाता है। यह देशम् एक प्रभीय इंटिकोरा है। व्यावहारिक शिट में संसद् का कार्य विधान बनाना, परामर्श देना, आलोचना करना एवं उन इच्छाओं की प्रभीक होने से मात्र, जनता की शिकायतों को सुनार करना होता है। विस पर नियन्त्रण रखने, कर लगाने आद्य करों में परिवर्तन करने, धनुदातों और गृहियों पर मनदान लगाने का विशिष्ट अधिकार भी इसे प्राप्त है। इन चर्तियों वे माध्यम में ही संसद् कार्यालय (Executive) के प्रभावे प्रति और अधिकारीयों जनता के प्रति उत्तराधिकार को पूरा करती है। राष्ट्रीय संघर्ष के घट्टीर घट्टलोकों को सुनाना में भी गमद् का विशिष्ट योगदान रहा है भल हां देखते हैं कि एक अप्रभाव गलत ने एवं में संसद् के वृक्षों में विधिया मार्द है और उनको गीमांडो में बोधार आयक गिर हो गया है। इन्हुं विषय-वस्तु को सुनाना और बोधार आयक बनाने की इच्छा से, संसद् की कुछ भौतिक शूदिरात् एवं कृत्य इस प्राप्त कर हो जा गया है।

संसद् के कृत्य

- (1) राजनीतिक और वित्तीय नियन्त्रण (Political and financial Control)
- (2) प्रशासन की नियरानी (Surveillance over Administration)
- (3) जनकारी प्राप्त करने का अधिकार
- (4) जन-धाराहारणों का प्रतिनिधित्व करना, शिकायतों अधिक करना और घट्टग्रंथ देना
- (5) राष्ट्रीय संघर्ष के घट्टों सुनाना और राष्ट्रीय एकता गुरित्वा करना।

- (6) विधि-निर्माण करना
- (7) गविधान में संगोष्ठन करना (गविधायी शक्ति)
- (8) नेतृत्व प्रदान करना।

राजनीतिक और वित्तीय नियत्रण ; गगद्, कायंपालिका का निरीक्षण एवं नियन्त्रण करती है। कायंपालिका गमद् के प्रति उत्तरदायी है। गमद् को कायंपालिका के कृतकार्यों की जानकारी प्राप्त करने और उनकी आलोचना करने का अभीमित अधिकार प्राप्त है। यह कहा गया है कि “गमदीय गस्थाओं का लक्ष्य ऐसी मशक्त कायंकारिणी है जिस पर जनता के प्रतिनिधि गदा दृष्टि रखें, उसकी आलोचना करते रहें और जो उनके सतत् नियत्रण में रहे”¹ भारतीय गविधान में भी (एक) मन्त्रीपरिषद् (Council of Ministers) के गगद् के निर्वाचित सदन के प्रति मामूलिक दायित्व (Collective responsibility) और (दो) बजट पर गगद् के नियत्रण का उपबन्ध है।²

भारतीय नायिधान के अन्तर्गत कायंपालिका और गमद् के बीच सम्बन्ध सामजस्यपूर्ण है, परस्पर विरोधी नहीं। गगद् कायंपालिका के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती और कायंपालिका अपने कृत्यों के लिए गगद् के प्रति उत्तरदायी है जहाँ उसका अस्तित्व प्रतिदिन दाव पर रहता है। सदन किसी भी ममत्य बहुमत द्वारा सरकार को अपदस्थ करने का फैसला कर सकता है, अर्थात् यदि सत्ताधारी दल मदन के बहुमत का ममत्य यों देना है तो सरकार अपदस्थ हो जाती है। तब कोई वाधार बताना, प्रमाण देना या औचित्य बताना आवश्यक नहीं होता।³ अत लोक गमा (1) मन्त्रिपरिषद् में मविशाय का मूल (Substantive) प्रस्ताव पास करके,⁴ (2) नीति (Policy) ममत्यों किसी वडे मामले पर सरकार को पराजित करके, (3) कोई स्प्यग्न प्रस्ताव (Adjournment motion) पास बरके;⁵ और (4) आपूर्ति (मप्लाई ग) की स्वीकृति देने में इन्कार करके या किसी वित्तीय उपाय पर सरकार को पराजित कर अपदस्थ कर सकती है।

गमद् शासन नहीं करती, यह वाम कायंपालिका का है जिसमें गंसद् के मदस्य मन्त्री के रूप में नियुक्त होते हैं। अनः वामविक कायंपालिका मन्त्रिमण्डल है जिसका नेता प्रधानमन्त्री है। देश के योगानन के लिए कायंपालिका कायंग्रम और नीतियों तंदार करती है जिसके कार्यान्वयन पर व्यय होता अनिवार्य है। कलस्वस्प सरकार के लिए गविधान के उपबन्धों के अधीन प्रावरनित आय और व्यय का वापिक विवरण (Annual financial statement or the estimated Receipts and Expenditure) अर्थात् बजट, गगद् के ममत्य रगना आवश्यक होता है। तिस पर भी कायंपालिका वो अपने सायंदर्भों और नीतियों की उपादेयता के अनुगाम वा स्तर निर्धारित करते और उसको विभिन्न प्रयोजनों के लिए आवश्यित करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उसे यह गुमाव देने की भी पूरी स्वतंत्रता है।

कि व्यव को पूरा करने के लिए राजस्व (Revenue) किम प्राप्त जुटाया जाना चाहिए। इस प्रकार पर्यंत करने के मामले में मुख्य रूप से कार्यपालिका को ही पहल करनी पड़ती है। इन्तु सरकार कानून के अन्तर्गत प्रधिकार प्राप्त किए बिना न हो कोई पर्यंत कर सकती है और न कर ही यांग राखती है।¹⁴

कार्यपालिका की पहल करने की शक्ति अतिरिक्त दृम बात पर आधारित है कि उसे संसद का समर्थन प्राप्त हो। यदि संसद में सरकार का सम्बूर्ण बहुमत (Absolute majority) हो तो विधान तथा कार्यपालिका के तभी वास्तो का लगभग पूरा नियन्त्रण उसके हाथ में आ जाता है। गमदायी नियन्त्रण (Parliamentary control) नाममात्र वा रह जाता है। कार्यपालिका पर संसदीय नियन्त्रण का 19वी शताब्दी का विटिंग विचार, "मंदर प्राप्त पालियामेंटम्" (विटिंग रासद) में भी अब भाव नहीं है। व्यावहारिक तथ्य यह है कि लोकसभा में अपने बहुमत के द्वारा और सदन को मग कर देने और नवे चुनाव कराने की अपनी शक्ति के द्वारा सरकार संसद पर नियन्त्रण रखती है। जैसा कि एस अन्य स्थान पर बहा गया है—

"माज राजनीति का व्यावहारिक तथ्य यह है कि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री को और उनके मंत्रीमण्डल को प्राप्त है न कि संसद को। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत का नेता होता है और सरकार का प्रमुख भी होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रीपरिषद् सरकार और विधानमण्डल, दोनों पर नियन्त्रण रखती है क्योंकि इने व्यापक मान्यता प्राप्त है और फिर से करने और उन्हें कार्यान्वयित करने की शक्ति भी प्राप्त है।"

और ऐसा होता भी चाहिए।

"प्रधानमंत्री के प्रधिकार वा राष्ट्रन नहीं ही ना चाहिए वयोंकि उस स्थिति में मंत्रीमण्डलीय सरकार वार्य नहीं कर सकती। आतिर प्रधानमंत्री उसकी शुरी है। वह दो या तीन संघोंगियों से मन्त्रणा करके वार्याही कर सकता है। यही कारण है कि मंत्रीमण्डल समितियों की व्यवस्था है। अतलोगत्वा प्रधानमंत्री ही सरकार की नीतियों के लिए संसद और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार है।"¹⁵

प्रशासन की नियरानी—संसद जन इच्छा का प्रतीक है। वह सीधे शासन नहीं चलती। शासन गे अभिप्राय है सरकार द्वारा तेवार किये गये कार्यक्रमों और नियोजित नीतियों का कार्यान्वयन। देश की आधिक और सामाजिक प्रगति के लिए विभिन्न कार्यपालिका के प्राप्त और नीतियों कार्यपालिका द्वारा तेवार किये जाते हैं और राष्ट्र यह सुनिश्चित करती है कि ये कार्यक्रम और नीतिया जन-आकादाम्यों के समझौते से अनुसूप हो। इनका कार्यान्वयन प्रशासन व्यवस्था द्वारा किया जाता है। प्रशासन व्यवस्था से अभिप्राय है प्रशासनिक अधिकार सेवाएं (Administrative and civil services) जो वस्तुतः संसद के प्रति हिसाब देह होती है।

नि.सन्देश मन्त्रीमण्डल के भद्रस्य विभिन्न मंथालयों के प्रमुख होते हैं विन्तु वे विधायिनी और बायंकारिणी के बीच की कही होते हैं। अत नीतियों के कार्यान्वयन में अधिकारियों का सीधा हाथ होता है, जिन्हे सामियों, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण करना होता है।

जब प्रतिनिधि सभा के स्पष्ट में मसद् को इस बात की निगरानी रखनी होती है कि जिन कायंकों और नीतियों वा उसने अनुमोदन किया था, क्या प्रशासन ने उनको लागू कर अपने दायित्व पूरे किये। जिस मद के लिए उसने धन स्वीकार किया था, क्या वह उसी मद पर चर्चा किया गया? मध्येष में, मसद् द्वारा प्रशासन की निगरानी का यही उद्देश्य है। इसमें यह मुनिश्चित हो जाता है कि अधिकारी इस बात का ध्यान रखकर ही काम करेंगे कि बाद में उनके काम की संसद् द्वारा छानबीन होगी भाँत जो कुछ वह करते हैं या नहीं करते हैं उसके लिए वह उत्तरदायी होते। परन्तु सार्थक छानबीन करने और प्रशासन के कृत्यों की निगरानी के लिए ससद् के पास तकनीकी नमाधन एवं जानकारी अवश्य होनी चाहिए।¹⁹

सरकार पर निगरानी रखने के यसद् के पास अनेक प्रक्रियायत साधन हैं। जैसे प्रश्नों के माध्यम से तथा अमतोपजनक उत्तर प्राप्त होने पर आधे घण्टे की चर्चाएँ (Half an hour discussions) उठाकर मसद् प्रशासन को अपनी मतकृता का आभास करा दती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति के अभिभावण पर धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks), वजट और सरकार को नीति के विषेष पहलुओं तथा विशिष्ट दरिस्त्यानियों पर विचार के दौरान प्रशासनिक पुनर्रचना (Administrative review) के महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषयों (Matters of urgent public Importance) सम्बन्धी प्रस्तावों (Motions) गंड-सरकारी मदस्यों के गठनों (Private members resolutions) और अन्य मूल प्रस्तावों (Substantive motions) द्वारा भी विशिष्ट मामलों पर चर्चा हो सकती है। उपर्युक्त माधनों में सरकार पर नियन्त्रण रखने के साथ-साथ मनदीय समितियों (Parliamentary committees) के माध्यम से भी सरकार पर निगरानी रखी जाती है।

जानकारी प्राप्त करने का अधिकार (Right to know) तेजी से बढ़ते इस युग में जानकारी रखना प्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। जानकारी के भ्रमाव में कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है। हमने देखा है कि जहा सरकारी बायंक्रमों और नीतियों के निर्माण का दायित्व बायंपालिका का है वहा, इन नीतियों की जात्य पटनाल करना तथा बायंपालिका पर नियन्त्रण (Control over Executive) रखने का पूरक काम मसद् करती है। इस दायित्व को नियाहने के लिए जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मसद् को सबसे बड़ी जिजिन है। मसद् की इस शक्ति के भय से जहाँ सरकार के विभिन्न विभाग अपने बायों के निपादन में

सचेत रहते हैं वहाँ विभागों के प्रभारी मन्त्रियों को भी उनके विभागों की सामियों को जानने में महायता मिलती है जिससे वे अपने प्रश्नामन को बुन्न बनाते हैं। यो तो ममद को दर्शक प्रकार में, विभिन्न घोटों से जानकारी प्राप्त होती है, परन्तु सरकार योंकि जानकारी का भव में वहा॒ घोट है अब गमंद एवं इसमें सदस्यों को जानकारी की घपनी प्रावश्यकताओं के लिए यरकारी विभागों पर कामों निर्भर रहना पड़ता है।¹⁰ यह यरकारी विभागों का दायित्व है कि मारे जाने पर वे अपने विभागलायों के सबूत में ममद को दूरी, मही-मही और सुस्पष्ट जानकारी उपलब्ध करायें। हा॒, ऐसे मामले, जिनके बारे में जानकारी देने से राष्ट्रीय हित (National interest) पर आच मानी हो अथवा देश को सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, वे भ्रष्टाचार हो सकते हैं। इस प्रकार वी॒ जानकारी मन्त्रियों द्वारा सभा में बहनध्य देकर, प्रावश्यक पत्र और रिपोर्ट भभा पड़त पर रखकर अथवा इन्हें मसद प्रधानमंत्र में रखकर उपलब्ध कराई जा सकती है। सदस्य सभा में चर्चाएं उठाने (To raise matters in the House) के लिए इस जानकारी का प्रयोग करते हैं।

सभा के सत्र (Session) के दौरान सदस्यों को जानकारी प्राप्त करने के अवसर प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। नदमें महत्वपूर्ण सवाल है प्रश्न पूछना, जिससे मदस्य सीधे सवाल जानकारी प्राप्त करते हैं। स्पष्ट उत्तर न मिलने पर प्रावृत्त प्रश्नों (Supplementary Questions) का त्रम चलता है और मसन्तोपजनक उत्तर मिलने पर आधे घण्टे की चर्चा (Half-an-hour Discussion) उठायी जाती है। इन प्रकार प्रत्येक विभाग की बड़ी बातोंकी से जाव होती है और कोई भी कोना ममद की छानबीन से प्रदूषण नही॒ रहता। गदस्य प्रविलम्बनीय लोक महत्व के विद्यों पर सौचिक उत्तर के लिए ग्लल सूचना प्रश्न (Short Notice Questions) पूछ सकते हैं। कोई मदस्य, अध्यक्ष की खुर्च मनुमति से, प्रदिनध्यनीय लोक महत्व के किसी मामले की भौत मत्री का द्यान दिलाए सकता है और उससे पनुरोध कर सकता है वि॒ वह उम मामले पर बहनध्य दे। सदस्य मदस्यित मत्री को लिख कर भी ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसकी कि उन्हें प्रावश्यकता हो भौत ऐसी जानकारी प्राप्त हो जानी है।¹¹

विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन से सबधित विभिन्न मन्त्रालयों और उनकी अधीनस्थ मस्थानों से सीधे जानकारी का अन्य माध्यम विभिन्न मसदीय मन्त्रियों के प्रतिवेदन (Reports) हैं। प्रशिक्षणाधीन विषयों के सबूत में से समितिया विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए वडे ही पैने प्रश्न करके मन्त्रालयों एवं विभागों और सरकारी उरक्रमों (Public Undertakings) इत्यादि से विस्तृत एवं बहुमूल्य जानकारी एकत्र करती है। यहा॒ तक कि मन्त्रालयों के सचिवों और भिधिकारियों से प्रत्यक्ष प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस प्रकार एकत्रित जानकारी के प्राधार पर विचाराधीन विषयों के सवाल में गमितिया अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करती

है। अतः ये प्रतिवेदन अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर जानकारी प्राप्त करने का एक सशक्त साधन बन गए हैं जिनका मदन में दोभो पक्षों के मदस्य प्रमगानुसार खुब प्रयोग करते हैं।

भरकारी साधनों के अतिरिक्त विभिन्न राजनीतिक दलों वे शोध एवं मदर्म के लिए अपने कर्मचारी हैं, जो कि जानकारी प्राप्त करने के लिए अनिवार्य अग है। जानकारी के अभाव में किसी भी मस्था का मदस्य अपने बायं का निष्पादन सही ढंग में नहीं कर सकता, असदीय बाद-विवाद (Parliamentary debate) में हिस्सा लेना तो दूसरी बात है। सूचना के महत्व बातें इस युग में प्रेस और मचार माध्यमों का अपना एक अलग स्थान है। जन-गचार के इन माध्यमों में सदस्यों को नवीनतम घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है और वे प्रणाली एवं सार्वजनिक नीतियों सवधी मामलों से अवगत रहते हैं।

समाचार-पत्र, जन-गचार का मुख्य साधन है। समाचार-पत्र ही जनता को समीक्षा लोकनव्र में कार्यपालिका और विधायिका तथा सत्तासँद दल और विपक्षी दल के पारम्परिक सम्बन्धों और उनके कार्यों से अवगत कराते हैं। जनता को शिक्षित करने के माध्यम समाचार-पत्र प्रजातन्त्र के दोषों को दूर करने में महायता करते हैं। समाचार-पत्रों का यह भी दायित्व है कि वे समय-समय पर जनता के विचार व्यक्त करते रहे। विन्तु समाचार पत्रों के निजी विचारों को जनता के विचार नहीं माना जा सकता। फिर भी महीने मिति का चित्रण करके समाचार-पत्र इस दायिन्द्र का निर्वाह कर सकते हैं। उनको स्वयं अपनी प्राचरण महिता (Code of conduct) का पालन करना नाहिए, मनसनीगेज वातें लिखने के प्रलोभन में नहीं माना चाहिए, पत्रकारिता में राधीय हित का बलिदान न करने के अपने सर्वोच्च वक्तव्य को याद रखना चाहिए। समीक्षा प्रश्नों (Parliamentary Questions) प्रस्तावों (Motions) और बाद-विवाद के लिए अधिकार जानकारी दैनिक समाचार-पत्रों से प्राप्त होती है और यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिस पर मदर्म निर्भर करते हैं। इसके माध्यम-माध्यम, प्रेस लोगों वो जानकारी देता रहता है कि गमद् में क्या हो रहा है। इस प्रादान-प्रदान में प्रेस लोगों और मंसद् के बोच महत्वपूर्ण तथा भजबूत मपकं बनाए रखने में समर्प होता है।

समीक्षा प्रणाली में जानकारी वा निष्पाद और तथ्यात्मक होना अनिवार्य है। परन्तु कितना भी कहे, जन-गचार माध्यमों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी के निहित स्थायों से प्रभावित जानकारी होने की शक्ति बही रहेगी। इसी प्रकार भरकारी योतो द्वारा उपलब्ध की जाने वाली जानकारी भी, तथ्यात्मक और मुस्तक्षित होने वे बावजूद, कभी-कभी एक तरफा या पक्षपातपूर्ण हो सकती है। अतः इन मध्यावनाओं से बचने के लिए गमद् को एक निजी मंस्थान धोन (Institutional source) विकसित करना चाहिए जो ख्यन्त्र जानकारी का

रक्षित अण्डार हो। इसके साथ-साथ वितिष्ठ प्रसार प्रक्रियाओं (Dissemination processes) का विकास करने की भी प्रावश्यकता है। समृद्ध पत्रिकालय और इसकी गोपनीय, सदस्य, प्रलेखन तथा भूचना सेवाएं (Library Research Documentation and Information Services) इस दिग्गज में कार्य कर रही हैं, ये सेवाएं सदस्यों के लिए उपलब्ध रहती हैं और उन्हें जब भी दे चाहें। निपटन एवं बिल्कुल समग्र जानकारी प्रविनिमय और प्राय प्रत्यक्ष भूचना पर सामान्यता करने हैं और उनकी मात्री प्रावश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। विधायकगण धूकि बहुत व्यस्त रहते हैं और उनके पास समय बहुत कम होता है प्रत्यक्ष जानकारी ठोक-ठोक होनी चाहिए, सक्षिप्त, आसानी से समझो जा सकने वाली प्रेरण तुरन्त प्रयोग में ताएं जा सकने योग्य होनी चाहिए।¹³

जन-भारतीयाओं का प्रतिनिधित्व करना, गिरावतें व्यक्त करना और परामर्श देना सापेक्षों को उनके निर्वाचित देशों की जनता एक भट्टट विश्वास के साथ निर्वाचित कर मसृद में भेजनी है। प्रत्येक वे उनके माध्यम से इस राष्ट्रीय मन्दिर (National Forum) पर भवती आवाजाओं, इच्छाओं और भारतीयाओं को प्रतिफलित होते देखना चाहते हैं। समृद्ध की जनवादाहियों में जनता का योगदान उनके निर्वाचित सेवों (Constituencies) की जनता की कठिनाइयों, उनकी गिरावतों और उनकी भावनाओं, चिन्ताओं और निराशाओं की ही अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार सापेक्षों को लोगों में एटोटे-बड़े, अमीर-गरीब सभी वी, समय भारत की एक वाणी प्रस्फुटित होती है और इस प्रकार भारतीय मसृद मसूर राष्ट्र की प्रतिनिधि ममा का स्वरूप घारणा करती है।

मसृद में जो भी जीवन्त प्रश्न उठते हैं, जिनमें उसकी जरूरियों में चमक और चट्टकोलापन थाना है उनका आधार उनके निर्वाचित देशों की जनता की भावाएं और भारतीयाओं ही होती हैं। वे लोग, अपने प्राम-प्राम की, अपने सेवा की कठिनाइया, अपनी गिरावतें उन तक पहुंचाते हैं जो वाद-विवाद का आधार बनती हैं। वे दिन तो जड़ गये जड़ कि विधान गण्डन के बहु विधिष्ठ वर्ग (elite) के नोंगों का ही निकाय था। आज नोंग सभा प्रधिकारिक प्रतिनिधि स्वरूप वाली बन गई है। एक प्रध्ययन में इसे गए विवेयण के अनुसार,

“भारतीय मसृद बहुमुखी भारतीय समाज का दर्पण है। समृद्ध में भारत के लोगों का, उनकी राजनीतिक जगत्ति के स्तर का, उनके सौधेनादे जीवन का और उनकी समस्याओं, आवाजाओं और भाकाजाओं का धर्धिक प्रतिनिधि स्वरूप इकाई देने वाला है। विधिष्ठ वर्ग की राजनीति का स्थान धीरे-धीरे स्वरूप प्रामोग्नुख राजनीति तेरही है। नगरीय बकील, जो जानून और समीय प्रक्रिया की बरतीकियों को समझता था, उसका स्थान ग्रामीण किलान या राजनीतिक/मामाजिक कार्यकर्ता ले रहा है जिनकी अन्तजात सहज बुद्धि है और जो यह पूरी तरह समझता है कि लोगों की प्रावश्यकता क्या है। अब विदेशी शिक्षा

प्राप्त पब्लिक या कान्वेंट रकूलो मे पढे उच्च माध्यम श्रेणी के नगरीय विजिष्ट लोगो का स्थान गवाओ के शिक्षित साधारण लोग से रहे है ।”¹³

सामद और निर्वाचक का ग्रटूट सम्बन्ध है । दोनो अन्योन्याधित है । निर्वाचक यदि सांसद को अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद मे भेजते हैं, अपनी समस्याओ, कठिनाइयो और शिकायतो के रूप मे उन्हे सामग्री उपलब्ध कराकर गराद की चर्चाओ को जीवन्त बनवाते हैं, तो सामद भी अपने निर्वाचको को सरकार के कार्यक्रमो, नीतियो और उनको कार्यान्वित करने की प्रतिया मे अवगत करवाते हैं । वे उनको संसद के कार्यकरण और उसकी भूमिका मे भी अवगत कराते हैं । इस प्रकार वे अपने निर्वाचको, संकार और समद के बीच सचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाते हैं । इस सब के लिए सामद की सूझ-बूझ, शिक्षा-दीक्षा, अपने निर्वाचन क्षेत्र से निरन्तर सम्पर्क, उनकी शिकायतो, समस्याओ और कठिनाइयो को उपलब्ध विभिन्न प्रक्रियागत उपायो द्वारा अभिव्यक्त करने की उनकी क्षमता की अहम भूमिका है ।

समद सदस्य अपनी सूझ-बूझ से अपने होते की समस्याओ को सर्वसाधारण की समस्याओ का रूप देता है तथा प्रश्नो के माध्यम मे ध्यानाकरण प्रस्ताव (Calling Attention Notices), अल्पकालिक प्रस्ताव (Short Duration Discussion) रखकर उन पर समद मे चर्चाओ की माग करता है । बजट पर, प्रनुदान चर्चाओ के दौरान बटोनी प्रस्ताव (Cut Motions) लाकर वह नागरिको को वहुत सी शिकायतो को मरकार के सम्मुख शक्तिशाली ढग से प्रस्तुत करता है । इस प्रकार आयोजित चर्चाये महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उनसे पता चलता है कि संसद का क्या दृष्टिकोण है और चर्चाओ मे प्रशासनिक तत्व (Administrative System) पर लोगो के विचारो का प्रभाव प्रडता है और यदि ऐसा न हो तो प्रशासन लोगो की भावनाओ मे घनिष्ठ रहे । इस प्रकार खर्चाए उठने से सरकार सतक हो जाती है और अपने दायित्वो (Responsibilities) के प्रति सचेत हो जाती है । इसमे सरकार मे चारो ओर, हर स्तर पर समद के भद्रश्व नियन्त्रण (Hidden Control) का प्राप्त होता है । यद्यपि प्रशासनको के लिए संसद द्वारा स्वीकृत नीतियो को यथासम्भव वेहतर मे बेहतर तरीके मे यार्यान्वित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है, तथापि सदन मे ध्यक्त किए गए विभिन्न विचारो का उन पर गहरा प्रभाव रहता है और उनमे उनका मार्गदर्शन होता है और इसी को समद की मंदिरणा दात्री भूमिका (Advisory Role) का नाम दिया जा सकता है ।

राष्ट्रीय महस्व के मामले सुलभाना और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना “मुँहे-मुँहे भिन्नेभिन्न ” हर प्राणी का अपना मन होता है, अपने विचार और हित होते है और इस विभिन्न मत-प्रतान्तर वाले देश मे ऐसा होता स्वाभाविक भी है । लोकतन्त्र मे विभिन्न मत-प्रतान्तरो वाले गमुदाय मे शक्ति के लिए संघर्ष होता भी प्रतिवाय है । बिन्तु इस टकराव को एक सांवेदनिक मध्य (National Forum)

पर एकत्र होकर बातचीन के माध्यम से मुलमाना सरल होता है। गणद राष्ट्रीय महत्व का एक ऐसा ही मार्गजनिक मन है जो प्रमुख सम्बन्धिता शक्ति (Mediatory Force) के रूप में विकागित हुआ है। राष्ट्रीय स्तर की कितनी ही बड़ी-बड़ी समस्याएं, जिनमें लगता था कि यह देश टूट के बिल्कुल जाएगा, यहाँ बाइ-विवाद (Debate) द्वारा, दरस्तर चर्चाओं (Discussions) द्वारा सुलझी है। गणद एक प्रेती गमत प्रणाली के रूप में विकागित हुई है, जो शक्ति-संघर्ष (Power-Struggle) के लिए, राजनीतिक गतिविधि को स्पाठ करने के लिए या परस्पर विरोधी भूमिकाएं (Opposite Roles) प्रदान करने के लिए एक बंध मन जाती है और समाजीय नियम तथा प्रक्रियाओं के कारण जहाँ पहुँच थी गरमा-गरमी या न मेर समझोताकारी (Conciliatory) गिरह होती है। ऐसे में एक बंध पर एकत्र होने से मन का भैन घुलता है, पक्ष-विषय दोनों में एक ही परिवार के छोटे-बड़े भाई होने की भावना जन्म लेनी है और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हुए एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। टकराव के समाधान की यह भूमिका निभाते हुए गणदीय सम्भवा गण्डीय पक्षता (National Integration) नाम बांधी और सम्बन्धित करने वाली महान् गत्या का नाम करती है। हमारे प्रतेर गत-सतातरी वाले समाज के प्रतग में, टकराव का समाधान करने और एकता लाने वाली गणद की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

सगद भवत का केन्द्रीय कक्ष से (सेंट्रल हाउस) आपने आप में एक लघु भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ देश के सभी भागों के समाद-सदस्य, चाहे उनकी जाति, सत्त, दोनों या धर्म कोई भी हो, अपनी प्रत्यारिक रूप से मिलते हैं और सारे देश को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर व्यक्तिगत रूप से या युद्धों में विकार करते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता की इनकी अधिक भावना पैदा होती है जो अन्य प्रौद्योगिक नहीं हो सकती। देशने पे आपा ऐ कि आपने को प्रतग कहने वाले, स्थानीय स्तर पर मपना अलग अस्तित्व चाहने वाले सदस्य जब सेंट्रल हाउस में पढ़ जाते हैं तो "विविधता में एकता" का रूप उन पर नह जाता है और पूर्ववर्ती अलगाव की भावना पीछे छुट जाती है। वहीं बानावरण ही आपा होता है कि सदस्य स्थानीय स्तर की सकृचित भावनाओं को अपने-आप त्यागने पर बाह्य ही जाता है और बृहद राष्ट्रीय धारा मे (Broad National Stream) मे आपने आपको सर्विम-लित करने के लिए प्रेरित होता है।

विधि निर्माण करता भारत मे विधि का शामन है और विधि-निर्माण विधान पठ्ठन का दायित्व है। भारत के विधान के अधीन, राष्ट्रीय स्तर पर गणद राजीव विधायी विकाय (Supreme Legislative Body) है। सविधान की साती अनुनूदी तो गत (Union) तथा समवर्ती सूचियों (Concurrent List) मे इसके लिए आवश्यित प्रतेर विषयों पर यह विधान बना सकती है।¹⁴

इनके अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) के क्षेत्र का भी सविधान में उल्लेख किया गया है। यदि कोई विषय इस क्षेत्र में आता है अर्थात् जो समय, राज्य और समवर्ती मूचियों में से किसी में भी नहीं पाता है तो समदृ उस पर कानून बना मन्ती है। राज्य सूची के विषयों पर भी बेंड को, कुछ विशेष परिस्थितियों में, कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

विधान बेबत राजनीतिक म्यरता कायम करने के सिए ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उनका महत्व सामाजिक (Socio Economic) परिवर्तन लाकर परम्परागत विषयों और जोपण से नोंगों को मुक्ति दिलाने में भी है। अत ममाज में, विशेषकर हमार जैन परिवर्तनशील नमाज में, सामाजिक परिवर्तन के लिए घाघार एवं माध्यम की व्यवस्था बेबत समदृ ही कर सकती है। सामाजिक विधान (Social Legislation) विधि-निर्माण का प्रमुख क्षेत्र है, ऐसा विधान जिसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाना तथा आधिक विकास करना हो। सामाजिक-आधिक परिवर्तन (Socio-Economic changes) को ठोम रूप देने के लिए बर्तमान सम्याचों का पुनर्गठन इरना होगा और विभिन्न सामाजिक शक्तियों और ग्रुपों के परम्पर विरोधी हिनों के बीच एक नया सत्रुतन लाना होगा। ऐसा समदृ द्वारा विधान बना कर ही किया जा सकता है। बास्तव म, समदृ सामाजिक सुधार (Social Reforms) नामे में सबसे भागे रही है। सविधान के प्रारम्भ में समदृ द्वारा समाज सुधार के घनेक विधान बनाए गए हैं अर्थात् ऐसे विधान जिनमें समाज के पिछड़े, पद-दनिन या परम्परागत स्वयं से दुर्घटनाके निकार वगौं के लिए आरक्षण (Reservation), सामाजिक सुरक्षा (Social Security), नियोग्यताओं के निवारण (Removal of Disabilities), न्यूनतम मजदूरी (Minimum wages), दृढ़ावस्था पेंजन, आवास आदि के रूप में गारंटी और लासों के दिशेष उद्देश्य किए गए हैं।

व्यवस्था मधीं विवेदक (B II) जो कानून बनते हैं, सरकार द्वारा लाए जाते हैं। अब विधान बनाने के मामले में भी कार्यपालिका ही पहल करती है। यो, पेंज इये गये विवेदक पर समदृ में चर्चा होती है, पुनरीक्षण निरोक्षण के परचाल भगाऊदन पेंज बिए जाते हैं और उनको पारित किया जाता है किन्तु मूलतः उनका प्रस्ताव और प्राच्य पूर्वतया कार्यपालिका और प्रगामनिक विभागों द्वारा ही तैयार किया जाता है।

“विधायी प्रस्ताव मूलबद्ध करने का धर्य है तरनीकी मुर पर तैयारी करना और विभिन्न स्वर्णों दायों तथा प्राधारों में तासमेत विडाना, यह तायं, इसके स्वरूप को देखते हुए विधान मण्डन में नहीं किया जा सकता क्योंकि तरनीकी मामलों तथा प्राच्य प्रगामनिक पनुष्ट एवं विशेषज्ञता जैसे विधान के लिए महत्वपूर्ण समाधन बेबत कार्यपालिका वो ही उपलब्ध होते हैं।”¹⁰

इस प्रकार सर्वविदित है कि विधि के निर्माण में उहम सदमों करना कार्य-पालिका का ही काम है और यह स्थानांतरिक भी है। बांगड़ी भरकार के कार्यक्रमों, नीतियों के कार्यान्वयन में कठिनाइयों, घटनों का अनुभव कार्यपालिका ही को करना होता है और उन कठिनाइयों, घटनों को दूर करने के लिए कार्यपालिका ही विधान तंत्रार बरती है। मंगदू की भूमिका विधि-निर्माण की नहीं बन्क कार्य-पालिका द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयकों (Bill), नियमों (Rules) तथा विनियमों (Regulations) पर विचार करन, उनका पुनर्गोपण और निरीक्षण करने उन्हें पारित करने की है। इस प्रकार मंगदू की भूमिका विधि-निर्माण (Legislation) की भूमिका न हाकर बंधीकरण (Legalisation) की भूमिका है।

मंगदू के पास इनका समय भी नहीं होता कि वह विधि-निर्माण के द्वारा में सम सके, दूसरी ओर विधि-निर्माण की एक विशेष तकनीक होती है, जिसका समझ नहीं होता है जो भूमिका व्यक्तिगत के बाहर सहित के लिए प्राप्त करना महज नहीं होता है। यो भी विधि-निर्माण में वकल एक संसद वा ही योगदान नहीं होता है। मंगदू ऐसे बहुत स नियमों में एक है जो इस भूमिका में साधीश है। विधि के बारे में मानविक विचार यह नहीं है कि यह सामान्य रूप से जागू लिए जाने वाले नियमों वा समूह है इत्यादि, विधि एक प्राविधि (Procedural) है—एक जटिल और जटिल प्रक्रिया—जो प्रारंभिक सामाजिक प्रवृत्तियों स प्रारम्भ होती है, फिर महसूस की जान वाली पहली मावध्यक्ता और कायदाही की मांग, फिर नीति-निर्माताओं की धारणा और राजनीतिक शक्तियों और विभिन्न हृतों वाले ग्रुपों की भूमिका, फिर विधेयक का प्राप्त तंत्रार करने वाले विधि एवं मन्त्र विभागों की भूमिका, फिर सत्ताधारी दल, सम्बद्ध संघों और मानवमण्डल, मंगदू के सदनों और उनकी समितियों और फिर राष्ट्रपति की भूमिका, और फिर नियम तथा विनियम बनाया जाना, फिर प्रभासन द्वारा वास्तविक विधानवयन और, विवाद की स्थिति में, न्यायालयों द्वारा ध्यान्या और न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review)। प्रत्येक ध्यान्या में वास्तव में विधि वा नियम होता जाता है और उसमें रूपभेद होता रहता है। इस प्रकार पह नहीं कहा जा सकता कि विधि-निर्माण का कार्य व्यक्तियों का कार्य एवं नियाय वा राज्य का कार्य एक एक घण्टे बरता है, राज्य के तीनों घण्टे—कार्यपालिका (Executive), विधानमण्डल (Legislature), और न्यायपालिका (Judiciary), भिन्न-भिन्न विधान नियमों को भूमिका निभात है।¹⁷

संविधान-भूमिका (Constitutional Role) (संविधान में सहोधन करना). भारतीय संविधान में मंगदू को यह भूमिका दिया गया है कि वह संविधान में भी सहोधन कर सकती है। यद्यपि तक कि संविधान के संशोधन (Amendment) की जो प्रक्रिया (Process) है उसको भी योग्यता दर सहनी है।¹⁸ संविधान जनता के लिए है और संविधान में संशोधन भी लोगों ही द्वारा ही पाराग्नामों के प्रकृ-

रूप ही किया जाता है। सविधान में मशोधन करने के लिए विधेयक (Bill) समद् के किसी भी सदन में प्रस्तुत (Introduce) किया जा सकता है। यह अनिवार्य है कि सविधान में सशोधन करने वाला विधेयक संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। समद् द्वारा सविधान के उपबन्धों में सशोधन विशेष बहुमत से किया जा सकता है, अर्थात् प्रत्येक सदन की कुल सदस्य सभ्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और सदानन्द करने वाले सदस्यों के कम से कम दो—तिहाई बहुमत द्वारा। कुछ मामलों में ही अर्थात् सातवी अनुमूली की मूलियों, समद् में राज्यों के प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 368 आदि में मध्यित उपबन्ध, संसद् के प्रत्येक सदन (House) द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से सशोधन विधेयक पास किए जाने के पश्चात् कम से कम आधे राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा उनके अनुसमर्थन (Approval) की आवश्यकता होती है। सविधान मशोधन विधेयक को विधिवत् रूप से पांग अधिकार अनुसमर्थन किए जाने के पश्चात् राष्ट्रपति के समझ पेश किए जाने पर उसे उस पर अपनी अनुमति प्रदान करती है और राष्ट्रपति के पास अपनी अनुमति रोकने या विधेयक दर पुनर्विचार के लिए उसे सदन को लौटाने का कोई विकल्प (Alternative) नहीं है जैसे कि साधारण विधेयकों के मामले में होता है।¹⁹ संसद् सामान्य कानून पास करके सविधान में सशोधन किए विना उसके कुछ उपबन्धों गे परिवर्तन कर सकती है या उनके प्रवर्तन को निष्प्रभावी (Annul) बना सकती है। ऐसे मशोधन को किसी भी माध्यर पर किसी भी न्यायालय में चुनोनी नहीं दी जा सकती। यदि उसमें सविधान के मूल सत्त्वों (Basic Principles) में परिवर्तन या उनका हनन् नहीं होता।

1950 से 1972 तक की अवधि के दौरान, मूल अधिकारों (Fundamental Rights) में मशोधन कर सकने का प्रस्तुतीन अलग-अलग मामलों में उच्चतमन्यायालय के समझ आया, अर्थात् शक्तिप्रसाद बनाम भारती सरप, ²⁰ संजन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ²¹ और गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य, ²² गोलक नाथ के मामले में उच्चतमन्यायालय का फैसला होने तक, विधि इस प्रकार थी :

- (एक) सविधान मशोधन अधिनियम माध्यरण विधि नहीं होता और उसे संसद् द्वारा माध्यरण विधायी शक्तियों के बजाय अपनी गविधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पांग किया जाता है। गविधायी शक्ति "संसद्" में ही निहित होने के कारण गविधान में मशोधन के प्रयोगनायक कोई पृष्ठक् सविधायी निवाय नहीं है।
- (दो) सशोधन करने की शक्ति पर कोई निवन्धन नहीं है, अर्थात् सविधान का कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है जिसमें मशोधन न किया जा सकता हो। अनुच्छेद 368 पूर्णतया मामान्य है और उसके द्वारा संसद् को संविधान में सशोधन करने की शक्ति प्राप्त है और ऐसी शक्ति विना किसी अपवाद के है।

(नोट) गविधान (भाग 3) के अधीन जिन मूल अधिकारों की गारटी ही गई है के गविधान में सशाधन भारत की गति की शक्ति के अध्याधीन हैं।

गोलक नाथ के मामले में पहुँचे ऐतिहासिक निषेध दिया गया था कि मूल अधिकारों सबैं परिच्छेद गविधान में एक प्राद्विनीय स्थान रखता है। मूल अधिकारों (Fundamental Rights) को गविधान में बीजातीत तथा स्थायी स्थान दिया गया है। और उनका उल्लंघन नहीं हो सकता और सामान्य विधायी शक्ति (Legislative Power) प्राप्त कायंकालिका ३१(A) उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता।

गोलक नाथ मामले वे प्रश्नों हुए संशोधन की वेष्टा को केशवानन्द भारती यनाम केरल घरेलू²³ के मुहादमे में नुस्खों दी गई। उच्चतम न्यायालय की समूहां पीठ (Whole Bench) ने इस पर विचार किया और दृष्टिमत में गोलक-नाथ के मामले में घपने पूर्व निर्णय को गदर किया परन्तु माय ही यह भी निर्णय दिया कि अनुच्छेद ३६८ गणदंड का यह अनुमति नहीं देता कि वह गविधान के मूल स्वरूप के आधारभूत ढाँचे (Basic Structure) में परिवर्तन कर गए। परन्तु मूल दांचा बया है इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं दी गई और यह एक मुसा प्रस्तु रहा।²⁴

केशवानन्द के मामले में इस फैसले के बाद सत्त्व की संशोधन वी शक्तियों की "मूल तत्त्व" की सीमा का प्रभाव कम करने के लिए गविधान (42वा संशोधन) अधिनियम, १९७६ द्वारा अनुच्छेद ३६८ में याद (4) तथा (5) मिमिलित कर दिए गए। उपराजन यण्डों में रहा गया है कि (क) अनुच्छेद ३६८ (1) के अधीन गविधान वी संशोधन शक्ति (Amendment Power), जो एक "गविधायी शक्ति" (Constituent Power) है, की स्पष्ट व्यवहा अन्तर्निहित कोई भी सीमाएं नहीं हैं और कि (य) इसनिए विसी सी नीवयान गविधान अधिनियम का किसी भी आपार पर न्यायिक युनर्विलाक्त (Judicial Review) नहीं किया जा सकता। परन्तु उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा खण्ड (4) तथा (5) को गृह्य करार देकर मिनरवा मिहलस यनाम मारतीय संघर्ष मामले में मूल ढाँचे के विदान के बारू होने की बात की किर पुष्ट की गई, और "उसका आधार यह था कि इस संशोधन द्वारा न्यायिक युनर्विलिक्ट को प्रुणत्वा समाप्त किया जा रहा था जो गविधान का "मूल तत्त्व" था।"

केशवानन्द के मामले में, न्यायाधीश सीफरी ने गविधान के मूल तत्त्वों को इस प्रकार मारणीवद करने का प्रयास किया था।²⁵

(एक) संविधान की संरक्षणता

(दो) गणनात्मक और लोकतात्मक शासन प्रणाली

(तीन) गविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप।

- (चार) शक्तियों का पृथक्करण, और ।
 (पाच) संविधान का सधीय स्वरूप ।

उसी मामले में, न्यायाधीश हेगडे और न्यायाधीश मुखर्जी ने भारत की प्रभुसत्ता एवं एकता, हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लोकतन्त्रात्मक स्वरूप और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को संविधान के मूल दावे के तत्त्वों में जोड़ दिया । उनका विश्वास या कि कल्याणकारी राज्य और समतावादी समाज का निर्माण करने के लिए जनादेश को समाप्त करने की शक्ति मसद् को प्राप्त नहीं है । ²⁶ न्यायाधीश खन्ना ने भी कहा कि यसद् हमारी लोकतन्त्रात्मक सरकार को तानाशाही सरकार भे या वशागत राजतन्त्र में नहीं बदल सकती, न ही लोक सभा और राज्य सभा का उत्सादन करने की अनुमति है । इसी प्रकार राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप समाप्त नहीं किया जा सकता ।²⁷

इन्दिरा गांधी बनाम राज नारायण के मामले में न्यायाधीश चन्द्रचूड ने निम्न तत्त्वों को संविधान के मूल दावे के मूल तत्त्व पाया ।²⁸

(एक) प्रभुसत्ता सम्पत्ति लोकतन्त्रात्मक गणराज्य (Sovereign Democratic Republic) के रूप में भारत :

(दो) दर्जे और प्रवसर की समानता (Equality of Status and of opportunity) :

(तीन) धर्मनिरपेक्षता (Secularism) और भ्रन्त करण की स्वतन्त्रता: और

(चार) विधि द्वारा शासन ।

उसी न्यायाधीश ने मित्रव्या मित्र के मामले में “गसद् की संशोधी शक्तियों” “न्यायिक पुनरविलोकन” और “मूल अधिकारों तथा निदेशक सिद्धान्तों के बीच मतुलभ (Balance between fundamental Rights & Directive Principles)” को संविधान के मूल तत्त्वों की सूची में जोड़ दिया ।²⁹

बुद्ध मामलों में न्यायाधीशों में मतभेद हैं कि कोई तत्त्व विशेष मूल तत्त्व है या नहीं । उदाहरणार्थ, मुख्य न्यायाधीश राय ने नियाधि एवं निपटन निवचिन के मिद्दान्त को मूल दावे का तत्त्व नहीं माना, जबकि न्यायाधीश यन्ना ने उसी मामले में इस मिद्दान्त को संविधान का मूल तत्त्व माना है ।³⁰ न्यायाधीश चन्द्रचूड इस विचार से महसूत नहीं हुए कि संविधान की उद्देशिका मूल दावे की कून्जी है ।³¹ दूसरी ओर, न्यायाधीश येग ने बहा कि न्यायालय संविधानिक वैधता का परीक्षण भूम्यतया संविधान की उद्देशिका से कर गकता है । उनका विश्वास या कि उद्देशिका एक ऐसा मापदण्ड है जिसे संविधानिक संशोधनों पर भी लागू किया जा सकता है ।³² इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयं न्यायाधीशों ने भी इस बारे में कोई सर्वसम्मत व्यवस्था नहीं पेंदा की ।

अब तक गविधान में 60 संगोष्ठन किए जा चुके हैं। और यह सब कुछ गमदू की गविधानीय शक्तियों (Constitutional Powers) का प्रयोग करते हुए और प्रायः न्यायालयों के कानूनों और उनकी संविधानिक उपबन्धों (Constitutional Provisions) की व्याख्याओं के परिणामस्वरूप पैदा हुई अप्रत्यागित कठिनाइयों और स्थितियों का समाप्त करने के लिए किया गया है। वभी-कभी सविधान के आग्रह-विशेष उपबन्धों के बीचे गविधान के निर्माताओं (Framers) के आग्रह को स्पष्ट करने के लिए और गविधान के पाठों स्वीकृत राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निष्ठ लाने के लिए उसमें गमोष्टन करना आवश्यक हो जाता है।

नेतृत्व प्रदान करना मुमदू देश के नेतृत्व का प्रशिद्धण स्वरूप है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। गमदू सदस्य विभिन्न संसदीय प्रतिवासी का अनुमतिरूप करते हुए व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और कुशल प्रशासक बनते हैं। मुमदू की संसदीय नियमितियां एक ऐसा व्यवस्थेत हैं, जिसमें कायें करते हुए सदस्य विभिन्न संघों में विशेष जातवारी प्राप्त कर उन विषयों के विशेषज्ञ बन जाते हैं। ऐसे सदस्य प्रधानमन्त्री द्वारा भवनी मन्त्रिपरिषद् में नामिन दिये जाते हैं जो बढ़ों कुशलता गे अपने कृत्यों को सम्पन्न करते हैं। यह एक ऐसा मन्त्र है जहां सदस्यों को अपनी धार्यता, वार्ष-कृपालता, और तकं भक्ति को अभिव्यक्त करने के सुखबहर प्राप्त होते हैं, जिनमें गमदीय प्रणाली और प्रतिपादि मुद्रा दबनती है।

संदर्भ

1. सी ट्ल्वेट पालियामेंट 1948, पृष्ठ 103
2. भारतीय गविधान वे अनुच्छेद 15, 114-116 तथा 265
3. देशिय घन्तर समदीय गप (गम) पालियामेंट्स आफ द वर्ल्ड, लन्दन, 1970, पृ 801-802 और 825-827
4. लोक सभा के प्रतिया तथा वार्ष-मञ्चालन नियम, छठा भा. 1980 नियम 198
5. वही, नियम 56
6. अनु 114-116 और 265
7. सुभाष चाशपाप, "कमेटीज इन द इफियन लोकसभा" जर्नल ही लीज एवं भालकम शर्त, कमेटीज इन सेबिस्ट्सेचर्ज, इयूक मुनिवर्सिटी ग्रेस, दरहम।
8. ऐस एन कोल, पालियामेंटरो इन्स्टीव्यूरेज एण्ड प्रोसेज्योजन, नेशनल, नई दिल्ली, 1978, पृ 14
9. ऐस एन शक्ति, गिल्प्पमिज आफ द वर्ल्ड आफ पालियामेंट, मेट्रोपो-लिट्न, नई दिल्ली, 1977, पृ 160-84
10. सुभाष चाशपाप, इकामेशन मेकेमेंट फोर पालियामेट्रियन, भाली एलिक श्रोवीनियन सेवेज, 18, 6, 1973, और सीअ आफ इन्कारमेशन एट द

डिस्पोजल ग्राफ द एम. पी. पर उनकी रिपोर्ट द मेम्बर ग्राफ पालियामेट-हिंज रिक्वायरमेंट्स कार हम्फोरेशन इन द माइनं वल्ड, खण्ड 1 और 2, अन्तर मसदीय सघ जनेवा, 1973 (अन्तर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी के गोष्ठपत्र और कार्यवाही वृत्तान्त)

- 11 शक्धर, लिम्पिसिज, ऊपर उद्धृत, पृ. 186—87
- 12 काश्यप, इन्फारमेशन मेनेजमेंट ऊपर उद्धृत।
- 13 काश्यप, कमेटीज, ऊपर उद्धृत, पृ. 296
- 14 अनु 245—246 और सातवी-अनुसूची
15. सुभाष काश्यप ह्यूमन राईट्स एण्ड पालियामेट, नेट्रोपोलिटन, नई दिल्ली, 1978, अध्याय 9, "ससद और सामाजिक-आर्थिक विधान, पृ. 124—133
- 16 सुभाष काश्यप, अन्तर मसदीय सघ मे (भम्पा), ह्यूमन राईट्स इन द माइनं वल्ड, जनेवा, 1976, पृ. 68
- 17 वही, पृ. 65—69
- 18 अनु 368
19. काश्यप, भन राईट्स, ऊपर ह्यूमन राईट्स एण्ड पालियामेट, नेट्रोपोलिटन, नई दिल्ली, अक्ति और न्यायिक पुनरविलोकन, पृ. 134—143
- 20 ए.प्राई.ग्रार 1951, उच्चतम न्यायालय, 458
- 21 ए.प्राई.ग्रार 1965, उच्चतम न्यायालय, 845
- 22 ए.प्राई.ग्रार 1967, उच्चतम न्यायालय, 1643
- 23 ए.प्राई.ग्रार 1963, उच्चतम न्यायालय, 1461
- 24 सुभाष काश्यप, पालियामेट एण्ड रोसेट काम्स्टोट्यूशनल डब्लेपमेट्स इन हिंदिया, द ट्रेयल, (लन्दन), खण्ड, 24, 1976 पृ. 15—18
- 25 केशवानन्द बनाम केरल राज्य, ए.प्राई.ग्रार. 1973, उच्चतम न्यायालय 1461, पेरा 302
- 26 वही, पेरा 862
27. वही, पेरा 1437
- 28 इन्दिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, ए.प्राई.ग्रार. 1975, उच्चतम न्यायालय 2299, पेरा 665
29. मिनरवा मित्म लि बनाम भारतीय मघ, ए.प्राई.ग्रार. 1980 उच्चतम न्यायालय 1789
30. इन्दिरा गांधी का मामला, ऊपर उद्धृत, पेरा 55 और 213
31. वही, पेरा 665
32. वही, पेरा 623

3

निर्वाचन और सदनों का गठन

समीक्षा लोकतंत्र में निर्वाचन के माध्यम से ही जन-प्रतिनिधियों द्वारा विधान पश्चिम तथा समृद्धि वा गठन होता है। विधान पश्चिम और समृद्धि राज्यों में और बैन्ड में बैठ कर कानून बनाते हैं। इन्हीं सदनों में सदस्यों का बहुमत जिस दल को मिलता है उस दल की सरकार बनती है और वह सरकार समृद्धि द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर सामन चलाती है। विधान सभाओं और समृद्धि के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तथा समृद्धि के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। राष्ट्रपति राज्य-पालों और उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इन प्रकार भारत का मारा दाचा (Structure) निर्वाचन के ही आधार पर बढ़ा किया जाता है, और इसीलिए समीक्षा लोक तत्र में निर्वाचन का महत्व सर्वोन्नति है।

निर्वाचन (Election) के लिए उपयुक्त तन्त्र की प्रावश्यकता होती है। सविधान में सार्वसौमित्र वयम् अताधिकार (Universal Adult Franchise) का उल्लंघन है। ऐसे प्रयोग नागरिक को मतदान करने का पूरा मधिकार है जिसमें 18 वर्ष* वा इससे अधिक की आयु प्राप्त कर सी हो, याहूं उम्रा धर्म, जाति, निवास स्थान बाई भी हो। निर्वाचन मुक्त और निष्पक्ष हो सके यह स्वस्य सोकतत्र के लिए प्रतिवर्द्ध है। इसलिए ये एक स्वतन्त्र प्राधिकरण के भव्यीकरण और निर्देश के प्रष्ठीन कराए जाते हैं। यह प्राधिकरण निर्वाचन आयोग (Election Commission) कहलाता है। भारत जैसे विश्वल आकार वाले (लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर), भारी जनसंख्या वाले (अनुमानों के अनुमान लगभग 80 करोड़) और इनमें अधिक मतदाताओं (Voters) वाले (करोड़ 50 करोड़) देश में निर्वाचन करना एक बहुत बड़ा काम है।¹ समृद्धि के दोनों सदनों के लिए और राज्यों के

*सविधान (इक्सट्रां सोविन) प्रधिनियम, 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 18 वर्ष की पई। इसके पहले यह 21 वर्ष थी।

विधानमण्डलों के लिए निर्वाचकों के प्रतिरिक्त, निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उच्च पदों के लिए भी निर्वाचन करता है।

निर्वाचन आयोग (Election Commission) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) और ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से बनता है जिनको, समद्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपचारणीयों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। निर्वाचन आयोग उक्त सभी संस्थाओं और पदों ने निर्वाचकों के लिए निर्वाचक-नामांकनी (Electoral Roll) तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचकों के सचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण का कार्य करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कर्तव्यों को देखते हुए यह अनिवार्य हो जाता है कि इस पद पर ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसे पर्याप्त प्रशासनिक भ्रूनभ्रव हो, विधि का ज्ञान हो और जो एक गणमान्य व्यक्ति भी हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं प्रायारों पर ही हटाया जा सकता है, जिस रीति (मृत्युभियोग की प्रक्रिया द्वारा (Process of Impeachment) से और जिन प्रायारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, घन्यथा नहीं। आयोग (Commission) के सदस्यों की मेवा की जाती में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। अन्य निर्वाचन आयुक्तों या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त (Resional Election Commissioners) को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को आयोग को उतने अधिकारी और कमंचारी दून्द उपलब्ध कराने होते हैं जितने उनके कार्तव्यों तथा दायित्वों के उचित नियंत्रण के लिए आवश्यक हों और निर्वाचन सबधीं कृतयों का नियंत्रण करते हुए ऐसे सब अधिकारी तथा कमंचारी दून्द निर्वाचन आयोग के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होते हैं।²

निर्वाचन आयोग प्रत्येक राज्य सरकार में परामर्श करके हर एक राज्य के लिए वहाँ के एक अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट (Nominate) करता है जो निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के प्रध्यार्थीन रहते हुए निर्वाचक नामांकनीयों (Electoral Rolls) तैयार करके, उनका पुनरीक्षण (Revision) करने और उनमें शुद्धिया करने के काम का पर्यावेक्षण (Supervision) करता है तथा सभी निर्वाचकों का गच्छालन करता है। इसी प्रकार प्रत्येक जिले के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी निर्दिष्ट किया जाता है जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के प्रध्यार्थीन अपने जिले में निर्वाचकों में सर्वाधित सारे कार्यों का समन्वय तथा अधीक्षण करता है।³ याम तौर पर जिला कलक्टरों या उपायुक्तों (Deputy Commissioners)

को जिना निर्वाचन अधिकारी नाम जद किया जाता है। जिना निर्वाचन अधिकारी हर एक मतदान केंद्र (Booth) के लिए एक पीठामीन अधिकारी (प्रेसाइडिंग प्राक्षिपर) और मतदान अधिकारी (Booth Officer) नियुक्त करते हैं। पीठामीन अधिकारी का माधारण कलंचय मतदान केंद्र में व्यवस्था बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना होता है कि मतदान विवाद और निष्पक्ष हो।⁵ मतदान केंद्र के मतदान अधिकारियों का यह कलंचय होता है कि वे ऐसे केंद्र के पीठामीन अधिकारी (Presiding Officer) की उम्में छत्यों के पालन में महायता करें।⁶

निर्वाचन आयोग, हर समीक्षय तथा विधान सभा निर्वाचन हेतु (Constituency) के लिए और राज्य सभा में किसी स्थान पा किन्ही स्थानों को भरने के लिए, राज्य सरकार के परामर्श से, एक रिटिनिंग अधिकारी नाम निश्चित (Nominate) करता है। रिटिनिंग अधिकारी को ऐसे मत कार्य करने का अधिकार प्राप्त है जो निर्वाचन विधियों के अनुसार निर्वाचन का प्रभावी रूप से सचालन करने के लिए आवश्यक हो।⁷

सदस्यों का निर्वाचन लोक सभा का कार्यकाल पात्र वर्ष है जिन्हु राष्ट्रपति दसका विधेन किसी समय पहले भी कर सकते हैं। यह लोक सभा के लिए आम चुनाव या तो लोक सभा के भग किये जाने पर करावे जाने हैं पर जब उम्मी कार्यादाति पूरी होने वाली हो तब।⁸

संविधान के उपचार्यों (Constitutional Provisions) के अन्तीन समझ को यह गहरी प्राप्त है कि वह समझ के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान सभा के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों के सदन में, निर्वाचक नामांकनिया (Electoral Rolls) तैयार करने, निर्वाचन देशों का परिमीतन (Delimitation of Constituencies) करने और ऐसे सदन या सदनों का सम्बद्ध गठन सुनिश्चित करने के लिए मन्त्र सभों आवश्यक विषयों हेतु विधान बना सकती है।⁹ संविधान में प्रदत्त इस शक्ति का अनुपालन करते हुए समझदारा लोक प्रतिनिवित अधिनियम 1950 और लोक शक्तिनिवित अधिनियम, (Peoples of Representative Act) 1951 अधिनियमित किये गये हैं और निर्वाचनों का रजिस्ट्रेशन नियम (Registration of Election Rules), 1960 और निर्वाचनों का सचालन नियम (Conduct of Election Rules), 1961, उक्त अधिनियमों के पूरक हैं। इन अधिनियमों और विषयों का प्रदत्तन बनाने के लिए समय-अनुमय पर आवश्यकतानुसार इनमें संशोधन लिए जाते हैं।

सदस्यता के लिए अद्वेताएँ (Qualifications) और निर्वाचनों (व्यावस्थिक शर्तें और विवरणिति के शर्तें) कोई व्यक्ति समझ के लिए चुने जाने के लिए अद्वितीय होना है जब—

(क) वह भारत का नागरिक हो

(ख) वह राज्य सभा के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का

प्रौढ़ लोक सभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु वा हो; और

(ग) वह भारत के किसी समदीय निवाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचित हो, परन्तु राज्य-सभा के मामले में जिस राज्य से या उस राज्यक्षेत्र में वह चुना जाता हो, उसमें निवाचिक के रूप में पजीकृत हो।

अन्य अहंताएं समद्, विधि द्वारा निर्धारित कर सकेगी।⁹

सदस्य बनने के लिए कुछ अनहंताएं (Disqualification) भी हैं। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति समद् के किसी मदन का सदस्य बनने के लिए निरहित होगा, यदि—

(क) वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरहित न होना समद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता हो,

(ख) वह विहृतचित्त हो (Unsoundmind),

(ग) वह अनुन्मोचित दिवालिया हो (Undischarged insolvent),

(घ) वह भारत का नागरिक न हो,

(इ) वह समद् द्वारा बनाई गई किसी विधि (Law) द्वारा या उसके प्रधीन निरहित कर दिया गया हो, और

(च) वह दल-बदलने (Defection) के आधार पर निरहित करार दिया गया हो।¹⁰

कोई व्यक्ति, यदि भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार का मन्त्री है तो उसको लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाता।¹¹ उपरोक्त घण्टेश्वारों के प्रतिरिक्त, निवाचित विधियों में कुछ अन्य निरहंताएं भी निर्धारित की गई हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Peoples Representative Act), 1951 के प्रधीन यदि कोई व्यक्ति अन्य बातों के माथ-माथ विभिन्न सम्प्रदायों के बीच शम्भुता को बढ़ावा देने के कारण दोष-मिठ दिया गया हो, या धूम के अपराध के लिए दोष मिठ दिया गया हो, या अस्तुशता का प्रचार करने पौर उसका पालन करने के कारण दण्डित किया गया हो तो वह सदस्य के रूप में चुने जाने से निरहित होता है। इसके प्रतिरिक्त, किसी अपराध के कारण दोष-मिठ दिया गया कोई व्यक्ति जिसे कम से कम दो वर्षों के लिए कारावास का दण्ड दिया गया हो, वह व्यक्ति अपनी रिहाई के पश्चात् पाच वर्षों की भवधि के लिए भनहें रहता है। अप्टाचार या राज्य के प्रति-वकाशारी के लिए वर्तास्त किया गया सरकारी कर्मचारी अपनी वर्तास्तगी की तिथि में पाच वर्षों की भवधि के लिए भनहें रहता है।

निर्वाचन रीति

राज्य सभा - राज्य सभा में 238 निर्वाचित स्थान हैं। राष्ट्रपति द्वारा खण्ड (3) के उपबन्धों के अनुसार 12 सदस्यों का नाम निश्चय किया जाता है। राज्य सभा में राज्यों के (झोर संघ राज्य क्षेत्रों के) प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवटन बोर्डी अनुसूची में इस नियमित अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होता है। इसके सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका निर्वाचन प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति (Proportional Representation System) के अनुसार एक सक्रमणीय मत (Single transferable Vote) द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों तथा दलों के लिए कुछ प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना है।¹²

राज्य सभा का विघटन (Dissolution) नहीं होता। उसके सदस्यों में से "यथाशक्य निकटतम एक तिहाई, समद्विमित विधि द्वारा बनाए गए तद्रिपक्ष उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक दूसरे वर्वं की समाप्ति पर यथाक्रीदा निवृत्त हो जाते हैं।¹³ सदस्यों का कार्यकाल उस तिथि से प्रारम्भ होता है जिस तिथि को सरकार निर्वाचित तथा नाम निश्चयित सदस्यों के नामों की पोषणा गजद में करती है।¹⁴

राज्य सभा के उन सदस्यों के स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए, जो अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् निवृत्त हो रहे हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन भाष्योग द्वारा सुझाई गई तारीख को, अधिसूचना (Notification) जारी करके, निर्वाचकों (Electors) से राज्य सभा के सदस्यों को चुनने के लिए कहता है। परन्तु इस घार के अधीन कोई भी अधिसूचना उस तारीख से नीन मास से अधिक समय से पूर्व नहीं निकाली जाती जिस तारीख को निवृत्त होने वाले सदस्यों की पदावधि समाप्त होनी हो।¹⁵ रिटनिंग अधिकारी, निर्वाचन भाष्योग के भनुमोदन से भवित्वान का स्थान निर्धारित भौत अधिसूचित करता है।

लोक सभा नई लोक सभा गठित करने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन वर्तमान सदन की अस्तित्वावधि समाप्त होने के करीब या उसके विघटन (Dissolution) पर किये जाते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया लोकसभा की अवधि समाप्त होने की तारीख से द्य माह पूर्व प्रारम्भ हो सकती है। उक्त प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति, राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, निर्वाचन भाष्योग द्वारा सुझाई गई तिथि को, सब संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से कहना है कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार यदस्य निर्वाचित करें। अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, निर्वाचन भाष्योग (Election Commission) नामांकन पत्र (Nomination Paper) दायर करने, उनकी छानबीन करने, उन्हें वापस लेने और भवित्वान के लिए तिथिया निर्धारि करता है।¹⁶ निर्वाचन के लिए प्रत्येक

उम्मीदवार को 500 रुपये की राशि या जहां उम्मीदवार अनुमूचित जाति या अनु-मूचित जनजाति का सदस्य है, वहाँ 250 रुपये की राशि उसके नामाकरन के विधि मान्यकरण के लिए जमा करानी पड़ती है। यदि वह उम्मीदवार अपने निर्वाचन-क्षेत्र में न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत मत प्राप्त करने में अमरकल रहता है तो वह राशि जब्त कर ली जाती है।¹⁷ निर्वाचन के लिए प्रत्येक अप्प्यर्टी (Applicant) को सविधान के प्रति सच्ची अद्वा प्रौर निष्ठा की ग्राप्त लेनी होती है या प्रतिज्ञान (Oath or Affirmation) करना होता है जिसका प्रारूप सविधान की तीसरी अनुमूची में दिया गया है। रिटिनिंग अधिकारी, नामाकरन-पत्र की वैधता (Validity of Nomination Paper) को जाच करने के पश्चात्, वंदेष्ट रूप से नामाकृत उम्मीदवारों की एक सूची प्रकाशित करता है।

राज्यों के चुनाव क्षेत्रों से चुनाव के लिए, प्रत्येक राज्य को लोक सभा में स्थान दिए गए हैं। इन स्थानों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक राज्य को दिये गये स्थानों और उसकी जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के मामले में, जहाँ तक व्यवहार्य हो, एक जैसा रहे। उसके बाद प्रत्येक राज्य को चुनाव क्षेत्रों (Constituencies) में इस प्रकार बाटा गया है कि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र को दिए गए स्थानों और उसकी जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के मामले में, जहाँ तक व्यवहार्य हो, एक जैसा रहे। “जनसंख्या से अभिप्राय वह जनसंख्या है जो स्थानों के नियतन से पहले की जनगणना के प्रनुभार हो और जिसके प्राइंटे प्रकाशित हुए हों।¹⁸

मतदान पूरा हो जाने के पश्चात् मतों की गणना ऐसी तिथि को घोर ऐसे समय पर होती है जो रिटिनिंग अधिकारी निर्धारित करे। वही परिणाम की घोषणा करता है और निर्वाचन आयोग को घोर सम्बद्ध सदन के महामतिव को उसकी सूचना देता है।

यदि यह प्रश्न उठता है कि ससद् के किसी मदन का कोई मदस्य सविधान के अनुच्छेद 102 के खट (1) में वर्णित किसी निरहृता (Disqualification) से प्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय (Decision) के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा: परन्तु ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने में पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय भेता है और ऐसी राय के प्रनुभार कार्य करता है।¹⁹

स्थानों का रिक्त हो जाना यदि कोई मदस्य लोक सभा का पहले में ही सदस्य है और वह राज्य सभा के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो लोक सभा में उसका स्थान उस तारीख को, जिसको वह ऐसे चुना जाता है, रिक्त हो जाता है। ऐसी प्रकार यदि कोई सदस्य राज्य सभा का पहले में ही मदस्य है और वह लोक सभा के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो राज्य सभा में उसका स्थान उग तारीख

को, जिसको वह ऐसे नुवा जाता है, गिरत हो जाता है।²⁰ यदि कोई सदस्य किसी राज्य विधानसभा द्वारा सदस्य के रूप में भी छुन लिया जाता है तो, यदि वह राज्य विधानसभाओं में उत्तरने स्थान में, राज्य के उच्चायत्र में घोषणा के प्रकाशन से 14 दिनों के भीतर, स्वागतपत्र नहीं दे देना तो, समट का सदस्य नहीं रहता। कोई सदस्य, एवग्निपति, राज्य गभा के गभारति या लोह सभा के अध्यक्ष को संबोधित प्रपने हस्ताक्षर गतित लेता हुआ प्राप्त स्थान को ल्पाग कर रहता है, ऐसा होने पर उसका स्थान रिस्ट हो जाता है। यदि समट के लिये नदर का कोई सदस्य पाइ दिन की प्रवधि तक सदन की अनुप्रा दे दिया उसके मधी अधिकेशमों (Sessions) में अनुपस्थित रहता है तो नदर उसके स्थान को रिस्ट घोषित कर रहता है।²¹ इसके अतिरिक्त, किसी नदस्य को नदर में असता स्थान रिक्त करना रहता है यदि (एक) वह नाम का बोई पट धारणा करता है, (द), उसे विहृतकिङ्क वापा व्यक्ति घोषित कर दिया जाता है या अनुचालित दिवानिया (Undischarged Insolvent) घोषित कर दिया जाता है, (तीन) वह स्वेच्छा में जिसी जिदेती राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, (चार) उसका निवाचित स्थायास्थ द्वारा गूग्य घोषित कर दिया जाता है। (पाँच) वह सदन द्वारा निष्कायक का प्रस्ताव ल्पीकृत किए जाने पर निष्कायित हुए दिया जाता है, या (छ) वह गाल्पुपति, उपराज्यपति या किसी राज्य का गाज्यपाल नन दिया जाता है।²²

इन-इस्त के प्राप्तार पर अवधित होता गिरने दिनों हमारे देश में राजनीतिक इन-इदन (Defection) की घमस्या ने बड़ा गमीर रूप धारणा कर लिया था। एक ही दिन में इन-इदन (पलोर जातियों) के ताक के बाइ पाव इन्डियन देवतने को आए। फ्रम्स्ट्रेय पमट द्वारा विधान में भगोषन करने 1985 में इन-इदन रोइ विधि बनाई गई।²³ इस वर्वेंटिक मगोषन के प्रधीत किसी राजनीतिक दन का, समट का या राज्य विधान सभाल का कोई सदस्य सदन को सदस्याना में घनहै (Disqualify) कर दिया जाएगा और उसे अनान स्थान रिक्त करना पड़ेगा—

- (क) यदि उसने ऐसे राजनीतिक दन की, जिसका वह सदस्य है, सदस्यता स्वेच्छा में होव दी था
- (ख) यदि वह ऐसे राजनीतिक दन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए जिदेन का उत्तरधन करते हुए उसकी पूर्ण अनुप्रा के जित सदन में मनदान करता है या मनदान करने से विरत रहने की तारीफ ने पन्द्रह दिन के भीतर उसके राजनीतिक इन-इधाया प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा ऐसी बायंजाही का थामा नहीं कर दिया जाता।

सदन का कोई निर्वाचित सदस्य, जो निर्देशीय (Independent) सदस्य के हृष में निर्वाचित होता है, सदन का सदस्य होने के लिए निरहित होगा, यदि वह

ऐसे निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। इसी प्रकार सदन का कोई नाम निर्दिशित (Nominated) मदस्य, सदन का सदस्य होने के लिए निरहित होगा यदि वह अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। इससे अभिव्रेत है कि यदि उन्हें सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने की तिथि से छह लास की अवधि के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह इस प्रकार अनहं नहीं होगा।

दल परिवर्तन के आधार पर निरहंता का उपबन्ध ऐसे सदस्य पर लागू नहीं होता जिसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और जो यह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य, ऐसे अन्य राजनीतिक दल के या ऐसे विलय से बने नए राजनीतिक दल के सदस्य बन गए हैं; या उन्होंने विलय स्वीकार नहीं किया है और एक पृथक् समूह के रूप में कार्य करने का विनिश्चय किया है। विधि के अनुमार, दल में विभाजन (Division) हुआ तब माना जाएगा यदि किसी विधायी दल के कम से कम एक-तिहाई सदस्य अपने मूल दल को छोड़ दें। उसी प्रकार विलय हुआ तब समझा जायगा जब सम्बन्धित विधान-दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए महसूत हो जायें।

कोई व्यक्ति जो लोक-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उप-सभापति अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् के सभापति या उप-सभापति अथवा किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हो जाता है, वह निरहित नहीं होगा यदि वह ऐसे पद पर अपने निर्वाचित के कारण अपने दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है या यदि वह ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात् ऐसे राजनीतिक दल में पुनर्सम्मिलित हो जाता है।

दल परिवर्तन के आधार पर निरहंता के बारे में प्रश्नों को, याचिकायति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय (Decision) के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा। दल-वदल गोक विधि (Anti Defection Rules) के अधीन सदस्यों की अनहंता में गवाहित कोई भी मामला न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र में नहीं होगा।

निर्वाचन संघर्षी विवाद —निर्वाचनों के मध्यमें हुए विवादों के बारे में निर्वाचन याचिकाघो (Election petitions) पर उच्च न्यायालय में ही विचार हो गक्ता है। अन्यथा ऐसा उपबन्ध है कि समद जे या किसी राज्य विधान मण्डल के किसी सदन के लिए हुए रिगी निर्वाचन को चुनोनी नहीं दी जाएगी।²⁴ ऐसी याचिका निर्वाचन में किसी उम्मीदवार द्वारा या किसी मतदाता द्वारा, ऐसा की जा यहां नहीं है। याचिका ऐसा स्थान भरने के लिए या निर्वाचन के दौरान कोई

भट्ट प्राचरण किये जाने के कारण जिस पर विधि द्वारा रोक हो, उनहंता के आधार पर ऐश की जा सकती है। यदि प्रभितोर गिर हो जाते हैं तो उच्च न्यायालय को यह गति प्राप्त है कि वह उपरोक्त किसी एक आधार पर गफल उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य घोषित कर दे।²⁰

यदि ग्रम्यार्थी (Petitioner) द्वारा यह दाया किया जाता है कि उसको विधि मान्य मतों में से बहु-मत्या में मत प्राप्त हुए थे और यदि निर्वाचित भृत्यर्थी ऐसे हिस्तो भट्ट प्राचरण को न अपनाया। जो उसने अपनाएँ सो यह निर्वाचित जीत नहीं सकता या सो उच्च न्यायालय, गतुष्ट हो जाने पर, निर्वाचित भृत्यर्थी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर सकता है और आजीदार को गम्यकालप से निर्वाचित घोषित कर सकता है और।²¹ उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में मवील की जा सकती है।

संदर्भ

1. पन् 324 (1), 325 और 326
2. पन् 324
3. सोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, धारा 13 (क) और 13 (क)
4. सोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 26 और 27
5. वही 11, 28
6. वही, 21 और 24
7. पन् 326, वेतिए सोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 16
8. पन् 327
9. पन् 84 और सोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 3 और 4
10. दमबी अनुगूणी और पन् 102 (2) और 191 (2)
11. पन् 102
12. पन् 80 और सोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 27 (क) और 27 (ल)
13. पन् 83 (1) और नोए प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 धारा 154
14. सोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 153
15. वही, धारा 12

16. वही, धारा 14
17. वही, धारा 24 और 158
18. अनु. 81
19. अनु. 103
20. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 धारा 69
21. अनु. 101 (3) और (4)
22. अनु. 59 (1), 66 (1), 102 (1), 158 (1) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 धारा 100 (1)
23. सविधान (52वां सशोधन) अधिनियम, 1985 और लोक सभा (दल-बदल के आधार पर अनहंता) नियम, 1985,
24. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 80 और 80 (क)
25. वही, धारा 100
26. वही, धारा 101

संसदीय कार्य में प्रक्रिया का महत्व

संसदीय कार्यक्रम प्रक्रिया का महत्व इसने पर ज्ञान होना है कि उन दोनों में शीर्ष-शीरे संसदीय प्रणाली का विवाह है। संसदीय भास्तव बातों प्रणाली में कार्यसालिका (Executive) उच्चता के प्रति जवाबदेह बोनी है और विधान की धारोंबना को इसने रखते हुए नियंत्रण निये जाते हैं। इन संसदीय सरकार की मूल सुविधाएँ यही है कि स्वतन्त्र रूप से चर्चा हो गूंजे धारा आलोचना हो। और उनके बाद नियंत्रण हिसे जाये। इस स्वतन्त्र्य के नियामन का मुख्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बाजून कार्यक्रम द्वारा नियंत्रण प्रक्रिया, नियंत्रित की जाये जिसका उभोषण वास्तव हो। संसदीय प्रणाली की विभिन्न प्रक्रियाओं में आग लेने वाले सदस्यों के लिए यह मनिवायं हो जाता है कि वे इन नियमों, संघीयपोर (Chair) से दिये गये निर्देशों (Directions) और नियंत्रणों (Rulings) का होते और उनका मुख्य स्थान से प्रश्नोदय करे विभिन्न संसदीय कानूनों का व्यवस्थित ढंग से सम्मन हो। संसदीय प्रणाली का एक महान् गुण यह है कि इसमें उच्चता-मर्यादा प्रक्रिया की स्वार्थी है। जैसा कि डाइर्सन ने कहा है “इसमें लोकतंत्रात्मक देश में सारी संसदीय प्रक्रिया, परिपाठी पर धाराप्रति कानून के अनुरिक्त कुछ नहीं, परन्तु वह नियंत्रित या छोड़ द्यें नियमों के स्थान होता है।”

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—भारत में संसदीय प्रक्रिया का प्रारम्भ 1853 से होता है जिन्हें ३५ १९२१ तक इसमें मामूली परिवर्तन दिये गये। बास्तव में महत्वपूर्ण परिवर्तन 1921 में आये, संसदीय ऐतिहास में पहली बार प्रक्रिया में नोहतत्वात्मक तत्त्वों का समावेश होता जिन्हें इस प्रक्रिया पर नवनंतर लगातार का पूरा नियन्त्रण पा। 1921 में कन्त्रोय विधान मण्डल में इस प्रक्रिया की व्यापना की गयी, वह मामूली परिवर्तनों के साथ विटिश सम्बद्ध द्वारा भारत स्वतन्त्रता घोषितियम, 1947 पास किये जाने तक जागू रही, परन्तु किरणी संसदीय प्रक्रिया के दब्यधन की दृष्टि से 1921 और 1947 के बीच की घवति ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्व की घवति है, क्योंकि इसमें भारत के विधायक प्राण-

निक प्रतियो के कई तत्वों से परिचित हुए। इस प्रकार जब 1947 में, स्वतन्त्रता प्रधिनियम के पास होने के बाद, प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन करने की शक्ति भारतीयों के हाथ में आयी, तब उन्हें ठीक-ठीक मालूम था कि उसमें वया दोष है और उनको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। भारत सरकार प्रधिनियम, 1925 का अनुबूलन (Adaptation) किया गया और वे सारे परिसीमन (Limitations) और परिरक्षण (Reservations) हटा दिये गये जिनके कारण भारतीयों के हाथों में शक्ति पर रोक लगायी गया थी। परिणामस्वरूप संविधान सभा (विधायी) की प्रक्रिया स्वतन्त्र संसद् की प्रक्रिया बन गई, जिसमें घट्यका को पूरी शक्तिया प्राप्त हुई तथा संसदीय मामलों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार भारत में नई स्थितियों और परिस्थितियों के अनुरूप संसदीय प्रक्रिया का विकास प्रारम्भ हुआ। नियमों में अनेक नयी सकल्पनायें जाढ़ी गई वया कायंमशणा समिति (Business Advisory Committee) की सिफारिश पर समय का नियतन, ध्यान प्रारूपण की सूचनायें, आश्वासनों सम्बन्धी समिति (Committee on Assurances) याचिका रामिति के व्यापक कृत्य, अन्तःकालिक चर्चायें (Short duration discussions) आदि।

संविधान सभा (विधायी, के प्रक्रिया तथा कायं-सचालन सम्बन्धी नियमों (Rules of procedure and conduct of business) को, जो भारतीय संविधान लागू होने से तत्काल पूर्व प्रभावी थे, लोक सभा के घट्यका द्वारा संविधान के अनुच्छेद 118 (2) के घट्यीन प्रदत्त शक्तियों ये निवहन में सशोधित तथा अनुबूलित किया गया और "लोक सभा के प्रक्रिया तथा कायं सचालन सम्बन्धी नियम" (Rules of procedure and conduct of Business in Lok Sabha) शीर्षक के अन्तर्गत 17 अप्रैल, 1952 को भारत के राजपत्र अमाधारण में प्रकाशित किया गया। सभा की नियम तमिति (Rules Committee) की सिफारिशों के आधार पर घट्यका द्वारा इन नियमों में समय-समय पर सशोधन किए गये और इसका नया संस्करण (edition) निकाला गया अब तक इसका सातवां संस्करण निकाला जा चुका है।

नियमों का पासन न करने से समय की वर्दी : नियमदेह गसद् जनता की इच्छा की प्रभिध्यक्ति मा सही मत (फोरम) है। इस मन्त्र या सही उपभोग तभी सम्भव है जब जन-प्रतिनियिकों को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान हो और वे सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों (Rules), विनियमों (Regulations) से पूर्णतः परिचित हो। परन्तु याज देखने में भाता है कि लोकसभा और राज्य सभा, दोनों में ही, ऐसे मामलों पर पट्टों व्यर्थ गवाए जाते हैं जिनका शीर्षा सम्बन्ध गगड़ीय शारन प्रणाली से नहीं होता है। द्वाटे-द्वोटे, महत्वहीन मामलों को लेकर समय ददाया जाता है जो कि बही गम्भीर बात है। यद्यपि संसद् गदस्य को सोनभासभा गम्भा राज्य सभा में अपने कायं का करने में कोई नहीं रोक गकता है तथापि संसद् का

प्रधिकार प्रत्येक सदस्य के अधिकार से बड़ा है। यत्, प्रत्यक्ष समिद को अपना कार्य मराठीय ग्रीष्मित्य की पर्वादाओं और सीमाओं में रहकर करना ही थेपस्कर है।

सदस्यों द्वारा पालनीय नियम

जब ग्राधिकार सभा को सबोधित करने के लिए उठे तो सदस्य उसे चूपचाप मुने। प्रगर कोई सदस्य बोल भी रहा हो तो उसे बैठ जाना चाहिए। उस समय किसी सदस्य को अपना स्थान छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जब ग्राधिकार या ग्राधिकार पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति "शान्ति-गान्ति" कह तो प्रत्येक सदस्य को बैठ जाना चाहिए। सदस्यों को, जब सभापति बैठा हो, तो उसे हाना चाहिए, तो चलना चाहिए, तो उठकर बैठना चाहिए और जब वह बोल रहा हो तो कोई व्यवस्था का भी प्रश्न (Point of order) नहीं उठाना चाहिए। यदि यदि सबूद् सदस्य इस नियम का पालन नहीं करता है तो पीठासीन अधिकारी (Presiding officer) के लिए सभा की कार्यालयी सामान्य ढग से चलाने ग्रार अनुशासन को कायम रखना समझव नहीं होता।

सभा के कार्य में बाधा दाखने पर निलम्बन (Suspension)

यदि कोई सदस्य अनुशासन भग करता है तो ग्राधिकार उसे नामित करता है। ततपश्चात् सत्ता पक्ष के किसी सदस्य के प्रस्ताव पर उसे सदन से निलम्बित करने वा प्रताव पारित किया जाता है।⁴ विद्युते पावस-कालीन सत्र के दौरान पीठासीन अधिकारियों को सान्द् र इस प्रकार की पार अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। लोकसभा और राज्य सभा में पहले तीन दिन काफ़ी शोर गुल हुआ जिसमें ग्राधिकार तो बया गदस्य भी बया कह रह थे, कियी को कुछ गुनाई नहीं पड़ा। दो दिन पश्चात् इस काँड की परिलक्षि लोक सभा में विषय के 68 सदस्यों के ह्याग-प्यय में हुई और उनका न्यायपत्र उसी दिन स्वीकृत घायित कर दिया गया। इन्हीं परिवर्तियों में लाक सभा अधिकार बाध्य हुए कि नियन्त्रक और महा-लेखाकार (Comptroller and Auditor General) की रिपोर्ट पर चर्चा की अनुमति दी जाए। इस प्रकार सबूद् ने यह परम्परा कि महालेखाकार की रिपोर्ट पर तभी चर्चा होती है जब लोक सभा-समिति उस पर अपनी रिपोर्ट दे दें, भग हा गई। कलस्वरूप, लाक सभा भ प्रश्नों और प्रस्तावों के जरिए चर्चा के नियमों और ग्राधिकार नियमों (Directions) में व्यापक परिवर्तन लिए गए जिनके तहत यह सूख्य चुनाव आयुक्त, नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, न्यायालयों तथा ऐसी मन्य संस्थाओं के अधिकार देश (Jurisdiction) में आने वाले विषयों पर सदन में प्रश्न नहीं किए जा सकेंगे।

नए नियमों के अन्तर्गत यदि किसी प्रस्ताव में कोई वक्तव्य उठत है तो प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को उस वक्तव्य की सच्चाई की जिम्मेदारी लेनी

होगी । किसी निजी सदस्य द्वारा सदन के पटल (Table of the House) पर रखे गए किसी भी दस्तावेज (document) पर चर्चा करने वाला प्रस्ताव अब लोक सभा में पेश नहीं किया जा सकेगा ।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कायं-गच्छातन नियम के नियम 186 में जोड़े गए नए उपबंधों (New provisions) के अनुसार किसी भी संसदीय समिति के विचाराधीन मामलों पर चर्चा करने की मांग वाला प्रस्ताव सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा । प्रस्तावों में केवल ऐसे मामलों का जिक्र हो सकेगा जिनसे मन्त्री का अधिकारिक सम्बन्ध है । नियम 389 के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा किए गए मशोधनों में एक नया 10 "ए" निर्देश जोड़ा गया है जिसके अन्तर्गत किसी भी लेख, समाचार, व्याख्यान और सार्वजनिक समाचारों में किसी घट्की की निजी राय के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया जा सकेगा । यदि अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट है कि किसी प्रश्न का प्राधार तथ्यात्मक नहीं है तो उसे नामन्त्रित किया जा सकेगा । नियम 349 में जोड़े गए नए उपबंधों के अनुसार कोई सदस्य मदन में नारा नहीं लगाएगा । अध्यक्ष के आमने तक स्वयं नहीं भा गकेगा, मदन में कोई दिल्ला नहीं लगाएगा तथा किसी भण्डे, निशान अथवा बस्तु का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा । सभा में किसी विषय को उठाने के लिए सूचना का महस्य ।

सभा में अपने मतव्य को घोषित करने, किसी जानकारी को प्राप्त करने एवं विसी विषय को उठाने के कई अवसर प्राप्त होते हैं, यथा प्रश्न, मकल्प, प्रस्ताव विधेयक, सशोधन वादि के रूप में विषय को ढारा जा सकता है । यिन्हुंने विसी भी रूप में विषय को उठाने के लिए, उसके बारे में पहले सूचना देने की प्रावृण्यकता होती है । नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रत्येक मूचना (notice) लिखित रूप में, महासचिव को संबोधित होनी चाहिए । उम पर मूचना देने वाले सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए और वह अधिगृहित घण्टों के भीतर रासद् मूचना कार्यालय में दी जानी चाहिए ।³

कायं के विभिन्न मूदों के लिए नियमों के अन्तर्गत निहित मूचना (notice) की प्रवधि इस प्रकार है :—

प्रश्न . (Questions) तब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे, प्रश्न के लिए कम से कम पूरे दस दिन और अधिक से अधिक इक्कीस दिन ।⁴

भृत्य-सूचना प्रश्न : (Short notice question) इस मम्बन्ध में कोई प्रश्न पूरे दस दिन से कम की मूचना पर पूछा जा सकता है ।⁵

स्थगन प्रस्ताव (Adjournment motion) इस मम्बन्ध में मूचना उम दिन की बैठक प्रारम्भ में पूर्व जिम दिन कि प्रस्ताव करने का विचार हो ।⁶

अवित्तनीय सोक-महस्य के विषयों (Matter of urgent public importance) पर द्यान दिलाना : बैठक प्रारम्भ होने से पहले, 10.00 बजे तक ।⁷

गैरी सरकारी सदस्यों के संघरण (Private members resolution) : कोई गैर-
सरकारी सदस्य जो सकार प्रस्तुत करना चाहता हो, अलाइन (बैट) की तारीख से
कम से कम दो दिन पहले एवं आगे की गूचना देगा।⁹

संघरण (Resolution) से संशोधन सकार प्रस्तुत किये जाने के दिन से पूर्व एक
दिन।¹⁰

विधेयक (Bills) गैर सरकारी सदस्यों के . विधेयक को पुन रखायित करने की
अनुमति के लिए प्रस्ताव की गूचना की जानावधि एक जाग होती।¹¹

विधेयकों से संशोधन . विधेयक पर विचार किये जाने के दिन से एक दिन पूर्व।¹²

कटीतों प्रस्ताव (Cut motions) मांग के विचाराधीन दिन से एक दिन पूर्व।¹³
आप घटे की चर्चा उठाने के संघरण में जिस दिन उस विषय को उठाना हो उस
दिन से तीन दिन पूर्व।¹⁴

छात्यकालीन चर्चा (Short duration discussion) गूचना की कोई अवधि
नहीं रही गई।¹⁵

जोक-फ्ल के लिए विषय पर चर्चा गम्भीर प्रस्ताव (Innovation motion दिन बाला प्रस्ताव)
(No-day-yet named motions) गूचना की कोई अवधि नहीं रखी गई।¹⁶

विशेषाधिकार (Question of privilege) प्र.। . उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने
से पूर्व जिस दिन कि प्रश्न उठाने का विचार हो।¹⁷

मतिरिप्रतिवेद में अविश्वास का प्रस्ताव (Motion of no-confidence in council
of Ministers) बैठक प्रारम्भ होने से पहले।¹⁸

धृष्टप्रभा पा उपायकर्ता के पद्धति करने का सम्बन्ध (Resolution for removal
of Speaker or Deputy-speaker from the office) एवं गम्भीर में कोई
संतान तब तक प्रस्तावित नहीं किया जायेगा जब तक कि उस गम्भीर को प्रस्ताव-
ित करने के आगे की कम से कम चौदह दिन की गूचना न हो गई हो।¹⁹

जिस गूचना (notice) के सम्बन्ध में नियमों में पहले बहा गया है कि वह
“बैठक प्रारम्भ होने से पहले” मिलनी चाहिए, ऐसी गूचना बैठक प्रारम्भ होने से
कम से कम आधा घण्टे पहले ही जानी चाहिए। यदि ऐसी गूचना बैठक प्रारम्भ
होने से कम से कम आधा घण्टे पहले न मिले, तो यहकी बैठक के लिए गूचना
मानी जानी है।

एक ही जैसे या विषय-वस्तु से एक समान प्रश्नों को, जिनकी गूचना कई
सदस्यों ने अलग-अलग दी हो, गम्भीर कर दिया जाता है और या उस प्रश्न को
छहीत किया जाता है जिसकी मात्रा गले अधिक उपर्युक्त हो और याकी गद यदस्यों
के नाम उस पर जोड़ दिये जाते हैं। जब प्रश्नों की गूची में कोई प्रश्न एक से
अधिक सदस्यों के नाम में लगा हो, तो वह प्रश्न उन गम्भीर सदस्यों के नाम में लगा
जाता है। जब विभी गम्भीर कर दिये गए सदस्यों के नाम हैं, उनमें सबों पहला

सदस्य अनुपस्थित होते वाली उपस्थित सदस्यों में से कोई भी जिसके नाम उस मूर्ची में हो वह प्रश्न पूछ सकता है।

जहाँ दो या अधिक सदस्य एक जैसे प्रस्ताव या एक ही विषय के सम्बन्ध में प्रस्तावों की अलग-अलग सूचना देते हैं तो ऐसे सभी सदस्यों के नाम शृंखला में उनकी सूचना प्राप्त हुई हो या यदि उस मामले में बैलेट आवश्यक हो तो बैलेट में घाये द्रमानुसार उनके नाम सूचनाओं पर लिखे जाते हैं। ऐसे मामले में प्रस्ताव सदन में उसी क्रमानुसार पेश किये जाते हैं। मूर्ची में सबसे पहले जिस सदस्य का नाम दर्ज होता है वह ही प्रस्ताव पेश करता है। उसकी अनुपस्थिति में द्रग में दूसरे स्थान पर दर्ज सदस्य प्रस्ताव पेश करता है। इसी प्रकार विधेयकों के बारे में भी जिन सदस्यों ने एक ही जैसे विधेयक की सूचनायें दी हों, उन सब के नाम उस क्रम में जिसमें सूचनायें प्राप्त हुई हों, रखे जाते हैं। जिन सदस्य ने सबसे पहले सूचना दी हो, उसे यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह विधेयक को पुर. स्थापित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव पेश कर।

जिस सदस्य ने किसी विधेयक को पुर. स्थापित करने की अनुमति मांगने का प्रस्ताव रखने की मूर्चना दी हो, वह किसी भन्य सदस्य को अपनी ओर से यह प्रस्ताव रखने का अधिकार दे सकता है वशरे कि ऐसा अधिकार लिखित रूप में दिया गया हो। परन्तु कोई संशोधन (Amendment) या कटौती प्रस्ताव (Cut motion) किसी सदस्य द्वारा किसी भन्य सदस्य की आर से पेश नहीं किया जा सकता। जब किसी सदस्य को अपने संशोधन या कटौती प्रस्ताव रखने के लिए पुकारा जाता है और वह सभा में उपस्थित नहीं होता तो वह प्रस्ताव रखने का अपना अवसर खो देता है।

संकल्पों (Resolution) के मामले में किसी भन्य सदस्य को अधिकार देने की अनुमति है। अध्यथा की अनुमति से कोई सदस्य किसी ऐसे सदस्य को, जिसके नाम में वही संकल्प कार्य-मूर्चा में काफी नीचे हो, यह अधिकार दे सकता है कि वह उसकी ओर से संकल्प पेश कर सकता है। यदि संकल्प की मूर्चना देने वाले सदस्य वह सदन में संकल्प रखने के लिये पुकारा जाता है और वह सदन में उपस्थित नहीं होता तो उसकी ओर से कोई भन्य सदस्य, जिसे उसने लिखित रूप में अधिकार दिया हो, अध्यथा की अनुमति से उस संकल्प को पेश कर सकता है।¹⁹

संभाषण सूचना कॉनटीनर्जेंट नोटिटा. कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव या संकल्प या विधेयक की मूर्चना दे सकता है, जिसे वह चाहता हो कि ऐसे भन्य कार्य की ममाप्ति पर लिया जाये त्रिस पर यह प्रस्ताव गमाध्य हो और यदि ऐसी सूचना अध्यक्ष द्वारा शृंखला कर सी जाये तो उसे कार्य-मूर्ची में, यथास्थिति, प्रस्ताव या संकल्प या विधेयक की मध्यस्थ सूचना शीर्षक के घरतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। गदन में ऐसी मूर्चना को सभी लिया जा सकता है जब कार्य की वह

मद नियमों वा तुर्ही हों जिन पर वह कायित हो।¹¹ मुमाल्य सूचनाएँ मामले में उपयोग विनियोग (Appropriation Bills) के मद्दते में दी जाती हैं, जिन्हें मरकार, मदत द्वारा अनुदानों की मात्रों के स्वीकार किए जाने के बाद पदार्थों का दाम करवाना चाहती है।

यदि भृत्यज की राय में किसी सूचना में ऐसे शब्द, वाक्याग्रह या एह हों, जो प्रत्यक्षान्वयक (argumentative), अनन्दीय (unparliamentary), अव्याख्यक (ironical), अनगत (irrelevant), माइम्बरदार (misuse) या अन्यथा अनुचित हों तो वह स्विविक्त ने ऐसी सूचना में परिचालित किए जाने में दूर्वा नज़ोरात्मक कर देता है।¹² यदि कोई मदल्य किसी एक विषय पर चर्चा डालना चाहता है, जिनकी सूचना पहले में ही किसी अन्य मदल्य या मत्री में दे रखी हो, उने इस आधार पर अनुमति नहीं दी जाती कि वह आगे वाली चर्चा की प्रत्याग्रह कर रहा है, परन्तु यह निष्ठारित करने के लिए कि चर्चा प्रत्याग्रह के आधार पर नियम बाहु है या नहीं अध्यक्ष प्रत्याग्रहित विषय के मदत के सामने उचित समय के भीतर लाए जाने का ध्यान रहता है।

सूचनाओं का व्यवस्था (Lapse of notices) मदत के मामलान् पर विधेयक पुर. स्वार्पित करने की अनुमति के प्रस्ताव की सूचना को छोड़ कर मभी लम्बित सूचनाएँ (Pending notices) व्यवस्था हो जाती है और यदि अन्यनिवित मदल्य अन्त में इस विषय को डाला चाहे तो उन्हें अन्ती सूचनाएँ किए से देनी पड़ती है, परन्तु किसी एक विवेदक को पुर स्वार्पित करने के लिए अनुमति का प्रस्ताव रखने के लिए नयी सूचना को आवश्यकता होती है, जिनके सबसे में राष्ट्रपति की याचनान्वयन मन्त्री या निरारित आदेश हो और पहले दी गई मन्त्री या निरारित अमादी न रही हो।¹³

सदस्य को भाग्यह देने के लिए बुचनाता : जो सदस्य सभा में वाइविवाद अध्यक्ष चर्चा में भाग लेना चाहता है, वह (एक) उन्नत समझौत दन अपवाह पुनर्वाप्ति को भागना नाम दे सकता है, (दो) उन्नत समझौत दन अपवाह के साध्यम से अध्यक्ष का भागना नाम सीधे अपवाह को दे सकता है, और (तीनि) पुर के साध्यम के बिना भी अन्ती नाम सीधे अपवाह को दे सकता है। इन्हें अपवाह को वाइविवाद का विवारित अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कर सकता है। इन्हें अपवाह को वाइविवाद का विवारित करने तथा वाइविवाद में भाग लेने के लिए नियमों का उपयन करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी सदस्य इन बात के लिए आप्रह नहीं कर सकता कि उने अपवाह बोलने का अवनर दिया जाये। प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए अवनर प्राप्त करने बोलने का अवनर दिया जाये। प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए अवनर प्राप्त करने हेतु अपवाह का ध्यान आकृष्ट करना होता है, बाहु उन्नत समझौत का अपवाह कर सकता है अपवाह भागना नाम अपवाह दन अपवाह पुनर्वाप्ति के नामन में भेजा है। अब नियम हो अपवाह भागना नाम अपवाह दन अपवाह पुनर्वाप्ति के नामन में भेजा है। अब तक सदस्य अन्त में ध्यान पर लड़ा नहीं होता, उन बोलने के लिये नहीं पुकारा जा सकता, भने ही उन्नते इन अपवाह पुर अपवाह उन्नते अवनर निवित रूप में अपवाह से अनुरोध किया हो।

जिस क्रम में सदस्यों को बोलने हेतु ग्रध्यक्ष बुलाएगा, उसका गिर्धार, वह स्वयं करता है। कोई मदस्य यह नहीं कह सकता कि उसको अमुक क्रम में बुलाया जाये। सदस्यों के चयन हेतु सप्तदीय दलों ग्रध्यक्ष प्रुपों के सचेतकों द्वारा ग्रध्यक्ष को वक्ताओं की सूचिया दी जाती हैं ताकि एक सुविनियमित तथा सतुलित वाद-विवाद मुनिश्चित किया जा सके।

सभा को संबोधित करने की विधि (Mode of addressing House), जो सदस्य सभा के मामने किसी विषय के मन्त्रमें कोई बात कहना चाहता हो, उसे ग्रपने स्थान पर खड़े होकर बोलना चाहिए। उसे ग्रध्यक्ष को सम्बोधित करना चाहिए जो सदस्य गोग या दुर्बलता वे कारण ग्रममर्य हो, ग्रध्यक्ष उसे ग्रपने स्थान हर बैठे-बैठे बोलने की अनुमति दे सकता है।²³

बोलते समय मदस्य को (एक) किसी ऐसे तथ्य ग्रध्यविषय का उल्लेख नहीं करना चाहिए जिस पर न्यायिक निर्णय (Judicial decision) लम्बित हो, (दो) मसद् या किसी राज्य विषयान मठन की कायंवाड़ी के सचालन के विषय में ग्रधिय बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, (तीन) सदन के किसी निश्चय पर, उसे रद्द कराने के प्रस्ताव के सिवाय, कोई आक्षेप नहीं करना चाहिए, (चार) वाद-विवाद पर प्रभाव दालने के प्रयोजन से राष्ट्रपति के नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए, (पांच) भ्रभिद्रोहात्मक (Treasonable), राजद्रोहात्मक (Seditious) या मान हानिकारक (Defamatory) गब्द नहीं कहने चाहिए, (छः) ग्रपने भाषण के ग्रधिकार का प्रयोग सदन के कायं में बाधा दालने के प्रयोजन के लिए नहीं करना चाहिए; (सात) उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि उक्त चर्चा ममुचित रूप से रखे गये मूल प्रस्ताव (Substantive motion) पर आधारित न हो; (आठ) ग्रध्यक्ष पीठ (Chair) की पूर्व अनुमति के बिना लिखित भाषण नहीं पढ़ना चाहिए, किन्तु बोलते समय टिप्पण (notes) का सहारा लिया जा सकता है। (नौ) किसी मरकारी ग्रधिकारी का उल्लेख उसका नाम लेकर नहीं करना चाहिए; (दस) सभा के किसी भ्रन्य सदस्य के विषद् बारोंप, द्वित पूर्ति का नांदूरत लगा करके या उसकी सदूसावना पर ग्रापति करके कोई ध्यक्तिगत उल्लेख नहीं करना चाहिए, जब तक कि वाद-विवाद, जो स्पष्ट विवाद विषय या उससे संगत है, के प्रयोजन के लिए ऐसा करना ग्रत्याधश्यक न हो; प्रीर (ग्यारह) किसी भ्रन्य मदस्य का भाषण नहीं पढ़ना चाहिए।

ग्रध्यक्ष द्वारा सम्बोधन ग्रध्यक्ष स्वयं ही या किसी सदस्य द्वारा प्रश्न उठाये जाने पर या प्रार्थना की जाने पर, किसी भी समय सदन में विचाराधीन विषय पर मदस्यों को उनके विचार कायं में महायता की दृष्टि से, सदन को सम्बोधित कर सकता है। इस प्रकार यक्ति किये गये मत को किसी प्रकार निर्णय के रूप नहीं माना जा सकता।²⁴

समाप्ति प्रौर वाद-विवाद की विस्तृता (Closure and Limitation of Debate) किसी प्रस्ताव के किये जाने के बाद किसी भी समय कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है “कि अब प्रस्ताव मतदान के लिये रखा जाये” और यदि अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव नियमों वा दूरप्रयोग है या उससे उचित वाद-विवाद के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह प्रस्ताव रखता है कि “अब प्रस्ताव मतदान के लिये रखा जाये” जब यह प्रस्ताव “कि अब प्रस्ताव मतदान के लिये रखा जाये” स्वीकृत हो जाये तो उससे धारुपणिक प्रस्ताव या प्रस्तावों को बताए वाद-विवाद के बिना मतदान के लिए तुरत रखा जाता है। हा, उम्मेद यहाँ अध्यक्ष किसी सदस्य को उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दे सकता है।²⁵

समाप्ति प्रस्ताव किसी भी समय रखा जा सकता है। इस पर केवल यह शर्त सागू होती है कि यदि उस समय कोई सदस्य बोल रहा हो, तो उसे धारा आपण पूरा करने की अनुमति दी जाती है और यदि प्रस्तावक को वाद-विवाद के उत्तर वा अधिकार हो तो उसको उनर देने दिया जाता है। यह अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर है कि यदि वह यह समझे कि पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है और ऐसा प्रस्ताव रखने का उपयुक्त समय है तो वह उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर सकता है।

जब कभी विधेयक के सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव पर या किसी अन्य प्रस्ताव पर वाद-विवाद अनुचित रूप से लम्बा हो जाये, तो अध्यक्ष सदन का अभिप्राय जानने के बाद, यथास्थिति, विधेयक के किसी प्रथम (Stage) या सभी प्रक्रमों या प्रस्ताव पर चर्चा की गमावित के लिये समय-सीमा निर्धारित कर सकता है। विधेयक या प्रस्ताव के किसी लाप्रक्रम वा पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार नियत गमय पर, यदि वाद-विवाद उससे पूर्व समाप्त न हो गया हो तो अध्यक्ष विधेयक या प्रस्ताव के उस प्रक्रम के सम्बन्ध में गमी प्रवर्णित विधयों को निपटाने के लिए मारवश्यक प्रस्ताव मतदान के लिये रखता है।²⁶

मत विभाजन (Division) यदि किसी मामले में सदन का निर्णय घोषित हो तो उस पर निर्णय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रश्न पूछ कर किया जाता है। वाद-विवाद समाप्त हो जाने पर पीठासीन अधिकारी प्रश्न वा सभा के समक्ष प्रस्तुत करता है जो सदस्य प्रस्ताव के पश्च में हो उनसे “हाँ” और जो प्रस्ताव के विरुद्ध हो उनसे “न” कहने के लिए रहा जाता है। उससे पश्चात् पीठासीन अधिकारी कहता है, “मैं समझता हूँ कि “हाँ” या “न” यथास्थिति बताए जीते”। यदि पीठासीन अधिकारी के इस निर्णय पर नोई आपत्ति नहीं की जाती तो वह दो बार कहता है कि “हाँ” या (“न”) यथास्थिति बालों का बहुमत है और गदन के गमधा प्रस्तुत किया गया प्रश्न तदनुसार निर्णीत किया जाता है। परन्तु यदि पीठासीन अधिकारी की इस राय पर

किसी सदस्य द्वारा आपत्ति की जाती है तो पीठामीन अधिकारी यह आदेश देता है कि भीतरी कक्ष (लॉबी) को सदस्यों से भिज्ञ व्यक्तियों से छाली कराया जाये। समझ लीन मिनट बीत जाने पर पीठामीन अधिकारी दो बार प्रस्ताव रखता है और वह घोषणा करता है कि उमके विचार में “हाँ” वाले जीते हैं या कि “न” वाले। यदि उमकी इस प्रकार व्यक्त राय को फिर चुनीनी दी जाती है, तो अध्यक्ष यह निर्देश देता है कि मत या तो स्वचालित मत यत्र के माध्यम से निये जायें या सदस्यों द्वारा लोक सभा चैम्बर में जाकर मत ढालकर।²⁷ जब से स्वचालित मत अभिलेख यत्र लगा दिया गया है तब से लॉबी में जाकर मतदान करने की प्रणाली अप्रचलित हो गई है। मशीन घराव होने पर मतदान पर्चियों के द्वारा कराया जाता है।

अध्यक्ष यह सुनिश्चित करता है कि मत-विभाजन अनावश्यक रूप से न कराया जाये। वह निराधार बारणों से मत विभाजन के लिए की गई प्राथमिक अस्वीकार कर देता है।

संविधान के उपदेश के अनुगार अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति मत विभाजन में मत नहीं दे सकता। उसे निराधार मत देने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु उमका प्रयोग वह तभी करता है जब किसी विषय के दक्ष में या विषय में वरावर मत आये।²⁸

व्यवस्था का प्रश्न (Point of order) व्यवस्था का प्रश्न एक अमाधारण प्रक्रिया है, जिसके उठाये जाने पर सदन की कार्यवाही निलंबित हो जाती है और उस समय बोल रहा सदस्य घपना भाषण रोक देता है। इसका उद्देश्य सभा का कार्य विनियमित करने के लिये नियमों, नियमों तथा संविधान के उपबधों के प्रवर्तन में अध्ययन को सहायता प्रदान करना है। यह अनिवार्यतः प्रक्रिया के बारे में होना चाहिए और उस समय सभा के समझ कार्य में सम्बन्धित होना चाहिए। उस दिन को कार्य-मूर्खी में पहले से समिलित कार्य मदों के विनायाम से भी यह सम्बन्धित होना चाहिए।

व्यवस्था प्रश्न प्रक्रिया नियमों या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के निर्वाचन या नामू किये जाने में सबधित होना चाहिए, जो सभा के कार्य के विनियमन से सबधित है और उमके माध्यम से केवल ऐसा प्रश्न उठाया जाना चाहिए, जो कि अध्यक्ष के मज्जान में हो।²⁹

कार्य न होने की हिति से व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। यह उस समय सदन के गमन कार्य में ही सम्बन्धित होना चाहिए। तथापि, अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य को एक मद ममाल होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की प्रनारावधि में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की प्रनुभति दे सकता है, यदि यह सदन में व्यवस्था बनाए रखने पर सदन के ममक कार्य-विनायाम में गम्भीर में हो।

34 नियम (1) तथा (2) में उल्लिखित गतों के प्रधानधीन रहने हुए कोई मद्दत्य व्यवस्था का प्रश्न उठा गहरा है और अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि उठाया गया प्रश्न अवश्यका ना प्रतीत है या नहीं और यदि वह हा तो उग पर अध्यक्ष प्रश्ना निर्णय देता है जो पन्निम होता है। अवश्यका प्रश्न पर किसी बाद-विचार की अनुमति नहीं दी जाती, परन्तु यदि अध्यक्ष उचित समझे तो वह प्रश्ना निर्णय देने से पहले गदरस्यों की बात मुत् गकना है। अवश्यका का प्रश्न विशेषाधिकार प्रतीत नहीं होता।

इसी मद्दत्य का निर्णय विभिन्न बातों के लिये अवश्यका का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं है।

(क) जानकारी प्राप्त करने के लिये, या

(ख) आपको विभिन्न स्थल परन्तु करने के लिये, या

(ग) उम् गमय जब इसी प्रस्ताव को प्रकाशन के लिये मद्दत के सापेक्ष रसा जा रहा हो, या

(घ) जो बान्धनिक हो, या

(इ) यि सत्-विभागत पश्ची नहीं वजी या मुतादी नहीं पड़ी।

अवश्यका का प्रश्न उठाये जाने पर मद्दत की कार्यवाही निर्लिपित हो जाती है। जिस मद्दत्य ने अध्यक्ष की प्राप्ति नकर प्रोर पूर्वं गुचना के उपरान्त अवश्यका का प्रश्न उठाया हाता है उसका मुलने के पश्चात् अध्यक्ष प्रश्ना निर्णय देता है।

तदस्यो द्वारा बाद-विचार में प्रयुक्त की जाने वाली भाषाएँ मविधान के अनुच्छेद 120 के अन्तर्गत मद्दत का दायं हिन्दी या अंग्रेजी में किया जाना है, परन्तु जो मद्दत्य इन दोनों भाषाओं में से इसी भी भाषा से प्रश्ने विचारों को पश्ची तरह से अक्ष नहीं कर सकना वह अध्यक्ष की अनुमति में मविधान की प्राची अनुग्रही में उल्लिखित भाषाओं में से इसी भी भाषा में मद्दत में भाषण कर सकता है।

मद्दत्य की गुरुत्वादी हे तिए मद्दत की समूची कार्यवाही वा पानिशिष्टरी इन्टरप्रेटरों द्वारा प्रयोजी से हिन्दी में और हिन्दी में प्रयोजी में साथ-साथ अनुवाद किया जाना है और मद्दत्य इन दोनों भाषाओं में से किसी भाषा में लोक सभा चैम्बर में प्रत्येक सीट पर यह हुए भाषा क्षयन मिलों के जरिये और हैड फोन इमेजाय करने मद्दत की कार्यवाही गुन मात्र है।

लोक सभा में अमरी, वगवा, गुजराती, कन्नड, मलयालम, मराठी, उहिया, पञ्चाबी, गश्तू, तमिल, तेलुगु और उड्डूं भाषा में दिये जाने वाले भाषणों का साथ-साथ अप्रोजी तथा हिन्दी में अनुवाद किये जाने की भी अवश्यका है।

संदर्भ

1. सोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-भवालन नियम, नियम 349
2. नियम 374
3. नियम 332
4. नियम 33
5. नियम 54
6. नियम 57
7. नियम 197 (1), व्याख्या (दो)
8. नियम 170
9. नियम 177 (2)
10. नियम 65 (3)
11. नियम 79 (1)
12. नियम 212
13. नियम 55 (2)
14. नियम 193
15. नियम 185
16. नियम 223
17. नियम 198 (स)
18. भनुच्छेद 94, पहला परन्तु क ।
19. नियम 176 (2) और (3)
20. नियम 333
21. नियम 337
22. नियम 335
23. नियम 351
24. नियम 360
25. नियम 362
26. नियम 363
27. नियम 367
28. भनुच्छेद 100 (1)
29. नियम 376 (1)

5

सदनों के सत्र और बैठकें आमन्त्रण, कार्यक्रम, कार्यसूची, गणपूति, स्थगन और विघटन की प्रक्रिया

समझ, राष्ट्रपति और दो सभाप्रो-लोड मध्या और राज्य सभा-से मिलकर बनती है। प्रत्येक सभा प्रयत्न-प्रयत्ने निर्धारित केत्र में स विधान के अनुसार कार्य बनती है। इसमें से राज्य मध्या एक स्थाई सभा है जिसका विघटन नहीं होता है, बिन्तु इसके एक-विहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष भी प्रबंधि के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं। जोक सभा वयस्क मनाधिकार के प्राधार पर सीधे निर्वाचित लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा बनती है। इसका विधिवत् गठन प्रत्येक भाग चुनाव के पश्चात् निर्वाचित भागों द्वारा प्रधिमूचना जारी हिए जाने पर होता है।¹ यदि इसका विघटन पहले न कर दिया जाये, तो इसकी कार्यविधि प्रथम बैठक की तारीख से शुरू होकर पांच वर्ष तक होती है और पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने के पश्चात् इसका विघटन हुआ माना जाता है। इसकी प्रथम बैठक नव-निर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत के संविधान के प्रति भाष्य घोषणा प्रतिज्ञान (Oath or affirmation) किये जाने से शुरू होती है। भाष्य या प्रतिज्ञान, इस प्रयोजन के लिए तीसरी अनुसूची में दिए गए प्राह्य के अनुसार भी जाती है। समझ के प्रत्येक सदस्य के लिए यह भावशक्ति है कि वह अपना स्थान प्रहरण करने से पहले उक्त घोषणे से या प्रतिज्ञान (Oath or affirmation) करे।² भाष्य भेजे या प्रतिज्ञान करने के पश्चात् सदन में आपना स्थान प्रदणु कर लिये जाने पर हो समझ सदस्य उन उन्मुक्तियों (Immunities) तथा विशेषाधिकारों (Privileges) का अधिकारी बनता है जो सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। इसके पश्चात् ही उसको मतदान करने और भमद् की कायंवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है।

बैठक का आमन्त्रण (Summon for Sitting)

राष्ट्रपति समय-समय पर संसद् के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आमन्त्रित करता है। प्रत्येक सत्र की अन्तिम बैठक और ग्रामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच द्यह मास वा अन्तर नहीं होना चाहिए^३ उसम की अवधि के भीतर ग्रगले सत्र की बैठक होनी चाहिये। अधिवेशन के प्रारम्भ की प्रस्तावित तिथि और उसकी अवधि की मूल्यना संसदीय कार्य विभाग द्वारा राज्य सभा और लोक सभा के महामंचियों को दी जाती है। उक्त प्रस्ताव पर राज्य सभा के गभावति और लोक सभा के अधिकारों में सहमत हो जाने पर दोनों सदनों के महामंचिव उल्लेखित तारीख और समय पर मदनों को बैठक के लिए आमन्त्रित करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त करते हैं। आदेश प्राप्त हो जाने पर उसको असाधारण राजपत्र में अधिगूचित करते हैं और तत्त्वावधी विज्ञप्ति जारी करते हैं तथा सत्र के लिए नियम एवं स्थान का उल्लेख करते हुए प्रत्येक सदस्य को आमन्त्रण भेजते हैं।^४

प्रस्थायी (प्रोटम) अध्यक्ष (Speaker Pro tem) की नियुक्ति

लोक सभा वा विघटन (Dissolution) हो जाने पर भी, अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है और नई लोक सभा की पहली बैठक जूँ छोने में पहले तक अपना पद रिक्त नहीं करता। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, संसद् के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस नियमित नियुक्त अधिकारी के ममक, तीमरी अनुगृही में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्राप्ति के अनुगार, शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। आम चुनाव के पश्चात जब लोक सभा पहली बार बैठक के लिए आमन्त्रित हो जाती है तो राष्ट्रपति लोक सभा के किसी सदस्य को प्रस्थायी अध्यक्ष (Speaker-Pro tem) नियुक्त करता है। सामान्यतया लोक सभा के मध्यसे वरिष्ठ सदस्य को प्रस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। प्रस्थायी अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है ताकि नये सदस्य शपथ ग्रादि से भक्ते और अपना अध्यक्ष चुन सकें। इस प्रकार नियुक्त अधिकारी तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जाता।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

लोक सभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद उसके पहले सत्र और प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ पर, संसद् सवन के “गेन्डुल हास” में एक माथ समवेत दोनों सदनों के गामने राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं।

विश्व से गवर्नर वार्ड लोकसभा के राज्याध्यक्ष की गरिमा से अनुगृह राष्ट्रपति गोभायात्रा द्वारा अभिभाषण के लिए संसद् भवन पहुँचते हैं जहां मुख्य द्वार पर राज्य सभा के गभावति, लोक सभा के अध्यक्ष, संसदीय कार्य गन्ती और दोनों

सदनों के महासचिव उनकी प्रगतियों करते हैं और उन्हें समारोहहरुएं जुलूम में सात कालीन से सुसज्जित यार्ड द्वारा सेन्ट्रल हाल में ले जाते हैं। उनके पहुँचने पर राष्ट्रपति होता है और तदपश्चात् वे अपना अभिभाषण पढ़ते हैं। उनके अभिभाषण में पिछले वर्ष के दीरान सरकार द्वारा किये गये कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख होता है तथा आगामी वर्ष के कार्यक्रमों एवं नीतियों का विवरण दिया जाता है। उन विधेयकों प्राप्ति का जिक्र होता है जिन्हें सरकार पुरस्यापित करना और पारित करना चाहती है। एक प्रकार में राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के कार्यकलापों और तत्त्वमन्त्री नीतियों का कहचा चिट्ठा होता है और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दोरान गद्दन में विचार किया जाता है। प्रत्येक सदन में किसी सदरय द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों गद्दनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है।¹⁶ अध्यक्ष को स्वीकृति में धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन के माध्यम से उन महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की जाती है जिनके विषय में प्रकाश न ढाला गया हो।¹⁷ इस प्रकार बड़ी व्यापक चर्चा की जाती है और जागहक सासदों की नज़र से प्रशासन की गतिविधियों का कोई भी कोना ग्रहण नहीं रहता है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सभी मामलों पर विचार किया जाता है। किन्तु ऐसे किसी विषय को चर्चा का माध्यम नहीं बनाया जाता है जिनका महत्व सरकार से कोई सीधा सम्बन्ध न हो। स्पष्ट है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया गया उसके कार्यकलापों और नीतियों का मार्गदार हाता है, उन कार्यकलापों और नीतियों के तिथे सरकार जबाबदेह होती है, न कि राष्ट्रपति। अतः चर्चा के दीरान राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

चर्चा के अन्त में, प्रधानमन्त्री द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद का उत्तर देने की परम्परा है जिसके द्वारा सरकार की विधित इफ्ट भी जाती है।¹⁸ तदपश्चात्, संभवतः दोनों को निवारण जाता है और धन्यवाद प्रस्ताव सदन के मतदान के लिए रखा जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद औपचारिक समाप्तिदन द्वारा अध्यक्ष की माफ़त उसकी सूचना। राष्ट्रपति को दो दो जाती है।¹⁹

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन (Election of Speaker-Deputy Speaker)

अनुच्छेद 93 के उपबन्धों के मुत्तमार यह अपेक्षित है कि लोक सभा उसके गठन और श्रम संघर्ष के पश्चात्, या संभव सीधे प्रपत्ते दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने। प्रधानमन्त्री या अन्तिममण्डल अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन का मुक्काब लोक सभा सचिवालय को भेजता है और लोक सभा का भाग्यविव ध्यान मन्त्री के मुक्काब को राष्ट्रपति को भेजता है जो निर्वाचन के लिए तिथि का अनुमोदन करता है। तदपश्चात् महासचिव उस तिथि की मूल्या प्रत्येक सदस्य को भेजता है।²⁰

इस प्रकार निर्वाचन तिथि में एक दिन पूर्व कोई भी मदस्य, किसी भी समय, महामंचिव को किसी ग्रन्थ मदस्य को सभा का अध्यक्ष चुनने के प्रस्ताव की निश्चित मूलता दे सकता है। इस मूलता के साथ उस मदस्य का जिसका नाम मूलता में प्रस्तावित किया गया हो, यह कथन मंतव्य होना चाहिए कि निर्वाचित होने पर वह अध्यक्ष के स्थूप में कार्य करने के लिए तैयार है। सामान्यतया, सत्ताधारी दल द्वारा चुने गये उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव की मूलता प्रधानमन्त्री द्वारा या समझौते कार्य मन्त्री द्वारा दी जाती है। प्रस्ताव की नियमानुवूल पायी जाने वाली मभी मूलता¹⁰ उसी ग्रन्थ में रखी जाती है जिस ग्रन्थानुसार वह प्राप्त हुई हो।

निर्वाचन के लिए निर्धारित तिथि की कार्य-सूची में, जिस सदस्य के नाम में कोई प्रस्ताव हो, वह पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं और विधिवत् प्रत्युमोदित हो जाते हैं उन्हें एक-एक करके उम्मीदमें रखा जाता है जिसमें कि वे प्रस्तुत किए गए हों और यदि आवश्यक हो तो विभाजन द्वारा निश्चित किया जाता है। जैसे ही कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो पंडितालीन भ्रष्टाचारी बाद के प्रस्तावों को रखे बिना, धोयगा करता है कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित (Proposed in the motion) मदस्य सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है।¹²

उपाध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया भी वही है जैसे कि अध्यक्ष के निर्वाचन की, मिवाए इसके कि उपाध्यक्ष की निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष नियत करता है।¹³

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना

लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के स्थूप में पद शारण करने वाला सदस्य भरना पद रिक्त कर देगा। (क) यदि वह लोक सभा का सदस्य नहीं रहे (ख) यदि वह सदस्य अध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष का और उपाध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष को घटना त्याग-नक्ष भेज दे, और (ग) यदि लोक सभा के उपाध्यक्ष ममत सदस्यों के बहुमत द्वारा उसे पद से हटाने के लिए मंकल्प (Resolution) पारित कर दिया जाये।¹⁴

अध्यक्ष लोक सभा के विघटन (Dissolution) के पश्चात् भी "सभा के प्रथम अधिकैशन के टीक पहने" तक भरने पद पर बना रहता है।

सदनों की बैठकें

किसी अधिवेशन के लिए आमन्त्रण के साथ ही या उसके जारी होने के पौरन बाद प्रत्येक सदस्य को बैठकों के अध्यायी कार्यक्रम की सूची हुई प्रति भेजी जाती है जिसमें बताया जाता है कि भोक्ता सभा की बैठक जिस दिन होगी और कौन-कौन सा कार्य (सरकारी-योग्य-भरकारी) किया जायेगा। प्रस्तावों का चाटे भी भेजा जाता है जिसमें यह जानकारी दी जाती है कि प्रस्तावों के उत्तर के मिए विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा निए कौन-कौन से दिन नियत किये गये हैं। प्रस्तावों की मूलता देने वे

गम्भीर में व्यापार जानकारी दी जाती है। प्रधिकरण (Session) के द्वारा सभी हाल मम्बन्धी विभिन्न मामलों पर इन्हें जानकारी के साथसाथ उच्च मूल्य का मम्बीय ममलार (मुल्टिटिम) में प्रकाशित की जाती है।

पहले की बैठकें, यदि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश नहीं देता तो, माझारम्युनिय 11.00 बजे मध्यम होने हैं और बैठकों का मामलाद समय 11.00 बजे से 13.00 बजे तक और 14.00 बजे से 18.00 बजे तक होता है। 13.00 बजे से 14.00 बजे तक का समय पश्चात् मोबाइल के लिए छोड़ा जाता है।¹⁵ कार्यकार की प्रधिकरण वे परिस्थितिकार्य प्रबन्ध अवसरों पर माजनावहार म्प-गित वर दिया जाता है और मंडल की बैठकें दो गत तक भी चलती हैं।

कार्यक्रम और कार्य-मूल्यों

मम्बीय कार्य की, मरकारी कार्य और गैर-मरकारी कार्य नाम से १। मुख्य विभागों में बातों जह ममला है,¹⁶ प्रधानमंत्री, मरकार द्वारा प्राप्ति विद्य जान वाले कार्य और (म) गैर-मरकारी मंडलों द्वारा प्राप्ति विद्य जान वाले कार्य, जो मरकारी समय में विद्य जाने हैं।

अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों (Directors) के निर्देश के अनुसार यदि किसी विभाग अवसर पर अध्यक्ष निर्देश न दे तो सभा के सभी वार्षिक निम्नतिविध वय में किया जाता है। यस वार्षिक वार्षिकी (Oath or affirmation) निष्ठत मम्बन्धी उल्लेख, (Obituary references) प्रगति, स्थिति प्रस्ताव (Adjournment motion) वेज करने की अनुमति, विशेषाधिकार सदा (Breach of privilege) मम्बन्धी प्रगति, सभा फटम पर इसे जाने वाले पक्ष, राष्ट्रपति के प्राप्त निर्देशों की मूल्यता, अमरावतीय मूल्यता, वक्तव्य और वैष्णविक मम्बीकरण, समितियों के नियंत्रित विवाचन मम्बन्धी प्रस्ताव, देज किए जाने वाले विषेषक, नियम ३७१ के अधीन भासते, इत्यादि।

गैर मरकारी मंडलों के कार्य, अर्थात् विधेयक (Bills) और संस्कार (Resolutions) पर प्रत्येक मुक्तवार के दिन या ऐसे अन्य दिन जो अध्यक्ष नियम के द्वारा प्रत्येक तक विचार होता है।¹⁷ कार्य की कुछ ऐसी मद्दत भी है जो गैर मरकारी मंडलों द्वारा गृह की जाती है लेकिन विन पर मरकारी कार्य के लिए विद्य समय में विचार हिया जाता है। किसी मन्त्री या मंडलों द्वारा इसे किये वक्तव्यों की गतिया वाले वक्तव्य और मंडलों द्वारा विस्तृत मम्बोकरण के अनुरिक्त इस ये ऐसी में कुछ अन्य कार्य भी आते हैं जैसे: प्रगति, स्थिति प्रस्ताव, प्रविनम्भीय लोक महसूस के मामलों (Matters of urgent Public Importance) की ओर ध्यान दिनाना, विशेषाधिकार के प्रश्न, प्रविनम्भीय लोक महसूस के विषयों पर योहे समय की चर्चा, मन्त्रिपरिषद् में अविवास प्रस्ताव, प्रवता और इसके उल्लंघनों में उल्लंघन विषयों पर छापे अट्ट की चर्चाएं। नियम ३७७ के अन्तर-

मामले, इत्यादि। मरकारी कायं की विभिन्न मदा प्रोर मन्य उन मदों के लिए, जो सरकारी समय में ली जाती है, गमय की सिफारिश सामान्यतः कायं मन्त्रणा समिति द्वारा की जाती है।

गणपूर्ति (Quorum)

सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति (कारम) अध्यक्ष या अध्यक्ष के स्वयं में कायं कर रहे व्यक्ति सहित सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवाँ भाग अथवा 55 सदस्यों से होती है। बैठक के प्रारम्भ में, अध्यक्ष के पीठासीन होने से पहले, प्रतिदिन यह मुानश्चित किया जाता है कि सदन में गणपूर्ति है। गणपूर्ति न पाई जाने पर गणपूर्ति-घण्टी (Quorum Bell) बजाई जाती है प्रोर गणपूर्ति हो जाने के पश्चात् ही अध्यक्ष पीठासीन होता है। मध्याह्न भोजन के पश्चात् या स्थगित होने के पश्चात् जब सदन पुनः समवेत होता है तब भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। सभा की बैठक के शेष समय के दौरान एक प्रथा सी है यथा बैठकों के बढ़े हुए समय में, मध्याह्न भोजन के दौरान या जब सदन की बैठक सामान्य समय के बाद तक के लिये बढ़ा दा जाती है तो यह प्रश्न नहीं उठाया जाता। किन्तु यदि एक भी सदस्य एक बार गणपूर्ति का प्रश्न उठा देता है तो कार्यवाही रोकनी पड़ती है प्रोर गणपूर्ति घण्टी बजानी पड़ती है प्रोर सदन की कायंवाही गणपूर्ति होने पर ही पुनः मारम्भ की जाती है।

सभा का स्थगन या विघटन (Adjournment of House or dissolution)

दोनों सदनों या किसी एक सदन का सत्रावसान (Prorogation) करने और लोक सभा को विघटित (Dissolution) करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद (85) (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति का आदेश द्वारा सभा के किसी सत्र के समाप्ति लिये जाने को "सत्रावसान" कहते हैं।

सभा की बैठक अनिश्चिकाल के लिये या किसी प्रोर दिन तक के लिये या उसी दिन के किसी समय तक के लिये स्थगित (Adjourn) करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित है। अध्यक्ष सभा के अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित होने के बाद किसी भी समय, सभा की बैठक बुला सकता है।¹¹⁸ किन्तु एक बार सभा का सत्रावसान हो जाने के पश्चात् केवल राष्ट्रपति ही दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए मारूत कर सकता है।

सामान्यतः किसी भी सभा के अनिश्चितकाल (Since-die) तक के लिए स्थगित होने के बाद राष्ट्रपति उनका सत्रावसान करता है। सभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर उसके सत्रावसान के बीच सामान्यतः दो चार दिन का अन्तराल होता है। सोबत सभा के स्थगन या अनिश्चितकाल के लिए स्थगन पर सभा में लम्बित कार्य अपग्रेड (Lapse) नहीं होता है, परन्तु लोकसभा के प्रतिया तथा कायं उचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 335 के अनुसार सदन का सत्रावसान होने

पर नियमित विधेयक का पुर रत्यापित करने की अनुमति के नियं प्रस्ताव करने के बचाव की सूचनाओं के अतिरिक्त सब लम्बित मूलनायें व्यपगत हो जाती हैं और अपले सत्र के लिये नई सूचनायें देनी पड़ती हैं।

लोक सभा प्रयोगों प्रथम बैठक के निए निर्धारित तिथि से पाच बयों तक चलती रहती है। यदि उसे कार्यविधि पूरी होने से पूर्व भग नहीं कर दिया जाता या उसकी कार्यान्वयिता नहीं जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा उसे भग करने का ग्रोपचारिक प्रादेश जारी न किए जाने पर भी सभा पाच बयों की अवधि की समाप्ति पर अपने आप भग हो जाती है।¹²

विघटन के प्रभाव (Effects of dissolution)

लोक सभा का विघटन (Dissolution) हो जाने पर वह केवल सामान्य निर्वाचन (General election) के बाद ही समवेत होती है। संविधान के अनुसार लोक सभा का ही विघटन हो सकता है और विघटन से उसका सारा अंतर्संतव ही समाप्त हो जाता है। राज्य सभा सदा बतों रहती है और वह विघटित नहीं होती है। लोक सभा के विघटन पर सभा या उसकी किसी भागिति के समय लम्बित (Pending) ग्रन्त्येक विधेय व्यपगत (Lapse) हो जाता है। विघटित सभा के रिकार्ड का कोई भी अंश आगे नहीं ले जाया जा सकता और नयी सभा के रिकार्ड या रजिस्ट्रो में समाविष्ट नहीं किया जा सकता।

सभा में लम्बित विधेयक प्रकार के कार्यों पर विघटन के प्रभाव का संक्षिप्त व्यापारा निम्नलिखित है —

- (एक) लोक सभा में, विघटन के समय लम्बित सभी विधेयक व्यपगत हो जाते हैं, वे चाहे लोक सभा में प्रारम्भ हुए हों अथवा राज्य सभा द्वारा इसके पास भेजे गए हों, और
- (दो) लोक सभा द्वारा पारित करके राज्य सभा को भेजे गए और उसके द्वारा न लिवटाये गये विधेयक जो विघटन की तिथि को राज्य सभा में लम्बित हों, व्यपगत हो जाते हैं,
- (तीन) राज्य सभा में पुर रत्यापित किये गये विधेयक, जो लाक सभा द्वारा पारित नहीं किए गए हों वर्तिक अभी राज्य सभा में लम्बित हों, व्यपगत नहीं होते।
- (चार) यदि इसी विधेयक के सम्बन्ध में दोनों सदनों में अमहसूति है और विघटन से पहले उस पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की समुक्त बैठक ग्राहून करने के अपने आशय की सूचना राष्ट्रपति ने दे दी हो तो वह विधेयक व्यपगत नहीं होता और राष्ट्रपति द्वारा गयुक्त बैठक बुलाने के अपने मान्यता की सूचना देने के बाद तोक सभा का विघटन हो जाने पर भी, दोनों सदनों की समुक्त बैठक में उसे पारित किया जा सकता है।¹³

64/संसदीय प्रक्रिया

- (पाच) दोनो सदनो द्वारा पास किया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके पास भेजा गया विधेयक लोक सभा के विघटन पर व्यपगत नही होता ।
- (छह) राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक व्यपगत नही होता और न ही सभा द्वारा उस पर विचार किया जा सकता है ।
- (सात) लोक सभा में लम्बित मन्य कार्य की सभी मद्दें, यथा प्रस्ताव, सकल्प, सशोधन, अनुदानों की अनुपूरक मार्गे आदि, चाहे वे विचार की किसी भी भवस्था में हो, विघटन पर व्यपगत हो जाती हैं ।
- (आठ) याचिका समिति को निर्दिष्ट, सभा में पेश की गई सभी याचिकाएँ विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाती हैं ।
- (नौ) लोक सभा द्वारा पास किए गए साविधिक नियमों के अनुमोदन या रूपरेखा के लिए प्रस्ताव जो राज्य सभा को उसकी सम्मति के लिए भेजे गए हो, या उसी प्रकार राज्य सभा से लोक सभा के पास भेजे गए हो, वे भी लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो जाते हैं ।
- (दस) आश्वासन, जिन्हे सरकार ने कार्यान्वित न किया हो, व्यपगत नही होते और नयी लोक सभा की सरकारी आश्वासनो सम्बन्धी समिति उन पर आगे विचार करती है ।

संदर्भ

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 73
2. अनु. 99 और तीसरी अनुसूची, निर्देश
3. अनु. 85
4. नियम 3
5. अनुच्छेद 84
6. नियम 17
7. नियम 18
8. नियम 20
9. नियम 247
10. नियम 7 (1)
11. नियम 7 (2)

12. नियम 7 (3) और (4)
13. नियम 8 (1)
14. अनुच्छेद 94
15. नियम 12
16. मन्त्री के इनावा प्रत्येक मदस्य को गेर सरकारी मदस्य कहा जाता है, चाहे वह निमी भी दल का हो। मन्त्री सरकारी मदस्य कहलाता है।
17. नियम 26
18. नियम 15
19. मुमाय काष्यप, दिल्लीस्टूडन प्रॉफ ड लोक सभा, द पालियामेट्रिप्ट, 57, जनवरी, 1977
20. अनुच्छेद 108

□(1)

संसद् के अधिकारी अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी तथा महासचिव

किसी सदन के कार्य का नियंत्रण गुचाह रूप से और गुवाहस्थित ढग से चलाने के लिये किसी प्राधिकारी वा होना आवश्यक है ताकि वह उसकी कार्यवाहियों को नियंत्रित कर सके और उम्मीदों गतिमा प्रदान कर सके। सदनों के इस महत्व को देखते हुए नियंत्रण में सोक सभा के लिए अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy-speaker) वा और राज्य सभा के लिये मानापति (Chairman) और उप मानापति (Deputy-Chairman) वा उपवन्धु किया गया है। सोक सभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष पीठासीन होता है और सदन की कार्यवाही सचालित करता है। इसी प्रकार सभापति वा अनुपस्थिति में उप सभापति राज्य सभा की कार्यवाही को सचालित करता है और पीठासीन होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदन में ऐसे अवगत भी आते हैं जब उपर्युक्त दोनों अधिकारी आसन ग्रहण करने के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं, यतः एक ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता रहती है जो इन दोनों की अनुपस्थिति में सभा की अध्यक्षता कर सके। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक सदन में सभापति तालिका (Panel of Chairman) बनाई जाती है जिसमें सदस्यों में से अधिक से अधिक दो सदस्यों वा नाम निर्दिशित किया जाता है जो अपने-अपने सदन की उस समय अध्यक्षता करते हैं जब वहाँ दोनों पीठासीन अधिकारियों (Presiding officers) में से कोई भी उपरियत न हो। दोनों नदनों वे उक्त दो पीठासीन अधिकारियों वे भलाका प्रत्येक सदन में धन्य महत्वपूर्ण अधिकारी मानागचिय (Secretary-General) हैं जो सदन का एवं निर्वाचित सदाचारी अधिकारी होता है।

अध्यक्ष

अध्यक्ष का पद गगदीप प्रगतानी में बढ़ा ही महत्वपूर्ण रूपान रखता है। यह 700 वर्षों के दौरान इसकी गतिमा और गतियों का निरक्षर विकास हुआ है।

मर्व प्रथम श्रित में 1377 में कामन्य सभा के अध्यक्ष के पद की गवंता हुयी थी जब गर टासम दृगर फाई टमर अध्यक्ष चुने गये थे जब ने यह पद प्रतिवरत कादम है और बीटे-पीट इसकी गविसा और गवितीयों का विकास हुआ है। शुक्ल-शुक्ल में उपके हृत्य (Debt) वाद-विवाद के मन्त्र में, पक्ष और विवाद, दोनों के तर्हां का नियन्त्रण निकालना ग्रांट मन्त्र के विभाग 'काइन' के मध्य प्रमुख इन्हना हुया करता था। यह वह संस्कृत के समक्ष कामन्य सभा का प्रवन्न हो दो "लीकर" हुआ करता था। आज विकृत उन्होंने अध्यक्ष बनून ही कम बोलता है, वह बदल प्राप्ति अनिवार्य, प्राप्ति निवेदों प्रत्यक्ष और गोप्य ने ही इन की विवरणों को बताए रखता है और उनकी बेटका की अध्यक्षता करता है।

सामूहिकीय देश (Commonwealth Countries) हान के नामे भारत में अध्यक्ष की विधि नियमन बंदी है जैसे कि वामन सभा में अध्यक्ष को है। यमोदीय प्रशासनी में दोनों बड़ा ही महत्वपूर्ण व्याप है। उम्मा पद गरिमा, ग्राहिकार और ग्रनिता का पद है। वह नाक सभा का प्रमुख है। सभा के कार्य का नियन्त्रण और नियन्त्रण उपकरण महत्वाता है। मन्त्र के कार्यों का नियन्त्रण सम्बन्धीय सभी अधिकार रूपी का ग्राहन है। वह सभा का प्रमुख प्रवन्न है उम्मी सामूहिक आवाद और बाह्यी हुनिया के लिये सभा का एक मात्र प्रतिनिधि समरीय प्रशासनी में अध्यक्ष के पद का अध्ययन करने पर पक्ष बताता है कि विवरणों और विवरणों इन पदधारी के दो महत्वपूर्ण गुण चूहे हैं। इमार दशा भी यह उद्देश्य कई प्रकार में मुनिहित हाता है। वर्गिता के इम (Order of precedence) में अध्यक्ष को बहुत ऊँचा दर्जा ग्राहन है। इस दश में दोनों स्थान बहुत रक्ता गया है और वह बेल गार्ड्यूनि, उत्तराध्यूनि और प्रधानमन्त्री के बाद और नवाँच न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर ग्राहन है। अब ग्राहन-मन्त्री के बाइंसी मठन के अन्य सभी मन्त्रियों के उनका स्थान ऊँचा है। उपका बनन तथा मने भारत की मात्रता नियित (Consolidated fund of India) पर जारीत व्यव है अपर्याप्त उनके लिये समृद्धी स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। उत्तर नियंत्रण पर मिवाद सून (मेवस्टाइव) प्रस्ताव के आनन्द नहीं की जर मन्त्री। उत्तर अपना नियंत्रण के मत (Casting Vote) के बन नमी दग्धा में देता है जब किसी प्रमुख के पश्च तथा विषय में बहावर-बहावर मत आए हो। उत्तर मनान मत होने की तेजी विधि में वह अपना नियावक मत देता है तो ऐसा मदा मुम्याविन ममीयों मिलाना और प्रधायां के घनुमार ही किया जाता है। यह सदोग की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में ऐसा एक भी अवसर नहीं आया जब कि अध्यक्ष का अपने नियावक मत (Casting Vote) का प्रयोग करना पड़ा हा। अध्यक्ष की कोई राजनीति नहीं होती, वह नट्रिय (neutral) होता है। अध्यक्ष नियाविन होने के बाद वह अपने दर की मत नियितियों में अनन्त हो जाता है। वह किसी दल के समृद्ध होए भी भरने

दावित्व को इस प्रकार समाप्त करता है जिससे ऐसा लगता है कि वह किसी भी दल में नहीं है।³ वह किमी दल का पद धारणा नहीं करता, किमी दल की बैठकों में या क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता और राजनीतिक विवादों से और दल के अभियानों से दूर रहता है।⁴

ग्राफ्टिंग सविधान में उपवनिधित्र अपनी शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करते हुए सदन को सचालित करता है और उसको कार्यवाहियों को नियन्त्रित करता है। सभा में व्यवस्था (Orders) बनाये रखना ग्राफ्टिंग का मूल कर्तव्य होता है और उसकी अनुशासनात्मक शक्तियों (Disciplinary powers) का उद्गम "सोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचालन नियम" है। उसके निर्णयों को चुनौती नहीं दी जा सकती है, वे प्रतिनिधि होते हैं। सभा में उसके द्वारा की गई सविधान के उपबन्धों और प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों की व्याख्या (Interpretation) अन्तिम व्याख्या होती है। ऐसे सब विषय जिनके बारे में नियमों में विशेष रूप से उपबन्ध न किया गया हो उनके सम्बन्ध में निर्देश देने की अवशिष्ट शक्तिया (Residuary powers) ग्राफ्टिंग को प्राप्त है।⁵ ऐसा विनियोग (Ruling) करते समय वह किसी सदस्य से या सरकार से तथ्य एवं सूचना की मांग कर सकता है यथवा साक्ष उपलब्ध कराने को कह सकता है। इस प्रकार हर दृष्टि से विचार करने के पश्चात् उसके द्वारा दिये गये निर्णय अन्तिम होते हैं उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। सदस्य सभा में या उसके बाहर ग्राफ्टिंग द्वारा दिये गये विनियोग, व्यक्त किये गये विचार या दिये गये वक्तव्य को प्रत्यक्ष या प्रप्रत्यक्ष रूप से भालोचना नहीं कर सकते। किसी मामले पर पुनर्विचार करने के लिये वे ग्राफ्टिंग ने निवेदन कर सकते हैं।

सदन में व्यवस्था बनाये रखने और उसकी कार्यवाही को गुचारू ढंग से सचालित करने के लिये ग्राफ्टिंग को बहुत शक्तिया प्राप्त है।⁶ पीट सीन पधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी मदस्य सदन में बोल नहीं सकता, ग्राफ्टिंग ही इस बात का निर्णय करता है कि कोई सदस्य कब बोले?⁷ और उग्रों कितनी बार बोलने का घबराह दिया जाए। जहाँ तक कि वह मदस्यों के भावणा की समय सीमा निर्धारित कर सकता है, सीमा का उल्लंघन बरने पर भाषण समाप्त करने को कह सकता है एवं भाषण में अभिव्यक्त असाधीय या अभद्र विचारों (Unparliamentary Expressions) को बापस ले लेने के लिये सदस्य को भादेश दे सकता है। वह यह भादेश भी दे सकता है कि भासद् द्वारा अभिव्यक्त असाधीय भानों को कार्यवाही वृत्तात् (Proceedings) से निवाल दिया जाये।⁸ कार्यवाही वृत्तात् में निकालों गयी ऐसी अभिव्यक्तियों (Expressions) को समाचार पत्रों द्वारा या प्रत्यक्ष माध्यमों द्वारा प्रकल्पित नहीं किया जा सकता है (यदि कि भासद् के सदनों के कार्यवाही वृत्तान्तों की प्रकाशित करने का अधिकार नहीं है)।

सभा में व्यवस्था (Order) कायम करने के लिये ग्राफ्टिंग के बाते सदस्य को ग्राफ्टिंग सभा का रूपांग करने के लिए बहुत सकता है। यदि सदस्य उसके

प्रादेशी की अवहेलना करता है और सभा की कार्यवाही में समातार बाधा डालता है तो अध्यक्ष उसका नाम मेहर उमेर सभा से निलम्बित कर सकता है। सभा में और अस्यवस्था (Disorder) होने पर वह सभा को स्थगित कर सकता है या उसकी कार्यवाही निलम्बित कर सकता है। गदरयों को अध्यक्ष का सम्मान करता होता है जब भी अध्यक्ष बोलने के या धाराने विविध (Ruling) होने के लिए सदा होता है तो उसे नभी सदस्य यापोशी गे तुनने हैं और यदि कोई सदस्य बोल रहा हो या बोलने लगा है, उसे बैठ जाना होता है। इन मदरयों गे अध्यक्ष के मामले में बड़ी सावधानी बरतने की प्रोत्ता की जाती है। सभा के विशेषाधिकार भग (Breach of privilege) या उसकी घबरानना किए जाने गवर्नरी किसी विषय में प्रत्यक्षता कोई सहर है या नहीं, इन बात का नियंत्रण प्रध्यक्ष ही करता है।⁹ उसकी घनुपति के दिना किसी सदस्य, सभा या उसकी समिति के विशेषाधिकार भग के सम्बन्ध में कोई भी प्रश्न सभा में नहीं उठाया जा सकता। अध्यक्ष अपने आप किसी ऐसे प्रश्न को, जिसे वह उचित समझे, विशेषाधिकार समिति को जाच, अवैधता तथा रिपोर्ट देने के लिए सोए तकता है। यदि वह अपनो सम्मति प्रदान नहीं करता तो उस मामले पर प्राप्त कार्यवाही नहीं की जाती। अध्यक्ष यह गुनिविच्छिन्न बनाता है कि कोई सदस्य गदन में किसी विवाद आरोपात्मक, सातहानि-कारक या दोषारोपण करने वाले वक्तव्य न दे। ऐसा करने से पूर्व सदस्य को ऐसे सदस्य के बारे में या जिस नाम से वह आधारित है, उसकी जूँ सूचना अध्यक्ष को देनी होती है।

कभी-कभी अध्यक्ष अपनी विकारदायित्वा एवं सूचना बुद्धि से तत्त्वावृण्ण द्वारा में सदन के बातावरण को प्रयुक्त और तत्त्व रहित बनाता है। यूँ तो यह जन्म-जात गुण होते हैं किन्तु एक गवेदनशील अर्थकि प्रमगानुसार इन गुणों को अजित कर लेता है। इस प्रकार अपना दायित्व निवाहते हुए अध्यक्ष सभा की परिमा और सरकारी स्वतन्त्रता बनाए रखता है और सदस्य बातावरण में सदन को कार्यवाही को सचालित करता है। भिन्न-भिन्न विचारधाराओं वा प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के सदन में कभी कभी उत्तेजना, कोलाहल और अन्तर्बाधा के धरण उत्पन्न होने मिलते हैं किन्तु बुद्धिमत और धोष अध्यक्ष अपनी चतुराई और बाकायदुता से स्थिति को सम्भाल लेता है और वाद-विवाद को अधिक्षित और सुचारू ढंग से सहायता करता है।

सभा का अध्यक्ष होने के बाहे छह अपने कुल्यों के निवेदन द्वारा सभा की गतिमान का बदाता है। सभा दरटु का प्रतिनिधित्व करती है और अध्यक्ष राष्ट्र के हित को मद्देन ध्यान में रखता है। गमय-सदस्य पर प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रस्तावों की सूचनाएँ, प्रश्नों आदि को शुद्धीत करने या न करने के बारे में विचार करते समय वह उनका चयन इस प्रशार करता है जिससे लोक महत्व के विभिन्न मामलों

पर मदन में विचार हो सके और उनके बारे में निर्णय लिये जा सके। अध्यक्ष होने के बावजूद वह मदन का सेवक होता है, उसका स्वामी नहीं। सविधान और प्रतिया मुबादी नियमों द्वारा प्रदत्त परिक्षारों और शक्तियों में वह प्रतिष्ठित नहीं होता है इन्हि अपनी शक्तियों को मदन का ही एक शरण मानता है तथा मदन की व्यवस्था बनाए रखने और उसको सुचारू टंग में चालने के लिए उन शक्तियों का प्रयोग करता है। परन्तु गांधी के दीरान मन्त्रीय परम्पराओं का निर्वाचन करता है जो पाने पाने प्रध्यक्षों ता मार्ग-राजन करती है।

मदन ने खोर से मदेश अध्यक्ष के प्राधिकार में भेजे जाने हैं और उसी के प्राधिकार में प्राप्त होते हैं।¹⁰ मदन द्वारा पारित विधेयकों का प्रमाणीकरण अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है और तत्पश्चात् उनको गाठ्यपति की प्रतुषति के लिए चुन मकता है और किसी भी ऐसे मशोधन को मदन के समक्ष रखने के लिए चुन मकता है जो उसके विचार में तुच्छ हो। मदन द्वारा पारित विधेयक में प्रत्यक्ष अशुद्धियों को अध्यक्ष शुद्ध कर मकता है। वह मदन द्वारा म्वीहृत मशोधनों के प्रतुषप मदन द्वारा पारित विधेयक में परिलामी दर्शवनें कर मकता है। अध्यक्ष होने के नाते, मदन को भेजे गए दस्तावेज़, याचिकाए और मदेश की प्राप्त करता है और वही मदन के मद घारेंगों को कार्यान्वित करता है। वही मदन के निर्णयों ता पनुपालन मन्त्र विधिकारियों में करवाना है।

तोड़ मभा की नभी समरीय ममिनिया अध्यक्ष के नियमणाधीन गांधी इरतो हैं, चाहे वे उमंक द्वारा पठित की गई हो अथवा मदन द्वारा। अध्यक्ष ही उन्हे ममापनियों की नियुक्ति करता है। वह ममिनियों के कार्यकरण के मम्बन्ध में प्रववा उनके द्वारा अपनायी जाने वाले प्रतिया के मामतों में निर्देश जारी करता है।¹¹ यदि कोई प्रतिया मम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता है तो मार्ग-राजन के लिए उसको अध्यक्ष को भेजा जाता है और तनमम्बन्धी उसका निर्णय प्रनिम निर्णय होता है जिसका पनुपालन किया जाता है। वार्य मभगा ममिनि, गामान्य प्रयोजन ममिनि और नियम ममिनि का ममापनि स्वयं अध्यक्ष होता है और वे उनके नेतृत्व में वार्य करती हैं।¹²

दोनों मदनों के मामती मम्बन्धों के मामतों में मविधान के पनुपालन तोक मभा अध्यक्ष को विवेद म्यान दिया गया है। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक घन कियेय (Money Bill) है या नहीं तो उस पर तोक मभा के अध्यक्ष का प्रनिम प्रनिम होता है।¹³ घन कियेय प्रतुषति के लिए गाठ्यपति के समक्ष प्रस्तुत करने ममक अध्यक्ष परन्तु हम्माभर महित यह प्रमाणित करता है कि यह घन कियेय है। किसी कियेय (Bill) पर दोनों मदनों में घमहमति होने पर वह वभी दोनों मदनों की मयुक्त बैठक युआई जाती है तो ऐसी मयुक्त बैठक (Joint

श्रीलंगटु की दब्बालना सोइ मभा प्रधान बनता है और उन्हें बेटड़ के पचासन में श्रविता सम्बन्धी गव नियन उम्हे आदेशों और निर्देशों में लाए होते हैं।¹⁴

धड्डेज का यह दावित होता है कि वह मदस्यों के लिए समुचित सुविधाओं यथा एन्यालय, पाराम, टेलीफोन, बेनव तथा भलों की प्रशादनी, सुखद भवन में जनसान और विश्राम कक्षों, गमलीय पक्कों के मुद्रण और उनकी पूनि की व्यवस्था बते। नोइ मभा का विविकाल्प प्रोटोकॉल को इमारत, प्रधान के निश्चय में होती है। इसका मारा प्रजानन, इन्ड्रेज वे आदेशों में हो जितता है। मसद भवन के परिसर में सुरक्षा प्रबन्धों की व्यवस्था उम्हे अधिकार देते में पाते हैं। प्रधान में विद्यों में दर्जेबों 13 प्रोटोकॉल विवादानामों के प्रयोग हो जितता है। यदि बोई उम्हे निर्देशों को छुलनभू बताता है तो इन्ड्रेज भवन के आदेश के प्रत्यु-मार दर्जेबों को प्राकृद्य दार्दे रखता है। यदि बोई अपनि भवन की प्रवासानना बताते प्रधान विशेषाधिकार भग वर्सेक्युएशनों और प्रधानप करता है और इस प्रारोप के बाराण उसकी सदन के समझ उपस्थिति प्रयोगित हो हो प्रधान उसके नाम ‘नमन’ जरूरी दर्द रखता है। यदि भवन हिसी नसद नदरव या बाहर के किसी घटकि को बारावाम का दर्द देने का प्रस्ताव स्वीकृत करता है तो उम्हे विरुद्ध प्रधान गिरफतारी के बाराट भी जारी बर नहता है।

मसदीय दलों की घटनाकालीन प्रदान बताते के लिए पार्टीहर्फे निदान व्यवस्था निर्धारित करता है और सोइ मभा में विश्वा के किसी दल के नेता को विश्वा के नेता के रूप में कानूनता उसी के द्वारा दी जाती है। इन्होंने भवन द्वारा सदस्यों में त्यादेवत दिये जाने पर प्रधान त्याग-पत्र स्वीकार करने ने पूर्व इस बात का समाधान बताता है कि त्याग-पत्र ब्लैचिटा में दिया गया है और सही है। यदि जाति के पश्चात् यह प्रधान जाता है कि त्याग-पत्र स्वेच्छिक या मसलो (Voluntary or j'oining) नहीं है तो वह ऐसे त्याग-पत्र को स्वीकार नहीं करता।¹⁵

अउनी समस्याके भागाधान के लिए बोई भी सदस्य व्यवस्था को उम्हे कक्ष (Chambres) के जिल मना है। दस-बदल अप्रिनियम (Anti-defection Bill) के कलांगत किसी सदस्य की घनहंडा सुधारी विवाद का निरुद्ध बताने की समूल गति प्रधान को प्राप्त है। उम्हे पूर्व अनुमति से समय निरिक्त बतावे बोई भी सदस्य या मत्रों उम्हे कक्ष में उम्होंनी शिख मना है। प्रधानप के प्रधानाधिकार, उम्होंनी निवासना, योग्यता, बरिज या आचरण पर प्राक्षेप विशेषाधिकार भग (Breach of Privilege) करना समझा जाता है। यह मभा की मन्त्रालया और रक्षा होता है। यह भवन की गरिमा की रक्षा के लिये उम्होंनी मर्कोच्च सम्मान दिया जाना चाहिये। उम्हे द्वारा दिये गये निरुद्ध (Ruling) अनुभित होते हैं परत उनकी सभा में व्यवहार मभा के बाहर आतोबना नहीं की या सकती।

यदि सोइ-मभा का बोई सदस्य किसी दाविक भारोप (Riminal Charges) के आधार पर गिरानार हर निया जाता है या उमे बारावाम का दर्द दिया

जाता है या कार्यपालिका के घाडेश (executive order) के अन्तर्गत बन्दी बना लिया जाता है तो दण्डाधिकारी (Magistrate) या सरकारी अधिकारी को उसकी मूलता तुरत अध्यक्ष को देनी होती है। इसी प्रकार की सूचना मदस्य की रिहाई के समय भी देनी अनिवार्य है। अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी मदस्य को सभा के परिमार (Precincts of the House) में न तो यदी बनाया जा सकता है और न ही फोजदारी या दीवानी (Civil or Criminal) कानून के अन्तर्गत कोई आदेशिका उमे दी जा सकती है।¹⁷

अध्यक्ष सभा में निधन सम्बन्धी उल्लेख (Obituary Reference) करता है, कार्यावधि समाप्त होने पर विदाई स्वयं देता है और साथ ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पटनाधों के सम्बन्ध में घोषचारिक रूप से उल्लेख भी करता है।

अध्यक्ष भारतीय संसदीय ग्रुप (Indian Parliamentary Group) या, जो भारत में भन्तर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह (National forum) के रूप में और राष्ट्र मण्डल गमदीय संघ को मुख्य शास्त्रा के रूप में कार्य करता है, पदेन प्रेजिनेट होता है। वह राज्य-सभा के सभापति के परामर्श से, विदेशों में जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मण्डलों के सदस्य मनोनीत करता है। वह प्राय ऐसे प्रतिनिधि मण्डलों का नेतृत्व स्वयं करता है। अध्यक्ष भारत में विधायी नियायों वे पीठासीन प्रधिकारियों के सम्मेलन का सभापति भी होता है।

अध्यक्ष लोक सभा सचिवालय का प्रमुख होता है जो कि उसके निर्देश और नियन्त्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर सदन के परिसर पर और संसद् भवन सम्पर्दा पर सर्वोच्च प्रधिकार प्राप्त है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोक सभा के महा सचिव की सहायता से करता है।¹⁸

अध्यक्ष की गरिमा और संसदीय प्रणाली में उसके महत्व को देखते हुए, सत्कालीन प्रधान मन्त्री जवाहर लाल नेहरू ने 8 मार्च, 1958 को अध्यक्ष विट्ठल-भाई पटेल के चित्र का अनाधरण करते हुये कहा था;

“अध्यक्ष सभा का प्रतिनिधि है। वह सभा की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है और चूंकि सभा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, अतः एक तरह से अध्यक्ष राष्ट्र की स्वतंत्रता और भाजादी या प्रतीक बन जाता है। अतः यह उचित ही है कि अध्यक्ष का पद सम्मानित पद है। उसकी स्वतंत्र स्थिति है। इस पद पर वही व्यक्ति भासीन होने चाहिये जो प्रसाधारण रूप से योग्य तथा निष्पक्ष हो।”

भारत में अध्यक्ष पद का इतिहास 1921 से मारम्भ होता है। ब्रिटिश संसद की समुक्त समिति ने, जिसे मोटेगु बेमाफोड़ गमिति के नाम से भी जाना जाता है, भारत में संविधानिक मुद्धाओं के बारे में निकारिण की थी जिसके अन्तर्गत बैन्डीय विधान सभा की गई और उस समय के याइसराय ने गर फोटोग्राफ वाट्ट को केन्द्रीय विधान मण्डल का प्रथम अध्यक्ष मनोनीत किया।

24 म्रान्त, 1925 को श्री विट्ठल माई पटेल, प्रथम गंग-मरकारी प्रधान के द्वा रे चुने गये। 20 जनवरी, 1927 को वह पुन निवाचित हुए और 1930 तक प्रधान पर रह रहे। 25 पर्वत, 1930 को उन्होंने परने पद से व्याप-पत्र दे दिया। श्री पटेल को बैन्डीय विधान मण्डल का प्रथम भारतीय और प्रथम निर्वाचित प्रधान होने का थें प्राप्त था।

श्री गणेश बासुदेव मायारार का 1946 में बैन्डीय विधान सभा का प्रेसी-डेट ¹⁹ चुनाव गया। 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति तक वह इस पद पर रहे। 1947 में वह पुन गविधान सभा (विधायी) के एवं गम्भीर में प्रधान चुने गये। जनवरी (1950) को जब भारत को नामन्तर पायित किया गया तो ग्रन्थाधीय गगड़ (Provisional Parliament) की प्रधानमाना का पद श्री मायारार को दिया गया। प्रथम ग्राम चुनावों के दरियामायदाय प्रतित प्रथम लोक सभा में उन्होंने प्रथम प्रधान के रूप में चुना गया।

प्रबन्ध प्रेसी-डेट प्रधान पद गुणालिन रूप से वहने व्यक्तियों के नाम और पदाधिकार इस प्रकार हैं—

इतिहास-पूर्व की अवधि

मर कोहरिक ल्हार्डि	3 फरवरी, 1911	गगड़, 1925
दिल्लीचाई जे पटेल	24 म्रान्त, 1925	28 पर्वत, 1930
मोहम्मद यातूर	9 जुलाई, 1930	31 जुलाई, 1930
द्राहीम रहीमतुल्ला	17 जनवरी, 1931	7 मार्च, 1933
गर गनमुखम चेट्टा	14 मार्च, 1931	31 दिसम्बर, 1934
अन्नुर रहीम	24 जनवरी, 1935	1 मंत्रवृक्ष, 945 ²⁰
गणेश बासुदेव मायारार	24 जनवरी, 1946	14 म्रान्त, 1947 ²¹

हवनत्रका-परचमन की अवधि

गणेश बासुदेव मायारार	17 नवम्बर, 1947	25 जनवरी, 1950
	(मरियाती सभा) (विधायी)	
	26 जनवरी, 1950	17 पर्वत, 1952
	(प्रसारी समद)	
	17 पर्वत, 1952	15 मई, 1952 ²²
	(नोक सभा)	
	15 मई, 1952	27 फावरी, 1956
गवनरेन्स अय्यगर	8 मार्च, 1964	16 पर्वत, 1962
हृष्ण मिह	17 पर्वत, 1962	16 मार्च, 1967
दौल नीलम मज्जीब रेहडी	17 मार्च, 1967	19 जुलाई, 1969
दौल गुरुदयान विह दिल्ली	9 म्रान्त, 1969	1 दिसम्बर, 1975

बलिराम भगत	5 जनवरी, 1976	25 मार्च, 1977
डा० नीलम सजीद रेहंदी	26 मार्च, 1977	13 जुलाई, 1977
के० एम० हेंगडे	21 जुलाई, 1977	21 जनवरी, 1980
डा० बलराम जाघड	22 जनवरी, 1980	18 दिसम्बर, 1989
रवि राय	19 दिसम्बर 1989	

उपाध्यक्ष

1950 में गविधान के लागू होने के बाद से उपाध्यक्ष के पद का महत्व बढ़ गया है, और उसकी स्थिति अधिक प्रमुख हो गई है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष गभा की अध्यक्षता (Preside) करता है। इस प्रकार अध्यक्षता करते हुए उमे वह सभी शक्तिया प्राप्त होती है, जो प्रक्रिया नियमो के अधीन अध्यक्ष को प्राप्त हैं।

उपाध्यक्ष उस बजट समिति का सभापति होता है जो सचिवालय के बजट प्रस्ताव सामान्य बजट में सम्मिलित करने के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाने से पूर्व अनुमोदित करती है। वह अध्यक्ष के अधीन नहीं है, बल्कि उसकी स्वतंत्र स्थिति है और वह केवल सभा के प्रति उत्तरदायी है। जबकि अध्यक्ष लोक सभा का प्रमुख अधिकारी या प्रशासनिक प्रमुख होता है, सचिवालय के अभी अधिकारी एवं कमंचारी उमे की अधीनस्थ कमंचारी होते हैं, किन्तु उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का कनिष्ठ अधिकारी नहीं होता है। वह तो भारत के सविधान के उपचन्द्रो के अधीन पीठासीन उप-अधिकारी (Deputy presiding officer) होता है।

केन्द्रीय विधान सभा के दिनों में, सभा की बैठकों का कम आज की तरह नहीं था। तब बैठक कम अवधि के लिए होती थी पौर वह भी काफी समय के बाद। आजकल लोक सभा की बैठक साल में लगभग सात महीने तक होती है, पौर प्रत्येक बैठक लगभग सात घण्टे तक चलती है। अध्यक्ष के लिए यह ब्यवहार्य नहीं होता है कि वह बैठक के दौरान सारा समय सभा में रहे। उमे अपने बक्ष में अन्य मानवीय मामलों को भी निपटाना होता है। यह अध्यक्ष विशेषतया मध्याह्न पूर्व प्रश्न काल के दौरान पौर उमे के तुरन्त बाद के कठिनाई के समय में पीठासीन रहता है। वैहो के नेतृत्व, सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। यदि वह अनिवार्य गमके तो सभा के किसी मामले को अध्यक्ष के विनियंत्रण के लिए रद्दित रख देता है या स्वयं नियंत्रण देने के पूर्व उमे परामर्श कर सकता है। इसके अनिवार्य जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होतो उपाध्यक्ष को उमे पद के कर्तव्यों का नियंत्रण करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष की स्थिति अध्यक्ष (Speaker) से भिन्न है। उपाध्यक्ष सभा में बोल सकता है, उमकी पर्चाप्रिया में भाग से सकता है, पौर सभा के मामले किसी भी प्रश्न पर किसी अन्य मद्दत की तरह बोट दे सकता है, परन्तु यह काम वह तभी कर

गरता है जबकि प्राचीन ग्रंथों की सम्पादन का गहरा हो। यह उपाध्यक्ष ग्रंथों की प्राचीनता कर रहा हो, उस समय वह तभी बाटु दे सकता है जब हिन्दी विद्या वे ग्रंथों में तथा शिख में ब्राह्मण-ब्राह्मण बाट थाएँ।

उपाध्यक्ष परने दरवाजी ग्रंथकीलि में ग्राम नों ते ग्रन्थों हैं, यान्तु ध्यावाहार से बहु सदन में अपनी निश्चयता बताता रहता है तिए जहां तरह हां गहर विदादार्श (Controversial) मामांडों में ग्राम नों पृष्ठण रखता है।

गणदं व शासी ग्रन्थों की गम्भीर वेदों से लेगते प्राचीन ग्रंथकीलि में तभी इन्हें वीं प्राचीनता उपाध्यक्ष करता है।

उपाध्यक्ष ने पढ़े गए ग्रंथ ब्रह्मण और ग्रामकार्यों भी विविधत हूई हैं, यदा, यदि उपाध्यक्ष इनी रूपसंग गोपनि वा ग्रन्थ सकारी होता है या नियुक्त विद्या जाता है तो वह दरवाजा उन्होंने ग्रंथकीलि में नियुक्त शो जाता है। इसके प्रतिरिक्ष, उपाध्यक्ष के पढ़े के लिए ग्रामान्यतया शिख के लिए ग्रामकी ग्रन्थों की चुना जाता है।

1947 तरह उपाध्यक्ष ही "ग्रामी प्रेसीडेंट" रहा जाता था, जो अकिञ्चन उपाध्यक्ष के पढ़े पर रह है, तो वे उनके नाम और विवारण वीं निविष्या वीं गई हैं इनके बाबता युवं-

1	ग्रामिकानन्द गिर्हा	(3 फरवरी, 1921)
2	गर ऋषमन्तवी जातीशाय	(21 फिल्डर, 1921)
3	दीक्षान बहादुर वीं रामाधारिया (4 फरवरी, 1924)	
4	गर माहात्म्यद पात्रव	(30 जनवरी, 1927)
5	एच एम गोट	(11 जुलाई 1930)
6	जनमुक्त चेटटी	(19 जनवरी, 1931)
7	परम्पुर मातिन लौधरी	(21 मार्च, 1934)
8	परिव चंड दम	(5 फरवरी, 1936)
9	गर सोहम्पद यामीन जा	(5 फरवरी, 1946)

स्वदंत्रता याचात्

1	ग्रन्थनन्तरात्म धर्म धगर	(10 मई, 1952-8 मई, 1956)
2	ग्रन्थदार हरम मिह	(20 मई, 1956-31 मार्च, 1962)
3	इत्यामुति राव	(23 अप्रैल, 1962-3 मार्च, 1967)
4	पार वे लाइनर	(8 मार्च, 1967-1 नवम्बर, 1969)
5	जी जी रवेश	(9 दिसम्बर, 1969-6 जनवरी, 1977)
6	गोड मुमहरि	(1 अप्रैल, 1977-22 अगस्त, 1979)
7	जी लक्ष्मण	(2 फरवरी, 1980-31 दिसम्बर, 1984)
8	गामी दुर्वे	(22 जनवरी, 1985-27 नवम्बर, 1989)

सभापति तालिका (Panel of Chairmen)

ग्राम्यका/उपग्राम्यका के लिए लगातार सात धंटो के लिए मदन की बैठक में उपस्थित रहना सम्भव नहीं हो सकता है। योकि वे तनिक आराम भी करना चाहेंगे, कभी अस्वस्थ हो सकते हैं, उन दोनों को सभा के बाहर भी कुछ काम हो सकते हैं, इस प्रयोजन के लिए ग्राम्यका समयन्यता पर सभा के सदस्यों में से छह सदस्यों को सभापति तालिका (Panel of chairmen) के लिए मनोनीत करता है। इनमें से बोई एक मदस्य ग्राम्यका और उपग्राम्यका की अनुपस्थिति में सभा वी बैठक की अध्यक्षता करता है। मदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करते समय अध्यक्ष सभा वे विभिन्न दलों का ध्यान रखता है और यह भी ध्यान रखता है कि उसमें महिला मदस्य भी हो। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि ग्राम्यका/उपग्राम्यका और सभापति तालिका का कोई भी मदस्य मदन में उपस्थित न हो तो सभापति वे हृषि में कार्य करने के लिए मदन द्वारा मदन का कोई अन्य मदस्य नुन लिया जाता है, और वह तब तक बैठक की अध्यक्षता करता है जब तक कि सभापति तालिका का कोई मदस्य या उपग्राम्यका वीटामीन होने के लिए सदन में नहीं आ जाता।

उपग्राम्यका की तरह सभापति तालिका के मदस्य को भी मदन की बैठक की अध्यक्षता करते गमय वही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो कि ग्राम्यका को प्राप्त हैं। सभापति द्वारा दिए गए विनियंत्रण (Rulings) की आलोचना नहीं हो सकती, वे भी बैठक में ही अन्तिम और अनन्तरारी होते हैं जैसे कि ग्राम्यका द्वारा दिये गये विनियंत्रण होते हैं। महत्वपूर्ण विधयों के मन्त्रन्याय में अधिकृत विनियंत्रण के लिए, सभापति उन विधयों को अध्यक्ष के लिए रक्षित रखता है। वीटामीन सभापति के आचरण की नियंत्रण करना मदन द्वारा ग्राम्यका की अधिकारी (Presiding Officer) द्वारा दिया जाना होता है।

चूंकि सभापति तालिका में मनोनीत (Nominated) मदस्य दोनों पक्षों-मत्तालूड दल (Ruling Party) और विदक्षी दलों में से नियंत्रण करते हैं, अतः सभापति वो सभा को मारी चर्चायों में पूरी तरह में भाग लेने और विवादास्पद विधयों में सेवन मदन के नमस्त द्वारा दाने दाने में सभी विधयों में सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता होती है। वह अपने दल की बैठकों में भाग लेता है और ग्राम्यन्यता दल का सर्विक्षण मदस्य होता है। सभापति तालिका वा मदस्य, मामान्यता इस पद पर एक वर्ष तक रहता है जिन्हें एक ही व्यक्ति को चार-बार भनोनीत किया जा सकता है। अध्यक्ष राजनीतिक दलों के प्रतामर्ग में सभापति तालिका वे मदस्यों का नियन बरता है।
महासचिव (Secretary General)

अध्यक्ष और उपग्राम्यका के बाद मदन का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी महासचिव होता है। मदन के गवानन (Conduct) में इसका दशा प्रहृष्ट योगदान

होता है। गम सदन का प्रमुख सलाहकार वहा जा गवाता है जो समाजीय कृत्या और विद्याकानाओं में और प्रतिष्ठा एवं प्रथा सबधीं भी मामलों में प्रध्यधन और सदस्यों को परामर्श देता है। गदम्य तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद बदलते हैं किन्तु यह सदन वा स्थाई प्रधिकारी होता है जो परिवर्तनशील विभिन्न सदनों और सभ्यता के बीच निरन्तर कड़ी का काम करता है। वह समाजीय प्रथाओं और परम्पराओं (Parliamentary customs & traditions) का रक्खक होता है। उससे यह प्राची की जाती है कि वह प्रतिष्ठा सम्बन्धी नियम, प्रथाओं और परम्पराओं तथा संविधानिक उपचारों का सर्वज्ञता हो। यदि उसे समाजीय मामलों का सर्वज्ञता कहा भी जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में वह पहले के प्रत्येक सदनों, वीठामीन प्रधिकारियों और स्वयं अपने दूर्वाधिकारियों के संचित ज्ञान (accumulated knowledge), विवेक एवं अनुभव का पुज देता है। उसका जीवन समदृष्ट देता है।

महाभिलिप्त के बहु-धारायामो तृतीय है जिनमें विषाइ, प्रभासनिक एवं कायेपासिका सबधीं कृत्यों का निर्वहन और गदम्यों वा नेवाएं और मुविधाएं उपलब्ध करना शामिल है। एन स्पोर यहाँ बहु धारक्षीणा गगठन (Watch of ward organization) और गमद् सम्पद (Parliamentary Estate) के परिमत में सुरक्षा तो सिए गवोक्तव्य प्रभारी प्रधिकारी है तो दूसरी ओर वह समद् अवन, समाजीय सोघ और संसद् की अन्य सम्पत्तियों के रक्षकानाव और सम्मति के लिए उत्तरदायी है। गमसामाजिक संसद् अभिलेखागार (Parliamentary museum & Archives) का मर्क्षण अधिकारी होने के नाते वह समद् की विद्यालय का रक्खक है और सब समाजीय अभिलेखों का परिरक्षक/संसद् ग्रन्थालय शोध, संरक्षण, प्रतेस्तन और सूचना देनाएं भी उसी के अधीन हास्य करती हैं।

विधायी गेवापो और गदन के मन्त्रिवालय का प्रमुख प्रधिकारी होने के नाते, उसके प्रशासन और उसमें अनुगामन बनाए रखने के लिए वह उत्तरदायी है। महासचिव यह सम्मव बनाता है कि सदन और उसकी मन्त्रियों का सचिवीय कायेप्रधिय अनुगाम, दशतापूर्वक एवं सुध्यवस्थित ढंग से हो। इसके लिए वह उन्हें सचिवीय महायता और अपेक्षित कर्मनारी उपलब्ध कराता है प्रोट स्वयं मत्रणा देने के लिए उपनिषद् रहता है। ऐसे में मदस्यों और मन्त्रियों के लिए उसका भूमिका मिथ, विचारक और मार्गन-दर्शक भी होती है। विद्यालय का प्रमुख प्रधिकारी होने के नाते मन्त्रिवाली वक्ता वे और विषयके गदस्य समान रूप में परामर्श के लिए उसके वाम आते हैं और वह विना कियो भेद-भाव के बाहिन जानकारी उपलब्ध कराता है। वह भी उसी प्रकार नियमिता में अपने दायित्व विभाला है जिस प्रकार कि सध्यका। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच एक सुनुन जानकारी विभाला है और नियमित रूप उपलब्ध करा कर सदस्यों का विश्वास अर्जित करता है। इस शोध

वदनती दुनिया में उम्मे अधिकारी की जाती है कि वह पूरी तरह से जागम्बक और सीधे निरांय लेने वाला व्यक्ति हो। साथ ही में उम्मे के लिए संसदीय कायों के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पटना चक्रों की पर्याप्त और नवीनतेन जानकारी रखना और उम्मे उचित रूप में आत्मसात करना भी अपेक्षित है। अत इष्ट है कि महासचिव के पद पर आमीन होने वाले व्यक्ति के लिए प्रतिभावान और संसदीय कायों में निपुण होना अनिवार्य है। उसके लिए एक ही समय में संविधानवेत्ता, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-सचिवालय नियमों का ज्ञान, गदन की प्रथाओं और परिषाटियों का जानकार होना होता है। उम्मे विभिन्न श्रेणियों के अनेक योग्य और विद्वान अधिकारियों की सहायता आवश्यक होती है। कार्य का प्रायोजन इस रीत से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई संसदीय जीवन के किसी विषय विशेष या पहली विशेष सम्बन्धी कार्य कर और उम्मे प्रतिभा वाले कर्मचारी रहे जायें जो तबनीकी तौर पर योग्य हो और जा अपने कर्तव्यों का निवृहन तत्परता और गुणलता के साथ करे। यह दखना महासचिव का कर्तव्य है कि समय-समय पर उत्कृष्ट होने वाले पदों को भरने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को प्राप्तिष्ठित किया जाए और संसदीय काय की कुशलता का एक उच्च स्तर सदा बना रहे। अत सदन के सचिवालय के संगठन का रूप एव स्वस्थ तथा करना महासचिव का पद धारण करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण पर काफ़ी निभर करता है।

महासचिव की नियुक्ति अधिकारी द्वारा वी जाती है। उसे लोक सभा सान्चालय के उत्तर विरप्त अधिकारियों में से चुना जाता है जिन्होंने सचिवालय में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए सदृढ़ वा सेवा में सराहनीय कार्य किया हो। वह महासचिव के पद पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक कार्यरत रहता है। सदन में उसकी आलोचना नहीं की जा सकता। यह केवल अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके लिए सेवा की गुरुकाता तथा स्वतंत्रता प्रदान करन की दृष्टि से मोर इस दृष्टि से पर्याप्त रक्षात्मक उपायों की व्यवस्था को गइ है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वृहन उत्साह, निभीकता, निष्पक्षता तथा न्यायोनित ढंग से और सर्वोच्च जनहित में कर। लोक सभा सचिवालय पूर्णतः पृथक् और अधिकारी के सर्वोच्च नियन्त्रणाधीन है ताकि सदृढ़ वा स्वतंत्र परामर्श मिल सके और इसके निर्देशों को किसी बाहरी हस्तक्षेप या भातरिक दबाव के बिना उचित कार्य रूप दिया जा सके।

नियमों में उल्लिखित गंभीरी कर्तव्यों के अतिरिक्त यहासचिव यहूत से अन्य काम प्रथा और परिषाटी का आधार पर करता है। वह राष्ट्रपति की आरे से सदस्यों को गदन के अधिकारीयों में उपस्थित होने का आमन्त्रण देता है। वह अध्यक्ष वी अनुपस्थित में विषेयकों को प्रमाणित करता है। गदन को गम्भीरित या उगके लिए भेजी गयी याचिकाएँ, दस्तावेज, तथा पत्र प्राप्त करता है। दीर्घांगो (Galleries) में, दर्शकों के (प्रवेश के लिए) प्रवेश-पत्र बारी करता है। अध्यक्ष वी

ओर न गदहयों, भवियों तथा अन्यों के साथ वत्त-वहार करता है। सदन और उमके गचिवालय के बित एव लेनाओं पर नियन्त्रण रखता है। सदन की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का सारांश, संस्थित विवरण तथा शब्दश वृत्तान्त तंयार करवाता है और उन्हे छपवाता है। कायं-मूचियों, बुलेटिन और मस्तिष्मों की सूचनाएं परिचालित करता है। सदन के विचाराधीन विभिन्न दिवसों के सबध में सदस्यों द्वारा वाचित जानकारी उपलब्ध करवाता है। सदस्यों और अन्य लोगों के लिए उपयोगी बहुत सी पत्रिकाओं और अन्य समीय प्रकाशनों (Parliamentary periodicals and publications) का सम्पादन करता है और उन्हे प्रकाशित करवाता है। संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो (Bureau of Parliamentary Studies and Training) का प्रभुत्व होने के नाते, वह नए संसद सदस्यों और राज्य विधान मण्डलों के नए नदस्यों, भारतीय प्रजासत्रिक मेवा, भारतीय विदेश मेवा, और अन्य प्रखिल भारतीय सेवाओं के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए भारत सरकार के वरिष्ठ प्रधिकारियों के लिए, विश्वविद्यालयों के अध्यारकों और देश एव विदेशों से आए समीय प्रधिकारियों के लिए समीय संस्थाओं और प्रोफेशनाओं में अध्ययन पाठ्यक्रम, विचार गोष्ठीयों, प्रशिक्षक एव प्रबोधन कार्यक्रम (Training and refresher courses) इत्यादि आयोजित करता है।

भारतीय समीय दूष (Indian Parliamentary Group) के मार्चिव के नाते, वह राष्ट्र मण्डल मसीदीय सम और अन्तर समीय सम का भारत सभा की गतिविधियों का भी आयोजन करता है। वह समाज प्रतिनीध मण्डलों (Parliamentary delegations) के साथ विदेशों में जाता है। जब राष्ट्रमण्डल प्रध्यायों (Commonwealth Speakers) का दश में सम्मलन (Conference) होता है तो लोक सभा का महासचिव उस सम्मलन का पदन महा सचिव होता है। वह भारत में विद्यार्थी निकायों के पीठामीन अधिकारियों के सम्मलन (Presiding officer conference) के लिए भारत से विभिन्न विद्यान मण्डलों और समीय समितियों के सभापतियों के सम्मेलनों के नए सचिवीय कर्तव्यों के विवरण तंयार करने और सम्मेलनों के आयोजन के लिए उत्तरदायी होता है। संसदीय कायों से भिन्न क्रिया-कलाओं द्वारा विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा सदस्यों के सम्प्राप्त भावणा, स्वागत समारोह, समीय सद्भावना मिशन (Parliamentary goodwill mission) विदेशों में भेजने या विदेशों से भारत आने वाले ऐसे मिशनों का स्वागत करना इत्यादि के लिए भी उत्तरदायों होता है।

महामन्त्रिव के उपरोक्तिवित विम्नुत कर्तव्यों एव दायित्वों के प्रतिरक्त बहुत से अन्य कृत्य भी हैं जिनको वह अध्यक्ष की ओर से और उनके नाम से करता है। वह अध्यक्ष की शक्तियों के प्रयोग तथा हृत्यों के सम्पादन के विषय में अध्यक्ष का गलाहकार है और अध्यक्ष के भाव्यम स वह सभा को भी सलाह देना है। उदाहरणार्थ, प्रस्तावों आदि की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की मनुस्ति देने

या अनुमति न देने के मामले में ग्रध्यता की जिन शक्तियों का प्रयोग महाराज्ञिव करता है, वे प्रत्यायोजित शक्तियाँ नहीं हैं। वास्तव में ग्रध्यता की ये शक्तियाँ प्रत्यायोजित वही नहीं जा सकतीः ये शक्तियाँ केवल ग्रध्यता में निहित हैं और वह इनका प्रयोग कर सकता है। अत महाराज्ञिव द्वारा दिए गए आदेश ग्रध्यता के नाम में दिए गए आदेश हैं और ग्रध्यता उन आदेशों के लिए पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन दोनों में परस्पर एक ग्रदूष विश्वास का सम्बन्ध है जो अलिखित है और अवश्यक है।

राज्य सभा का सभापति

भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदन सभापति (deputy chairman) हाता है वह राज्य सभा के अधिवेशनों की ग्रध्यता करता है। जिस अधिकारी के दोरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या जब वह राष्ट्रपति के कृत्यों का निवारण करता है, उस अधिकारी के दोरान वह राज्य सभा में सभापति पद के कार्यालय का निवारण नहीं करता। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के गदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional representation) पद्धति के अनुसार एकल गक्करणीय मत (Single transferable vote) द्वारा किया जाता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या विसंग राज्य वे विधान मण्डल के किसी सदन वा सदस्य नहीं होता। वह अपना पद यहां करने की तारीख से पांच वर्ष की अधिकारी तक या अपना पद त्याग करने तक या राज्य सभा के ऐसे सकल्य द्वारा अपने पद से हटाय जाने तक जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पाग किया हो और जिससे लोक सभा सहमत हो गई हो, पद धारण करता है।²⁶

राज्य सभा के पीठासीन अधिकारी (Presiding officer) के रूप में और राज्य सभा सचिवालय के प्रमुख के रूप में उसके कृत्य और कार्यालय लगभग यही है जो लोक सभा के अध्यक्ष के हैं।²⁷

उप सभापति

राज्य सभा का उप सभापति (Deputy chairman), सभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है। वह राज्य सभा का सदस्य बने रहने तक या अपना पद त्याग करने तक या राज्य सभा में ऐसे सकल्य द्वारा अपने पद से हटाये जाने तक जिसे राज्य सभा के सदस्यों के बहुमत ने पाग किया हो, पद धारण करता है।

राज्य सभा के पीठासीन अधिकारी (Presiding officer) वे रूप में उपसभापति सभी प्रकार में उन्हीं कार्यालयों, हृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करता है जैसे कि लोक सभा वा उपाध्यक्ष करता है।²⁸

समाप्ति तात्त्विका और महामौजूद

समाप्ति और उपसमाप्ति को अनुभविति में अधिकारत के दोगल सदन की बेंडक की प्रथाकाना करने के लिए राज्य सभा का समाप्ति सभा के सदस्यों में सदस्यों की एक नालिका (Parel) बनाता है ; नालिका में में एक सदस्य समाप्ति और उपसमाप्ति को अनुभविति में राज्य सभा की बेंडक का प्रथाकाना करता है । नालिका के सदस्यों को वार्डमेंट में चुना जाता है । राज्य सभा का वार्डमेंट में और महामौजूद राज्य सभा के ग्रन्थालय में नवमंग उन्हीं हृन्दों और कठंधों का पालन करते हैं जिनका पालन लाइ भजा के सदध ममाप्ति नालिका के सदस्य और महामौजूद बरतते हैं ।

संदर्भ

1. प्रनु. 64, 89, प्रोट 94 | नियम ५
2. प्रनु. 94, 96, 100 (1) या अ 11 (३) (ब)
3. यही एक भाजीव रहको है जो प्रदृश्वर हूँदा है (1967-69 के दोगल) जिन्होंने दोपने इन में पद द्वारा किया था ।
4. इस क्षितिये पर चर्चा के लिए देलिए गुप्ताय राज्यप, अध्ययन की भूमिका, लोकतंत्र समीक्षा, त्रिलोकी, मिलम्बग, 1969 (प्रब 3) साविकानिक तथा समदीप अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली
5. नियम 389
6. नियम 378
7. नियम 350
8. नियम 353, 356 और 380
9. नियम 222 और 225
10. नियम 23, 246 और 247, प्रनु. 80 (2)
11. नियम 258 और 283
12. नियम 287, 331 और परिगणि २
13. अनु. 110, नियम 96 (2)
14. प्रनु. 108 और 118 (4) देखिए नगद के सदन (ग्रन्थालय बेंडकों तथा पत्राचार) नियम
15. नियम 386
16. प्रनु. 101 (3)

- 17 नियम 229-232
- 18 अनु ९८ और निदेश १२४ और १२४ क
- 19 १९४७ तक अध्यक्ष को प्रे-जीडेट कहा जाता था।
- 20 पांचवीं विधान सभा की कार्यावधि १९३५ से ४-२-१९४५ तक थी।
- 21 छठी केन्द्रीय विधान सभा १४ अगस्त, १९४७ के पश्चात् अस्तित्व में नहीं रही और भारतीय सांवद्यान सभा को, जो ९-१२-१९४६ से कार्यंगत थी, देश के विधान मण्डल के रूप में कार्यं करने का अधिकार दिया गया।
- 22 प्रस्थायी समाद १७-४-१९५२ को अस्तित्व में नहीं रही। राष्ट्रपति ने श्री मावलकर को ऐसे समय तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया जब तक कि प्रथम सोक सभा का प्रथम प्रध्यक्ष विधिवत् चुन लिया नहीं जाता।
- 23 अनु ९३-९५, नियम १०
- 24 सभा की कार्यावधि युद्ध प्रादि के बारण त्रु कि गमय-गमय पर १९४५ तक बढ़ाई जाती रही अत श्री दत्त लगभग दम दर्यों तक पद पर बने रहे।
- 25 नियम ९ और १०
- 26 अनु ६४,६६,६७ और ८९
- 27 अनु ८९-९१

□□

प्रश्न प्रक्रिया

प्रश्नों के प्रकार, ग्राह्यता के नियम, आधे घंटे की चर्चा और “शून्य” काल

प्रश्न को एक महाद्वारां भूमिका प्रश्नामत पर निश्चयी होता है। इस दायित्व के निवाहने के लिए सभादीप्र प्रश्न पर ध्येयता पाइया जाता है। सभादीप्र नोकृतव की प्रश्नामती वाले प्रश्न इस में दूसरे सामग्रीम का प्रश्नाम हिया जाता है। प्रश्नों सर बात के माध्यम से इस विवेदिका नियमित समद के तात्पुरता है। प्रश्ने प्रतिनिधि के पाठ्याम से समद के दरमाने पर जावार प्रश्नों गुहार करता है, प्रथमी विकायने रमता है। इस प्रवार मरकार प्रथमी प्रत्येक भूक-नुक के निए गमद के प्रति घोर समद के द्वारा लाए जे प्रति उनकरायी होती है। सदमणो द्वो मम्बनियन मन्त्रियों के विभेद विचाराविकार में याने वाले सार्वजनिक मद्दत्व के सामलों के बारे में मूलभाव प्राप्त करने हेतु प्रश्न पूछना वा अधिकार है। यत प्रश्नामत से जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक गंग-मरकारी मद्दत्य का प्रत्यनिधित्व एवं निवाधि नसदीय अधिकार है। प्रथमे इस उल्लंघनाविकार के निर्वहन के लिए मद्दत्य मरकार के प्रत्येक विषया वस्त्राप (Acuity) पर देनी चाहिए रमता है और किसी भी ऐसे सबसर में नहीं चुकता जो उनहित हो प्रभावित करने वाला हा। इस स्थान हो जाता है कि मद्दत्य द्वारा प्रश्न पूछने का मूल उद्देश्य जनहित के किसी सामने के बारे में जानकारी प्राप्त करना घोर तदमम्बन्धों तथ्य जानना है। इसमे प्रश्नों का व्याप्ति दोष बढ़ जाता है। इनकी वरिधि में सरकार द्वारा प्राप्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नोनियों का कार्यान्वयन (Implementation of National & Inter-National Policies) धन-विधेयक (Money Bill), कटीनी प्रताव (Cut-motions), यहाँ तक कि प्रश्नामत के समझा गमी पहुंचों की छानबीन या जाती है।

प्रश्नों के उत्तर वेवल सदन में दिये जाते हैं। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठके पहुंचे घटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर प्राप्त किये जाते हैं।

उसे "प्रश्न काल" (Question hour) कहा जाता है। इस काल के दौरान गमद सदस्य सर्वंगाधारण महत्व के विषयों के बारे में प्रश्न पूछते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। वही विसी स्थान पर किसी सरकारी अधिकारी ने जनता के साथ दृश्यव्याखार विधा, सरकारी आदेशों या नीतियों का पालन नहीं किया, भव्याचार किया या जन जीवन को किसी प्रबार की तरि पहुँचाई तो वह प्रश्न के रूप में मन्त्री के सामने आ जाता है और मन्त्री का उत्तर देना पड़ता है। उस सम्बन्ध में जो पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए तैयार होना पड़ता है। इस प्रबार अधिकारी भी सचेत हो जाते हैं। अत प्रश्नों द्वारा मपुरां प्रशासन में क्रियात्मक सचार होना है। विभागों की वृद्धिया मन्त्रियों की जानकारी में आती है और अधिकारी उनका नियाकरण करके अपने कार्यकरण में मुधार करते हैं।

सराद् में प्रश्नकाल के माध्यम से मौद्ये वही हुई बात का प्रभाव पड़ता है। वह समाचार पत्रों में दर्शती है और उसका व्यापक प्रभाव होता है। अत प्रश्न काल गमद की कार्यवाहियों का सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इसमें क्या जनता-जनादेन, क्या पश्चात्र और क्या स्वयं सदस्य, गभीर दिलचस्पी रखते हैं। वहने का तात्पर्य है कि प्रश्नकाल एक ऐसा अवसर है जिसमें गमद सदस्य वो अपनी कुशलता, अपनी जागरूकता और अपनी प्रातभा एवं विषय की पकड़ की प्रदर्शित करने का और हाजिर-जवाबी का मौद्या मिलता है। विचारणीय विषय की गम्भीरता में कभी-कभी सदन में तनाव और कठु तकनी-वितर्क उत्पन्न हो जाता है और कई सदस्य अपनी विनोद-प्रियतामूर्ति ऐसे तनावपूर्ण बातावरण में हँसी पेंदा कर देते हैं जिससे बातावरण प्रफूल्ल हा जाता है और इससे प्रश्नकाल में जान पढ़ जाती है। प्रश्न काल का महत्व इससे भी पता चलता है कि सदन में न केवल सदस्य बड़ी सह्या में उपस्थित होते हैं बल्कि दर्शक एवं प्रेस दीर्घाएं भी गमदाच भरी होती हैं।

प्रश्नों के प्रकार

प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं। (एक) ताराकित (Starred) प्रश्न, (दो) अताराकित प्रश्न (Un-starred), और (तीन) अल्प-मूल्यना प्रश्न (Short-Notice Question)। सामान्यत प्रश्न मन्त्रियों अर्थात् सरकारी सदस्यों में पूछे जाते हैं। कभी-कभी इनको गंग-गरकारी सदस्यों से पूछा जा सकता है वर्तमें कि इनका विषय किसी ऐसे विधेयक, गंकल्प या अन्य किसी विषय से गम्भीरता हो, जिसके लिए वे सदस्य जिम्मेदार हों।

ताराकित प्रश्न (Starred Questions)

सदन में सदस्य जिस प्रश्न का मोमिन उत्तर (Oral Answer) आहता है वह ताराकित प्रश्न होता है। ऐसे प्रश्न के उत्तर के पश्चात् मदस्यों द्वारा तत्त्वाधी अनुपूरक प्रश्न (Supplementary-questions) भी पूछे जा सकते हैं। ताराकित प्रश्न का समान है कि यदस्य उस पर ताराक लगाकर उम्हों विजेताकित करता

है। इन प्रकार विभेद न किये जाने से वह निश्चित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में रख दिया जाता है।²

अनारकित प्रश्न (Un-Staffed Questions)

मध्यम जिन प्रश्नों का निश्चित उत्तर चाहते हैं, वे अतिराकित प्रश्न कहलाते हैं। उनको तरे का चिन्ह समाचार विभेदाकित नहीं किया जाता। सदन में इसका मौजिक उत्तर नहीं दिया जाता और न ही इस पर बोई प्रत्युपरक्ष प्रश्न पूछे जाते हैं।³

अल्प सूचना प्रश्न (Short-Notice Question)

विना पूर्व सूचना के सदन में प्रश्न पूछे जाने पर अनियामित के सदस्य सतोपत्रक उत्तर देने की स्थिति में नहीं होते और इस प्रकार प्रश्न पूछने का उद्देश्य भी निटल हा जाता है। विभिन्न स्तरों से गठन जानकारी तकातित करने और सदन में मन्त्री द्वारा दिये जाने के लिए मुख्यस्त उत्तर तैयार करने के लिए सम्बद्ध विभाग को कुछ समय की प्रावधानता होती है। इसी प्रक्रिया को सुवधारन करने के लिए दोनों सदनों में कार्य-समाचारन तथा प्रक्रिया नियमों में उपबन्ध किया गया है। इसी होई मध्यम प्रश्न की सूचना सम्बद्ध सदन के महासचिव को दे सकता है। जिस नियम द्वारा प्रश्न का उत्तर मांगा जाता उस नियम से ऐसी सूचना कम से कम दो दिन पूर्व और प्रधिकरण द्वारा दित पूर्व दी जानी चाहिये।⁴

पञ्च सूचना प्रश्न किसी अविच्छिन्नीय लोक महत्व के विषय (Matter of Urgent Public Interest) में मद्दित होता है और इसके मामाले प्रश्न पूछने के लिए निर्धारित दो दिन की प्रवधि में इस की सूचना देवर पूछा जा सकता है।⁵ मध्यम की प्रत्यनि सूचना पर प्रश्न पूछने के बारेहु संशोधन में बनाने पड़ते हैं।

प्रध्याख्य द्वारा प्रश्न की अविच्छिन्नीयता (Urgency) स्वीकार कर निये जाने पर सम्बद्ध मन्त्री में पूछा जाता है कि क्या वह अल्प सूचना पर इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में है या नहीं और यदि है तो दिन नियम को?

यदि मन्त्री आप सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहमत नहीं होता और प्रध्याख्य समाचारनि की दहराय हो कि प्रश्न इन्हें लोक-महत्व (Public Importance) का है तो सदन में उपका मौजिक उत्तर (Oral Answer) दिया जाना चाहिए तो वह निर्देश दे सकता है कि प्रश्न उस दिन की प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के स्थाने में रख दिया जाए। जिस दिन वह प्रश्न कम से कम पूरे दिन इन की शर्त पूरी करते पर रखा जा सकता है। जिसी एक दिन की प्रश्न-सूची में तोगा केवल एक ही प्रश्न रखा जाता है।

प्रश्न कैसे पूछीत दिये जाते हैं

प्रश्न जानकारी प्राप्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें जनता जनादेन-समाचार-पत्र और गद्दाय गहरी इतिहासी नेते हैं और इनमें माध्यम से उप-

लग्य जानकारी का व्यापक प्रभाव होता है यह मानविक ही है कि इनकी ग्राह्यता में पूर्व उनकी पूरी द्वावीन की जाए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी गलत जानकारी के आधार पर प्रश्न पूछ निए जायें जिनमें गलत निष्कर्ष निकाले गये हों, परिणामस्वरूप मरकार को या किसी व्यक्ति को, उसकी गरकारी या निजी हैमियत से, अनावश्यक प्रेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में बचने के लिए दोनों मदनों के नियमों में कुछ गते निर्धारित की गई हैं जिनके प्रनामार प्रश्न गहीत किये जाते हैं।¹⁶ ऐसे ग्रारोपात्मक प्रश्न, जिनके कथन की गृहना की जांच न की गई हों और जो किसी वर्ग या सम्पदा के बारे में न होंकर किसी व्यक्ति के बारे में हो तो गामान्यतया गहीत नहीं किये जाते हैं वयोंकि एक बार विजेष स्पष्ट से कोई ग्रारोप लगा दिया जाय तो वह प्रमाणित होगा या कि नहीं, उसका ऐसा प्रभाव होता है, जिसे दूर नहीं किया जा सकता। ऐसा विजेष स्पष्ट में तब होता है जब कि जिन व्यक्तियों के विचार आरोप लगाये जाते हैं, उनको मदन के गमधा भाकर प्रश्नी स्थिति पर प्रकाश डालने का कोई अवसर नहीं मिलता। ऐसे प्रश्नों को गृहीत करने से पूर्व तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए सम्बद्ध मत्तालयों विभागों को भेजा जा सकता है और प्रश्न में लगाये गये ग्रारोप के समर्थन में सदस्य में तथ्यात्मक सामग्री भी मांगी जा सकती है।

जिन मामलों में जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है अद्यता जो राज्य के क्षेत्र में आने हों गृहीत कही किये जाते। ऐसे प्रश्न जिनका विषय किसी न्यायालय के गमधा अद्यता विधि के अधीन बनाये गये हिस्पी धन्य न्यायाधिकरण या निकाय के गमधा विचाराधीन हों या किसी ग्रामीय मिति के विचाराधीन हों, गृहीत नहीं किये जाते हैं। जिन देशों के माय भारत के सेवी मध्य हैं, उनके बारे में अशिष्ट-तापूर्ण उल्लेख वाले प्रश्न गृहीत नहीं किये जाते। परन्तु यदि कोई प्रश्न उच्च पद वाले किसी व्यक्ति के बारे में हो या उसके द्वारा मिद्दान्त या नीति का कोई महत्व-पूर्ण सामना जनहित में उठाया गया हो तो उसे गृहीत किया जा सकता है। राज्यों से मवधित ऐसे मामलों पर प्रश्न स्वीकार नहीं किये जाते जिनके निए भारत सरकार जिम्मेदार न हो। ऐसे प्रश्न, जिनमें तर्हं प्रनुभान प्रथा मानदृष्टिं वारक कथन हों या किसी व्यक्ति के शामिल या सावेजनिक हैमियत को छोड़कर प्रध्यया चरित्र प्रथा धाचरण का उल्लेख हो, स्वीकार नहीं किये जाते और ऐसे प्रश्न ही गृहीत नहीं किये जाते जिनमें जानकारी मानने वी बजाए जानकारी दी गयी हो।

बास्तव में प्रश्नों को स्वीकार करना प्रथा अस्वीकार करना। नियमाधीन प्रध्यया के क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) पर निमंत्र करना है। प्रध्यया चाहे तो कोई वारण बताए विना किसी प्रश्न को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार (reject) कर सकता है योर उमरी जति रे दग प्रयोग पर कोई प्राप्ति नहीं थी जा सकती।

नियमानुसार प्रश्नों का वर्गीकरण नागरिक या भ्रारास्ति स्पष्ट में किया जाता है। ऐसे प्रश्नों को घनाराबिन घोली में रखा जाता है जिनमें जानकारी धारदों में मांगी

गई हो या जो स्वास्थ्यीय रुचि के सामना से मबहित हो या जो दिन-दिनिदिन के प्रशासन में मबहित हों। इनमें फिल्म, ताराकिंत्र प्रग्नों की थेटी में वे प्रश्न आते हैं जिनका विषय लाक महान्तर का हो और जिन दर मनुष्यक प्रग्न पूछ जाने की सभावना हो। किसी प्रग्न का मौजिक उत्तर के लिए रखे या लिखित उत्तर के लिए, पहले बात मन्त्रकार के विवेकाविहार दर निम्ने रूप हैं।⁹

प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों द्वारा उनमें सुन्दरित नमस्त्रीय प्रशास्त्रों के प्रत्युत्ता को जाने वाली क्रमों की सूचनाएँ हैं, जिनके दिन की प्रश्न मूर्चों में, यदान्तिष्ठिति, पौष्टिक या लिखित उत्तर है यिन गमा जाता है। योई भी मनुष्य किसी दिन विशेष के लिए जिनके प्रश्नों की सूचनाएँ (Nouvelles) देता चाहे देशका है, परन्तु किसी एक दिन के लिए उमड़े ताराकिंत्र विद्या यातागारित प्रग्नों का लिनाकर प्रश्न सूचियाँ (Questions)। यहाँ में उमड़े नाम से रखे जाने वाले प्रश्नों की कुल संख्या पात्र में प्रत्यक्ष नहीं होती महानी। उमड़े अनियित एक दिन में एक ही सदस्य के राज्य मध्या में प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष नीत ताराकिंत्र प्रश्न द्वारा लोक मध्या में प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष एक ताराकिंत्र प्रश्न द्वारा किया जा सकता है। किसी एक दिन की ताराकिंत्र प्रश्न मूर्चों में प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष कुल 20 प्रश्न होते हैं। लोक मध्या में किसी एक दिन की यातागारित प्रश्न मूर्चों में प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष 230 प्रश्न होते हैं। राज्य सम्मा में गोमी कोई मीमा नहीं है परन्तु सामान्यविद्या किसी एक दिन की यातागारित प्रश्न मूर्चों में 200 से ज्यादा होते हैं।

लोक मध्या के मध्य की बैठकों की विदियाँ विर्गारित किये जाने के कुरान बाद, याताग यातार के विभिन्न दशाविदों द्वारा दिमातों में सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर देने हेतु उत्तरकार्य दिनों का घावंडन किया जाता है। उन शब्दोंवाले के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विभागों की वार्ता घरों घर्साह एवं बीमारी द्वारा दिया जाता है और एक मन्त्रालय के द्वारा याताग यातार मोन्डार यातागवार बुद्धार, गुरुवार और शुक्रवार को प्रश्नों के उत्तर के लिए मन्त्रालयों के इन वर्षों के लिए इन नियमों के लिए गये हैं। मन्त्रालयों का वर्षों में विभावन इस इह में किया जाता है कि एक दिन ही मन्त्रालयविभाग का लोक मध्या द्वारा याताग मध्या में एक ही दिन लिखित न हो ताकि प्रत्रियों को प्रत्यक्ष उत्तर देने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। प्रश्न पूछने के लिए लिखारित लिपि में कम से कम याताग दिन पृष्ठन अन्तिम तरफ से गुहार प्रश्नों की मूर्ची मन्त्रालयों को भेज दी जाती है काले उनमें उत्तर के लिए याताग दिन से किए मन्त्रालयों को पर्याप्त मध्यार प्रिय मात्रे।¹⁰

प्रश्न लिख प्रश्न एवं पूछने करने हैं

मौजिक उत्तर के लिए गुहारी प्रश्न अन्यथा या समारहि द्वारा, यथास्त्रिति, उसी तरफ से पूछारे जाने हैं जिसे वे लिख के प्रश्न मूर्चों में रखे गये हों। अन्यथा मध्याधिति वारी-वारी से प्राप्तेह उग्र सदस्य की गुहारता है जिसके ताम से कोई प्रश्न

मौखिक उत्तर के निए प्रश्नों की सूची में हो। जिस मदाय को इस प्रकार पुछागे गया हो वह प्रपने रथान पर उठता है और प्रश्न सूची में दी गई सूची पढ़कर न कि प्रश्न का पाठ पढ़कर, प्रश्न पूछना है।¹¹ तत्पश्चात् मधी प्रश्न का उत्तर देता है।

प्रश्न बाल के दोगन किमी प्रश्न या किमी प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में चर्चा की अनुमति नहीं हांगती। परन्तु सदस्य मौखिक प्रश्न के दिये गये उत्तर मधी किमी तथ्य के अध्येतर पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए अनुपूरक प्रश्न (Supplementary Question) पूछ सकता है।¹² जिस गदस्य वे नाम से ताराकित प्रश्न दर्ज होता है वह दो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है। तत्पश्चात्, पीटासीन अधिकारी (Presiding officer) अन्य मदस्यों दो अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कह सकता है और तामान्यतया वह एक अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए सत्ता पद्धि के सदस्य को और दूसरा प्रश्न पूछने के लिए विषय के मदस्य को पुकारता है। इस पर प्रश्न के महत्व को देखते हुए ममुचित गरया में अनुपूरक प्रश्नों की पूछने की अनुमति देवर और मदन वे नव पद्धों के मदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देकर पीटासीन अधिकारी इस अनुठे गमदीय उपाय की बुशबता मुनिश्वत करता है। इसके अतिरिक्त, प्रश्न बाल के सीमित गमय में, उसका यह प्रयास रहता है यि यदानभय अधिक में अधिक प्रश्न पूछे जा सके। प्रश्न काल में अधिक से अधिक मौखिक प्रश्नों के इनर दिलाने के लिए यद्यधि गा यह प्रयास रहता है कि किमी ताराकित प्रश्न पर तामान्यतया आट मिनट ने अधिक गमय न लिया जाए। जबकि यदि ६० मिनटों में २० प्रश्न लिया जाने हों तो एक प्रश्न पर घोसतन सीन मिनट से अधिक गमय नहीं लगना चाहिए। यदि यद्यधि/समाप्ति यह महगूस करता है कि मामले पर पर्याप्त रूप से बात हो नुकी है तो वह उस सदस्य का नाम पुकारता है जिसके नाम में सूची में अन्य प्रश्न दर्ज हो। यह गिलमिना १२ बजे दोपहर तक चलता रहता है।

गैर-सरकारी सदस्यों (Private members) से पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न का विषय, यदि किसी ऐसे विधेयक, संकल्प अथवा समां के कार्य में अन्य विषय से संबंधित हो, जिसके लिये कोई गैर-सरकारी सदस्य उत्तरदायी रहा हो तो प्रश्न किसी अन्य गैर-सरकारी सदस्य से भी पूछा जा सकता है।¹³ ऐसे प्रश्न लोक सभा में शायद ही कभी पूछे जाते हैं। गैर-सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर अनुचूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। कोई घटपन्नूचता प्रश्न भी किसी गैर-सरकारी गदरस्य से नहीं पूछा जा सकता।

आधे घण्टे की चर्चा (Half-an-hour-Question)

सदस्य, प्रतियों से प्रश्न पूछ कर लोक गहरत्व के किसी विषय पर सरकार में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। वे किसी ऐसे विषय पर लोक सभा में आधे घण्टे की चर्चा उठाने की पूर्व सूचना दे सकते हैं, जिस पर कि हाल ही में विही प्रश्न का सोचिक या लिखित उत्तर दिया गया हो। और जिसमें किसी तथ्य के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। लोक सभा में आधे घण्टे को चर्चा सामान्यत सृष्टान् में तीन दिन अधिक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होती है और किसी बैठक के अन्तिम आधे घण्टे में की जा सकती है। राज्य सभा में ऐसी चर्चा संभाप्ति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किसी दिन सामान्यतया 5 बजे मप से 9:30 तक की जा सकती है।¹⁴

जो सदस्य आधे घण्टे की चर्चा उठाना चाहता हो उसे उस दिन में, जिस दिन कि वह उस विषय को उठाना चाहता है, तीन दिन पहले, लिखित रूप में सूचना देनी होती है। इसी प्रकार की सूचना के साथ सदस्य को उन विषयों का भी गोप्य में उल्लेख करना चाहिए जिनके बारे में वह और अधिक स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता है। किसी दिन की बैठक के लिए आधे घण्टे की चर्चा की बैठक एक सूचना रखी जाती है। इसके परिरक्षा, लोक सभा में एक सम्पादन में किसी एक सदस्य के नाम से केवल एक चर्चा रखी जाती है और कोई सदस्य एक ही अधिकारण (Session) में दो से अधिक चर्चाएँ नहीं उठा सकता। प्रत्येक मामले में अध्यक्ष/ममापति यह फैसला करता है कि क्या चर्चाएँ के लिए रखा जाने वाला विषय लोक महात्व का है या नहीं, और क्या किसी तथ्यात्मक पहलू के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

चर्चा प्रारम्भ करने की प्रक्रिया (Procedure) यह है कि जिस सदस्य ने चर्चा की शुर्व सूचना दी हो उसके द्वारा अपनी बात रहे जाने के पश्चात् अधिक से अधिक चार अन्य सदस्य, जिन्होंने इस आवश्य की शुर्व सूचना दी हो, किसी तथ्यात्मक बात के अप्रत्यक्ष स्पष्टीकरण के प्रयोजन से एक-एक प्रश्न पूछ सकते हैं। तत्पश्चात्, अन्त में, अवधित मंत्री चर्चा का उत्तर देता है।

प्रश्न-काल का मूल्यांकन

प्रश्नों का उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना होता है और इनके व्याप्ति क्षेत्र में भारत के किसी भी भाग में व्याप्त किसी भी विषय पर चर्चा शामिल भी जा सकती है। बहुत में प्रश्नों का विज्ञेयण करने पर पता चलता है कि प्रश्नकर्ता मदस्य को मवधित मंत्री महोदय से प्रश्नाधीन विषय के बारे में अधिक जानकारी है जिसमें प्रतीत होता है कि प्रश्न के माध्यम से जानकारी प्राप्त किये जाने की अपेक्षा जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार के प्रश्न राजनीति से प्रेरित होते हैं जिनका उद्देश्य प्रशासन को परेशानी में डालना अथवा उस पर दबाव डालकर किसी काम को करने के बारे में बचनबद्ध करना अथवा सरकार की कमियों पर में पर्दा उठाना हो सकता है।

प्रश्न-काल एक और जहां सदस्यों द्वारा नागरिकों की बहुत सी शिकायतों को सरकार के सम्मुख शक्तिगाती ढग में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है वही दूसरी और इन प्रश्नों के द्वारा सरकार की गतिविधियों और कार्यक्रमों, इसकी नीतियों और विभिन्न मामलों पर उसके दृष्टिकोण और प्रशासन के कार्यकरण के ढग में लोग अवगत होते हैं। प्रश्नों से दो प्रकार की भूमिका अदा होती है। इन में प्रशासन को पता चलता है कि उनके कार्यकरण में कहा यूटिया है। उन पर इनमें रोक लगती है और माथ ही में मत्रियों को जोकि राजनीतिक नेता होने के कारण कार्यपालिका से मवधित दायित्वों के साथ अन्य व्यस्तताएँ भी निवाहते हैं, प्रश्नों ने माध्यम में यह जानने में सहायता मिलती है कि उनके नियंत्रणाधीन विभागों में क्या हो रहा है, कहा कमिया है, उनके द्वारा कार्यान्वित नीतियों का जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार प्रश्न काल जनता की शिकायतों को उठाने और सरकारी की यूटियों को उजागर करने का एक मशक्त माध्यम है।

प्रथम लोक सभा में मात्री लोक सभा के प्रश्नों मवधित आकड़ों का विश्लेषण करने में पता चलता है कि मंसदीय प्रक्रिया की अन्य विधाओं की तुलना में प्रभनोत्तर कानून मदस्यों में अधिक प्रिय हुआ है और उत्तरोत्तर इसके प्रयोग में वृद्धि हुई है। नीचे सारणी में प्रत्येक लोक सभा में गृहीत विए गए प्रश्नों, जिनके कि उत्तर दिए गए, दर्शाए गए हैं जिनसे इनके प्रयोग में उत्तरोत्तर हुई वृद्धि वा पता चलता है।

मार्गी (Table)

प्रधित	मव अंगियों के गृहीत प्रश्नों की गव्या
प्रथम लोक सभा (1952-57)	43, 725
दूसरी लोक सभा (1957-62)	24, 631
तीसरी लोक सभा (1962-66)	56, 355

खोली सोने का मामा (1967-70)	91, 538
पांचवीं सोने का मामा (1970-76)	98, 606
छठी तोड़ा का मामा (1977-79)	50 144 (दो बयों के प्राप्त)
गातवीं सोने का मामा (1980-84)	1, 02, 927
आठवीं तोड़ा का मामा (1985-89)	98, 390.

प्रश्न तोड़ा का मामा में गृहीत प्रश्नों की कुल संख्या 43,725 थी जो प्राचीवीं तोड़ा का मामा में बढ़ा 98, 390 हो गई। यह भी देखा याहो है कि प्रश्निकेशनों के दोगुने भारी मात्रा में प्रश्नों की गृहतावें प्राप्त होती हैं उनमें से एकत्र 50 से 70 प्रश्निकेशन ही गृहीत हिये जाते 2 परम्परा गतियों व लालिक विषयों जाने वाले तारागति और धरारागति प्रश्नों की निर्धारित सौमा के बाग्य बजट प्रश्निकेशन में है इन 13 प्रश्निकेशनों में भारतगत तथा शब्दसंबोधित प्रश्निकेशनों में 30 से 45 प्रतिशत प्रश्न वास्तव में मूर्चियों में संविस्तित हो जाते हैं। यहाँ बेतउ का प्राप्त होने वाली प्रश्नों की सूचनायों की प्रोसेस संख्या 600 है बेतउ ही है।

तीव्र वापर (Hyper), मूदहा राण (Mudha), मायति लाइसेंस काप्ट (Capt) और हात ही का इस्पातन के सौभाग्यों जान का मायला और बनस्पति घी में गाय को चर्बी पिलाने का मायला कुएँ तथा उदाहरण है जो प्रश्नों के गायध्यम से उडार याहे घोर जिनसे प्रश्ना म आते पर बाय हाकर गरकार वो जात्व करनी पड़ती है। इसका प्रश्न बात वो उपायविका मिल होती है और वह जलता है कि सम-दीर्घ प्रश्निया में यह वितना मरम्मत मायपद है।

गूँथ काल (जीरो आवर, Zero hour)

"गूँथ काल" प्रश्नों "जीरो आवर" की शुरुआति 1960 और 1970 की दशाओंही की देत है। उक्त दशाओंके प्रारम्भिक काल में विभीं समय संधाचारा में विना पूर्व गूँथना वे अदिवस्त्वनीय तोड़ा का महत्व के विषय हो उठाने की प्रथा का नामांकण "गूँथ काल" किया जाता। वेंग दिवसों में "गूँथ करते" का कोई उल्लेख नहीं विलगता। गमद के दोनों गद्दों में प्रश्न काल वे तत्काल बाद वा गमय "गूँथ काल" प्रश्नों "जीरो आवर" के नाम से जाना जाता है। वयोहि प्रश्न काल की समाप्ति 12 बजे होती है और 12 बजे दोपहर का समय न सो मध्याह्न पूर्व का गमय होता है और क ही मध्याह्न उच्चात् वा प्रथा "गूँथ काल" होता। गाय गूँथ काल पूरे एक घण्टे तक, अर्थात् 12 बजे से 1 बजे गड़पाल गरजात् गद्दों के गधाहूं भोजन के लिए स्थगित होने ना चलता था। इस बारण द्वारा "प्रावर" भी बहा गया परम्परा आजकल यह मायाग्यतया प्रथिक तो प्रथिक 5 से 15 मिनट तक चलता है। "गूँथ काल" में यह कि विना पूर्व गूँथना वे अदिवस्त्वनीय महत्व का कोई भी मायला उकाया जा सकता है। अत गरकार वो इसकी बोई जातारारी नहीं होती कि अब विषय तरह का आइसला होगा। प्रश्न प्रगत के सत्वान बाद मदरप्रगत तेसे मायले उठाने के लिए घड़े हो जाते हैं जो उनकी रथ

में अविलम्बनीय महत्व के हैं और जिनके बारे में कार्यवाही करने में देरी नहीं की जा सकती। इससे एक और सदस्यों की जागरूकता प्रदर्शित होती है और दूसरी और सरकार परिस्थिति से निपटने की तत्परता दिखाती है। चूंकि इस प्रकार के मामले उठाने के बारे में नियमों में कोई उपबन्ध नहीं है। अतः "शून्य काल" नियमों के प्रतिबन्ध तोड़ कर बना प्रतीत होता है। सदस्यों ने राष्ट्रीय महत्व के मामले अधिकार लोगों की गम्भीर शिकायतों मवधी मामले सदन में उठाने के लिए नियमों को बाधक माना है और उनकी कोई उपादेयता नहीं भवनी है। दूसरी ओर हम "शून्य काल" को सप्तशीय कार्यवाही में उत्पन्न तनाव को शैयित्य करने का माध्यन भी कह सकते हैं। जहाँ अनेक उत्तेजित सदस्य अपनी भवास निष्कालने के लिए एक साथ बोलते हैं और इस प्रकार शैयित्य हो जाने के पश्चात् शान्त हो जाते हैं।

किन्तु नियमों की दृष्टि से "शून्य काल" एक अनियमितता (*irregularity*) है। इसके सदन का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। सदन के विधायी, वित्तीय और अन्य नियमित कार्य पिछड़ जाते हैं। अतः न तो अध्यक्ष और न ही सदन नियमित कार्य में ऐसी बाबा को प्रोत्तमाहन देते हैं।

संदर्भ

1. नियम 32
2. नियम 36
3. नियम 39
4. नियम 33-34
5. नियम 54
6. नियम 41
7. नियम 44
8. नियम 45 मोदिक उत्तर (ताराकित प्रश्न) के लिए प्रश्नों की सूची हरे कागज पर मुद्रित होती है और लिखित उत्तर (अताराकित प्रश्न) के लिए प्रश्नों की सूची सफेद कागज पर।
9. नियम 37 (1)
10. नियम 35
11. नियम 48
12. नियम 46 और 50
13. नियम 40
14. नियम 55 (1)

विधायी प्रक्रिया साधारण विधि और सांविधिक संशोधन

विधि निर्माण समूद्र का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। सर्वोच्च संस्था द्वारा पारित और राजाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत विधेयक (Bill) कानून प्रथम अधिनियम (Act) बनता है। इसके अन्तर्गत इस बत्त की व्याख्या की गई होती है कि कौन सा काम किया जा सकता है, कौन सा नहीं किया जा सकता है और किस प्रकार किया जा सकता है। विधि शब्द को इस प्रकार परिभ्रापित किया जा सकता है, यथा 'ऐसे अधिनियम में दिया गया आदेशात्मक गिरेंज जिस पर कि विधेयक (Bill) के रूप में विधिवत् बाद-विवाद हुआ है, जिसे विधिवत् गठित विधानसभा ने विधिवत् तरीके से पास किया हो, जिसकी मन्त्री राज्य के अध्यक्ष ने दी हो जो प्रत्येक नागरिक पर बाध्यकारी हो और जिसे लागू करना न्यायालयों के लिए आवश्यक हो। नू कि समूद्र लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित संस्था है प्रत बहु ऐसे विधान (Legislation) बनानी है जिनमें लोगों की मानविक एवं आर्थिक आवश्यकताएँ प्रतिविम्बित (Reflect) होती हैं तथा जिनसे उनकी आशामो एवं मानकालियों की पुर्ति होती है।

व्यावहारिक तौर पर यह कार्यपालिका (Executive) अथवा मंत्री-परिषद् (Council of Ministers) का दायित्व होता है कि वह विधि निर्माण के किसी विषय के संबंध में प्रस्ताव (Motion) लाये। समूद्र में उस प्रस्ताव पर चर्चा एवं बाद-विवाद होता है संपर्क उसे पारित किया जाता है। पहल कार्यपालिका द्वारा की जाती है परन्तु उसको परख, उसको तराफ़ना भीर स्वीकृत देना समूद्र का कार्य होता है। इस प्रकार विधि का निर्माण करना अब भी समूद्र का मुख्य कार्य है। अतः द्वारा यह कार्य अनेक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है।

विधान संघों सभी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में समूद्र में पेश किए जाते हैं; विधेयक स अधिप्राप्य है किसी विषय विशेष की इपरेक्षा जिसके सम्बन्ध में सरकार कानून बनाना चाहती है। विधेयक को समूद्र के किसी भी सदन में किसी मंत्री द्वारा

अथवा किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुरस्थापित (Introduced) किया जा सकता है। विधेयकों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत (Classified) किया जा सकता है—

(1) सरकारी विधेयक (Government Bill)

(2) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक (Private members bill)

वस्तुतः स्थिति यह है कि अधिकाश विधेयक गैरकार द्वारा ही पुरस्थापित किए जाते हैं। किन्तु गैर सरकारी नदस्यों द्वारा ऐसे विधेयक यद्यपि विधि का बहुत कम रूप लेते हैं किन्तु इनमें गैरकार को एक दिशा-निर्देश मिलता है कि विद्यमान विधि में कहा-कहा संशोधन बरकरार है अथवा वे कौन से विशेष विषय हैं जिनके सम्बन्ध में विधान बनाना प्रयेक्षित है।

विधेयकों को विषय-वस्तु के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जा सकता है—

- (एक) मूल विधेयक (Original Bill) ऐसे विधेयक जिनमें नये प्रस्ताव, विचार या नीतियों संबंधी उपबन्ध होते हैं।
- (दो) संशोधी विधेयक (Amendment-Bill) जिनका उद्देश्य विद्यमान अधिनियमों में रूप भेद करना या संशोधन करना या उनका पुनरीकरण करना होता है।
- (तीन) समेकन विधेयक (Consolidation Bill) (ऐसे विधेयक जिनका उद्देश्य किसी विषय विशेष पर वर्तमान कानूनों को समेकित करना होता है)।
- (चार) अधिकार द्वारा दिया गया कानूनों को जारी रखने वाले विधेयक (ऐसे विधेयक जिनका आशय उन आदिनियमों (Acts) को जारी रखना होता है, जिनकी अवधि समाप्त हो रही है)
- (पांच) अध्यादेशों के स्थान पर आने वाले विधेयक (ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों का स्थान लेते हैं) और
- (छ.) संविधान (संशोधन) विधेयक। (Constitution Amendment Bill) स्थूल रूप से विधेयकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—
 (क) माध्यारण विधेयक। (Ordinary Bill)
 (ख) वित्तीय मामलों सम्बन्धी उपबन्धों पर आधारित धन विधेयक (Money Bill) और
 (ग) संविधान संशोधन विधेयक।

साधारण विधेयक:—

ऊपर दिए स्पून वर्गीकरण में स्पष्ट हा जाता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में इनर प्रभ्य सभी विषयों के बारे में विधान सम्बन्धी प्रस्ताव साधारण विधेयक होते हैं।

ग्रामांश विधेयको के बारे में विप्राची प्रक्रिया ।

(एक) विधेयक के मतोदेते पार करना — (Drafting of Bill)

जैसे ही विसी विधेय विधय में संबधित विधान बनाने का प्रस्ताव पैदा होता है, संबधित मत्रालय द्वारा उसमें संबद्ध राजनीतिक प्रशासनिक, वित्तीय एवं प्रत्यक्ष परिणामों की जाती है। यदि विचारणीय विधय विसी अन्य मत्रालय प्रयोग राज्य सरकार के द्वेशाधिकार में भी आता हो तो उनका भी परामर्श लिया जाता है। जहाँ तक उम प्रस्ताव के बैठिक एवं संबंधितिक पहुँचों का सम्बन्ध है, सारले सरकार के विधि मत्रालय और शहरनायदादी में इस बारे में परामर्श दिया जाता है। यदि विधान का विधय विभिन्न हितों को प्रभावित करने वाला हो तो ग्रामपंचायत समझ जाने पर व्यापारियों, अमिलों, हृषकों और दौदोग-पनियों में भी इन सम्बन्ध में सवाल नी जाती है। इस प्रकार विस्तारपूर्वक जाच कर नेते के पश्चात् संबद्ध मत्रालय विधान संबंधों प्रस्ताव प्रतुमादन के लिए मर्तिमण्डल वा प्रस्तुत करता है। मर्तिमण्डल के अनुमादन के पश्चात् सरकारी प्राविधिक (कागदमंडल) द्वारा ग्रामपंचायत का विधेयक वा हप दिया जाता है। जिसकी प्रतामनिक मत्रालय में बाबी से जाच की जाती है और उसे अन्तिम हप दिया जाता है।

उपरोक्त प्रक्रिया में मूजरन के पश्चात् विधेयक मदन म पुरस्थापित किए जाने के लिए नेपाल हो जाता है। विधेयक संबधित मन्त्री द्वारा दोनों मदनों में से किसी एक मदन मे पुरस्थापित किया जा सकता है। मन्त्री को विधेयक के पुरस्थापन के लिए मदन की अनुमति मानने के प्रस्ताव की नियति सूचना सात दिन पहले देनी होती है।¹² ऐसी सूचना के माध्यमें विधेयक की विधिवत् रूप म शुद्ध की गई दो विधियों दम मदन के महासचिव का खेजी जाती है। जबकि विधेयक पर किया जाना हो। मोचवालय द्वारा विधेयक की जाच की जाती है और उसके सभी दृष्टि से पूर्ण पाए जाने पर, ऐसी नियति को कार्यसूची म सम्मिलित कर लेया जाता है जो अध्यधय या सभापति द्वारा प्रयाप्तिति, इस प्रयाप्तित के लिए नियिकत की गई हो। परन्तु किसी विधेयक का पुरस्थापित करने के सम्बन्ध में कार्यसूची में तब तक प्रविधित नहीं की जाती जब तक कि पुरस्थापित की प्रस्तारवत्त तिर्यक से कम से कम दो दिन पहले विधेयक की प्रतिक्रिया सदस्यों का उपलब्ध नहीं करा दी जाती।¹³

(दो) वाचन (Reading) विधिन प्रक्रम —

विधान संबंधी सभी प्रस्ताव विधेयकों के हप में सम्पर्क में वेग किए जाते हैं और संबधितियम बनाने से पूर्व उन्हें विभिन्न प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है। प्रत्यक्ष विधेयक के तीन वाचन होते हैं —

(क) प्रथम वाचन (First-Reading) :

सर्वप्रथम विधेयक को पेश करने के लिए सदन की अनुमति प्राप्त करने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। विधेयक के पुर स्थापन के लिए नियत तिथि को प्रश्नकाल के पश्चात् धृष्टिकारी मध्यामी को बुलाता है और वह विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता है। वह खटा होकर भृता है "महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि....(विधेयक का पूरा नाम) विधेयक को पुर स्थापित करने की प्रनुमति दी जाये" यदि मध्यामी सभा में उपस्थित न हो तो उप-मध्यामी या कोई और मध्यामी उसकी ओर से यह प्रस्ताव पेश कर सकता है। धृष्टिकारी इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता है और सभा उसे मौतिक मत द्वारा प्रनुमति प्रदान करती है। तब मध्यामी द्वारा विधेयक पुर स्थापित किए जाने से विधेयक के प्रथम वाचन की श्रीपत्तारिकता सम्पन्न होती है।

इस अवस्था में विधेयक पर चर्चा नहीं होती। ग्राय विधेयक को पुर स्थापित करने का विरोध नहीं किया जाता। यदि किसी विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो पीठासीन अधिकारी, यदि वे उन्नित समझे, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य का सक्षिप्त व्याख्यातमक कथन सुनने के बाद बिना किसी वाद-विवाद के प्रश्न^५ को सभा के समक्ष रख सकता है। परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि इस विधेयक का माध्यम से ऐसा विधान बनाया जा रहा है जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है तो पीठासीन अधिकारी पूर्ण चर्चा की अनुमति दे सकता है जिसमें विशेष आवश्यकता पड़ने पर महान्यायवादी (Attorney General) भी भाग से सकता है।^६ उसके पश्चात् सदन में प्रश्न पर मतदान होता है। कोई मध्यामी एक दिन में चाहे कितने भी विधेयक पुर स्थापित कर सकता है, इस सम्बन्ध में कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

विधेयक को सदन में पुर स्थापित करने के पश्चात् उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।^७ धृष्टिकारी की अनुमति से विधेयक को पुर स्थापित करने से पूर्व भी भारत के राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति मेना आवश्यक नहीं होता है।^८ उगे पुर स्थापित करने की अनुमति मानने की बजाए पुर स्थापित कर दिया जाता है।

(ल) द्वितीय वाचन (Second Reading)

दूसरे वाचन में दो प्रथम (Stages) होते हैं। दो प्रथमों में विधेयक पर विभार किया जाना ही यह मिट करता है कि दूसरा वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इन प्रथमों में विधेयक की बारीकी में सम्पूर्ण जांच होती है।

प्रथम प्रक्रम (First-Stage)

पहले प्रथम में विधेयक पर सामान्य चर्चा होती है जब विधेयक के मिदान्तों पर चर्चा की जाती है। मिन्तु विधेयक के श्वीरे पर उतनी ही चर्चा होती है जितनी की उसके सिद्धान्तों की व्याख्या के लिए आवश्यक हो।⁷ इस प्रक्रम में सभा विधेयक को गमा की प्रवर्त समिति या दोनों सभाओं की सयुक्त समिति को सीधे सकती है अथवा उस पर राय जानने के लिए उसे परिचालित कर सकती है या उस पर सीधे ही विचार कर सकती है।⁸

समिति को सौंपना

प्रवर्त समिति में उमी सभा के सदस्यों के नाम समिलित किए जाते हैं जिसमें कि विधेयक पुरस्तापित किया गया हो। सामान्यतः गमा के द्वारा तथा समूहों का मनुष्यात्मक प्रतिनिधित्व रहता है। सयुक्त समिति में दोनों सभाओं के सदस्य मार्गिल होते हैं। इसमें लाक गमा और राज्य सभा के सदस्यों का मनुष्यात्मक सामग्रीयता⁹ होता है। गयुक्त समिति नासभापति समिति के सदस्यों में से उस गद्दन के शीठासीन व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किया जाता है जिसमें कि विधेयक पुरस्तापित किया गया हो।¹⁰ किसी प्रवर्त या गयुक्त (Joint-Committee) का भूमितत्व समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के साथ ही समाप्त हो जाता है।

समितिया सभा के समान विधेयक पर सड़ बार (Clause-by-Clause) विचार करती है। समिति के सदस्य विभिन्न छाड़ों (Clauses) पर सशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।¹¹ समिति विशेषज्ञों और उन विशेष हितों के प्रतिनिधियों के विचार भी सुन सकती है जिन पर विद्यमान विधान का प्रभाव पड़ता है।¹² समितियों में विधेयक पर विचार करने की प्रक्रिया बही है जिसका सभा में विधेयक पर विचार करने के दोरान मनुष्यरण किया जाता है।¹³ समिति द्वारा विधेयक पर इस प्रकार विचार किए जाने तथा सही आदि को रखोकृत कर लिए जाने के पश्चात् लोक सभा सचिवालय द्वारा संशोध किया गया समिति का ग्राहण प्रतिवेदन सभा द्वारा मनुमोदित किए जाने पर सभा को प्रस्तुत किया जाता है।¹⁴ तत्पश्चात् समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर सभा में विचार प्रारम्भ होता है।

राय जानने के लिए परिचालन (Circulation)। किसी विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव (Motion) सभा द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित सभा का सचिवालय विधेयक राज्यों और सभ राज्य दोनों की सरकारों को भेजता है और उनसे ध्यान-प्रणेता राजपत्रों में उस प्रकाशित करने को कहता है और विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में राज्यों के विधान मण्डलों (Legislature) के सदस्यों और जिन सार्वजनिक उस्थानों के चुने हुए व्यक्तिगतियों या अन्य व्यक्तियों का वरामन लेना राज्य सरकारे व्यवस्थक समझे, उनकी रायों की दो-दो प्रतिया यथार्थीय भेजने के लिए कहा जाता है। कुछ मामलों में राज्य सरकारों से

उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श करने को भी कहा जा सकता है। जब राय जानने के लिये विधेयक के परिचालन की कोई तिथि प्रस्ताव में निर्दिष्ट न की यदि हो तो राज्य सरकारों से कथित प्रस्ताव के स्वीकृत होने के तीन महीने के प्रबंदर रायों को भेजने के लिये कहा जाता है।¹⁴ विधेयक पर राय प्राप्त हो जाने पर उन्हें यासीध सभा-पटल पर रख दिया जाता है और तत्पश्चात् विधेयक को प्रवर/समुक्त समिति (Select/Joint Committee) को सौंपने का प्रस्ताव पेश किया जाता है।¹⁵ माधारणतया इसकी अनुमति नहीं है कि इस प्रवस्था में विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया जाए। विधेयक फिर समिति अवस्था से गुजरता है और फिर विधेयक को प्रतिवेदित रूप में सदन में पेश किया जाता है।

विधेयक पर यासीधि, समुक्त समिति या प्रवर समिति (Select-Committee) का अन्तिम प्रतिवेदन सदन में पेश कर दिए जाने के बाद सम्बन्धित मन्त्री प्रस्ताव कर सकता है कि (क) प्रतिवेदित रूप (As reported) में विधेयक पर विचार किया जाए, या (ख) प्रतिवेदित रूप में विधेयक को फिर से या तो उसी प्रवर/समुक्त समिति या किसी नई प्रवर/समुक्त समिति के पास भेजा जाए, या कि (ग) समुक्त समिति/प्रवर नमिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक यासीधि उम पर राय या प्रत्येक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित या पुनर्परिचालित किया जाये।¹⁶

यदि सम्बन्धित मन्त्री यह प्रस्ताव करता है कि यासीधि, समुक्त समिति या प्रवर नमिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाये तो उस पर बाद-विवाद (Debate) की अनुमति दी जाती है। ऐसे में बाद-विवाद समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक तक ही सीमित रहता है और विधेयक के सिद्धान्त पर फिर से चर्चा नहीं की जा सकती ब्याकि जब किसी विधेयक को किसी प्रवर/समुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो सभा उस विधेयक के सिद्धान्तों से बदल जाती है।

द्वितीय प्रश्नम (Second Stage) - जब यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि विधेयक, या प्रवर/समुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक, पर विचार किया जाये, तब विधेयक पर संषदवार विचार प्रारम्भ किया जाता है। ग्रन्थालय प्रत्येक संघ को अलग-अलग लेता है और उनक सम्बन्ध में गशोधन रखने की अनुमति देता है। तत्पश्चात् द्वारा होता की शर्तों के ग्रन्थालय उसमें संगोष्ठन पेश किए जा सकते हैं।¹⁷ विधेयक पर संषदवार विचार की प्रक्रिया बही ही अमरुच्छ्य प्रक्रिया है ब्योकि प्रत्येक संघ पर माधारणतया अलग से चर्चा की जाती है। गिवाए ऐसे गशोधनों के जो प्रस्तावक द्वारा वापस ने लिए गए हों वे प्रत्येक गशोधन पर अलग से चर्चा होती है और उसे सदन द्वारा अलग से स्वाकृत या अस्वीकृत किया जाता है। जो गशोधन स्वीकृत हो जाते हैं वे विधेयक का अग बन जाते हैं।

तृतीय वाचन (Third Reading) तीसरे वाचन से प्रभिग्नाय हुएग प्रस्ताव पर चला फि विधेयक (एसमाधित विधेयक) का पाय किया जाए। जब इसी विधेयक के सभी संपत्ति और अन्यूनूचियों, योदि कोई हो, वर सदन में विचार हो जाता है योर वह स्वीकार वर लिये जाते हैं तो विधेयक का प्रभारी भवी यह प्रस्ताव कर लाना है कि विधेयक सो दाग किया जाये।¹⁸ इस अवस्था में चर्चा विधेयक के समर्थन में या उस अव्याहार वरन के निये दिये गये तकों तक ही सीमित रहती है। सदम्या के तर्क गामान्य हाने चाहाए और उन्हें विधेयक के ब्योरे में नहीं जाता चाहिए। योरे वी चर्चा के केवल उसी सीमा तक कर सकते हैं जिस सीमा तक ऐसी चर्चा उनके नड़ के लिए आवश्यक है।¹⁹ इस अवस्था में केवल शास्त्रिक, घोषकार्यक भ्रोट आनुदानिक संशोधन (Advisory amendment) ही पर लिये जा सकते हैं।²⁰ न कि विधेयक के गामान्य मिदान्तों पर सहमति हा नुकी हाती है और उसकी विस्तारण्युक्त जाँच मी हा चुकी हाती है। अत तृतीय वाचन के द्वारा न सम्भव बाइ-विवाद शायद हा रभी हाता हो।

कोई साधारण विधेयक पास वरन के लिए उपर्युक्त प्रसर संतान करने वाले गदायों का साधारण बहुमत प्राप्ति होता है। इसलिए समादीय शासन प्रणाली में जहाँ बहुमत वाला दल सरकार बनाता है, कोई भी सरकारी विधेयक प्राप्तानी से पास हो जाता है।

(तोन) दूसरे सदन में विधेयक जब कोई विधेयक, जिस सदन व उसे पुर स्थापित लिया गया हो, उस सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे दूसरे सदन को उसकी सहमति के लिए इस प्राप्ति के गदान के गाय भेजा जाता है।²¹ दूसरे सदन में विधेयक इस द्वन तोनो अवस्थाओं में से गुजरता है। हब इनमें से कोई कार्यवाही कर सकता है।²²

(क) वह विधेयक का गूणतः धर्मव्याप्त वर सकता है। परिणामस्वरूप दोनों के बीच गतिरोध (dead lock) उत्पन्न हो सकता है।

(ग) वह विधेयक को उसी रूप में या संशोधनों के साथ पारित कर सकता है। यदि वह पहले सदन द्वारा भेजे गये रूप में उसे पारित कर देता है तो उस विधेयक वो राध्युपति वी अनुमति के लिए उसके पास भेजा जाता है। यदि दूसरा सदन विधेयक वो संशोधनों के साथ पारित करता है तो विधेयक पट्टे सदन के पास बाप्स भेज दिया जाता है। वहाँ उक्त संशोधित विधेयक को सभा-पट्टल पर रखा जाता है। दो दिन के गृहना देने के बाद प्रभारी भवी यह प्रस्ताव कर सकता है कि संशोधनों पर विचार रिया जाए। यदि पहला सदन दूसरे सदन द्वारा प्रस्तावित संशोधन या संशोधनों से महसूत हो जाता है तो वह विधेयक, संशोधित रूप में दोनों सदनों द्वारा पास किया गया माना जाता है। परन्तु यदि पहला सदन दूसरे सदन द्वारा प्रस्तावित संशोधन से महसूत नहीं होता तो वह विधेयक एक बार

फिर दूसरे सदन की सहमति के लिए उसके पास भेजा जाता है। यदि दूसरा सदन अपने सशोधनों पर बराबर जोर देता रहता है तो यह समझा जाता है कि सशोधन या सशोधनों के बारे में दोनों सदनों में अन्तिम रूप से सहमति हो गई है।

(ग) यह भी हो सकता है कि वह सदन विधेयक पर कोई कार्यवाही न करे अर्थात् उसे सभा पट्टल पर पड़ा रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि विधेयक प्राप्त होने के बाद छह महीने की अवधि बीत जाती है और वह सदन उस विधेयक को पास नहीं करता तो यह मान लिया जाता है कि गतिरोध उत्पन्न हो गया है।

(चार) दोनों सदनों की समुक्त बैठक (Joint sitting)—किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच प्रसहमति होने से गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जो कि एक ग्रामाधारण स्थिति है। इसका समाधान दोनों सदनों की समुक्त बैठक में होता है। सविधान के उपबन्धों के अधीन, उस दिशा के सिवाय जिसमें लोक सभा का विषयटन होने के कारण विधेयक व्यपत्ति हो गया हो, राष्ट्रपति विधेयक पर, विचार-विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए दोनों सदनों का “समुक्त बैठक” के लिए आमंत्रित कर सकता है। ऐसी समुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और महाराज्ञी, लोक सभा समुक्त बैठक के सचिव के हृप में कार्य करता है²¹। समुक्त बैठक पर लोक सभा के प्रद्विष्या नियम लागू होते हैं²²। समुक्त बैठक में उन गशोधनों के सिवाय किसी भीर गशोधन का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता जो विधेयक को पास करने में देर होने के कारण आवश्यक हो गये हों। ऐसी बैठकों में नियंत्रण दोनों सदनों के उपरियत और मतदान करने वाले रामस्त सदस्य गम्या के बहुमत द्वारा किए जाते हैं। स्पष्ट है कि लोक सभा की सदस्य गम्या अधिक होने के कारण उसका निश्चय ही प्रभुत्व रहता है। अब तक समुक्त बैठक में केवल दो विधेयक, अर्थात् दंहेज निवेद विधेयक (Dowry prohibition Act, 1971) और बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1974 (Banking Service Commission (Repeal) Act, 1974) पारित किए गये हैं।

(पांच) विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति—जब कोई विधेयक ग्रामद के दोनों सदनों द्वारा असम-असम या समुक्त बैठक में पारित कर दिया जाता है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति विधेयक पर या तो अनुमति दे सकता है या अपनी अनुमति रोक सकता है। यदि राष्ट्रपति अनुमति रोक सेता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है और यदि वह अनुमति प्रदान कर देता है तो अनुमति प्रदान करने की तिथि से विधेयक अधिनियम बन जाता है। इसके प्रतिरक्त वह विधेयक को इस मंदेश के साथ बापस भेज सकता है कि उस पर दोनों सदनों द्वारा फिर विचार किया जाय। यदि विधेयक राष्ट्रपति हारा इस

प्रकार लौटा दिया जाता है तब मदन विधेयक पर नश्तुसार पुनर्विचार करते हैं और यदि विधेयक सदनों द्वारा समीक्षन सहित या उसके बिना किर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समझ अनुमति के लिए किर में प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उग पर अनुमति नहीं रोक सकता।²⁵

धन विधेयक (Money Bill)

विधान के अनुच्छेद 110 (1) के प्रत्यंत कोई भी विधेयक धन विधेयक समझा जाता है परि उसमें निम्नलिखित विधयों में से सब धनवा किसी एक या सभी इनमें वाले उत्तर्वद हो, अर्थात्—

- (क) किसी कर का निर्धारण (Imposition), उत्तापन (Abolition), परिहार (Remission), बदलना या विनियमन (Alteration or Regulation)

(ग) भारत सरकार द्वारा धन उत्तर्वद लेने का, धनवा कोई प्रत्याख्यति देने का विनियमन धनवा भारत सरकार द्वारा लिए गए धनवा लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय दायित्व से मबद्द विधि का गमोष्ठन।

(घ) भारत की सचित निधि (Consolidated Fund or Contingency Fund) धनवा प्राकस्थिकता-निधि की धनिरक्षा, ऐसी रिसी निधि में धन इनका धनवा उत्तर्वद से धन निकालना,

(ङ) भारत की सचित निधि में में धन का विनियोग,

(ज) किसी धन को भारत की सचित विधि पर प्रभावित धन घोषित करना या ऐसे किसी धन की राशि को बढ़ाना;

(च) भारत की सचित निधि (Consolidated Fund of India) के या भारत के लोक-सेवा के धनवा प्राप्त वरसा धनवा सब राज्य के लेतार्दो का लेता धरीदार; धनवा

(छ) अनुच्छेद 110 (1) के उप संड (क) से (च) में उल्लिखित विधयों में से किसी का अनुपरिक्क कोई विधय।

परन्तु कोई विधेयक केवल इसलिए धन विधेयक नहीं समझा जाता कि वह जुर्मानी धनवा अन्य धर्य-दण्ड (Pecuniary penalties) को लगाने का धनवा लाइसेंस के लिए फीस का या की गई सेवा के लिए फीद की मात्र का या उनको देने का उपबन्ध करता है, धनवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रदोजनों के लिए किसी कर के धनिरेख, उत्तापन, परिहार बदलने पा विनियमन का उपबन्ध करता है। परि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर योक समा के अध्यक्ष का निर्णय अनिवार्य होता है।²⁶

धन विधेयको के संबंध में विश्व प्रक्रिया

कोई धन विधेयक (Money Bill) राज्य सभा में पुर स्वापित नहीं किया जा सकता।²⁷ वह राष्ट्रपति की मिकारिश पर बैठक लोक सभा में ही पुर स्वापित किया जा सकता है²⁸। लोक सभा द्वारा इसे पास किए जाने के पश्चात् इसको अध्यक्ष वे इस प्रमाण-पत्र वे माय वि विधेयक धन विधेयक है, राज्य सभा की मिकारिशों के लिए उमरों भेजा जाता है। राज्य सभा को धन विधेयक की प्राप्ति की तारीख से चौथे दिन की अवधि के अद्दर उसे लोक सभा विधारिशों के माय लौटाया होता है। राज्य सभा इसको किसी मिकारिश के माय अद्वावा विना मिकारिश के माय लौटा सकती है। यदि कोई धन विधेयक राज्य सभा द्वारा मिकारिश के माय अद्वावा विना मिकारिशों के माय लौटाया जाता है तो उसे लोक सभा पटल पर रखा जाता है। यदि लोक सभा राज्य सभा द्वारा मिकारिश किये गये मण्डोधनों को स्वीकार कर नहीं है तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा मिकारिश किए गए मण्डोधनों ओर लोक सभा द्वारा स्वीकृत स्व में, समद के दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। यदि लोक सभा, राज्य सभा द्वारा मिकारिश किये गये सशोधनों में में किसी को स्वीकार नहीं करती, तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा मिकारिश किये गये इन्हीं मण्डोधनों के विना लोक सभा द्वारा पारित स्व में दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जाता है। यदि राज्य सभा चौथे दिन की निधारित अवधि के भीतर धन विधेयक नहीं लौटाती तो विधेयक उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् समद के दोनों सदनों द्वारा लोक सभा द्वारा पारित स्व में पास किया गया समझा जाता है। नु कि राज्य सभा को धन विधेयक के सबूत में कोई गति प्राप्त नहीं है यस दोनों सदनों वे बीच कोई असहमति का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए किसी धन विधेयक को सदन की दोनों सभाओं की समुक्त समिति का भेजने का कोई उपबध नहीं है। इसमे विद्ध होता है कि धन विधेयक के बारे में राज्य सभा की अनुमति प्राप्त करना मात्र एक प्रौपचारिकता के ओर बुद्ध नहीं है।

वित्त विधेयक (Finance Bill)

मविधान मे धन विधेयक (Money Bill) और वित्त विधेयक (Financial Bill) मे भेद किया गया है। सामाध्यवगा राजस्व या ध्य मे मवधित विधेयक, वित्त विधेयक होता है। इसमे किसी धन विधेयक वे निए मविधान में उल्लिखित किसी मामने वा उपबध करने वे अतिरिक्त धन्य मामलों या भी उपबध किया जाता है। मुविया के निए वित्तीय विधेयक निम्ननिमित दो थे ऐसो मे बाटा जा सकता है -

थोंके प्रयम थोंगी मे तेंमे विधेयक आते हैं जिनमे धन्य उपबधों के माय-माय गविधान के अनुच्छेद 1 '0 ने गवधिन उपबध भी होते हैं। तथापि, धन मवधी धन्य प्रनिवध इन थोंगी वे विधेयकों पर लागू नहीं होते। उदाहरणाय,

कोई विधेयक जिसमें करारोगण का गठ होता है परन्तु वह केवल करारोगण के मबद्द में नहीं होता।

थेटी से इस थेटी के अन्तर्गत ऐसे विधेयक प्राप्त हैं जिनमें पर्याय उपबन्धों के माध्य-साध्य एवं उपबन्ध भी होते हैं जिनके प्रधिनियमित हो जाने पर भारत की गचित निधि में से व्यय घटनिहित होता है।

घन विधेयक और वित्त विधेयक में अन्तर

तत्त्वीको मूल्य के बारगत दोनों विधेयकों पर्याप्त घन विधेयक और दितीय विधेयक में अन्तर है। घन विधेयक में संविधान वे अनुच्छेद 110(1)(क) से (घ) तक उल्लिखित विधेयों का ही समावेश होता है। जबकि वित्तीय विधेयक में उक्त अनुच्छेद में से सब प्रथमा विसी पाक से सम्बन्ध रखने वाला ही मामला नहीं होता, पर्याप्त इसमें अन्य विधेयों में सम्बन्धित उपबन्ध भी होते हैं।

घन विधेयक राष्ट्रपति की मिकारिश पर केवल लोड सभा में पुर स्थापित किया जा सकता है जबकि संविधान के अनुच्छेद 117(1) के अन्तर्गत वित्तीय विधेयक दोनों सभाओं की समुक्त समिति की सौषा जा सकता है। समुक्त बैठक का उपबन्ध घन विधेयक के मामले में जागू नहीं होता। इस थेटी के विधेयकों को भी घन विधेयक की तरह राष्ट्रपति की मिकारिश पर केवल लोड सभा में पुर स्थापित किया जा सकता है। इस थेटी के विधेयक में दो तत्त्व ऐसे होते हैं कि किसी घन विधेयक में सो पाए जाते हैं यर्द्दत् (क) वह राज्य सभा में पेश नहीं किया जा सकता और (ख) वह राष्ट्रपति की मिकारिश पर ही पेश किया जा सकता है परन्तु वित्त विधेयक, घन विधेयक न होने के कारण, राज्य सभा को इसे रद्द करने का इसमें मतोंछन करने की वैसे ही पूरी शक्ति है जैसे इसे किसी भी साधारण विधेयक के मामले में प्राप्त है। इसके महिरिक किसी काके घटाने या उसके उत्पादन के लिए उपबन्ध करने वाले किसी सशोधन के प्रस्ताव को छोड़ कर अन्य कोई मतोंछन राष्ट्रपति की मिकारिश के बिना दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

दूसरी थेटी के वित्त विधेयक ऐसे विधेयक हैं जिनमें पर्याय उपबन्धों के माध्य-साध्य ऐसे उपबन्ध भी होते हैं जिनके प्रधिनियमित हो जाने पर भारत की गचित निधि (Consolidated Fund) में से व्यय का मामला समिक्षित होता है। यह एक साधारण विधेयक माना जाता है और इसी कारण ऐसे विधेयक को दोनों सदनों में से किसी एक सदन में पुर स्थापित किया जा सकता है। राज्य सभा को उसे रद्द करने की या उसमें मतोंछन करने की पूरी शक्ति प्राप्त होती है। तथापि इस विधेयक पर किसी भी सदन द्वारा विचार किए जाने के लिए राष्ट्रपति की मिकारिश आवश्यक है। बिन्तु उसे पुर स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की

मिकारिश आवश्यक नहीं होती। जैसे कि किसी धन विधेयक या प्रथम थेगी के वित्त विधेयक के मामले में है।

संविधान (संशोधन) विधेयक (Constitution (Amendment) Bill) :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ममद अपनी संविधायी शक्ति (Legislative power) का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबन्ध का परिवर्तन, परिवर्तन या निरमन के रूप में संशोधन कर सकती है। संशोधन के प्रयोजन के लिए संविधान में कोई अलग संविधायी मस्त्या की व्यवस्था नहीं है। संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को ममद के किसी भी मदन में पुरस्यापित किया जा सकता है। इसको किसी मध्यी द्वारा अधिकार कियी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। सामान्यतया सरकार द्वारा लाये जाने वाले संविधान (संशोधन) विधेयक, लोक सभा में पुरस्यापित किए जाते हैं। गैर-सरकारी सदस्य द्वारा लाये गये संविधान (संशोधन) विधेयक के मामले में विधेयक का संवेदनप्रयम गैर-सरकारी विधेयकों और सकृदार्थी सम्बन्धी समिति (Committee on Private members bill & resolutions) द्वारा परीक्षण किया जाना होता है तथा उसको पुरस्यापित करने की मिकारिश करनी होती है।¹³⁰

संविधान में निम्नलिखित तीन प्रकार के संविधान संशोधनों का उपबन्ध है।

- (क) ऐसे संशोधन, जिन्हे गमद साधारण बहुमत द्वारा पारित कर सकती है।
- (ग) ऐसे संशोधन, जिन्हे ममद विहित "विशेष बहुमत" द्वारा पारित कर सकती है।
- (ग) अनुच्छेद 368 (2) के परन्तुक (Proviso) में वलित मामलों में सम्बन्धित संशोधन, जिनका ऐसे "विशेष बहुमत" के अतिरिक्त कम में कम आधे राज्य विधानमण्डलों द्वारा अनुगमनपूर्ण होना आवश्यक है।

साधारण बहुमत द्वारा संशोधन

निम्नलिखित में से किसी विषय से सम्बन्धित विधेयक को साधारण विधेयक माना जाता है, अर्थात् उसे सभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले मदस्यों के माध्यारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है :

- (क) नये राज्यों या मण्ड में प्रवेश अथवा स्थापना, नये राज्यों वा गठन तथा वर्तमान राज्यों के द्वारा या सीमांचों में अथवा उनके नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद 2, 3, 4)
- (घ) राज्यों की विधान परिवर्तन या मूलन अथवा उत्पादन (Creation and Abolition) (अनुच्छेद 169)

- (ग) अनुमति देने पर भन्तुपूर्विन जनजातियों का प्रशासन और नियन्त्रण
(पचम अनुमूल्यों का पैरा 7), और
- (घ) घरम, भेषानय, तिपुग और मिजोरम राज्यों में जनजाति देने का
प्रशासन (छठी अनुमूल्यों का पैरा 21)

जहाँ तर इस विधी के समोधनों का सम्बन्ध 7. सामान्य विधान निर्माण प्रक्रिया ही नाम होती है, तथापि नये राज्यों के निर्माण प्रौद्योगिक विधान राज्यों के देशों, सीमांधों या नामों में परिवर्तन करने की व्यवस्था करने वाले विधेयकों के सामान्य में दुष्ट गति है, पर्याप्त इस प्रकार का कोई भी विधेयक सदृढ़ के किसी भी गड़न में बिना राष्ट्रपति वी मिनिस्टर्स के पूर स्थापित नहीं किया जा सकता प्रौद्योगिक विधेयक में कोई ऐसा प्रस्ताव हो जिसका प्रभाव किसी राज्य के देश, सीमांधों या नाम पर वटा हो, तो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के विधानसभा के पास उसको भेजना आवश्यक है जिससे कि वह निर्दिष्ट समय के सीनर अपनी राय दे सके। राय जानने के लिए प्रदधिकों राष्ट्रपति द्वारा भी सकता है। तब उसका दूसरा विधेयक गुर स्थापित किया जा सकता है। परन्तु राष्ट्रपति इस प्रकार प्राप्त हुए विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता।¹¹

राज्यों में विधान परिषदों (Legislative Councils) को समाप्त करने या उनके निर्माण के सम्बन्ध में बातें बनाकर उपबंध करने की समद की शक्ति का प्रयोग नभी किया जा रखता है जब उस राज्य विधेय की विधान सभा इस सम्बन्ध में सभा में उपस्थित प्रौद्योग सामान्य करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से इस गवर्नर में एवं सक्रिय (Revolution) पास कर दे।¹² सदृढ़ों के बहुमत से इस गवर्नर में एवं सक्रिय पास कर दे सकती है या यदि समद लेसे गक्कहर को स्वीकार कर सकती है या स्वीकार कर सकती है या यदि चाहे तो उस पर कोई वर्त्यवाही न करे।

विशेष बहुमत द्वारा संशोधन

संविधान के किसी घन्य घाग में समोधन करने वाला विधेयक समद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन द्वारा एक विशेष बहुमत प्राप्ति उस सभा की अपस्त महस्य सक्षया वे बहुमत में तथा सभा के उपस्थित प्रौद्योग सत्रान (President & Vice-President) करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित करता पड़ता है। वास्तव में इस उपबंध में जिस विशेष बहुमत का विधान किया गया पड़ता है, उसकी प्रावश्यकता विधेयक वै-नीमरे वाचन के समय सत्रान में ही हो सकती है, परन्तु सदस्यों के लिए, विधेयक के सभी प्रभावी प्रश्नों के सम्बन्ध में विशेष बहुमत वी आवश्यकता का उपबंध नियमों में किया गया है।¹³

संविधान में विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और राज्यों द्वारा अनुसंधान

संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में समोधन करने वाला विधेयक विशेष बहुमत द्वारा पात किया जाता है। इनको समद के दोनों सदनों द्वारा विशेष

बहुमत से पास किया जाना होता है और राष्ट्रपति की अनुमति हेतु उसे प्रस्तुत किये जाने के पहले उस मंशोधन का राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों के विधानभृत्यों द्वारा मंकल्प (Resolutions) पारित करके उसका अनुसमर्थन करना होता है।³¹

- (क) राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद 54 और 55);
- (ख) गध और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति (executive power) का विस्तार (अनुच्छेद 73 और 162),
- (ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय (मंविधान का अनुच्छेद 241, भाग 5 का अध्याय 4 और भाग 6 का अध्याय 5)
- (घ) गध तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण (मंविधान के भाग 11 का अध्याय 1 और मात्रकी अनुसूची)
- (ट) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व; या
- (च) मंविधान में विहित मंशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368)

मंविधान में किसी ऐसी भमय-सीमा की घोषणा नहीं की गई है जिसके भीतर राज्यों को उनको निर्दिष्ट किये गये मंशोधनों में अनुसमर्थन या निरनुसारदान की सूचना भेजनी अनिवार्य है।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक (Private Members Bill)

संसद में गैर सरकारी सदस्यों की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण होती है जितनी व्यक्ति सरकारी सदस्यों की। जहाँ वे एक और सरकार के लोकतात्त्विक तथा देश के हितों में किए गए कार्यों की समर्थन करते हैं वहीं वे सरकार के उन प्रयासों का विरोध करते हैं जिनको वे देश के लिए अहितकर समझते हैं। ऐसा वे संसद के नियमों एवं प्रक्रियाओं में उनके लिए उपलब्ध विभिन्न साधनों का प्रयोग बरके करते हैं। इन विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए गैर सरकारी सदस्य लोक महत्व के विभिन्न मामलों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं और सरकार को जनहित के कार्यक्रम एवं नीतियां तैयार करने की आवश्यकता के बारे में जनता की अभिन्नताएँ और भमय की मांग से अवगत करते हैं। गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विधान की शुरूआत भी इसी दिशा में एक कदम होता है और संसद के नियमों एवं प्रक्रियाओं में इस बारे में विशेष उपबन्ध किया गया है।

यद्यपि गैर सरकारी सदस्यों द्वारा नाएँ जाने वाले विधेयक प्राप्त अन्त में पारित नहीं हो पाते हैं किन्तु इन पर दूर्दृढ़ चर्चा में लोक महत्व की भमयाओं पर प्रकाश पड़ता है तथा उम्में गम्भीर में हुए विस्तृत वाद-विवाद में उग विषय के सम्बन्ध में विभिन्न विचारणाएँ से सरकार अवगत हो जाती है। गैर सरकारी सदस्य द्वारा नाएँ गए विधेयक की विषय-वस्तु वे गम्भीर में सरकार को अपने

प्रियोग दिन के गमध्य समय पड़ता है परंतु उसका व्यापक गमन दूषणों को तोड़ना का ताक माल दिन पड़ता है। कमी-कमी यह भी होता है कि विधेयक की विषयवस्तु के महत्व को देखते हुए, सरकार स्वयं तदृश्वन्धी व्यापक विधेयक समदृ में पेश करती है।

प्रथमेवं गमदृ सदस्य का, जो मध्ये नहीं गंगा नदकारी सदस्य कहा जाता है। लाक रामा ये, प्रत्येक शुक्रवार की दैठी व वास्तव दैठी घटे गंगा-गरकारी सदस्यों के कार्य को निपटान, प्रथांतु गंगा-गरकारी गमध्या के विधेयका तथा संकल्प (Private members' bills & resolutions) के लिए नियन् रिय जाता है। इनमे सम्बन्धित काय एक दूसरे के बाद आने वाले शुक्रवार का यथाक्रम निपटाया जाता है, जो विधेयकों से प्रारम्भ रिय जाता है, प्रथांतु नव प्रारम्भ होने के पश्चात् पहले शुक्रवार का विधेयक (Bill) लिये जाते हैं और दूसरे शुक्रवार का संकल्प (Resolution) परंतु यही क्रम चलता रहता है।

जहाँ तक गंगा-गरकारी सदस्या द्वारा प्रथ रिय सब विधेयकों का सम्बन्ध है, उनके बारे मे नामांय प्रतिया बही है जो गंगारी विधेयकों के बारे म है। गंगा-गरकारी सदस्य द्वारा पुर स्थापन रिय जान बाट विधेयका दो भी उन गमी अवस्थाओं (Stages) मे गंगा गुचरना पड़ता है जिनमे म कि गरकारी विधेयक गुचरत है। परन्तु विधेयक प्रथ करने की मूलता की व्यवधि, किसी सदस्य द्वारा एक अधिवेशन (Session) मे प्रथ रिय जो महने वाले विधेयकों की संघा पर प्रतिवन्ध, सविधान मे गमाधन करने वाले विधेयक, चचा के लिए संविधा पूर्व वित्ती इत्यादि के गमवन्ध मे गंगा-गरकारी सदस्यों के विधेयकों मे सम्बन्धित कुछ विशिष्ट प्रतियाधन हत्ते हैं।

यदि काई सदस्य कोई विधेयक गुर स्थापन करना चाहता है तो उसकी पूर्व मूलना दोनों होते हैं। किसी विधेयक का गुर स्थापन करने के लिए मूलना की व्यवधि एक महीना है, इन्हु प्रधिका की अनुमति से उसे इसके काम व्यवधि के भीतर मध्ये गुर स्थापन किया जा सकता है। मूलना के साथ विधेयक की एक वित्ती संधा उद्देश्यों प्रोटोकॉलों का एक व्याख्यात्मक दस्तावेज (Explanatory notes) भी देना होता है। जहाँ विधेयक के अधिविनियमित हो जान पर भारत की भारत नियम मे से धन नव होने की समावना हो, वही सदस्य को विधेयक के साथ चर्चे की अनुमानित शांति को दर्शाने वाला एक विस्तीर्ण जारी (Final Draft Memorandum) भी लगाता होता है। यदि विधेयक मे प्रथायोजित विधान (Delegated legislation) के बारे मे कोई विवाद है तो प्रथायोजित विधान गमवन्धी अधिने भी विधेयक के साथ लगाता होता है।¹⁵

गंगा-गरकारी सदस्यों वे लिए नियन् किसी दिन को गुर स्थापन रिय जान के लिए प्रस्तावित सभी विधेयकों के गुर स्थापन के प्रस्ताव उसी दिन की वार्ष-मूली

में शामिल किए जाते हैं।¹⁶

नविधान में सदस्यों का प्रस्ताव करने वाले विधेयकों पर गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी सामान्य नियम तो लागू होते ही हैं, इसके अतिरिक्त गैर सरकारी मदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों मम्बन्धी समिति¹⁷ द्वारा भी उनकी जांच की जाती है और उस समिति द्वारा नियांरण किए गए विधेयक ही पुर स्थापन के लिए कार्य-भूमि (List of Business) में नमे जाने हैं।

परिषाटी के अनुसार गैर-सरकारी मदस्य के किमी विधेयक के पुर स्थापन के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जाता। यदि किमी विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव (Motion) का विरोध किया जाए तो पीठासीन अधिकारी (Presiding officer) यदि वह ठीक गमने तो, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को साधिष्ठ बत्तब्य (Statement) देने की अनुमति दे सकता है और तत्पश्चात् प्रस्ताव सदन में नियंत्रण के लिये मतदान के लिये रख रखता है। परन्तु यदि विधेयक पुर स्थापित करने के प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाता है कि वह विधेयक ऐसे विधान का गूढ़पत करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता (Legislative Competence) से परे हो तो पीठासीन अधिकारी उस पर तूरं चर्चा की अनुमति दे गता है और तत्पश्चात् प्रस्ताव सदन के फैसले के लिए मतदान के लिये रख रखता है। एक गैर-सरकारी सदस्य को एक सत्र (Session) में घार में अधिक विधेयक (Bills) पुर स्थापित (Introduce) नहीं करने दिये जाते।

विधेयकों के पुर स्थापित किये जाने के पश्चात् और सभा में उन्हें विचारार्थ लिये जाने से पूर्व गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का उनके स्वरूप, उनकी अविगम्भनीयता और महत्ता के आधार पर दो बगी, यथात् वर्ग "क" और वर्ग "ख" में वर्गीकरण करती है। सभा में विचार किए जाने के प्रयोजन से वर्ग "क" में वर्गीकृत विधेयकों को वर्ग "ख" में वर्गीकृत विधेयकों की तुलना में पूर्ववतिता दी जाती है। उन पर विचार किए जाने के लिए समय भी समिति ही घाबटित करती है। वर्ग विशेष में रखे गये विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववतिता बेलेट द्वारा नियांरित की जाती है। विधेयकों को बेलेट द्वारा नियांरित प्रायमिकता त्रैम के अनुसार कार्य-भूमि में शामिल किया जाता है।

अधीनस्थ विधान (Subordinate Legislation)

कल्पाणकारी राज्य की आधुनिक सकल्पना (Modern Concept) में सरकार का कार्य-कलाप मान रीप कार्यकलाप के द्रष्टव्यक दोष तक पहुंच गया है और इस निरन्तर बढ़ते हुए कार्यकलाप को नियमित करने के लिए भिन्न-भिन्न कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है। विधान मदल के पाग इतना ममय नहीं होता कि वह सभी आवश्यक विधियों पर विचार कर सके, उन पर चर्चा कर सके और उनका अनुमोदन कर सके। कानून बनाने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल और तकनीकी

बन गयी है और कानून की सभोत्तरी का बाराविधा। विस्तृत ठीक होना आवश्यक है। इस परिवर्तिति में यहां यही कर मानी है और करती रही है कि जो भी कानून उसके साथने आये वह उसके सम्बन्ध में मुख्य मिदान्त निर्धारित कर दे और यह काम कार्यपालिका (Executive) पर छोड़ दे कि वह उस मिदान्तों के अनुसार उस कानून का अधिकारिक (Formal) तथा प्रतिया सम्बन्धी व्योग तैयार कर सके। इसका वरिताम यह है कि विधान मण्डल सामान्य स्तर पर विधिया बनाता है और यह बात सरकार पर छाड़ देता है कि वह उन्निमित योग्यों में रहकर विस्तृत नियम एवं विनियम (Rules & regulations) बनाये और विधान के उद्देश्यों को पूरा करे और ऐसी नई परिवर्तियों का समाधान कर जो विधिया बनाते समय विधान मण्डल के समक्ष नहीं थी। विधान मण्डल द्वारा प्रत्यायोजित प्राधिकार (Delegated Authority) के प्रधिकार द्वेष में रह कर किसी प्रधीनस्थ एजेन्सी (Subordinate Agency) द्वारा बनाये जान वाले ऐसे नियमों एवं विनियमों को “प्रधीनस्थ विधान” कहा जाता है। नभी कभी इसे “प्रत्यायोजित विधान” (Delegated Legislation) भी कहा जाता है।

भारत में प्रत्यायोजन (Delegation) की यह शक्ति नमूद रूप में विधायी शक्ति (Legislative Power) का तरत्फ है। विधान मण्डल की यह धमता नहीं है कि वह कार्यपालिका (Executive) या किसी प्रबन्ध निकाय (Body) का किसी अत्यावश्यक सामर्त्य में अपने कानून बनाने के प्रधिकार दे दे। ऐसा तभी हो सकता है जब विधान मण्डल (Legislature) समझग मामान्य रूप में नीति का निर्धारण कर देता है और प्रत्यायुक्त (Delegate) का कबल यह शक्ति देता है कि विधान मण्डल की नीति को कार्य के रूप में परिणाम करने के लिये नियम तथा विनियम बनाये। यह विधान मण्डल की इच्छा पर नियम है कि वह जिनमा उचित समझे उतना काय किसी प्रधीनस्थ प्राधिकार (Subordinate Authority) का दे दे, जो उस नीति की सामाजिक रहन हुए उस कानून के बारे की बात तय करे।

प्रधीनस्थ विधान की कभी-कभी इस प्राधिकार पर पुराना प्रालोचना की जाती है कि प्रत्यायोजन की इस प्रक्रिया से सहद की विधायी शक्तिया कार्यपालिका अन्वयित रूप से बहाल कर लेती है और इसके परिणामस्वरूप नोकरशाही (Bureaucracy) की “नयी मामान्यशाही” कायम हा जाती है जो तो सहद के प्रति उत्तरदायी होती है और न प्रत्यक्ष रूप से लोगों के प्रति। एसा दूरी प्राधिकार देने से स्पष्टतया नोकरशाही मनमाने दग में कायं कर सकती है। ऐसा होते हुए भी, भाज के बातावरण से प्रधीनस्थ विधान (Subordinate Legislation) से पूर्णतया बचना असम्भव है। इसलिये सबस मावश्यक बात यह है कि प्रधीनस्थ विधान की शक्ति के प्रयोग पर नियन्त्रण समीक्षा नियरानी एवं नियन्त्रण (Parliamentary surveillance & control) रहे।

प्रत्यायोजित शक्ति (Delegated Power) के दुष्कायण ना रोकने के लिये तुधु पूर्वोंपायो का उपबन्ध किया गया है। यथा “जिस किंशव्य में विधायिकों शक्ति के प्रत्यायोजन (Delegation of legislative powers) के प्रस्ताव सम्मिलित हो, उसके साथ अप्रत्येक तक जापन (Memorandum) होगा जिसमें ऐसे प्रस्तावों की व्याख्या होगी और उनकी व्याप्ति (Scope) को घार ध्यान दिलाया जाएगा तथा यह भी बताया जाएगा कि व सामान्य रूप की है या अपवाद रूप की।”³⁸ इसके अतिरिक्त जब मूल अधिनियम (Original Act) अर्थात् शाक्तयों का प्रत्यायोजन करने वाला विधेयक (Bill) सभा के विचाराधीन हो तो उस समय इन आदेशों के दोष, स्वरूप तथा प्रयोजन पर वाद-विवाद हा सकता है, उनकी ठीक-ठीक परिभाषा की जा सकती है और उन्हे मीमित किया जा सकता है, या जब आदेश प्रस्तावित किए जाते हैं या बनाये जाते हैं तो लोक सभा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि इनका प्रारूप (Draft) या इनका अन्तिम रूप समद के सामने रखा जाएगा, जिसमें कि वह उनका प्रनुमानन कर सके या उन्हे रद्द कर सके, या आदेश बन जाने के बाद लोक सभा उनका प्रति सहरण (Resolve) कर सकती है या बाद में कानून बनाकर उनमें फेर-वद्दन कर सकती है। इस प्रकार समद इन अवस्थाओं में अपने अधिकार का प्रयोग करने द्यानबीन करती है और नियन्त्रण रखती है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका या प्रशासन के अधिकरणों द्वारा सविहित प्राधिकार के मन्त्रगत बनाये गये सभी नियमों और विनियमों की न्यायालय उनके शक्ति वाले होने के तक के आधार पर जाच कर सकते हैं। सबसे अधिक बात तो यह है कि समद के प्रत्येक मदन की ‘‘धर्यीनस्य विधान सम्बन्धी नियमिति’’ कार्यपालिका द्वारा बनाये गये प्रत्यक्ष नियम-विनियम की जांच करती है और यह देखती है कि वया ममद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का, ऐसी शक्तिया प्रत्यायोजित करने वाली विधि के दायरे में रहकर, उचित प्रयोग किया गया है और उसके बाद अपने मदन को उग बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। वास्तव में, सघीनस्य विधान सम्बन्धी नियमिति (Committee on subordinate legislation) ही इस बात पर अड़क लगाती है कि कार्यपालिका मनमानी शक्तिया प्रटृण न करते। इस नियमिति ने सदा यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्यायोजित शक्तियों (Delegated powers) के मधीन बनाये जाने वाले सभी नियम बाँर विनियम न केवल तुरन्त समद के ममध प्रस्तुत किये जायें बल्कि उन्हे रद्द करने या उनमें रूप भेद करने का अधिकार समद के पास रहे।

संदर्भ

- १ मुमाय कास्यन, पातियालेश्वर आर इन्डिया—सिएम एस रिफ्ली, नई दिल्ली, १९८८
- २ निर्देश १९ र
- ३ निर्देश १९ र
- ४ नियम ८२
- ५ नियम ८३
- ६ नियम ८४
- ७ नियम ८५
- ८ नियम ८६
- ९ नियम ८५८
- १० नियम ८७
- ११ नियम ३०२
- १२ नियम २०० (२)
- १३ निर्देश ६४
- १४ निर्देश २० (र) और (१) नथा २।
- १५ निर्देश २४ और २६
- १६ नियम ७७
- १७ नियम ७९ और ८०
- १८ नियम ९३ (१)
- १९ नियम ९४
- २० नियम ९३ (३)
- २१ नियम ९६ (१)
- २२ घनू १०८ (१)
- २३ घनू ११८ (४) और सनद के सदन (समुक्त चेतक नया पत्राचार) नियम, नियम २
- २४ वटी नियम ७
- २५ घनू १११ और नियम १२४
- २६ घनू ११०
- २७ घनू १०९
- २८ घनू ११७ (१)
- २९ घनू ११७
- ३० नियम २९४

- 31 अनु. 3
32. अनु. 169
- 33 नियम 157, 158 और 159
- 34 अनु. 68 (2)
- 35 नियम 65, 69 और 70
- 36 नियम 27 (1)
- 37 राज्य सभा में गैर सरकारी मदमां के विधेयकों निया मतभेदों मध्यस्थी नमिति गढ़ी होनी
- 38 नियम 70

□

वित्तीय मामलों में प्रक्रिया बजट और वित्तीय विधान

सोहनाचिक द्वारा में निगाचित सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि वह लोगों के मालादिव एवं भादिव उत्थान के लिए विकास दोनों ए कार्यान्वयन करे तथा उनकी आवास उपलब्ध कराएँ, उनके लिए शिक्षा की उपलब्धता करे, सशरण्य मेंकाएँ लडाएँ एवं गोशी-गोदी के साधन उपलब्ध कराएँ। इसके प्रतिरिक्ष देश के सम्मुख विधि व्यवस्था कराएँ रखने तथा गान्धी की बाहरी प्राक्षसना में अधा परने का दायित्व भी सरकार के लायंकेन में आता है। बहुत न होता कि इन सब दायों के लिए आवायक वित्तीय मामले (Financial Resources) जुटाने, प्रभागिताएँ निपाउने करने लोर लायंकम लाने वा वाम भी सरकार का होता है। घर इन हृष्यों के लिए गवाहार को धन की आवश्यकता होती है और देश के मनाशनों में ने बचों, ज्ञानी भादि के लिए जुटाया जाता है। देश के प्रमाणन (Resources) पूरि सीधित होने की घर लिप्रम सरकारी कारों के लिए दुर्लभ मामलों का आइटन करने द्वारा उचित बजट व्यवस्था करना आवाय हो जाता है बरोडि करों भोर करुओं के लिए धन लोगों में जुटाया जाता है। घर सरकार के वित्तीय प्रस्तावों के लिए लोगों की मनुषी नेता आदर्शह है जो समझ में उनके नुस्खे हैं प्रतिनिधियों के द्वारा स्पष्ट रूप में व्यक्त हो जाती है। इसी उद्देश्य के लिए भारत सरकार गान्धी के दोनों गढ़ों में प्रत्येक वर्ष बजट पेश करती है।

बजट क्या है

अन्येह वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में प्राक्षसन सरकार का कागिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) या अनुमानित आय और व्यय का विवरण (Estimated receipts and expenditure Statement) प्राप्त होता है। बजट कहलाता है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष इस समय प्रत्येक वर्ष की प्रथम प्रव्रेत्र से प्रारम्भ होता है। गत्सेप में, बजट से इस बात का व्योरा दिया

गया होता है कि समाधन (Resources) किस प्रकार जुटाये जायेंगे और आगामी वर्ष किन-किन मदों पर कितना धन खर्च किया जाना है।

संविधान में उपबंधित है कि कोई कर, विधि के प्राधिकार से अधिरोपित या मण्डूहीत किया जाएगा, अन्यथा नहीं और राष्ट्रपति प्रत्येक विलीय वर्ष के सम्बन्ध में संसद के दोनों मदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्रावक्षित प्राप्तियों और व्यय का विवरण (Statement of estimated receipts and expenditure) रख पाएगा¹। इस प्रकार वित्तीय मामलों में लोक सभा की सर्वोच्चता सुनिश्चित होती है। चूंकि व्यय के प्रत्येक प्रस्ताव को संसद द्वारा केवल एक वर्ष के लिए मंजूर किया जाता है सरकार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए संसद को नज़र अन्दर नहीं कर सकती है। संविधान में भारत की "सचित निधि" (Consolidated Fund) के लिए उपबंधि किया गया है जिसमें अग्रणी, अग्रिम राशियों इत्यादि द्वारा प्राप्त सारा राजस्व (Revenue) जमा किया जाता है।² बजट में व्यय इस प्रकार पृथक-पृथक दिखाए जाते हैं — (क) संविधान में भारत की सचित निधि (Consolidated Fund of India) पर प्रभारित व्यय की पूर्ति के लिए अवैधित राशिया, और (ख) भारत की गचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्तावित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अवैधित राशिया। प्रथम श्रेणी के व्यय के बारे में दोनों मदनों में चर्चा हो सकती है परन्तु उसे दोनों में से किसी भी मदन के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता। अत वह बजट का मतदान के लिए न रखा जा सकने वाला भाग है। निम्नलिखित व्यय भारत की सचित निधि पर प्रभारित व्यय में सम्मिलित होता है। राष्ट्रपति की परिलिङ्घिया और भत्ते तथा उसके पद से मवधित अन्य व्यय राज्य समा के सभापति और उप सभापति के तथा सोक समा के प्रध्यम और उपाध्यक्ष के बेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बेतन और अन्य भत्ते, भारत के नियन्त्रक-महालेया-परीक्षक को, या उसके सदस्य में, सदैय बेतन, भत्ते और पैशन तथा कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद द्वारा, विधि द्वारा इस प्रकार प्रभारित पोषित किया जाता है। दूसरी श्रेणी का व्यय लोक सभा के समक्ष प्रभुदानों की मांगों (Vote of Grants) के स्वप्न में रखा जाता है। लोक सभा को यह प्रधिकार प्राप्त है कि वह किसी ऐसी मांग को स्वीकार करे या स्वीकार करने से इकार कर दे व्यवसा इस मांग में कमी कर दे। किसी प्रभुदान की ऐसी मांग राष्ट्रपति की गिफारिया पर ही की जा सकती है, अन्यथा नहीं³। इन मांगों का उद्देश्य चूंकि सरकार के कार्यहामो और नीतियों को लागू करना होता है इसलिए यदि कोई मांग पूरे तोर पर अमीरूत बर दी जाती है तो इसका व्यय सरकार की पराजय होता है।

भारत की सचित निधि में से कोई धन संसद् पार द्वारा लिए जाने वाले विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) के अधीन ही निकाया जा सकता है, अन्यथा नहीं।⁴

बजट सदृशी बाये करते समय समाद् भे जो प्रतिया अपनाई जाती है, उसकी तोन व्यवस्थाएँ हैं।

(क) बजट पेश किया जाना। लोक सभा में बजट दो भागों में, वर्षात् रेत वित गे संबधित रैत बजट प्रोट रेतों को द्वाइकर मारन गरकार की समूची विस्तीर्ण स्थिति को दर्शाने वाला "सामान्य बजट" (General Budget) रेतवे के लिए भवन बजट पेश करने का मूल उद्देश्य यह या हि रेतवे राजस्व से विचित्रत हृष में सामान्य राजस्व को घटादान किये जाने की व्यवस्था करन ग्राहकनामों में स्थिरता तापी जाये और रेतवे वित भे प्रगतासन में लचीतापन लाया जाये।

रेत बजट रेते मरी दारा लोक सभा में प्रत्येक वर्ष कारबरी भाग के तीसरे मात्रात् में रिसी दिन प्रस्तुत किया जाता है और सामान्य बजट प्रतिवार्ष फरवरी के दर्शन राय-दिवार को ३ बज गप पर देश किया जाता है। सामान्य बजट विन मरी दारा । इसमा में पश्च दिया जाता है। मध्ये के बजट भाग वे दो भाग होने हैं, भाग 'ए' में देश का सामान्य अधिक सर्वेताप (Economic Survey) और भाग "ए" में पाने वाने विनीद वर्षे ले निए कराधान मरीपी प्रस्ताव (Taxation Proposal) होने हैं। भागल दो गवाहित के पश्चात् विन मरी बजट को एक प्रति इक्ष्य प्रमाणित पर राज्य सभा के पृष्ठ पर रखता है। उसके तुरन्त बाद वित मरी लोक सभा में, पाने रप्ते वे पश्चात् में गरकार के विनीद प्रस्तावों का काये रूप देने के लिए विन दिएपर देग करता है जिसमे ग्राहकार के कराधान प्रस्ताव होने हैं। उसके बाद सभा की दृढ़क स्पष्टित हो जानी है और जिस दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन बजट पर चर्चा नहीं की जानी।

(ख) बजट पर चर्चा बजट पर दो भवनों (Stages) में चर्चा होती है, पर्वा (१) पहुँच उग पर सामान्य चर्चा (General Discussion) होती है और उगे पश्चात् प्रश्नकारों की भागी (Demands of Grant) पर विस्तृत चर्चा तथा प्रश्नान होता है। बजट एवं चर्चा बजट पेश किए जाने के दुष्ट दिन पश्चात् आरम्भ होती है।

सामान्य चर्चा बाद-दिवार (Debate) में आरम्भ होती है जो दोनों भवनों दे लोन-चार दिन तक चलता है। सामान्य चर्चा के दोगत सभा को इस दान की पूरी रूट होती है कि वह चाहे तो समूचे बजट पर चर्चा करे, परन्तु कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। प्रश्नानन की सामान्य सभीता की जा सकती है। प्रश्नानन और व्यय के बारे को चर्चा ता विषय नहीं बनाया जाता है। चर्चा वे दिन दिन यक्षी के भागल में उल्लिखित गरकार नीति तक ही सीमित होती है। इस प्रश्नार सामान्य बाद-दिवार में प्रत्येक भवन को भपने दिवार व्यता करने का अवसर मिलता है यिसमे ग्राहकार को यह धाराग हो जाता है कि प्रस्ताव विजेत के प्रतिवाद की अवस्थाओं में बरा प्रतिक्रिया होती। गाय भवा जो दी गई गति के प्राप्तार

वहाँ केवल सामान्य चर्चा होती है। केवल लोक सभा तो ही मार्गो पर भवित्वन का अधिकार प्राप्त है।

(ii) सामान्यता, प्रत्येक मत्रालय को दिये जाने वाले अनुदान (Grants) के मध्य में एक अलग मार्ग की जाती है। इन मार्गों का सबध बजट के ब्यवहार वाले भाग से होता है। इनके जरिये कार्यपालिका लोक सभा से निवेदन करती है कि मांगी गई राशि को खाच करने का उन्हें अधिकार दिया जाये। अनुदानों की मार्ग (Demands For Grants) सामान्यतया मध्यद मंत्री द्वारा सभा में प्रत्युत नहीं की जाती। ये मार्ग पेश की गई मानी जाती हैं तथा सभा का समय बचाने के लिए अध्यधारीठ (Chair) द्वारा प्रस्तावित की जाती है। इस प्रक्रम में चर्चा का क्षेत्र ऐसे भासने तक, जो मत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन होता है और उम मार्ग के प्रत्येक शीर्षक (head) तक, जो सभा में भवित्वन के लिए रखी जाती है, सीमित रहता है।

मार्गो पर चर्चा के दौरान मध्यद मत्रालय की नीतियों और कार्यकरण की विस्तारपूर्वक जाच की जाती है। प्रत्येक मत्रालय की मार्गो पर चर्चा के लिए अनुग्र-अनुग्रह समय नियत किया जाता है। मदस्थों को इस बात की दृढ़ होती है कि वे किसी मत्रालय विशेष द्वारा अपनाई जाने वाली नीति का निरनुमोदन कर गके अथवा उम मत्रालय के प्रशासन में मितव्ययिता (economy) लाने हेतु उपाय सुझा मके अथवा उम मत्रालय का ध्यान डिगिट स्थानीय शिकायतों वी और आकृष्ट कर सकें। इस प्रक्रम में अनुदानों की मार्गो के मूल प्रस्ताव के नहायक प्रस्ताव पेश करके सदस्य ऐसा कर सकते हैं। इन महायक प्रस्तावों को समदीय भाषा में “कटीनी प्रस्ताव” (Cut-Motion) कहा जाता है।¹⁸ परन्तु किसी मार्ग में कमी करने वे उद्देश्य से पेश किये गये किसी प्रस्ताव में मशोधों भी अनुमति नहीं होती है।

कटीती प्रस्ताव . अनुदानों की मार्गो की राशियों में कमी करने वाले प्रस्ताव “कटीनी प्रस्ताव” रहता है। कटीती प्रस्तावों को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है (एक) नीतिनिरनुमोदन कटीती (Disapproval of policy cut), (दो) मितव्ययिता कटीती (Economy cut) और (तीन) गावेतिक कटीती। मवंग प्रभावी कटीती प्रस्ताव “नीति निरनुमोदन कटीती” प्रस्ताव होता है जिसमें कहा जाता है कि मार्ग की राशि को पटाकर एक दृष्टा किया जाये। इसका तात्पर्य होता है कि प्रस्तावक मार्ग में घन्तप्रेस्त नीति का निरनुमोदन करता है। इसके अनिरिक्त “मितव्ययिता कटीती” प्रस्ताव होता है जिसका उद्देश्य यह में पितव्ययिता लाने की दृष्टि से मार्ग की राशि में दृष्टा (एक राशि विषय) वी कमी की जाये। कम करने के लिए मुझाई गई राशि मार्ग में एक मुश्त राशि (lump-sum) वी कमी करने के बारे में हो सकती है या मांग में से इसी गद दो हटाने परवा उममें बमी करने वे बारे में हो सकती हैं। अन्तिम कटीती प्रस्ताव “गावेतिक कटीती” (Token cut) प्रस्ताव होता है जिसमें कहा जाता है “कि मार्ग की राशि

में । १३० एवं कम नियं जाते ।” ऐस कटीती प्रस्ताव पर चर्चा उसमें विनिर्दिश शिकायत तक ही सीमित रहती है, जो भारत सरकार के उत्तर-दायित्व के लेने में होती है। कटीनी प्रस्ताव के स्वयं में, इस प्रस्ताव का सबसे मध्यिक प्रयोग किया जाता है ।

गामान्यतया, मूल प्रस्ताव और उसमें गबर्डिन कटीती प्रस्ताव पर मदन में एक माय चर्चा की जाती है और उसे मतदान के लिए रखा जाता है । प्रत कटीती प्रस्ताव में माध्यम में अनुदानों की मांग (Demands of Grants) पर चर्चा प्रारम्भ की जाती है । चर्चा के पश्चात्, मवप्रथम कटीती प्रस्तावों (Cut motion) की विषटाया जाता है और उसके बाद अनुदानों की मांग मदन में मतदान के लिए रखी जाती है । कटीती प्रस्ताव विषय के मदस्यों द्वारा पंथ किए जाते हैं । उसे “स्वाकार ह” जान से ताप्त्य होता है स्वाकार की निम्ना । तिन्हु मदन में अदृष्ट भी सरकार होने से उनके स्वीकृत होने की मांग ही नहीं होती । यह कटीती प्रस्ताव अनुदानों गबर्धी मांगों पर चर्चा प्रारम्भ करने के प्रतीक मात्र होते हैं ।

किसी मांग विशेष की ओर बन्ट महित अनुदानों की मांगों पर चर्चा हेतु और उनका स्वीकार करने के लिए माय का बाबटम कायं-मवणा गमित (Business Advisor Committee) द्वारा किया जाता है । जैस ही किसी मांग का मध्य-गोपा घोषित होती है, उस पर चर्चा के “समाप्त” (Closure of discussion) की प्रक्रिया लागू की जाती है और मांग का मतदान के लिए रखा जाता है । नियत दिनों में प्रतिनिम दिन निविधि समय पर अध्यक्ष अनुदानों की मांगों से गवर्डिन मध्ये यामलों की विषटाने के लिए मावश्यक प्रत्येक प्रश्न सभा के मध्य रखता है । इस अनुदानों की मांगों पर “चर्चा की समाप्ति” (Closure) कहत है । इसक साथ ही अनुदानों की मांगों पर चर्चा घोषित हो जाती है ।¹³

(ग) विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) सविधान के अनुभ्यंद 114 के उपरांतों के अनुसार भारत की गचिन विधि (Consolidated fund of India) में बोई भी एनराणि तय तक नहीं विकाली जा सकती जब तक कि उगके सम्बन्ध में कानून द्वारा विनियोग (Appropriation) न किया गया हो । सभा द्वारा अनुदानों की मांग (Demand of grants) पारित किये जाने के बाद, अनुदानों को और भारत की गचिन विधि पर प्रभारित व्यय (Charged) व्यय दो गूरा करने के लिए मध्ये एनराणियों का नाम ली गचिन विधि से से विनियोग करने की व्यवस्था करने के लिये एक विधेय (Bill) पुराम्यापित किया जाता है, उगपर विचार किया जाता । और उसे पारित किया जाता है । उसमें वे राखिया भी शामिल होती हैं जो भारत की संचिन विधि पर प्रभारित व्यय हैं । इस विधेयक का प्रारंभ

गचित निधि मे से व्यय के विनियोग के लिये गरकार को कानूनी समिक्षार देना है।

विनियोग विधेयक पर चर्चा उसमे शामिल अनुदानों मे निहित लोक महत्व के विषयों पर प्रशासनिक नीति तथा ऐसे मामलों तक, जो अनुदानों की मापों पर चर्चा करते समय पहले उठाये गये हों, सीमित रहती है। इस पर कोई संशोधन पेश नहीं किए जा सकते।¹¹ अन्य मामलों मे विनियोग विधेयक सम्बन्धी प्रशिया वही होती है, जो कि अन्य विधेयकों के सबध्य मे होती है। विधेयक वो लोक सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् प्रध्यक्ष उसे धन विधेयक (Money Bill) होने वे स्वप्न मे प्रगाथीकृत करता है और उम्मदों राज्य सभा के यात्र भेज देता है। राज्य सभा वो धन विधेयक मे संशोधन करने या उसे अम्बीकृत करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। उम्मदों विधेयक पर अनुमति स्वीकृति देनी ही होती है। तत्पश्चात् विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिये उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

(प) वित्त विधेयक (Finance Bill) "वित्त विधेयक" का अर्थ उस विधेयक मे है, जो मामान्यतया, प्रतिवर्ष, अगले वित्तीय वर्ष के लिये भारत गरकार के वित्तीय प्रस्तावों (Financial proposals) का स्वीकृति देने के लिये पुर स्थापित किया जाता है तथा उसमे एमा विधेयक भी शामिल होता है, जो किसी अवधि के लिये अनुपूर्ख (Supplementary) वित्तीय प्रस्तावों की स्वीकृति दता है।¹² यह विधेयक साधारणतया प्रत्येक वर्ष बजट पेश किये जाने के तुरन्त पश्चात् लोक सभा मे पश किया जाता है।

वित्त विधेयक के पुर स्थापन का विरोध नहीं किया जा सकता और उसे तुरन्त मतदान के लिये रखा जाता है।¹³ विधेयक पर चर्चा सामान्य प्रशासन सम्बन्धी मामलो, भारत गरकार की जिम्मेदारी के अन्तर्गत प्राप्त वाले प्रश्नों के सबध्य मे स्थानीय शिकायतों या सरकार की वित्तीय परवाधा धन मवधी नीति के सम्बन्ध मे ही उठायी जा सकती है।¹⁴ वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार की ओरति की सामान्य प्रालोचना की तो अनुमति है किन्तु किसी विशेष प्रावक्तव्य के द्योरे पर चर्चा करना नियमानुकूल नहीं है। सधार मे सारे प्रश्नों की समीक्षा ही जा सकती है। परन्तु उन प्रश्नों को फिर से नहीं उठाया जा सकता जिन पर पहले किसी बाद-विवाद मे चर्चा हो चुकी है। वित्त विधेयक समद् द्वारा, उम्मदे पुर स्थापित किये जाने के 75 दिनों के भीतर पास करना पड़ता है और उसी अवधि के भीतर राष्ट्रपति वो अनुमति उन पर वर मिलना प्रावश्यक है।¹⁵

लेखानुदान (Vote on Account) :

जू कि बजट सम्बन्धी समूचा कार्य, जो बजट के पेश किये जाने से प्रारम्भ होता है और अनुदानों की मापों पर चर्चा और मतदान तथा विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के पारित होने पर समाप्त होता है, सामान्यतः चानू वित्तीय वर्ष मे पूरा नहीं हो पाता, इसलिये संविधान मे ऐसा उपबन्ध किया गया है, जिसके

इन्हें लेवानुदान (Vote on Account) द्वारा एविष घटुडान देने की गणितीय सभा का दो पैसे है। जिसमें सरकार घटुडानों की मात्रा (Decrees for expenditure) पर महान होने वाला विनियोग वित्तेक (Appropriation Bill) और वित्त वित्तेक (Finance Bill) के पासित होने तक घटुडान कार्य चला जाता है।¹⁴

सम्भालन लेवानुदान की घोषीकृति दो महीनों के बिन्दे नी जाती है और इसकी राशि घटुडानों की विनियोग मात्रों के संचयन समन्वय वर्ष के निये प्राप्तियनियत (Estimated Expenditure) व्यय के बजट भाग के बजार हीनी है। यदि किसी वित्तीय वर्ष में यह यूवानुदान हो कि मामा को मुख्य घटुडानों और विनियोग वित्तेक को पारित करने में अधिक समय लग जाता है तो लेवानुदान की घोषीकृति अधिक व्यय घट्टांत तोन से चार मास तक के लिये सी जा सकती है, प्रथानुमार लेवानुदान को एक औरवारिका माना जाता है और इसे जोक सफा किसी वर्ष के बिना ही स्वीकार करनी है। बजट पर नामान्य वर्षी क्षमान्य होने के पश्चात और घटुडानों की मात्रों पर वर्षों पारस्पर करने ने वर्ष नोक समा जाग लेवानुदान घोषीकृत किया जाता है। ऐसे बजट के सम्बन्ध में बिने 31 मार्च में दहने स्वीकार किया जाता है, किसी वित्तीय वर्ष को छोड़कर जब उसका करना आवश्यक हो, कोई लेवानुदान घोषीकृत नहीं किया जाता है।

अनुपूरक तथा अतिरिक्त घटुडानों की मात्रा¹⁵

मम्प द्वारा स्वोकृत राशि से अधिक व्यय उसकी मात्री के बिना सर्व नहीं किया जा सकता। याद किसी सेवा विवेष पर चालू वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाते के निये प्राप्तिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोगनों के लिए अपर्याप्त नाई जाती है या जब उस वर्ष के बजट में दर्शाइन किसी नई सेवा के निये चालू वित्तीय वर्ष में घटुट्टरक या अनियिक व्यय (Supplementary or additional expenditure) करने की प्राप्तियनियत पेश होती है, तो राष्ट्रपति समझ के दोनों मदनों के समझ उन व्यय को प्राप्तियनियत राशि दिखाने वाला एक और विवरण प्रस्तुत करवाना है।

याद किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर इस सेवा और उस वर्ष के निये घटुटत राशि (Granted amount) से अधिक व्यय हो जाता है तो राष्ट्रपति लोक समा में ऐसे अनियिक व्यय के बिन्दे माम प्रस्तुत करवाना है। ऐसे अनियिक व्यय के मामों मामनों की ओर नियक और महा भेद्या परीक्षक (Comptroller and Auditor General) द्वारा विनियोग लेवान्डो सम्बन्धी प्रतिवेदन के साथ-साथ में सम्पूर्ण का इयान दिखाया जाता है। कुप्रस्वारु अनियिक व्यय के इन मामलों की दृष्टि शीत मोरु लेहा क्षमिति जाग की जाती है, जो माम को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन में इन सेवा विनियोग करने के बारे में घटनी नियारियों देख करती है। घटुट्टरक घटुडानों (Supplementary grants) को जाने वित्तीय वर्ष का अन्त होने से वर्ष देख और स्वीकार की जाती है, जब कि घटुडानों की अतिरिक्त मामें बास्तव में इन व्यय किये जाने के पश्चात तक उस वित्तीय वर्ष, विनो-

गवध में वे हैं, के समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत नी जाती है।

अनुपूरक अनुदानों की मागों पर वाद-विवाद बेवल उन मदों तक ही सीमित रहता है जिन्हें कि प्रस्तुा किया गया हो, पौर जहाँ तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें वजट करने के लिये आवश्यक न हो, मूल अनुदानों पर या उनमें सम्बन्धित नीनि पर कोई चर्चा नहीं हो सकती।¹⁸ उन योजनाओं के सम्बन्ध में, जो मुख्य वजट में पहले ही मजूर की जा नुकी है नीति गवधी या शिक्षान्त गवधी (किसी पर कोई चर्चा उठाने की अनुसति नहीं ही जाती। जिन मामों के गवध में कोई मजूरी न ले ली गयी हो, उनमें गवध में नीति गवधी प्रस्तु उन्हीं मदों नहीं सीमित रहे जाते), जिन पर सभा को मतदान करता है। किसी अनुपूरक मतदान पर चर्चा के समय मामान्य जिकायते नहीं बत यी जा सकती है। कोई सदस्य बेवल इतना कह सकता है कि अनुपूरक माग आवश्यक है या नहीं।

अनुदानों की अतिरिक्त मागों (Additional demands for grants) पर चर्चा के दौरान गदस्य केवल पह कह मरते हैं कि कैसे धन का अनावश्यक स्थ में व्यय किया गया है या इसका व्यय नहीं किया जाना चाहिये था।

प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान (Votes of Credit and Exceptional Grants)¹⁹

जब किसी सेवा की महत्त्वाया राष्ट्रीय आपात के कारण गरकार को धन की अप्रत्याशित राँग को पूरा करने के लिये निधियों की आवश्यकता हो और जिसके गवध में ऐसा ब्योरा देना गम्भय न हो जो कि वायिक वित्तीय विवरण (Financial Statement) में मामान्यतया दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में मदन विवा रवीरे दिये प्रत्ययानुदान के माध्यम से अप्रत्याशित माग (unexpected demand) की पूति के लिये अनुदान बोरुत कर सकता है।

अपवादानुदान (exceptional grant) एक ऐसा अनुदान है जो किसी विनीय वर्ष की चालू सेवा का भाग नहीं होता है। समद को किसी विशेष प्रयोजन के लिये हो स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त है। तथापि आज तक ऐसी कोई मार्ग मगद में प्रस्तुत नहीं की गई है।

इसके अलावा, गम्भ राज्य सेवा और राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्यों के वजट भी सोक गमा में पैश किये जाते हैं। ऐसे मामलों में केंद्रीय गरकार की वजट गवधी प्रतिया गम्भय द्वारा लिये गये परिवर्तनों के गाय घणनाई जाती है।

प्रयोग नहीं किया गया है। यह “वाणिक वित्तीय विवरण” का लोक प्रिय नाम है।

2. अनु० 266 इसके अतिरिक्त एक आकमिना निधि भी हाती है जो राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अविलम्बनीय और अप्रत्याशित व्यष्टि की पूर्ति के लिये राष्ट्रपति के पास रहती है। (अनु० 267)
3. अनु० 113
4. अनु० 114(1)
5. नियम 219
6. नियम 205
7. नियम 207
8. नियम 209
9. नियम 362
10. नियम 208
11. नियम 218
12. नियम 219(1)
13. नियम 72(द्वितीय परन्तुक)
14. नियम 219(5)
15. देखिये करो का प्रस्थाई ग्रन्हण (संशोधन) अधिनियम, 1964
16. अनु० 116(1)(क) और (ल)
17. अनु० 115
18. नियम 216
19. अनु० 116



संकल्प, प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचनायें और अल्पकालीन चर्चायें

सदन में लोक महत्व के मामले उठाने की प्रक्रियायें, अविश्वास और निन्दा प्रस्ताव सम्बन्धी प्रक्रियायें

“शून्य काल” (Question hour) “शून्य काल” (Zero hour) और “धार्य घण्टे की चर्चा” (Half-an-hour Discussion) के अलावा प्रदिनमन्त्रीय लोक महत्व के मामले उठाने के लिए गमद मदस्य को अनेक अनिवार्य प्रक्रियागत उपाय उपलब्ध हैं। प्रधानों के उनर प्राप्त बरते के लिए एक निश्चित अवधि दरबार होती है। “शून्य काल” जैसा पहले तो नियमों में दुष्ट होती नहीं और फिर उस के दोरान एक ही अवसर पर अनेक मदस्यों के बोलते में मामले का गोर में प्रोभत हो जाने की अघिक सम्भावना रहती है। इसी अप्रत्याशित स्थ में उत्तम गमस्या की ओर मरवार का तुरन्त ध्यान आकर्षित करते हैं लिए गमद गदस्य के पास निम्ननिमित अन्य उपाय उपलब्ध हैं यथा मकान्य (रिजोल्यूशन), प्रस्ताव (मोशन), ध्यानाकर्षण सूचनायें (कानिंग एटेन्शन नोटिसिज) स्थगन प्रस्ताव (एडजानेट मोशन), अल्पकालीन चर्चायें (गार्ट ड्यूरेशन दिस्कशन) और नियम 377 के अधीन उन्नेत। उक उपायों के प्रयोग के लिए लोक गमा के प्रक्रिया नियमों में अधिक्षया की गई है। राज्य गमा में भी ऐसी ही अधिक्षया है जिवाय इसके लिए राज्य गमा में स्थगन प्रस्ताव नहीं रखे जा सकते क्योंकि उनमें मरवार के प्रति निःशा वा तत्त्व होता है। नियम 377 के रूपान पर राज्य गमा में विशेष उल्लेख की अधिक्षया है।

“कि इम बात से चिर्णित होते हुए कि विभिन्न देशों में विकास कार्य क्रियान्वयन में प्रशासन विलम्ब के कारण राष्ट्र आकाशांशों के प्रनु-कूल आगे नहीं बढ़ रहा है, यह सभा सरकार में सिफारिश करती है कि वह सभी स्तरों पर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर वरावर निगरानी रखने, प्रगति में वाधक तत्त्वों का पता लगाने और जहाँ कोई परियोजनाएँ रुकी हुई हों और उनमें विलम्ब हो रहा हो वहाँ तुरन्त उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय साविधिक निगरानी निकाय की स्थापना करे।”

इसी सदस्य की निम्नलिखित मूचना १० धरमस्त, 1982 की सकल्प (Resolution) के रूप में गृहीत हुई थी और पेश की गई थी

“सरकार के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम को शीघ्र कार्यन्प देने की महत्वपूर्ण आवश्यकता की दृष्टि से यह सभा सिफारिश करती है कि सभी स्तरों पर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर वरावर निगरानी रखने, प्रगति में वाधक तत्त्वों का पता लगाने और उन्हें शीघ्र कार्यन्प देने के लिए तुरन्त उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए सरकार के अधीन एक निगरानी निकाय की स्थापना की जाये।”

सकल्प मूल प्रस्तावों की थेएयो में आते हैं अर्थात् प्रत्येक मकाल प्रकार का प्रस्ताव होता है। जबकि सब प्रस्ताव मूल प्रस्ताव नहीं होते। सब सकल्पों पर मदन में मतदान होता है। दूसरी ओर सब प्रस्तावों को मतदान के लिए सदन में रखा जाना अनिवार्य नहीं होता है। मूल प्रस्ताव होने के कारण किसी सकल्प पर स्थानापन्न प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता जबकि मूल प्रस्तावों से भिन्न प्रस्तावों पर स्थानापन्न प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं।

विभिन्न प्रकार के सकल्प :

मकल्पों को इन थेएयों में बाटा जा सकता है। गैर सरकारी मदस्यों के मकल्प, सरकारी सकल्प, और साविधिक सकल्प।

(क) गैर-सरकारी सदस्यों के मकल्प (Private Member's Resolution) मन्त्रिमण्डल के मदस्यों को छोड़कर शेष मदस्य गैर-सरकारी सदस्य कहलाते हैं। उनमें द्वारा पेश किए जाने वाले सकल्पों को गैर-सरकारी मदस्यों के सकल्प कहा जाता है। इनमें अनिश्चित प्रस्तावों या ऐसे प्रस्तावों के बारे में जिन पर जनमत अभी बनना हो, मदन के विचार जानने का सरकार को ग्रबसर मिलता है।

लोक सभा में हर दूसरे शुक्रवार की बैठक के अन्तिम ढार्ड घण्टे गैर-सरकारी मदस्यों के सकल्पों पर चर्चा के लिए नियत किये जाते हैं। गैर सरकारी मदस्यों को, जो सकल्प प्रस्तुत करना चाहते हों प्रथमतया बैनट की तारीख में कम में कम दो

इन वहें सदस्यों को इम आगा जी देना विविध सूचना ही देनी होती है । बिन ग्रन्तकारी की तेसी सूचनाएँ प्राप्त होती हैं उनवे नामों सह बैठक इया जाता है । तोक मनों में जीव सदस्यों के नामों और राज्य मध्य में पाज सदस्यों के नामों का बैठक डारा लिखित होता है ताकि ऐसा प्रत्येक सदस्य सकला की नूचना दे सके ।^५ यदि ये महाराजों का निमों अध्येता, तो उन्हें ग्रन्तकारी सदस्यों की शार्य-भूमि में राज दिया जाता है । यीडामीन प्रधिकारी द्वागे पूर्वारे जाने पर गम्भिर ग्रन्तकार बनता है और ग्रन्तकारी भाषण देता है ।^६ तुप्रचात् दग्ध यदस्य और गम्भिर मध्ये भी बोल मरते हैं । बबलन शहदा ।^७ जाने के बाद कोई सदस्य, सकलों में गम्भिर नियमों के अनीत रहते हैं महाराजों में गतोधन प्रमुख कर महारा तै है ।^८ ग्रन्तकारी सदस्यों के महान्यो पर वर्चा काने के निए समय या घावटन ग्रन्तकारी सदस्यों के विषेशों तथा महान्यो ममिनि वर्ती है । ग्रन्तकारी विषों ग्रन्तकारी सदस्य वे सकलों पर वर्चा के लिए हो पाए वा दाम समय घावटन दिया जाता है । कहीं वे घावटन से दाकादू ग्रन्तकारी सदस्य को इतर देने का अधिकार होता है ।

(ग) सरकारी सकल्प (Governmental Resolution) ग्रन्तकारी कलों द्वारा या उम्मीद ग्रन्तकारी में उम्मीदों द्वारा देश दिया जाने वाला सरकारी ग्रन्तकारी सदस्यों के लिए सूचना देने को कोई अवधि निर्भावित नहीं ही गयी है वास्तव में यन्होंने उस लिए कई दिन लगे ग्रन्तकारी की गुण सूचना देते हैं जिस दिन उन्हें कार्य-भूमि में रखा जाता है । कोई सरकार देश इनकी ज्ञानों इकत्ता की सूचना यन्होंने जो भी ग्रन्तकारी को देनी हाती है । ग्रन्तकारी महान्यो पर भी याहाता सरकारी वही नियम लागू होते हैं जो वे ग्रन्तकारी सदस्यों के ग्रन्त्यो पर । यिसी ग्रन्तकारी सरकार या नियम दिया जाता है ।^९ उम्मेद ग्रन्तकारी सदस्यों की विवाहित वर नियम दिया जाता है ।^{१०} उम्मेद ग्रन्तकारी सदस्यों को नियमार्थी और सकल्प के नियमार्थी के सरकार में दाकी प्रोफेशन कही है जो कि ग्रन्तकारी सदस्यों के सदस्य के ग्रन्त्यो में है ।

ग्रन्तकारी सदस्यों का उद्देश्य मामायतया तेसी अन्तर्भुक्ति संघियों, अभिगमयों या वराओं यह सदन का अनुसोदन लेना होता है जो सरकार द्वारा सम्प्रभ किए गए हों या ग्रन्तकार की कुछ नीतियों की घोषणा करना या उनका अनुयोदन, या कुछ गमिनियों की मियांश्लों का मनुष्योदन करना होता है ।

(ग) साफाफिक सदस्य (Co-institutional Resolution) सरकारी या सम्प्रभ के यिसी अधिनियम के उपरान्धों के सन्तर्भत रोगे गये सकलों को साविधिक सकल्प कहा जाता है ।^{११} तेसी साफाफिक यिसी मनों द्वारा या यिसी ग्रन्तकारी सदस्य द्वारा देश दिए जा सकते हैं । सेवित ग्रन्तकारी सदस्यों में स्पष्ट स्पष्ट से पहा गया होता है

कि सरकार निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे मकल्प अवश्य लायें। किसी मानविधिक सकल्प को रखने की सूचना की कोई विशेष अवधि निर्धारित नहीं होती, जब तक कि इस प्रकार की अवधि का उपबन्ध गविधान के किसी विशेष अनुच्छेद या उस अधिनियम की विशेष धारा में न किया गया हो, जिसके अन्तर्गत इसको रखा जा रहा हो।¹⁰ यहीत कि जाने के पश्चात् मानविधिक मकल्प बच्चा के लिए समय सरकार द्वारा सरकारी कार्य के लिए नियत समय में में दिया जाता है जो सदन द्वारा कार्य-मन्त्रणा मिति की सलाह पर निश्चित किया जाता है।

गैर-सरकारी सदस्य का मकल्प, सरकारी मकल्प या मानविधिक मकल्प, सदन द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् सभी की एक प्रति महामन्त्रिव द्वारा अवधित मन्त्रों को प्रेषित भी जाती है।

सदन द्वारा स्वीकृत संकल्पों या प्रस्तावों का प्रभाव यदि कोई प्रस्ताव अथवा मकल्प सदन द्वारा स्वीकृत हो जाता है और मदन इनके बारे में अपनी राय की घोषणा करता है तो उससे सदन का आदेश अभिप्रेत होता है। प्रभाव की दृष्टि से समद् द्वारा स्वीकृत मकल्प इन थेलियो में पाते हैं-

(एक) ऐसे मकल्प, जो सभा द्वारा घटक की गयी राय मात्र है। उनका उद्देश्य सभा की राय जानना होता है। अतः सरकार ऐसे संकल्पों में घटक किए गए विचारों का कार्यरूप में परिणत करने के लिये बाध्य नहीं होती है। यह बात पूर्ण स्पष्ट से सरकार के विवेकाधिकार पर निर्भर करती है कि ऐसे मकल्प में जिस कार्यवाही का सुभाव दिया गया है, वह उसे करे या नहीं।

(दो) ऐसे मकल्प, जिनका मानविधिक प्रभाव है, यदि इस प्रकार वे मकल्प स्वीकार हो जाएं, तो सरकार उनके द्वारा बाध्य हो जाती है और ऐसे मकल्प में वही गति होती है जो कि किसी कानून में। गविधान में उपबन्ध है कि इस प्रकार के मकल्प राष्ट्रपति पर अभियोग (Impeachment) चलाने, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य सभा वे उप-ममायति को हटाने, राष्ट्रपति द्वारा प्रलयापित किसी अधारेश (Ordinance) का निरन्तरोदान करने, राष्ट्र के हित में राज्य-मूर्ची में गम्भीर गम्भीर विद्यमान बनाने की गति गमद् को देने, प्रतिल भारतीय सेवाधीनों का सूजन करने, और आपात सियनि वी उद्योगणा को स्वीकृत करने जैसे प्रयोजनों के लिए ऐसा किए जाते हैं।¹¹

(तीन) ऐसे मकल्प जो कि सभा भागी कार्यवाही पर नियन्त्रण के सदर्भ में पाग करती है। इन गठनों के स्वीकृत हो जाने पर उनमें वही बल

होता है जो कि कानून में और किसी भी न्यायालय में उनकी वैधता पर प्राप्ति नहीं हो जा सकती है।

सकल्प, चुक्ति, राय प्रवाट करने या सिक्षणिण करने के न्यून में ही सकता है, प्रथम हीमें न्यून में ही सहित है जिसके द्वारा सभा सरकार के किसी हृत्य का नीति का प्रनुभोदन या निरनुभोदन करती है। यदि विषय सरकार के किसी कार्य पर नीति ने निरनुभोदन करने में सफल हो जाती है तो व्या उस सकला बो सरकार द्वी विनामाना जाना चाहिए और ऐसी सिद्धि में व्या सरकार को वद व्याग बर देना चाहिए? इस गवर्नर में कोई विभिन्न नियम नहीं है। केवल हीमें प्राप्ति में जो महत्वपूर्ण मामला समझा जाता हो प्रथम विषय द्वारा सरकार द्वे विराज प्रस्तुत प्रविश्वास प्रस्ताव के न्यून हो जाने पर सरकार में वद व्याग करने को या मदन को मण भरने वा वराष्ठर्ग देने की आज्ञा की जाती है।

प्रस्ताव (Motion)

सदन का एक मुहूर्य वक्तव्य यह होता है कि वह विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में अपनी इच्छा का दता चाहता है। चुक्ति कि लोक सभा द्वी सदन या सम्बन्धीय विषयों के लिये किसी सदस्य को व्यापार के न्यून में कोई सुभाव सदन के समक्ष रखना होता है। यदि सदन सदस्य द्वारा इसे यहे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो वह सभूत सदन की राय पर इच्छा बन जाती है। सच सो यह है कि सारी समदीप कामबाही का आधार प्रस्ताव ही होता है। व्यापक विषयों में "प्रस्ताव" का प्रयोग कोई भी ऐसी प्रस्थापना हो गता है जो सभा का नियंत्रण जाने के लिए सदन में सामने रखी जाये।¹²

प्रस्ताव पर बाइ-विवाद के निम्नलिखित प्रक्रम होते हैं—

- (क) प्रस्ताव का रूप जाना,
- (ख) ग्राहक/पुभागति द्वारा प्रश्न प्रस्तुत करना,
- (ग) बाइ-विवाद या चर्चा जहा प्रनुजेय हो, और,
- (घ) सदन की न्यूनति या फैसला।

प्रस्ताव का प्रस्तावक उसे उस न्यून में पेश करता है जिसमें कि वह चाहता है कि इन्हें विशेष नियोगित सदन द्वे दाम बर दे। परन्तु यह सदन यह विर्भव करता है कि वह उस प्रस्ताव को प्रस्वीकार कर दे या उसे पूर्णतया स्वीकार कर दे या यदि कोई विशेष नियोगित सदन द्वे दाम नहीं महिने उसे न्यूनति द्वारा कर दे या इसका अधिकार यह है कि जो सदस्य यह चाहते हैं कि वह प्रस्ताव उसमें भिन्न है में पास हो, जिसमें उसे रसा गया है, उन्हें छुल प्रस्ताव के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित हिए जाने वा बाइ-विवाद में गतिशील या स्थानापास प्रस्ताव रखने पड़ते हैं।

सरकारी एवं गैर-सरकारी मदस्यों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। जहां सरकारी गदस्य (मन्त्री) सरकार की किसी नीति या कार्यवाही के लिए सदन का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव रखते हैं वहां गैर-सरकारी सदस्य मामले पर सरकार की राय या विचार जानने के लिए प्रस्ताव पेश करते हैं। सब प्रस्तावों को, निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(क) मूल प्रस्ताव (Substantive Motion),

(ख) स्थानापन्न प्रस्ताव (Substitute Motion), और

* (ग) सहायक सबमिटियरी) प्रस्ताव ।¹³ (Subsidiary Motion)

मूल प्रस्ताव (सबस्टेंटिव मोशन) मूल प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र प्रस्ताव होता है, जो सदन के अनुमोदन के लिए उसके सामने रखा जाता है और उसका प्रारूप इस ढंग से तैयार किया जाता है कि वह सदन निर्णय की अधिकृति कर सके।¹⁴ यह प्रस्ताव न तो किसी अन्य प्रस्ताव पर निर्भर करता है और न ही किसी अन्य प्रस्ताव से उत्पन्न होता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति तथा उप सभापति के चुनाव सम्बन्धी प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महसूव के विषय पर स्थगन प्रस्ताव, सकल्प, सामान्य लोकहित के विषय पर चर्चा उठाने के प्रस्ताव, मन्त्रीपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति या उपसभापति को पदच्युत करने के मंकल्प और ऐसे सदस्य का स्थान रिक्त करने का प्रस्ताव, जिसकी छुट्टी सदन ने भंजूर न की हो, मूल प्रस्तावों के उदाहरण हैं।¹⁵ इसके अतिरिक्त ऊचे पदों पर आसीन व्यक्तियों पर महाभियोग चलाने का उपबंध है जो उचित शब्दों में बनाए गए मूल प्रस्ताव द्वारा ही चलाया जा सकता है।¹⁶ मूल प्रस्ताव के प्रस्तावकों वाद-विवाद का उत्तर देने का अधिकार होता है। सब सकल्प मूल प्रस्ताव होते हैं।

स्थानापन्न प्रस्ताव (सबस्टीट्यूट मोशन) - जो प्रस्ताव किसी नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य विषय पर विचार करने के मूल प्रस्ताव के स्थान पर रखने के लिए प्रस्तुत किये गये हो, स्थानापन्न प्रस्ताव कहलाते हैं।¹⁷ किसी मूल प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ होने से पहले कोई सदस्य स्थानापन्न प्रस्ताव रख सकता है जो कि मूल प्रस्ताव के विषय पर हो परन्तु इस ढंग से लिखा जा सकता है कि उगमे सदन की कोई राय व्यक्त होती हो। स्थानापन्न प्रस्ताव पर मूल प्रस्ताव के साथ-साथ विचार किया जाता है। वाद-विवाद के पश्चात् केवल स्थानापन्न प्रस्ताव पर ही सभा का मत लिया जाता है।¹⁸ स्वीकृत हो जाने पर वह मूल प्रस्ताव का स्थान से लेता है जिसे तब मतदान के लिए नहीं रखा जाता, वयोंकि जब मंशोधन स्वीकृत हो जाए तो मूल प्रश्न को संशोधित रूप में मतदान के लिए रखा जाता है।

महायक प्रस्ताव (साक्षोऽधिपती मोशन):

यह प्रस्ताव इन्य प्रस्तावों पर आधित या उनसे सबंधित होते हैं या गदन ही किसी कायंवाही से उत्पन्न होते हैं। अपने धारा में उनका कोई मतलब नहीं होता ? और वे मूल प्रस्ताव या गदन की कायंवाही या उन्नेल किये बिना गदन के निरुण्य की अभिधारा नहीं कर सकते। सहायक प्रस्तावों को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है।

- (क) मानवाधिक प्रस्ताव (मन्मीली मोशन),
- (ख) प्रतिधारण प्रस्ताव, (मुकाफीनि मोशन), और,
- (ग) समोधन (ठेन्डरमेटिंग)

मानवाधिक प्रस्ताव (Ancillary Motion) वे प्रस्ताव हैं, जिन्हें गदन की प्रथा के प्रलंबित विभिन्न प्रकार के कायं वा धारा घटाने का नियमित उपयोग माना जाता है अर्थात् ये वे प्रस्ताव हैं जो किसी विधेयक के विभिन्न प्रकारों के सबै में रखे जाने हैं ऐसे कि "विधेयक पर विचार किया जाए" या विधेयक को किसी प्रवर या मधुक नियमित को सौंपा जाए" या "कि विधेयक को पास किया जाए।"

प्रतिधारण प्रस्ताव (Supercedding Motion) वे प्रस्ताव हैं जो यद्यपि अपने धारा में स्वतंत्र होते हैं, परन्तु वे किसी इन्य प्रस्ताव पर वाद-विवाद के दोसात रखे जाते हैं और इनका उद्देश्य उग प्रस्ताव का स्थान लेना होता है। ऐसे प्रस्तावों को किसी भी मदस्य द्वारा रखा जा सकता है। प्रस्ताव के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि "किसी विधेयक (Bill) को प्रवर या समुक्त नियमित (Select-Joint Committee) को पुन गौपा जाए" या "उम पर और यद जानने के लिए उसे दिर से परिधानित किया जाए" या "विधेयक पर वाद-विवाद स्पष्टित किया जाए।" इग प्रस्ताव के प्रस्ताव विनम्रकारी प्रस्ताव होते हैं।

समोधन किसी इन्य प्रस्ताव पर वाद-विवाद के दोसात रखा जाने वाला महायक प्रस्ताव है जिसके माध्यम से मूल्य प्रस्ताव के रखे जाने और उम पर निर्णय होने के बीच याद-विवाद और निरुण्य का एक त्रैय प्रारम्भ हो जाता है। उसका उद्देश्य या तो किसी प्रस्ताव का स्पेशल करवा या मूल प्रश्न के विकल्प में स्प में बोई नया प्रस्ताव गदन के समर्थन करना होता है। समोधन विधेयक गहना या प्रस्ताव किसी घटक के बारे में हो सकता है या मफला या प्रस्ताव के बारे में हो सकता है। यदि कोई गोपन स्वीकार हो जाता है तो मूल प्रस्ताव को मनोधित स्प में गदन के गमन मुद्रण के लिए रखा जाता है।

किसी गर्द मूच्छना की तरह प्रस्ताव की मूच्छना लिखित रूप में महायचिद बोली जाती है।¹ प्रस्तावों की मूच्छना के लिए कोई प्रवधि निर्धारित नहीं है। यह मूच्छना किसी गरकारी मदस्य (मन्त्री) द्वारा या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा दी जा सकती है। पीछायी अधिकारी किसी प्रस्ताव को घटीत कर सकता है या रद्द

कर सकता है या उसके लिए आशिक रूप में अनुमति दे सकता है,²¹ इसके अतिरिक्त प्रस्ताव की विषय-वस्तु में, अन्य बातों के लिए साध-साध, किसी एक ही निश्चित प्रश्न को उठाया जाना चाहिए, उसमें व्याघ्रात्मक पद, लाल्हन या मान-हानिकारक कथन नहीं होने चाहिए और उसके माध्यम से कोई विशेषाधिकार का प्रश्न या किसी ऐसे विषय से सबधित प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए जो भारत के किसी भाग में देवाधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णय के अधीन हो।²²

अनियत दिन वाले प्रस्ताव (No-day-yet Named Motions)

अदि अध्यक्ष किसी प्रस्ताव की मूलता स्वीकार करते हैं और उस पर विचार के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की जाती तो, उसे “अनियत दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है। ऐसे प्रस्तावों की सभी सूचनायें सप्ताह में एक बार कार्य मन्त्रणा समिति के समझ रखी जाती है जो उनके विषय की अविलम्बनीयता और महत्व के आधार पर सदन में चर्चा के लिए प्रस्तावों का चयन करती है और इस हेतु समय भी नियत करती है।²³

प्रस्ताव कैसे पेश किया जाता है :

जिस सदस्य के नाम में प्रस्ताव कार्य-सूची में रखा गया हो, प्रस्ताव के लिए नियत दिन अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर वह विधिवत अपना प्रस्ताव रखता है और अपना भाषण देता है। उसके बाद अध्यक्ष प्रस्ताव को सभा के सामने रखता है। तत्पश्चात्, सदस्य सशोधन या स्थानापन्न प्रस्ताव रखते हैं और इस विषय पर चर्चा होती है। जब सदस्य और सम्बद्ध मन्त्री बाद-विदाद में भाग ले चुकते हैं, तो उसका उत्तर देने के लिए प्रस्तावका प्रस्तावक मदस्य उस पर बोल सकता है। सशोधन तथा स्थानापन्न प्रस्ताव, यदि कोई हो, सभा के मतदान के लिए रखा जाता है। परन्तु नियम 342 के अधीन यह प्रस्ताव कि किसी नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य मामले पर विचार किया जाये, सभा के मत के लिये नहीं रखा जाता। यदि प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसकी एक प्रति उचित कार्यवाही के लिए सम्बद्ध मन्त्री को भेज दी जाती है।

प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सभा में भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। नियत दिन या नियन्त दिनों के अतिम दिन, जैसी भी स्थिति हो, सभापति मूल प्रश्न पर सदन के फैसले के लिए तुरन्त प्रत्येक घावशक प्रश्न को मतदान के लिए रखता है। प्रस्ताव पेश करते वाले सदस्य को उत्तर देने का अधिकार होता है। ऐसे प्रस्ताव पर सशोधन भी पेश किए जा सकते हैं।²⁴

स्थगन प्रस्ताव : (Adjournment Motion,

सामान्यतया, अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी बैठक में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता जो उस दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित न हो।²⁵ तथापि

अविनम्बनीय लोक महत्व (urgent Public Importance) के लिये निश्चिन मापने पर चक्र उन्हें के लिए दृष्टिकोण की महत्वादि से भाषा का सामान्य स्वरूप स्व-दिव करने का प्रस्ताव देग किया जा सकता है।²⁵

स्थगन प्रस्ताव देग करने का मुख्य ददेश्वर हाल के लिये ऐसे अविनम्बनीय लोक महत्व के मापने की ओर, जिसके अधीन परिसाम हो सकते हैं और जिसके बारे में नमूचिन सूचना नहिं प्रस्ताव दा सकन देने से बहुत विभाव हो मजबूता है, भाषा का ध्यान आवश्यित करता है। उठाया जाने वाला मानव इन्होंना गम्भीर होता जाएँगे, जिसका समूचे देश पर और उसकी सुरक्षा पर कुप्रभाव पड़ना होता तथा भाषा के लिए ध्याने सामान्य बाधे को रोक कर उन पर बुरात विचार करना प्रावृद्ध हो जाया हो। इन स्थगन प्रस्ताव एवं उसकी अपार्शारण प्रक्रिया है जिसके यहाँ होने पर "अविनम्बनीय लोक महत्व के लिये निश्चिन मापने" पर चर्चा करने के लिए सभा का सामान्य बाधे रोक दिया जाता है। स्थगन प्रस्ताव के प्रावृद्धक तत्त्व हम प्रकाश रखते हैं उठाया दशा मापना—

(क) निश्चिन (Specified) होना चाहिए,

(ख) उसका आधार नियात्मक (Factual) होना चाहिए,

(ग) अविनम्बनीय (Urgent) होना चाहिए, और

(घ) लोक महत्व (Public Importance) का होना चाहिए।

इस प्रकाश देश में गवर्नेंटिक विधि बैंक कोई सामान्य विषय, मजबूत वर्ग की वेतारी, धरातलना, मिलों का बन्द हो जाना सामान्य पर्सनलिटीय विधि एवं दृष्टिकोण, स्थगन प्रस्ताव के लिए उचित विषय नहीं है। हड्डाल की घमडी घटवा मेवा के महत्वपूर्ण होने की सम्भावना घटवा लेसी लिंगित के बारे में सूचना जो वास्तव में देश नहीं है, ऐसे प्रस्ताव के लिए उचित विषय नहीं है। इनमें विशेषाधिकार का कोई प्रभाव, न्यायालय में विकारालीन कोई मानवा, किसी विशिष्ट मूल प्रस्ताव (Substantive motion) के माध्यम से ही उठाया जा सकते जाना मामना और तेसे विषय पर भी चर्चा नहीं उठाई जानी चाहिए, जिस पर उनी सब पे पहुँचे चर्चा हो चुकी हो।²⁶ इसका खबर तेसे मापने से दूर होना चाहिए विषय के लिए भारत मरकार द्रव्यक्ष एवं घटनाकाल में विस्तैर होता है। मठारि राज्य नरवाहर के द्वेषाधिकार में भाने वाला भावना यहाँ नहीं किया जाता है, तथापि, किसी राज्य की भावितिक घटनाएँ घटवा इनमूचिन जानियों और अनुमूलिक जन-जानियों तथा समाज के लोक कमज़ोर वर्गों पर होने वाले घट्याचार के प्रभावे पर, जिसके साथ केन्द्रीय मरकार का भी सम्बन्ध होता है। उनके मद्दत्व को देखने होए यहाँ करने के लिए विचार किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप मानवों नोक भाषा के दोरान यहाँ कुछ विषय निवेदित होते हैं। इन पर चर्चा भी हुई थी।

1. दिल्ली में नवीनी शराब पीने के कारण आठ वर्षियों की मृत्यु और सम्बन्ध गतेक विनियों का रोग दृष्ट हो जाना और इसमें उनके दमकीय स्विति।

- 2 कुतुबमीनार दुर्घटना जिममे 45 लोग मारे गये ।
- 1 सरकार की यह सुनिश्चित करने में असफलता कि स्वर्ण मंदिर आदि बैसे धार्मिक स्थानों का विधि और व्यवस्था विगड़ने के लिए प्रयोग न किया जाये जैसा कि 25 अप्रैल, 1983 को स्वर्ण मंदिर के निकट भारतीय पुनिसंस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या किए जाने में स्पष्ट है ।
- 4 पंजाब में उत्तराधिकारी की गतिविधियों में उत्तम गम्भीर मिथ्यता और इस मामले को हल करने में सरकार की विफलता ।

जो सदस्य स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) पेश करना चाहता हो, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह सूचना उस दिन, जिस दिन कि प्रस्ताव करने का विचार हो, 10.00 बजे म.पू. तक महासचिव को दे और उसकी प्रतिया अध्यक्ष, संबधित मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को भेजे²⁸ । जहाँ अध्यक्ष प्रथम दृष्टि में इस बात में मनुष्य हो जाए कि चर्चा के लिए प्रस्तावित मामला नियमों के अनुकूल है, तो वह प्रस्ताव पेश करने की सम्मति दे सकता है और उपयुक्त समय पर अर्थात् प्रश्न काल के पश्चात् अध्यक्ष संबधित सदस्य को कह सकता है कि वह स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगे । यदि अनुमति दिये जाने पर आपत्ति की जाती है, तो अध्यक्ष अनुमति दिये जाने के पश्चात् तदनुसार कम में कम पञ्चाम सदस्य खड़े हो जाते हैं, तो वह घोषणा करेगा कि अनुमति दी जाती है ।²⁹

सभा द्वारा किसी स्थगन प्रस्ताव को पेश किए जाने के लिए सभा की अनुमति दिये जाने के बाद प्रस्ताव पर चर्चा सामान्यतया 1+ 00 बजे म.पू. पर प्रारम्भ होती है और दाई घण्टे तक अर्थात् 18.30 बजे म.पू. तक चलती है ।³⁰ प्रस्तावक द्वारा यह प्रस्ताव “कि सभा अब स्थगित हो” पेश किये जाने के साथ ही चर्चा प्रारम्भ हो जाती है । प्रस्ताव पर प्रस्तावक के बोले चुकने के बाद अन्य सदस्य बोलते हैं और उनके बाद मंत्री बोलता है और धन्त में प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार होता है । तत्पश्चात् स्थगन प्रस्ताव सभा के गामने भत्तान के लिए रक्खा जाता है । जिस समय स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ होती है, उस समय से लेकर उसका निर्णय होने तक अध्यक्ष को सभा को स्थगित करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है । उस समय के बीच सभा के स्थगन के सबूप में निर्णय करने की शक्ति सभा के हाथ में है ।

यदि प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है तो स्थगन प्रस्ताव के कारण जिस कार्य के निपटान में व्यवप्राप्त भाया था, उस पर चर्चा पुनः शुरू की जाती है । यद्यपि स्थगन प्रस्ताव पास हो जाने से सरकार अपदस्य नहीं होती तथापि उसमें यह आभास हो जाता है कि जो सरकार स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिकूल भन को रोकने में विफल रही है वह मन्त्रिपरिषद् (Council of Ministers) में ‘अधिकारियां के

प्र-ताव” (No-Confidence Motion) के परिणाम से बच नहीं सकेगो। लोक सभा को कार्यविधि के दीरान प्राप्त हुई स्थगन प्रस्तावों की 5762 मूलनायक में से केवल 149 मूलनायक सदन के समझ नायों गयी और अन्त में उनमें से केवल 24 मूलनायक गुहीत होंगी और उन पर चर्चा हो जाएगी और उनमें से कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुए। प्राचुर्यों नोकरीयों में 1801 मूलनायक मिनी, 80 सदन के सामने उठाके जाने के लिये अध्यक्ष की प्रत्युपति पाई, 4 पर चर्चा हुई किन्तु कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं गया।

ध्यान आकर्षण सूचनाएँ (Calling Attention Notices)

ध्यान आकर्षण सूचनाओं संबंधी नियम। जनवरी, 1954 को प्रक्रिया सदबन्धों नियमों में रखा गया था। उसमें पड़ने दियी गई सरकारी सदृश्य के लिए कोई ऐसी प्रक्रिया की रफी मृद्गम्भी नहीं रही गी जिसके माध्यम से वह अन्य मूलनायक पर कोई मृद्गम्भण्ड मानता उठा सके। ऐसे प्रयोगों के लिए बहुत अधिक सूचनाएँ दी गयी हैं। जैसा कि इयान प्रस्ताव नियन्त्रण प्रस्ताव (Censure Mot. 01) जैसा होता है और उसका लोक बहुत सीमित होता है इनमें से वह आवश्यक सरकार यथा यह नियमी गमी प्रक्रिया का विकास किया जाए जिसके माध्यम से सदस्यों को सभा का अप्रत्यक्ष मृद्गम्भण्ड सामने को घोर दिखाने का मतभाव दिया जाए।

इयान दिनान की मूलनायकों की धारणा भारतीय ददरम की है। यह शाश्वतक सचिवीय प्रक्रिया में भारत की नयी दर है। इसमें प्रस्ताव पूछने के मात्र-मात्र प्रत्युपति के प्रश्न (Supplementary Question) और संघेत में टिप्पणी करना भी शामिल है, जिसमें सभी हाईकोर्ट टीए-डीक और संघेत में रखे जाने हैं और युवकायक का अपना पड़ बनाने का समुदित प्रबन्ध प्राप्त होता है। कई बार इस प्रक्रिया के माध्यम से दृढ़या का किसी मृद्गम्भण्ड कियर के सबूत में सरकार की पराया या प्रत्यक्ष या संभासीना करता का अवसर प्राप्त होता है। वे इसके माध्यम से हिस्मो मृद्गम्भण्ड कियर के सबूत में सरकार की असफलता या अपर्याप्त वायवाही पर भी प्रकाश ढाल शकते हैं।

काई सदस्य प्रत्यक्ष/नियमाप्ति की पूर्व प्रत्युत्रा में विभिन्न लोक महत्व (Urgent Public Importance) के किसी विषय की ओर किसी भी रूप से ध्यान धारकर्पित कर सकता है और उसमें प्राप्ति कर सकता है, तिंह उस विषय के सबूत में दर्शक (Statement) दे 1² नवी एक नियम बनाय दे सकता है या वाइ एकसी समय दर्शक की दिन बनाने का नियम सार दिया जाता है।

मानानामृत्या इयान आकर्षण सूचनाएँ (Call Attention Notices) दैनिक नियमान्तर-पत्रों में प्रकाशित नमाचारों पर आवाजित होती है। कभी-कभी वे नियम सदस्य वीं नियमी जानकारी के आधार पर या उसके प्रस्ताव विवेदकों व तार हुए

पत्र-ध्यवहार के ग्राधार पर भी दी जा सकती है।

ध्यान आकर्षण सूचनाएं सदस्यों द्वारा तिथित रूप में 10 000 बज मंगलवार के देनी होती है। साधारणतः किसी सदस्य को किसी एक बैठक के निए दो से अधिक सूचनाएं नहीं देनी चाहिये। एक ही विषय पर एक से अधिक सदस्यों द्वारा सूचनाएं दी जा सकती है, परन्तु कायंसूची (List of Business) में अधिक से अधिक पांच सदस्यों के नाम दिखाये जाते हैं। एक सप्ताह के दौरान प्राप्त सभी ध्यान आकर्षण सूचनायें बनी रहती हैं और दिन प्रतिदिन अध्यक्ष के समझ रखी जाती हैं। अध्यक्ष इन सूचनाओं पर विचार करता है तथा किसी ऐसे मामले को जोकि को उसकी राय में अधिक महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय है, उसमें दिन मदन की बैठक में संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य देने के लिए चयन करता है। साधारणतया, एक दिन में बैठक एक ही मामला लिया जाता है। तथापि, कितिपय मामलों में अध्यक्ष द्वारा एक बैठक के लिए दो ऐसे मामले चुने जा सकते हैं। परन्तु यदि अध्यक्ष का विचार हो कि मामला इतना अविलम्बनीय है कि मंत्री द्वारा उसी दिन वक्तव्य दिया जाना चाहिए तो वह, अपने विवेकाधिकार (Discretion) से, ध्यान आकर्षण को उसी दिन लिए जाने की मनुमति दे सकता है जिस दिन उसकी सूचना दी गई हो। ध्यान आकर्षित किये जाने पर यदि मंत्री के पास सभी तथ्य हों तो वह वक्तव्य दे सकता है। जो जानकारी मार्गी गई हो, यदि वह उस समय मंत्री के पास न हो, तो वह बाद के किसी समय या तिथि तक समय मांग सकता है जिस से कि वह जानकारी इकट्ठी करके वक्तव्य दे सके।

सामान्यतया सभा की एक बैठक में ध्यान आकर्षण की सूचना के माध्यम से मनियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अविलम्बनीय लोक महत्व के दो से अधिक विषय नहीं उठाये जा सकते। ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाए कोई वाद-विवाद (Debate) नहीं होता, परन्तु प्रत्येक सदस्य, जिसके नाम में कायंसूची में मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की मनुमति से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकता है। अतः ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मुख्य प्रयोजन यह है कि किसी अविलम्बनीय स्वरूप के मामले पर संबंधित मंत्री प्राधिकृत वक्तव्य दे। इस प्रक्रिया में सरकार की निन्दा अन्तर्गत नहीं होती क्योंकि न तो इस प्रस्ताव पर नियत रूप से चर्चा होती है और न ही मतदान होता है।

कुछ विषयों के उदाहरण जिन पर मनियों को वक्तव्य देने का कहा गया इस प्रकार है—भारत के किसी भाग में उपद्रव; सीमावर्ती भगड़े; रेस दुर्घटनाएं; सरकारी उपकरणों का बन्द होना, न्यायालयों द्वारा दिये गये ऐसे फैसले जिनमें मतलायों या केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को प्रभावित करने वाली टिप्पणियां की गई हों; शत्रु के विमानों द्वारा वायु-सीमा क्षेत्र का

उन्नतश्वन्, वसन्तो, बन्दरगाहो, विदान कम्पिंगो, रेलवे तथा अन्य गाँवबनिक उपयोग की सेक्षणों में हड्डातारें; विदेशों में रहने वाले भारतीयों की स्थिति, गृहभीम वादाम्न, सूखे पा बाढ़ की स्थिति; इत्यादि। ध्यान प्राकृष्णग मूच्छना की प्रादृश्य की दो फूल्य कमीठिया हैं, अदिलम्बनीयता द्वारा नार महसूद। इस मूच्छना की प्रादृश्य का निर्णय प्रध्याय द्वारा विवेकापिकार में करता है।

इयानाकर्त्ता की प्रक्रिया में नसद मरकार पर प्रकृश भगाने के लिए बहुत उपयोगी मिठ्ठा हुई है। इसमें वह मरकार को मट्टैव मनक रख सकती है। यह एक महसूलपूर्ण मामले का उठाने, उम पर चर्चा करने और निष्कर्ष पर पढ़ चलने का ऐसा सक्षिप्त एवं तात्कालिक उपाय है जिसमें मूच्छना देने वाले सदस्यों को, दल के संचेतक (चिह्न) के बिना और किसी घोषकारिक या विशिष्ट प्रस्ताव पर मत दिया जाग दुखद निर्णय पर नहुं बिना समान रूप से आग लेने का अधिकार होता है।

प्रत्यक्षानीत चर्चाएँ (Short Duration Discussions)

अन्यकालीन चर्चा एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्रोद्य माध्यम मदस्यों को उपलब्ध है जिसके द्वारा वे अदिलम्बनीय लोक महसूद के भागों की ओर मरकार का ध्यान आकृष्णन कर सकते हैं। 1953 में पूर्व मकल्प ध्यान प्रस्ताव के अन्वावा अदिलम्बनीय लोक महसूद के द्विसो मामले पर मता में चर्चा उठाने के लिए नियमों में कोई उपलब्ध नहीं था। जब कभी सदस्य किसी अदिलम्बनीय लोक महसूद के किसी मामले की ओर मरकार का ध्यान आकृष्णन करका चाहते थे, तो वे स्थगन प्रस्तावों का सहारा लेते थे। तू कि स्थगन प्रस्ताव में निन्दा प्रस्ताव अधिष्ठेत है इसलिए उसी अवस्था में जब सरकार ममद के प्रति उत्तराशयी हो गई, तब ऐसी प्रक्रिया का बहार लेना उचित नहीं समझा गया। इसलिए मार्च, 1953 में एक प्रत्यक्षानीत चर्चाएँ गयी जिसके द्वारा मदस्य किसी घोषकारिक प्रस्ताव ध्यान उम पर मनवात के बिना प्रत्यक्षानीत चर्चाएँ (Short Duration Discussions) चल रहते थे। यह प्रक्रिया अब दोनों मदनों के प्रक्रिया नियमों का आग बन चुकी है।

प्रत्यक्षानीत चर्चा को उठाने के लिए मूच्छना महामन्त्रिके नाम दिलिन क्षम में देनी होती है जिसमें उठाया जाने वाला विषय महसूद व्यव से बदला होता है। मूच्छना के साथ एक व्याख्यात्मक टिप्पणी (Explanatory Note) मनम द्वाना चाहिए जिसमें चर्चा को उठाने के लिए कारण बनाये गये हों और उन पर कम दो दर्शन मदस्यों के हमारे भी होने चाहिए।¹³²

अज्ञवश/ममार्पित अन्यकालीन चर्चा की मूच्छना की छाड़िया का विलंग करता है। मग्दि उमका ममाधान हो जावे कि विषय अदिलम्बनीय है और मध्या में जन्मी ही उद्दाये जाने के लिये पर्याप्त महसूद की है और उम

पर चर्चा के लिए जल्दी कोई अवसर अन्यथा उपलब्ध नहीं है तो वह सूचना बहाग कर सकता है।³³ किसी भी अल्पकालीन चर्चा की सूचना तभी गृहीत की जाएगी यदि उसमें ऐसा मामला उठाया गया हो जिसका मूलतः केन्द्रीय सरकार से ममत्वा हो, जो निराधार भारोपो पर आधारित न हो, जो काल्पनिक न हो और जो अविनाशनीय हो। एक सूचना में केवल एक मामला उठाया जा सकता है।

मध्यकालीन चर्चाघी के लिये एक सम्पादन में दो बैठकें नियत बरगकता है और ऐसी चर्चा के लिए बैठक की समाप्ति पर अधिकार उसमें पूर्व अधिक से अधिक दो घटे की अवधि की प्रत्युमति दे सकता है।³⁴ कार्य मन्त्रणा समिति (Business Advisory Committee) चर्चा के लिये समय नियत करती है। सामान्यतया, अल्पकालीन चर्चाएं, मन्त्रवार और गुरुवार के दिन बीं जाती हैं। राज्य सभा में समाप्ति, सदन के नेतृत्व के परामर्श गे, चर्चा के लिए तिथि निर्धारित कर सकता है और उसके निए मधिक से अधिक ढाई घटे का समय दे सकता है।

चर्चा के लिए सूचना गृहीत किये जाने और तारीख निश्चित किये जाने के बाद उसे उस तारीख की कार्य-सूची में प्रथम दो सदस्यों के नाम से समिलित किया जाता है। उस दिन ग्रन्थाधिक उस पहले सदस्य को, जिसके नाम से कार्य-सूची में चर्चा दर्ज होती है, संधिष्ठित बनतव्य देने को बहता है। विसों एसे सदस्य का भी जिसने ग्रन्थाधिक को पहले सूचित किया हो, चर्चा में भाग लेने की प्रत्युमति दी जाती है। अत्त दो मध्यिकार नहीं होता। सभा के समक्ष कोई ग्रीष्मकारिक प्रस्ताव नहीं होता है और न ही मतदान होता है।³⁵ चर्चा का प्रयोजन यह होता है कि जिन मदरयों के पास विचाराधीन मामले के बारे में कुछ तथ्य हो वे सदन को उन तथ्यों से अवगत कराये और मन्त्री सदन और राष्ट्र के लामार्य स्थिति स्पष्ट करें।

नियम 377 के अधीन उल्लेख (Reference Under Rule 377)

प्रश्न काल के तुरन्त बाद प्रत्येक सदस्य एक साथ खड़े होकर प्रत्यना मामला उठाना चाहते हैं। जिन्हें वह अत्यन्त महत्वपूर्ण समझते हैं, और जिसके लिये प्रक्रियागत कार्यवाही करना उनके लिये विलम्बकारी होता है, इससे सदन में कोलाहल और अव्यवस्था का बातावरण उत्पन्न हो जाता है। सदन का समय तो नष्ट होता ही है किन्तु सदस्य भी अपने प्रयत्नों में सहायता में जानकारी प्राप्त करने में असमर्प रहते हैं। इस प्रकार मूल्यवान समय की हानि को देखते हुये दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी महसूस करने लगे ये कि इस प्रथा को रोकने की आवश्यकता है। वे चाहते थे कि कोई ऐसी प्रक्रिया विकसित की जाये जिससे कि सदस्य उम मामलों को उठा सकें जो हाल ही के किसी प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकरण प्रस्ताव प्रादि का विषय न रहे हों। फलस्वरूप राज्य सभा में “विषय उल्लेख” (Special mention) की प्रथा और सोक सभा में नियम 377 के अधीन मामलों

उठाने की प्रवा प्रारम्भ हुई। सबं प्रथम १४ मई, १९०० को नियम ३७७ के अन्यतर का प्रयोग किया गया जब पुलिस द्वारा एक मगाड गढ़वा के साथ किये गये दुष्यंवहार मध्ये मामला उठाया गया। यह एक ऐसा मामला या जो किसी भी अन्य नियम के अधीन उठाया नहीं जा सकता या :

‘देवस्था के ब्रह्मों से भिन्न मामलों’ का या आमे मामला का जिन्हे प्रभावी, अन्यमुक्तना प्रभावों, ध्यान प्राप्त्यर्थी गूचनाओं, प्रमाणात् आदि से गम्भीरतम् नियमों के अन्तर्में नहीं उठाया जा सकता, नियम ३७७ के अन्तर्गत उठाया जा सकता है।

जो सदस्य नियम ३७७ के अन्तर्में किसी मामले को उठाना चाहता है उस उपरोक्त मूचना महानविक को जाकर उपर महीने देते होते हैं। उन्हा प्रस्तावित करने वालों द्वारा उपरोक्त मूचना का नहीं होता चाहए। कोई मूचना प्राप्त बनाने के लिये उपरोक्त मूचना का माय-शब्द, केवल स्थानीय महस्तक का मामला अवश्य नव के दोरान इस नियम के प्रभावत मुद्रस्य द्वारा पहले उठाये गये विषय के समान या नियाततम् के विवारणीत मामला। (५५८-जुदिला मामला) नहीं उठाया जाना चाहें और काढ एसा मामला नहीं उठाया जाना चाहिए जिसमें तर्क, प्रमुखान, व्यवहारित या, प्रधारणीय या कानूनिकारक क्षयन है।

अध्यक्ष द्वारा यदा खोकृति पाठ की प्रति सम्बोधन सदस्य को उस दिन दी जाती है, जब उसे मामला उठाने की प्रतुमति दी जाती है। अध्यक्ष वा अपने वक्तव्य के प्रतुमोदिन पाठ न हटार कुछ कहने वी प्रतुमति नहीं होती। सामान्यतया, मन्त्री, ३७७ नियम के अधीन उठाये जाने वाले मामलों पर वक्तव्य नहीं देते हैं। तथापि, यदि कोई मन्त्री ऐसा करना चाहे तो वह अध्यक्ष की प्रतुमति से उस विषय पर वक्तव्य दे सकता है। सदस्य द्वारा नियम ३७७ के अधीन उठाये गये मामलों के बारे में सबक्षित प्रत्येक मंत्री अपने अध्यक्ष के पश्च १५५ता है प्रैर्ड उस मामले पर सरकार के दृष्टिकोण अवश्य उपर राजस्वार द्वारा की गई कार्यवाहा को सूचना देता है। यह मद कायं-गूचों में समर्पित नहीं की जाती है।

छठी नोक सभा के बोये अधिकार तक नियम ३७७ के अधीन मामले उठाने का प्रयोग सीमित रहा किन्तु तत्पश्चात् इसके प्रयोग में उत्तरोत्तर बढ़ि हुई। यह देखने में प्राप्ता है कि सदस्य नोक महस्तक के नोनप्र मामले उठाने में इस नियम का अधिक से अधिक प्रयोग कर रह है। यदा, बोयी तारु सभा की कार्यवाहि में नियम ३७७ के अधीन केवल ३६ मामले उठाने की प्रतुमति दी गई तथा पाचवीं छठी, सातवीं और आठवीं लाक सभा की कार्यवाहि में इन मामलों की सहया बढ़ा-कर कम्ल १४, ८२९, ३१३४ और ३२०५ हो गई।

अधिकारास प्रस्ताव (Motion of No-Coincidence)

मन्त्रि पारपद् सामूहिक रूप से नोक सभा के प्रति विभेदार है। वह तब वे के पदासीन रहती है जब तक उसे लाक सभा का विवात प्राप्त हो। १० सरकार

के लिये अपनी विधान गम्भीरी और राजस्व गम्भीरी प्रस्तावनाओं तथा सर्वे के बारे में स्पष्ट रूप से सासद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है और कई बार उसे सासद के सामने अपनी नीति स्पष्ट करनी पड़ती है और उसे उचित प्रमाणित करना पड़ता है। यदि सभा स्पष्ट रूप से यह कह दे कि वह सरकार का समर्थन नहीं करना चाहती प्रर्थात् यदि सरकार सभा का विश्वास खो दें-तो सरकार को या तो पद त्याग करना पड़ता है और या सभा का विघटन करना पड़ता है। चाहे प्रधान मन्त्री सभा के विघटन की सिफारिशे करें या न करें। विरोधी पक्ष चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence motion) पर सभा में मतदान करा कर सभा की राय का पता चला सकता है।

लोक सभा के प्रति मन्त्रि-परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी (Collective responsibility of Council of Ministers) स्पष्ट रूप से सविधान में उपबन्धित है। किसी एक मन्त्री में अविश्वास का प्रस्ताव नियमों के विरुद्ध है। योकि यह उत्तरदायित्व सामूहिक होता है। नियमों के अन्तर्गत केवल सामूहिक रूप से मन्त्रि-परिषद् में विश्वास के प्रभाव का प्रस्ताव गृहीत किया जा सकता है और किसी मन्त्री में व्यक्तिगत रूप में विश्वास का प्रभाव व्यक्त करने वाला प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं होता है।³⁷

मन्त्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव निन्दा प्रस्ताव (Censure motion) से बिल्कुल भिन्न है। जब कि निन्दा प्रस्ताव में वे आधार या आरोप बताये जाते हैं जिन पर वह आधारित हों, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में वे आधार बताने की आवश्यकता नहीं होती है। मन्त्रिपरिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिये अनुमति मानने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पहले महामत्तिवाको उस प्रस्ताव की लिखित मूच्छा देनी होती है, जो यह पेश करना चाहता हो। नियमों में ग्राहकता की कोई शर्त निर्धारित नहीं है। अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त है कि वह निरुद्ध करे कि कोई प्रस्ताव नियमानुकूल है या नहीं।

यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि कोई अविश्वास प्रस्ताव नियमानुकूल है तो वह सभा में प्रस्ताव पढ़ कर मुनाता है या मूच्छा देने वाला सदस्य उस प्रस्ताव को पेश करने के लिये सभा की अनुमति मांगता है। उसके बाद अध्यक्ष उन सदस्यों से, जो प्रस्ताव के पक्ष में हों, कहता है कि वे अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जायें और यदि तदनुसार कम से कम पचास सदस्य खड़े हो जायें तो अध्यक्ष घोषणा करता है कि सभा प्रस्ताव के रखे जाने की अनुमति देती है। यदि पचास से कम सदस्य खड़े हो तो अध्यक्ष सदस्य को मूर्चित करता है कि उसे सभा की अनुमति नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव सभा में रखे जाने की अनुमति मिलने के दस दिन के भीतर उस पर सभा में चर्चा होना आवश्यक है। अध्यक्ष सदन के नेता और विभिन्न विरोधी दलों तभा समूहों से परामर्श करके फैसला करता है कि प्रस्ताव पर चर्चा किस दिन हो।

नहीं के लिये समय, सभा द्वारा काय मन्त्रालय समिति को सिहारिश पर नियत किया जाता है। जब सदस्य प्रस्ताव पर बोल लेते हैं तो प्रधानमन्त्री गठकार पर लगाये गये आरोपों का उत्तर देता है। प्रस्ताव रखने वाले सदस्य को बाद विवाद का उत्तर देने का अधिकार होता है। जब प्रस्ताव पर बाद-विवाद समाप्त हो जाये तो भ्रष्ट प्रस्ताव पर सभा का निर्णय जानने के लिये उसे तुरांत सभा के सामने रख दिया है और सभा का निर्णय मोतिहार भत द्वारा, या विभाजन द्वारा, यदि इसकी मात्र भी जाये तो, जाना जाता है।²⁹

सदन में प्रस्ताव पेश करने को अनुमति गानने वाला सदस्य अविश्वास प्रस्ताव को सूचना दायरा भी ने लाता है किन्तु ऐसा वह गदन की अनुमति से हो कर सकता है। वे सदस्य जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर हस्ताक्षर कर रखे हो पाने हस्ताक्षरों सहित पन्न भेज कर भी सूचना दायरा ले सकते हैं किन्तु यह कार्यवाही सदन में अविश्वास प्रस्ताव के लिये जाने से पहले की जानी चाहिये। उस सिद्धि में सदन में उस गढ़ का उत्तरेश ही नहीं किया जाता या उस सदन के सामने पेश हो नहीं किया जाता।

सविधान के प्रधीन, नू. 1, गठकार सामूहिक रूप में केवल भ्रष्ट प्रस्ताव से निर्वाचित लोक सभा के प्रति ही उत्तरदारी होती है, अत राज्य सभा को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

निन्दा प्रस्ताव (सेन्टपोर मोशन)

निन्दा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् से अविश्वास के प्रस्ताव से बिल्कुल भिन्न है। निन्दा प्रस्ताव में वे अध्यार या आरोपों का उल्लेख किया जाता है जिन पर वह भ्रष्ट होता है जब कि अविश्वास प्रस्ताव में वे अध्यार बताने की आवश्यकता नहीं होती है। निन्दा प्रस्ताव वा गठकार की कुछ नीतियों या कार्यवाहियों के कारण उसकी निन्दा करने के स्पष्ट प्रयोजन से पेश किया जाता है। निन्दा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् के विषद् या किसी एक सभी के विषद् या मन्त्रियों के किसी समूह के विषद् इस अध्यार पर रखा जा सकता है कि उन्होंने सभी नीति पर कार्य नहीं किया। या वे उसमें असफल रहे हैं या उनकी नीति के कारण ही ऐसा प्रस्ताव रखा जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव स्पष्ट होने पाहिये जिसमें कि निन्दा के कारण, सक्षेत्र में और ठीक-ठीक बताये गये हो। प्रस्ताव नियमानुवृत्त है या नहीं इस गम्भीर में भ्रष्ट का निर्णय घनित होता है। निन्दा प्रस्ताव रखने के लिये सदन की अनुमति आवश्यक नहीं होती। यह गठकार के विदेकाधिकार पर निमंत्रित करता है कि वह उसके लिये समय निकाले और चर्चा के लिये लियि निर्धारित करे। निन्दा प्रस्ताव रखने के बारे में नियमों में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसे प्रस्ताव पर वही नियम लागू होते हैं जो कि सामान्य प्रस्तावों पर लागू होते हैं,³⁰ और उसे घनित दिन वाले प्रस्तावों के रूप में स्थीकार किया जर लाया है।

संदर्भ

1. नियम 172
2. नियम 171
3. यह मर्क्स 28. 8. 1981 को पेश किया गया था और 11. 9. 81 को सदन की अनुमति से वापस लिया गया था।
4. यह मर्क्स 31. 3. 1983 को पेश किया गया था और 19. 8. 83 को सदन द्वारा अस्वीकृत किया गया था।
5. नियम 30 (4), 170, निर्देश 9
6. नियम 176
7. नियम 177 (1), निर्देश 113
8. नियम 288
9. 9 त्र (1)
10. उदाहरण के लिये देखिये अनु. 61, 67, 90 और 94। इनमें रूप से कम 14 दिन की पूर्ण सूचना का उपबन्ध किया गया है।
11. अनु. 61, 67, 90, 94, 123, 249 और 312
12. नियम 184 (लोक सभा) और नियम 167 (राज्य सभा)
13. निर्देश 41 (1)
14. निर्देश 41 (2) (एक)
15. नियम 7, 8, 17, 56, 184, 198, 200, 226 और 328 तथा अनु. 17, 90 (ग) और 94 (ग)
16. नियम 352 (पाच) और अनु. 61, 121, 124 (4) और (5) 118 (1) और 324 (5)
17. निर्देश 41 (2) (दो)
18. नियम 342
19. निर्देश 41 (2) (तीन)
20. नियम 185
21. नियम 187
22. नियम 186
23. नियम 189 और 190

24. नियम 190, 192
25. नियम 31 (2)
- 26 नियम 56
- 27 नियम 58
- 28 नियम 57
29. नियम 60
- 30 नियम 61 और 62
- 31 नियम 197
- 32 नियम 193
- 33 नियम 194 (1)
34. नियम 194 (2)
- 35 नियम 195
36. घन् 75 (2)
- 37 नियम 198 (1)
38. नियम 198
39. नियम 184-189

□□

संसदीय समितियाँ प्रकार, गठन और क्रिया-विधि

आजकल सम्बद् को न देवल विभिन्न प्रकार का, बहिक बहुत अधिक काम करना पड़ता है। उसे सरकार की नीतिया निर्धारित करनी होती है, विधि निर्माण का कार्य करना होता है और प्रशासन पर नियरानी रखनी होती है। उसके समक्ष आने वाले विधेयक तथा प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों की छानबीन करना और उनके सम्बन्ध में ध्यानपूर्वक और शान्त बातावरण में गहन अध्ययन करना आवश्यक होता है। उसके समक्ष आने वाले कार्यों की विशिष्टिता को देखते हुए उनकी विशेषज्ञों द्वारा अधिकार व्योरेवार विचार करने की आवश्यकता होती है। जहाँ सरकार के पास इन कार्यों को निपटाने के लिए आवश्यक प्रशासनतत्र और संगठन उपलब्ध होते हैं वहाँ विधान मण्डल में इसका नितान्त अभाव होता है। यद्यपि विभिन्न मस्दीय प्रक्रियाओं, यथा प्रश्नों और वाद-विवाद के माध्यम से वह कुछ हद तक प्रशासन पर नियरानी रख सकता है किन्तु विशिष्ट और तकनीकी स्थूल के विधयों को निपटाने के लिए सम्पूर्ण सदन के बजाये उम्मे से चुने हुए कुछ सदस्यों को लेकर बनाई एजेंसी के माध्यम से पूरी तरह से उन पर विचार करके उन्हें निपटाना श्रेयस्कर होता है। ऐसे में सम्बद् अपना बहुत सा कार्य समितियों के माध्यम से करती है। ये समितिया सम्बद् सदस्यों में से ही गठित की जाती हैं। दूसरे शब्दों में संसदीय समितियाँ संसद् का ही लघु स्पष्ट हैं।

लोक सभा के लिए, जो कि 545 सदस्यों का गठन है उन सभी विधायी तथा अन्य मामलों पर, जो उनके समक्ष आते हैं, गहराई के साथ विचार करना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त समिति व्यवस्था के कारण ममा का समय बच जाता है, जो महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा में लगाया जा सकता है और संसद् मामले की बारीकियों में फग कर नीति और विस्तृत सिद्धान्तों के विधयों से परे नहीं जाती। साध-गाय समिति द्वारा प्रायः ऐसे मामलों के संबंध में कार्य किया

जाता है जिन पर ग्रधिक गहराई से सावधानी और शीघ्रता में, प्रचार के जगत् में दूर रहकर, जान्त और यथा सभव इलगत रहित बातावरण में विचार करने की आवश्यकता होती है। मदन की अपेक्षा जहाँ सदस्य दलगत निष्ठाधों के साथार पर कार्य करते हैं और जहाँ स्वभावतया सदस्यों में अपनी ध्वि बनाने की चिना रहती है, समितियों के बातावरण में विभिन्न विचारों को स्थान देकर और आदान-प्रदान की प्रक्रिया द्वारा समझोते करना ग्रधिक प्राप्तान होता है। यह तो स्पष्ट ही है कि भारतीय ममद के दोनों सदनों के बास्तविक गठन में ग्रधिक प्रन्तर न होने के कारण, राज्य सभा लगभग बराबर का सदन बन गया है। यदि ऐसा न भी होता तो भी यह नहीं बहा जा सकता कि राज्य सभा बातावरण को "जान्त" करने वाला या पुनरीकारण करने वाला परम्परागत सदन है, या वह वरिष्ठ व्यक्तियों अपनी विशेषज्ञों का सदन है जो जनदबावी में या शृंखलाएँ विधान बनाने की रोक-धाम करता है। इन परिस्थितियों में, विशेषकों सम्बन्धी प्रबर प्रमितिया और समुक्त समितिया, प्रत्यक्ष बातों के साथ-साथ, परम्परागत, द्वितीय सदन की भूमिका निभा सकती है। संसदीय समितियों (Parliamentary Committees) वा एक और महत्व यह है कि दलगत प्रश्नाली में, जैसे कि भारतीय संसद् में है, कुछ सनिदिया ऐसे कृत्यों का पालन करती हैं जो अन्यथा विपक्ष वे होते हैं प्रथात् वे कार्यपालिका को सदर सत्र के रखती हैं और उसे मनमाती करने से रोकती हैं। विपक्ष के सदस्य भी अपनी बास्तविक सदस्य के बावजूद समितियों में प्रभावी भूमिका निभा पाते हैं क्योंकि सदन की अपेक्षा उनकी कार्यवाहिया कम घोषात्मक होती है और ग्रधिक लचीली होती है। इस कारण भी समितियों को सौंपे जाने वाले भाषणों पर विचार ग्रधिक व्यापक रूप से और विवेकपूर्ण ढंग से होता है। समितिया ऐसे उपयोगी मच्छों का काम करती हैं जहाँ सदस्यों को प्रपत्ते अनुभव एवं योग्यता का प्रयोग करने का अवसर मिलता है। समितिया भावी मन्त्रियों और पीड़ानीय ग्रधिकारियों (Presidins officers) के लिए बहुमूल्य प्रशिक्षण का साधन भी होती है। वे अनेक सदस्यों को केवल इसे बारे में ही प्रशिक्षण नहीं करती कि प्रशासन किस प्रकार चलाया जाता है बल्कि दिन-प्रति-दिन के कार्यकरण में ग्रामीणों के सम्बन्ध आने वाली भूमिकाओं से भी उन्हें अवगत करती हैं।¹

समितियों सामाजिकतया सामजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करती है और उनका उद्देश्य समान होता है। अपनी कार्यविधि में किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के अध्ययन द्वारा के द्वारा उन सदस्यों में मिश्रता की भावना उत्पन्न होती है। उक्त भावना से न केवल समिति को कार्य करने में सहायता प्राप्त होती है बल्कि सदन में चर्चा के द्वारा उन पैदा हुई बढ़ता कम होती है। समितिया एक और संसद् और लोगों के बीच और दूसरी ओर सरकार और लोगों के बीच समर्कों का काम करती है। वे जिन विषयों का अध्ययन करती हैं उनके सम्बन्ध में विभिन्न उपकरणों तथा

निकायों और अन्य संघों को अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रश्नावाचिया भेजती है, प्राप्त उत्तरों पर चर्चा करती है और जहां आवश्यक होता है सावंजनिक साध्य और विशेषज्ञों की राय लेती है। वे सम्बद्ध सरकारी दफ्तरों के अधिकारियों और मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों का मौखिक साध्य (Oral evidence) भी लेती है। इस प्रकार संसदीय प्रलाली वे कार्यकरण के बारे में जोगों को जिजित करने और महत्वपूर्ण, सावंजनिक मामलों की ओर उनका ध्यान आवृत्ति करने में गहरायता मिलती है।

जहां तक भारत के संविधान में संसदीय समितियों सम्बन्धी उपबन्ध का प्रश्न है, उनके सम्बन्ध कोई विशेष उत्तेज नहीं है सिवाएँ इसके कि कुछ एक घनुच्छेदों में कही-कही उनका जिक्र किया गया है।⁴ ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान निर्माताओं ने इस बात को मदनों पर छोड़ दिया था ताकि वे अपने अपने प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में उनके विषय में उपबन्ध बर सकें।

“समर्थीय समिति” से लात्यर्यं उस समिति में है जो—

(क) सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित वी जाती है, यथवा अध्यक्ष/सभापति द्वारा नाम निर्देशित वी जाती है, (ख) अध्यक्ष/सभापति के निर्देशानुसार काम करती है; (ग) अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष/सभापति वो प्रस्तुत करती है; और (घ) समिति का सचिवालय लोक सभा यथवा गज्य सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

संसदीय समितियों के अतिरिक्त कुछ अन्य समितियां होती हैं जो सरकार द्वारा गठित वी जाती है और जिनमें दोनों मदनों के सदस्य रखे जाते हैं। ये समितियां संसदीय समितियां नहीं होती हैं। ये न तो अध्यक्ष वे निर्देश के अन्तर्गत वार्य करती हैं और न अपने प्रतिवेदन सभा या अध्यक्ष को देती है। केवल सम्बद्ध मन्त्री वी प्रार्थना पर अध्यक्ष सभा के मदस्यों का नाम निर्देशन इन समितियों के लिये करता है विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से मलगम परामर्शदाता समितियां (Consultative Committees) इस बांग की समितियां हैं। वास्तव में परामर्शदाता समितियां, प्रतिवेदन किसी वो भी पंश नहीं करती वहिक मंत्रियों के नियन्त्रणाधीन विभागों के कार्यकरण में रुचि रखने वाले सम्बद्ध-सदस्यों और मंत्रियों के बीच विचारों के अनोन्य चारिक आदान-प्रदान के लिये केवल मन्त्र का काम करती है। इस प्रकार वे संसदीय समितियां नहीं होतीं⁵।

संसदीय समितियों का वर्गीकरण :

मंसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं स्थायी समितियां (Standing Committees) और तदर्यं समितियां (Ad-hoc Committees)। स्थायी समितियां वे समितियां हैं जिनका गठन नियमों के अनुसार किया जाता है और जो प्रत्येक समिति वे निर्धारित कार्यालय के अनुसार, यथास्थिति प्रतिवर्ष या प्रत्येक कालान्तर पर गुनांचित वी जाती है या अध्यक्ष/सभापति द्वारा मनोनीत की जाती

है और जो स्थायी सदस्य की होती है। तदर्थे समितियाँ (Ad-hoc Committees) किसी विशिष्ट प्रयोग के लिए निरुक्त की जाती है और जब वे अपना काम समाप्त कर नेतृत्व तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती हैं तब उनका भ्रष्टिता समाप्त हो जाता है।

स्थायी समितियाँ (Standing Committees) अच्छे सदन में स्थायी समितियाँ (प्रोट कुष्ठ समुक्त समितियाँ) दो उनके कलंगो के भनुमार निम्ननिमित्त गांव मोटे जीवों में बढ़ा जा सकता है —

(एक) वित्तीय समितियाँ (Financial Committees) (उदाहरण के लिये लोक सभा की प्रारम्भिक समिति, लोक गोपा समिति और सरकारी उपजमी सम्बन्धी समिति),

(दो) जांच समितियाँ (उदाहरण के लिये वाचिका समिति और विवेदाधिकार समिति);

(तीन) घानबोन समितियाँ (उदाहरणार्थं सरकारी आरक्षासनो सम्बन्धी समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, समापठल पर रखे गए पर्यावरणी सम्बन्धी समिति और अनुसूचित जातियों द्वारा जनजातियों द्वारा कार्यालय सम्बन्धी समिति),

(चार) सभा के इन प्रति-दिन के कार्य संबंधी समितियाँ (उदाहरण दे बिंद सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुरास्थिति अवृद्धियों समिति, कार्यसभाएँ समिति, गैरनारकारी सदस्यों के विषेषज्ञता तथा सदस्यों सम्बन्धी समिति और नियम समिति), और

(पाँच) सेवा समितियाँ, जिनका काम सदस्यों को सुविधाएँ दिलाता है (उदाहरण के लिए सामाज्य प्रशोन्नति समिति, आवास समिति, अन्याय समिति, सहूद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों सबधी समिति),

इसरे प्रतिकूल हाल हो में होने विशिष्ट विषयों द्वारा लेकर स्थायी समितियों की नियुक्ति की गई है वे हैं —

- (क) हृषि सम्बन्धी समिति,
- (म) पर्यावरण और बन सम्बन्धी समिति और
- (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी सबधी समिति।

तदर्थे समितियों द्वारा जीवों के सम्बन्ध वर्णित किया जा सकता है।

(एक) विधेयक सम्बन्धी प्रधार या समुक्त समितियाँ, जो सभा में दास त्रिये गये इस प्रत्यावर के भनुमार बनायी जाती है कि इसी विधेयक पर विचार करने से उनके सबध में रिपोर्ट देने के लिए समिति की नियुक्ति की जाये, ऐसी अन्य तदर्थे समितियों से इस बात में विवर होती है कि उनका गार्डन उन विधेयकों से ही होता है जो उन्हें सौरों जाने हैं और उनकी प्रक्रिया नियमों द्वारा अव्यवस्था/वभाषति द्वारा जारी किये गये नियमों में दो जाती हैं।

(दो) वे तदर्थ समितियां जो समय-समय पर या तो दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित करके बनायी जाती हैं या अध्यक्ष/सभापति द्वारा समय-समय पर गठित की जाती हैं। उदाहरणस्वरूप एक सदस्य के आचरण सम्बन्धी समिति (मुद्रिल का मामला, 1951), समय-समय पर नियुक्त रेलवे अधिसमय समिति, लाभ के पदों सम्बन्धी समुक्त समिति और किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए सदन द्वारा या अध्यक्ष द्वारा या सभापति द्वारा नियुक्त कोई अन्य समिति भी ऐसी समितियों के द्वारा उदाहरण है।

समितियों का गठन

समुक्त समिति जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, या तो एक सदन द्वारा पास किये गये और दूसरे सदन द्वारा स्वीकार किये गये प्रस्ताव के अनुसार गठित की जाती है और या दोनों सदनों की अध्यक्षता करने वाले अधिकारियों के द्वीच सम्बद्ध के फलस्वरूप या नियमों के अतर्गत संसदीय समितियों में सदस्यों की नियुक्ति, सभा द्वारा स्वीकार किये गये प्रस्ताव के माध्यम से या सभा द्वारा निर्वाचित के माध्यम से या अध्यक्ष/सभापति द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, नाम-निर्देशन के माध्यम से की जाती है⁴। विधेयकों के मंदन्य में प्रवर या मंगुक्त समितियां ऐसी समितियां हैं जिनकी नियुक्ति सभा द्वारा स्वीकार किये गये प्रस्तावों के अनुसार दी जाती है। सभा वित्तीय समितियों (अर्थात् प्राइवेट समिति, नोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति) अनुमूलित जनजातियों के कल्याण सबंधी समिति और लाभ के पदों सबंधी समुक्त समिति के सदस्य प्रत्येक वर्ष सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल सक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। शेष समितियां सबधित सदन के पीटा-सीन अधिकारी द्वारा मनोनीत जी जाती हैं।

नोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, जातियों तथा अनुमूलित जनजातियों के कल्याण सबंधी समिति, लाभ के पदों सबंधी समिति तथा तीनों विशिष्ट विषय समितियां (कृषि, पर्यावरण और वन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी) ऐसी समितियां हैं जिनके सदस्य दोनों सदनों में से लिए जाते हैं जबकि कुछ समितियां प्रत्येक सदन द्वारा भूलग से गठित की जाती हैं। समुक्त समितियों का गठन दोनों में प्रमुख और स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसरण में किया जाता है।

संसदीय समितियों में, जहाँ तक संभव हो, सदन या सदनों में विभिन्न दलों और युगों को सदस्य सहाया के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस दलित में समिति सम्पूर्ण सभा का लघु स्वयं होती है। ग्रामतोर पर, दलों प्रथमा युगों के नेताओं द्वारा सुझाए जाने वाले अध्यक्ष/सभापति द्वारा स्वीकृत गद्यों वे नामों के आधार पर प्रत्येक वर्ष समितियों का पुनर्गठन किया जाता है।

नयी समदीय समितियों के सभापति अध्यक्ष/राज्य सभा के सभापति द्वारा, यथाधिकारी, समिति के मदम्यों में से नियुक्त किये जाते हैं। यदि बीठासीन अधिकारी स्वयं किसी समिति का मदस्य हो तो वह उस समिति का पदेन सभापति होता है। यदि अध्यक्ष/सभापति समिति का मदस्य न हो किंतु उपाध्यक्ष/उपसभापति सदस्य हो तो, उसे समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

समदीय समिति की कार्यविधि

समदीय समिति एक वर्ष की अवधि के लिए या अध्यक्ष सभापति द्वारा प्रस्ताव द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रन्थि के लिए या जब तक कोई नयी समिति नाम-निर्देशित नहीं की जाती, तब तक पद धारण करती है। कार्य सत्रणा समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और नियम समिति पुनर्भूषित होने तक कार्य करती रहती है जबकि अन्य स्थायी समितियाँ एक वर्ष में अनधिक अवधि के लिए पदधारण करती हैं। यदि अध्यक्ष/सभापति द्वारा किसी प्रतिवेदन, यदि कोई हो, तो दे दे।¹⁵

समितियों की अधिकारी

किसी सप्तदीय समिति या उप समिति की अधिकारिक अध्यक्ष अनोन्हारिक बैठक ममद भवन या समदीय सौंदर्य में होती है। यदि किसी कारण से किसी समिति या उप-समिति की बैठक सप्तद भवन के बाहर करना आवश्यक हो तो अध्यक्ष/सभापति की अनुमति से उनके बैठके बाहर भी हो सकती है। समिति की अधिकारी को बुलाने तथा पत्रों और अभिलेखों को मानने की शक्ति प्राप्त होती है। वह साइर ते राकती है या दस्तावेज मगा सहती है, अधिकारी को बुला सकती है, कागजात तथा अभिलेख मगा सकती है। परन्तु यदि कोई प्रश्न उठता है कि किसी अधिकारी का मादा या विमी दस्तावेज का पेश किया जाना सामिति के प्रयोजनों के लिए सगत है या नहीं, तो वह प्रश्न अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाता है जिसका निण्यं प्रतिम पर नहीं, तो वह प्रश्न अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाता है। समिति किसी ऐसे विषयों की, जो उसे निर्दिष्ट किये जायें, जाव करने के होता है। समिति किसी ऐसे विषयों की, जो उसे निर्दिष्ट किये जायें, जाव करने के लिए एक या अधिक उपसमितियाँ नियुक्त कर सकती हैं। उप समिति के प्रतिवेदन पर मुख्य समिति द्वारा विचार कर सकती है। उप समिति के प्रतिवेदन पर मुख्य

समिति द्वारा विचार किया जाता है।¹⁶

सप्तदीय समितियों की बैठक गुप्त होती है। समितियों में कार्यवादी मुख्य रूप से उसी प्रकार चलायी जाती है, जैसी कि सभा में, किंतु वह अधिक घनिष्ठ और अनोन्हारिक बाताईरण रहता है और वह दलगत अधिकार में परे होती है। जब कोई समिति विचार-विमर्श कर रही हो तो कोई सदस्य

विचाराधीन प्रश्न पर एक मे अधिक बार थोल सकता है। समिति की किसी बैठक मे विचाराधीन सभी प्रश्न उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्धारित किये जाते हैं। किमी विषय पर मतों की समानता होने पर समाप्ति या समाप्ति के रूप मे कार्य करने वाले व्यक्ति को दूसरा या निरायिक मत डालने का अधिवार होता है। समिति बी बैठकों की कार्यवाही-माराणों के आधार पर, जिनमे समिति के विचार-विमर्शों का मार और साथ ही में गिफारिशों शामिल होती है, समिति प्रतिवेदन तैयार करती है। प्रतिवेदन या तो प्रारम्भिक हो सकता है या अतिम। कोई समदीय समिति, यदि वह ठीक गमके, किसी ऐसे विषय पर, जो उसके कार्य के दौरान उत्पन्न हो या प्रकाश मे आये और जिसे समिति अध्यक्ष या गदन के ध्यान मे लाना आवश्यक समझे, प्रतिवेदन दे सकती है। चाहे ऐसा विषय समिति के निर्देश पदों मे प्रत्यक्षतया सबृद्धित न हो।⁷

समिति का प्रतिवेदन सभा मे समाप्ति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति मे इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत समिति के किमी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। समिति का प्रतिवेदन सभा मे प्रस्तुत किये जाने से पहले मौपनीय समभा जाता है, गदन मे प्रस्तुत किए जाने के बाद ही वह सार्वजनिक दस्तावेज बनता है।⁸

(एफ) वित्तीय समितियां (Financial Committees)

गंगदीय समितियों के माध्यम मे गमा सरकार पर नियन्त्रण रखने और उसकी गतिविधियों पर कही निगरानी रखने के माध्य-साथ उसके द्वारा तैयार किए बजट प्रस्तावों और व्यय के अनुमानों की जांच करती है और उनका अनुमोदन करती है। पूँ तो बजट अधिवेशन मे सरकार द्वारा तैयार किए गए करारोपण के प्रस्तावों और अलग-अलग मन्त्रालय के व्यय के अनुमानों पर चर्चाएं आयोजित की जाती हैं किन्तु देखने मे आया है कि सदस्य बहुधा एक ही विषय को शब्दों के हेर-फेर मे दोहराते रहते हैं जिसमे समय व्यर्थ की चर्चाओं मे नहीं हो जाता है और अनेक मन्त्रालयों और विभागों गंभीरी मांगो पर चर्चा हो ही नहीं पाती। फलस्वरूप “गिलोटिन” का प्रयोग कर दिया जाता है। ऐसे मे वित्तीय समितियों की उपादेयता मिछ होती है। ये समितियां सरकार के खजे और कार्य-निष्पादन की विस्तृत दानबीन करने का कार्य करती हैं।

वित्तीय समितिया कार्यालयकारी राज्य के स्वरूप को गाकार बनाने मे सहायक मिछ होती है। उनके माध्यम से मन्त्रालयों की विस्तृत गतिविधियों पर उचित परिवीक्षण किया जाता है और उनकी प्रक्रमता, किंजलयर्ची और कार्य-निष्पादन मे गिरावट पर अकुण लगा कर उन्हें-नुस्त बनाया जाता है। गंगदीय समितियों नोकतंत्र के रूप मे कार्य करती हैं। इसके प्रतिरक्त,

कोई प्रशासन अवस्था नहीं नहीं है जो शक्ति के दुष्पर्योग, लापरबाहो, विलब, उपेक्षा, पठापात् भाँट जैसे दोषों से शत्रु प्रतिशत मुक्त हो। अत गहन छानबीन पर भाषारित अध्ययन के दिना, अवस्थित जाति के दिना, सभित्रम मत्रालय या उपकम के भधिकारियों के पूर्ण परीक्षण के दिना, प्रशासन के इन पहलुओं मध्यमधी तथ्य जानने सम्बव नहीं होते।

सप्तदीय समितिया अर्थात्वस्था के महत्वपूर्ण धोत्रों तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं और सगठनों के दारे में सर्वांगीण कार्य-नियादन की समीक्षा करती है। सदन में इस प्रकार का व्योरेवार अध्ययन करना सम्भव नहीं होता है। इसलिए यह वार्षिक वित्तीय समितियों को सौंपा गया है। समितिया लगभग सभी महत्वपूर्ण मत्रालयों, विभागों के कार्यों की द्वानबीन करती है। समिति की सिफारियों का अनुसरण करके सरकार के लिए सभी नीतियों और कार्यक्रमों में घनेक परिवर्तन करना सम्भव नहीं सका है। इन समितियों के सुभाव और टिप्पणिया खर्च को विविधता करने और भविष्य के लिए प्रस्ताव और योजनायें बनाने के मामले में मानदंडक मिल होती है। इस प्रकार ये समितिया छानबीन के सभी साधनों, यथा प्रशासनिया (List of Points) जारी करके, प्रतिनिधि गैर-सरकारी सगठनों और जातकारी रलने वाले व्यक्तियों से जापन महावा कर, सगठनों का मौके पर अध्ययन वरके और और और सरकारी व्यक्तियों (ग्रोर अधिकारियों) के माध्यमें अन्वेषण/रिक हप से चर्चा करके और उनका गैरिक साइप (GAIPI) लेकर सरकार के कार्यकलागों पर निरन्तर, ऐसे और प्रत्यक्ष नियन्त्रण रखती है।

यह खर्च विद्वित है कि सरकारी खर्च पर सदृ का नियन्त्रण धनराशि मन्त्र करने तक सीमित नहीं है। तीन वित्तीय समितिया यह मुनिश्चित करती है कि धन-राशि सही दिग से खर्च हो और उससे योजनाओं में तथा कार्यक्रमों में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हो। इस उद्देश्य से वित्तीय समितियों का निरतर अधिकार प्रशासन को सदा सहकर बनाए रखता है। विचार-विमर्श के दौरान घनेक सरकारी अधिकारी समितियों के समझ उपास्थित होते हैं और प्रशासन की कमियों को दूर करने और भविष्य के लिए प्रस्ताव और योजनाएं बनाने के माध्यमे में जाप्रद पार्यदर्शन प्राप्त करते हैं। उन्होंने अनेक बार इस बात को स्वीकार किया है कि समितियों से हुए विचार-विमर्श उपयोगी रहते हैं और इनसे उन्हें बहुत लाभ होता है। इन समितियों के प्रतिवेदनों के बारण इन्हे समाज के सरकारी और गैर-सरकारी सभी वर्गों में प्रयोग सम्मान रखता है। यह इन बात से सिद्ध होता है कि सरकार इन समितियों की 70 से : 0 प्रतिशत सिफारिशें स्वीकार कर लेती है। इन्होंने मत्रालयों/विभागों में मितव्यरिता लाने और उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने में सरकार को बहुत अधिक प्रभावित किया है। समितिया की जो सिफारिशें स्वीकार नहीं की जाती उन्हें स्वीकार न करने के कारणों से उनकी अवगत

कराया जाता है। सिफारिशों को कार्य स्पष्ट देने में ही प्रगति की ओर समितियों तथा सरकार में जिन मतभेदों का समाधान नहीं होता उनको "को-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन" (Action taken Report) के माध्यम से मदन के ध्यान में लाया जाता है। इन समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की अनुवर्ती कार्यवाही की विस्तृत एवं प्रसारी प्रक्रिया अन्यथा विद्यमान संसदीय प्रक्रियाओं को मूल रूप से भारतीय देन है।

तीनों वित्तीय समितियों की कार्यवाधि एक व्यय है। इसके सदस्य सभा द्वारा प्रतिवय सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के गदात के अनुसार एकत्र सक्रमणीय मत हारा निर्वाचित किए जाते हैं। कोई भी मंत्री समितियों के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें साध्य देने के लिए इनके समक्ष उपस्थित होने का कहा जा सकता है। समितियों के समाप्ति अध्यक्ष द्वारा समितियों के सदस्यों में से भनोनीत किय जाते हैं। नियमों तथा अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निर्देशों (Directors) में दिये गये उपवधों की अनुशूलित करने के लिए ये समितियाँ, अध्यक्ष के अनुमोदन से अपने आतंरिक कार्य के लिए प्राक्रिया की विस्तृत नियम बना सकती हैं। ये समितियाँ साधारणतया नीति के प्रश्नों में नहीं जातीं वयोंकि नीतियों का निर्माण करना पूर्णतया संसद के अधिकार थेत्र की बात है और किसी समिति से यह आशा नहीं की जाती कि वह संसद द्वारा पहले से अनुमोदित किसी नीति के बारे फँसला दे। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जो तीनों वित्तीय समितियों में पाया जाता है वह यह है कि व काय हां चुकने पर प्रशासन की जाच करती है। प्रशासन के दिन-प्रति-दिन के कार्यों के हस्तक्षेप की सभावना न रह इस कारण सामान्यतया केवल उन्हीं कार्यों की जाच करती है जो पहल से किए जा चुके हां या ऐसे कार्यों की जो किए नहीं गए परन्तु जो अन्यथा किए जाने चाहिए थे।

संसदीय समितियों की सिफारिशें बधनकारी न होते हुए भी प्रभावकारी होते हैं। इसी कारण प्राय कोई भी मंत्री अथवा अधिकारी उनकी अवहेलना अथवा उपेक्षा नहीं कर सकता।

प्रायकलन समिति:— (Estimates Committee)

इस समिति के सभी 30 सदस्य लोक सभा के होते हैं⁹। अन्य दो वित्तीय समितियों के समान, इस समिति से राज्य सभा के सदस्य सहयोगित नहीं किए जाते। सरकारी खर्च में मितव्ययिता और कायंकरण में कुशलता लाने सम्बन्धी सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। यह समिति वायिक बजट अनुमानों की विस्तृत जाय करती है ताकि :—

- (क) इस सम्बन्ध में प्रातवेदन दे कि प्रावक्लनों में अन्तिनिहित नीति के अनुसर वया-वया मितव्ययिता गणन में सुधार, कायंकुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं।

- (४) प्रशासन में कायदुशलता भी अतिव्यवस्था साने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव दे।
- (५) इस बात की जाच करे कि वया प्रावकलनों में अन्तर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठोक दग से लगाया गया है या नहीं,
- (६) इसका सुझाव दे कि प्रावकलन किंग रूप में संसद में पेश किए जायें।¹⁰
- (७) इसका सुझाव दे कि प्रावकलन किंग रूप में संसद में पेश किए जायें।¹⁰
- समिति, सराद द्वारा अनुमोदित नीति के विरुद्ध नहीं जाती। इस मामले में 'सराद द्वारा, विधि के द्वारा, या विशिष्ट सम्बन्धों के द्वारा निर्धारित नीति' और सभी अन्य नीतियों में जो इस प्रतार निर्धारित नहीं हो, भेद किया गया है। बाद वाले मामलों के मम्बन्ध में समिति किसी तर्जे मामले की जाच खुलकर कर सकती है जो सरकार द्वारा मामले कायदालिका मम्बन्धी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए है जो सरकार द्वारा मामले कायदालिका मम्बन्धी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नीति के रूप में तय किया गया है। किन्तु जहा यह बात प्रमाण द्वारा सिद्ध हो जाये कि किसी विशिष्ट नीति से प्रत्याशित या संरक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं या उसमें अपर्याप्त हो रहा है, तो समिति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाये कि नीति में परिवर्तन भी आवश्यकता है।

लोक संखा समिति (Public Accounts Committee)

यह समिति लोक सभा की वित्तीय समितियों में सबसे पुराना समिति है। समिति व 22 सदस्य होते हैं। 15 लोक सभा के भीर / राज्य सभा के) वर्ष मिति व 22 सदस्य होते हैं। 15 लोक सभा के भीर / राज्य सभा के) वर्ष 1907 से चली आ रही परिपाठी क. मनुगार विरोधी पद्ध के विस्तीर्ण सदस्य वो इस समिति का समार्थन नियुक्त किया जाता है।¹¹

लोक संखा समिति भारत सरकार के व्यय को बहन बरते के लिए सराद द्वारा प्रनुदत्त राज्यों का विनियोग दिखाने वाले लेखांगों, भारत सरकार के वापिक वित लेखांगों भीर सभा के सामने रखे ऐसे भी लेखांगों की जाच करती है जिन्हे वह ठीक समझे नूँकि प्रावकलन समिति गावंजनिक व्यय के अनुमानों है जिन्हे वह ठीक समझे नूँकि प्रावकलन समिति गावंजनिक व्यय के अनुमानों का वित लेखांगों भीर सभा के सामने रखे ऐसे भी लेखांगों की जाच करती है, इसलिए लोक संखा समिति को कभी-कभी प्रावकलन सम्बन्धी काय एक दूसर समिति भी "जुडवा बहन" भी रहा जाता है। इन दो समितियों के काय एक दूसर के पूरक हैं। समिति इस बारे में पराना समाधान करती है कि लेखांगों में व्यय के दियाया गया धन उम सेवा या प्रयोजन के लिए विधिवत उपलब्ध भीर रूप में दियाया गया धन उम सेवा या प्रयोजन के लिए विधिवत उपलब्ध भीर व्यय उस प्राप्तिकार के प्रनुगार है जिसमें प्रत्यंत वह किया गया है। सामात यह व्यय उस प्राप्तिकार के प्रनुगार है जिसमें प्रत्यंत वह किया गया है। सामात यह व्यय जाने योग्य या जिसमें यह लगाया गया है या पारित किया गया है अथवा लगाये जाने योग्य या जिसमें यह लगाया गया है या पारित किया गया है। सामात यह व्यय उस प्राप्तिकार के प्रनुगार है जिसमें प्रत्यंत वह किया गया है। सामात यह व्यय जी इन्हीं है कि प्रत्येक पुनर्विनियाग सम्म प्राप्तिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में बनायी जाने योग्य या जिसमें प्रत्यंत वह किया गया है। यदि किसी सेवा पर उस प्रयोजन नियमों के उपलब्धों दे प्रनुगार किया गया है। यदि किसी सेवा पर उस प्रयोजन के लिए सभा द्वारा स्पौदित राजि से प्रधिक राजि खच का गई हा तो सीमात प्रत्येह मामले के व्ययों के सदर्भ में उन परिस्थितियों की, जिनके कारण यह प्राप्ति

रिक्त व्यय हुआ है, जान करती है तथा ऐसी सिफारिशें करती हैं जो वह उचित समझे। तत्पश्चात् अधिक व्यय के ऐसे मामले सरकार को विनियमन के लिए गदन के समक्ष लाने पड़ते हैं।¹²

समिति के कृत्य खंच की ओपचारिकता देखने से कही ग्राधिक है। वह ऐसे मामलों की जाच करती है, जिनमें हानि हुई हो, निर्यंतर खंच हुमा हो और वित्तीय अनियमितताएं की गयी हो। यदि यह प्रमाणित हो जाए कि उपेक्षा करने वे बारण हानि हुई हों या फजूलखंची हुई है तो सम्बद्ध मन्त्रालय से यह बताने के लिए वहा जाता है कि इस प्रकार की घटना को दोबारा न होने देने के लिए अनुशासनात्मक या अन्यथा कौन भी कार्यवाही की गई है। ऐसे मामलों में समिति या तो सरकार की कार्यवाही का तिरनुमोदन करती है या उसकी निम्ना करती है।

समिति जाच के लिए विषयों का चयन सरकार के लेखांगो पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में से करती है जो सासद् के प्रत्येक गदन के समक्ष रखे जाते हैं। लेखांगो और लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाच करने में नियन्त्रक और महालेखा परीक्षा समिति की सहायता करता है।¹³
समिति की सीमाएं

समिति की दो सीमाएं हैं, प्रथम नीति सम्बन्धी निर्णयों में यह मार्ग-दर्शन नहीं करती, ऐसे निर्णय लेना सरकार का दायित्व है। दूसरी, इसके नियन्त्रण कार्योंपरान्त हाते हैं। परन्तु यह बताना समिति के ग्राधिकार क्षेत्र में है कि उस नीति का कार्यान्वित बरते समय फजूलखंची हुई है या नहीं। यद्यपि समिति मनिय-मितताएं हो चुकने के बाद उन्हें प्रकाश में लाती है किन्तु इसका सरकारी ग्राधिकारियों द्वारा खंच के ग्रविडेक्शन तरीकों पर काफी प्रभाव पड़ता है और वे इसके नियन्त्रणीयों और सिफारिशों को बहुत गभीर रूप से लेते हैं। सामान्यतया समिति मितव्यप्रिया दर्शन के लिए रामान्य नियन्त्रण पर ही जोर देती है, परन्तु यह प्रशासन की कमजोरियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट कर सकती है। अत ऐसी समिति का होना ही सभाध्य प्रशासनिक अपव्यय और फिजूलखंची के लिए रोकात्मक प्रभाव रखता है और इसके द्वारा वित्तीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं।

(1) सरकारी उपकरणों समिति (Committee on Public undertakings) : देश में आयोजित आयिक विकास प्रारम्भ होने और पकास के दशक में गदन द्वारा आयोगिक नीति सबधी संकल्प पारित किए जाने के बाद प्रत्येक आयोगिक कृषि वाणिजिक उपकरणों में काफी दृढ़ हुई है जिनका नियंत्रण तथा प्रबन्ध भारत सरकार के हाथ में है। बहुत सी सरकारी कम्पनियों और सविहित नियम भी अस्तित्व में आयी जिनमें बहुत ग्राधिक पूँजी लगी हुई है। इन्हें "तार्ड-जनिक उपकरण" (Public Undertakings) कहा जाता है। उन पर लगायी गयी धन राशिया चूं कि भारत की सचित नियि से लगाई गई है घरतः तोक सभा का मह-

दायित्व हो जाता है कि वह उनके कामों पर पर्योग निपत्रण रखे। इस उद्देश्य से समृद्ध द्वारा गरकारी उपकरणों गम्भीरी समिति वर गठन किया गया है जिसके 22 सदस्य होते हैं। जिनमें 15 गदरव लाक गभा द्वारा निर्बाचित हिंदू जाते हैं और 7 गदस्य गज्ज गभा द्वारा। समिति का समाप्ति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों (भीक गभा से निर्बाचित) में गमनियुक्त किया जाता है।

गमिति के तृतीय ये हैं— जोग गभा के प्रांत्रिक गांवों गमनालत गम्भीरी नियम की व्यवस्था में उत्तिवित गरकारी उपकरणों के प्रतिवेदनों तथा सेवायों की ओर यदि उनके बारे में गमन न नियशक थोर गहरायेगा एवं लकड़क को कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जान करना और गरकारी उपकरणों को खालीगता और कामद्वृत्तिलता के तदन्त में, यह जान दरकारी कि क्या गरकारी उपकरणों के कामे समूचित व्यापार निर्दार्ती आंदोलनपूर्ण वालिडियत प्रदानी के अनुसर थे रहे हैं। गमिति ऐसे विषयों या मामलों की भी जान कि गरकारी ने गमन अध्यक्ष प्रधान द्वारा उग विशेष रूप से गोपनीय बनाये। परन्तु समिति प्रभुगा गरकारी नीति गम्भीरी तेंग मामले की जो नियमकारी उपकरणों के व्यापार अथवा वालिडियत कृत्यों से भिन्न है, अध्यक्ष तेंग मामलों की जिन पर विचार करने के लिए उग विशेष विविध की व्यवस्था की गई है, जिसके प्रभावत गरकारी उपकरण विशेष व्यापित किया गया है, जाच और आतंबीत नहीं का गती।¹¹

गमिति द्वारा गरकारी उपकरण की जान गमनालतया उगक काम के मूल्यांकन के लिए में होती है। इन जानों में नीतियों और कायदाप्रमाणी कार्यान्वयिति, प्रब्रह्म तथा विशेष वहनु या जान है, जेंग उत्पादन, गमनालय वर्षष्यवस्था में अ ज्ञान, रोड़गार के अवसर पेश करना, गटायक उद्यानों का विकास, उपमालता के हिलों का गमनालय इत्यादि। गमिति द्वारा कि गमन तुल्य महसूलपूर्ण व्यवस्थाएँ गमनियोंका गमनालय गमनालयी योजना बनाने, गमीं दोनों में प्रब्रह्म व्यवस्था करने, नियमण व्यवस्थाओं में विदेशी सहयोग और उनकी भूमिका एवं उपलब्धिया इत्यादि शामिल हैं। गमिति द्वारा वे तत्त्व गमन और तोगी के व्यान में लाए गए हैं कि उपकरणों द्वारा किया ग्राहक गमनालिक घन का प्रब्रह्म व्यवस्था किया जाता है।

(2) सदन की समितियाँ.

कार्य दंत्रलग्न समिति (Business Advisory Committee). प्रत्येक गदव में यह कार्यमन्त्रणा होती है। थोक गभा में इस समिति में प्रब्रह्म को मिलाकर पन्द्रह से अधिक गदस्य नहीं होने हैं जिसका नाम निर्देशन अध्यक्ष बरता है। अध्यक्ष इस समिति का पदेन समाप्ति है। राज्य गभा से उपगमनालय समिति को हिंदू गमन व्यवस्था होते हैं। राज्य गभा के गमनालय समिति के पदेन गमनालय होते हैं। प्रब्रह्म या गमनालय, व्यवस्थिति समालय के प्रारम्भ एवं या गमनालय एवं समिति को नाम निर्दिष्ट करता है। नियमों में हमका काई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया लेकिन इसका कार्यकाल तब तक रहता है जब तक कि नयी समिति भनोनील नहीं की जाती।

समिति वा काम यह सिफारिश करना है कि सरकार के उन विधायी तथा अन्य कार्य पर जिसे अध्यक्ष/सभापात्र सभा के नेता के परामर्श से समिति को सौंपने का निर्देश दें, चर्चा करने के लिए कितना समय नियत किया जाए। परन्तु राज्य सभा में समिति यह भी सिफारिश करती है कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकलों पर चर्चा के लिए कितना समय नियत किया जाए। समिति ऐसे अन्य कृत्य करती है जो अध्यक्ष द्वारा श्रेयवा नापति द्वारा यथास्थिति उसे समय-समय पर सौंपे जायें। समिति स्वयं भी सरकार से सिफारिश कर सकती है कि वह कोई विधय विशेष सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत कर और उस चर्चा के लिए समय नियत कर सकती है। यद्यपि समिति में सामान्यतया भी मतों वाले सदस्यों का प्रति-निधित्व रहता है तबापि समय नियत करने सवधी निरंय सदा सर्व-समिति से लिए जाते हैं और समूचा सदन सामान्यतया उनसे सहमत हुआ है।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा सकलों सम्बन्धी समिति (Committee on Private Member's Bills & Resolutions)। इस समिति के पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होते, जिनका नाम निर्देशन अध्यक्ष करता है और यह एक वर्ष तक पद धारण करती है। समिति के महत्व को देखते हुए उपाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से इस समिति में निया जाता है जो इसका सभापति होता है। इसके कृत्य हैं—
 गैर सरकारी सदस्या के विधेयकों और सकलों के लिए समय नियत करना, सविधान में सशोधन करने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों (Bills) की लोक सफा में उनको पश किए जाने से पहले जाच करना और गैर सरकारी सदस्यों के ऐसे विधेयकों की, जिनमें सभा की विधायों क्षमता को चुनौती दी गई हो, जाच करना। इस प्रकार यह गैर-सरकारी सदस्या के विधेयकों तथा सकलों के सबध में उन्हीं कृत्यों का पालन करतों हैं जिनका कि कार्य मत्रणा समिति द्वारा सरकारी कार्य के सबध में किया जाता है। राज्य सभा समिति के कृत्य ये हैं—
 (एक) सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्राप्ति के लिए सदस्यों के सभी प्रार्थनाओं पर विचार करना, (दो) आंशिक प्रत्येक सामल की जाच करना, जिसमें कोई सदस्य 60 दिन या इससे अधिक समय तक विना अनुमति के सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहा हो और यह प्रतिवेदन देना कि क्या इस अनुपस्थिति को क्षमा कर दिया जाये या कि उस मामले को परिस्थितियों में यह उचित है कि मदन उम सदस्य के स्थान करके होने की घोषणा कर दे। इसके अतिरिक्त समिति सभा के सदस्यों की उपस्थिति के सबध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन भी करती है, जो समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जाए।

नियम समिति (Rules Committee) दानों सदनों की एक-एक नियम समिति है। नांक सभा में नियम समिति का नाम—निर्देशन अध्यक्ष करता है और उसके 15 सदस्य होते हैं जिनमें अध्यक्ष भी शामिल होता है। वह इस सामात का पदेन सभापति होता है। राज्य सभा में सभापति और उपसभापति सहित इस समिति के 16 सदस्य हैं। राज्य सभा का सभापति इस समिति का पदेन सभापति होता है।

इस गमित के कृत्य इस प्रकार है (एक) गभा के प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन के मामलों पर विचार करना और (दो) नियमों में आवश्यक समझे जाने वाले सभी घनो अयवा परिवर्द्धनों को मिफारण करना। तियमों में सजोधन या बढ़ि करने का मुख्य सदन के इसी भी गदर्य द्वारा इसी मध्य या स्वयं सामति द्वारा दिया जा सकता है।

(तोन) जाच रामितियां

समिति विभिन्न व्यक्तियों तथा संघों से प्राप्त अस्मावदना, चाट्ठयों और तारों पर विचार करती है, जो याचिकाओं संबंधी तथमा के अन्तर्गत नहीं आते हैं और उन्हें निपटाने के लिए निर्देश देती है। यह सामूहिक आम नागरिकों को न्यायालंबित शिकायतों को दूर करने के मामले में सहाय उपयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण काम करती है। पीठित और दमन के शिकायत नागरिकों के लिए यह सामूहिक "मास्कुडस-मैन" या "सार्वजनिक शिकायत सामूहित" के रूप में काम करती है।

में” या “सांवंजनिक विकापत सामाजिक सदस्यों के लिये उनकी समिति (Committee on Privileges) . समिति के प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से, और उसके सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, अर्थात् उन्हें कुछ आधिकार तथा उन्मुक्तियाँ मिली हुई हैं, जिनके बिना सभा तथा उसके सदस्य उन कृतयों का निवेदन नहीं कर सकते, जो संविधान ने उन्हें सोचे हैं। जब कभी विशेषाधिकार भग होने का आरोप लगाया जाता है, तो सभा उस विषय पर विचार कर सकती है परन्तु सामाजिक सदस्यों की जांच, खानबीन तथा प्रतिवेदन देने के लिये उस विशेषाधिकार समिति को सोच दर्ता है। प्रत्येक सदन में यह सांमाजिक गठित को गई है। सामाजिक सदनों के वीडासीन आधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्षे विशेषाधिकार

रखा गया है, (ब) वया पत्र को सभा पटल पर रखने में कोई अनुचित विवरण हुआ है, (ग) यदि ऐसा विवरण हुआ है तो वया उक्त विवरण के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण भी सभा पटल पर रखा गया है तथा वया वे कारण सन्तोषजनक हैं, (घ) वया उत्तर पत्र के हिन्दी तथा अंग्रेजी ग्रन्थरण सभा पटल पर रखे गये हैं प्रीर (ड) वया हिन्दी ग्रन्थरण सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है, तथा वया वे कारण सन्तोषजनक हैं। इन प्रकार, मामाय स्पष्ट में समिति का उद्देश्य प्रशासन के उन क्षेत्रों में संसदीय नियंत्रण लागू करना है जिनमें 10^{-5} में इन समिति वा गठन होने तक वह नहीं पा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (Committee on the Welfare of Scheduled Castes/Tribes) भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कई रक्षोपायों का उपयोग दिया गया है। इन रक्षोपायों की कार्यान्वयिता पर निगरानी रखने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के पद की व्यवस्था की गई है। आयुक्त संविधान के अनुच्छेद 338(2) के प्रधीन राष्ट्रपति को रक्षोपायों की कार्यान्वयिता के सम्बन्ध में प्रतिवेदन पेश करना है प्रीर तत्त्वम्बन्धी सिफारिशें करना है। इन सिफारिशों ता प्रभावपूर्ण ढंग से अनुपातान सभव बनाने के लिए संसद द्वारा अनुसूचित जातियों नया अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति गठित की गई है। इस समिति के 30 सदस्य होते हैं, लोक सभा के 20 प्रीर राज्य-सभा के 10 जो संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रपने-प्रपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाते हैं।

समिति के महत्वपूर्ण कृत्य अन्य दातों के माय-माय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों पर विचार करना प्रीर तत्त्वम्बन्धी प्रतिवेदन पेश करना है कि उन पर सरकार द्वारा वया उपाय किए गए हैं या करना अपेक्षित है। समिति केन्द्रीय सरकार के विभागों, केन्द्रीय सरकारी उपकरणों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, प्रादि में सेवाश्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुगृहित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में जीव करती है प्रीर उनके कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों के कार्यकरण की नीतिशास करती है तथा संसद में प्रपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। समिति समय-समय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी विभेद हित के मामलों पर भी विचार करती है तथा यह भी सुनिश्चित करती है कि इन पिछड़े समुदायों के लिये सर्वेधानिक रक्षोपायों को प्रमाणी कार्यस्पृष्ट दिया जाये।

(चार) सेवाएं उपलब्ध कराने वाली समितियाँ। संसद गदस्यों को उपलब्ध भी जाने वाली विभिन्न प्रकार तीनों गोपाधों प्रीर मुविधाश्रो तथा संसद के दोनों सदनों के गदस्यों के कार्यकरण में सुन्दरित अन्य मामलों भी जाच करने वाली समितियाँ

इस प्रकार हैं मामान्द प्रयोजन समिति, आवास समिति, इन्द्रालय समिति और समद् सदस्यों के बेतन तथा भत्ता सम्बन्धी समुक्त समिति।

मामान्द प्रयोजन समिति(General Purpose Committee) इस समिति का गठन सदन के कार्यों से नमूद ऐसे विषयों पर विचार करने और परामर्श देने के लिए किया जाता है, जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे भेजे जायें। समद् के दोनों सदनों की एक-एक मामान्द प्रयोजन समिति होती है। इसमें सबधित सदन का पीडासीन प्रयिकारी समिति का फलन सभापति होता है। इस समिति में अध्यक्ष/सभापति, उपाध्यक्ष/उपसभापति जैसी भी स्थिति हो, सभापति तालिका के सदस्य, उम सदन की सभी स्थायी समितियों के सभापति मान्यता प्राप्त दबो/युपो के नेता और ऐसे इन सदस्य होते हैं, जिन्हें पीडासीन प्रयिकारी द्वारा नाम निर्देशित किया जाए।

आवास समिति(Housing Committee) समद् के प्रहेंड सदन की एक-एक आवास समिति होती है जो सदस्यों के लिये भवानों में सबधित सभी प्रश्नों को तथा वरती है और दिल्ली में सदस्यों के निवासों और होस्टलों में शिवे गंगे स्थान, प्रोजेक्ट, चिकित्सा सहायता तथा अन्य सुविधाओं सबघी बायें करती है।

प्रथालय समिति(Library Committee) यह एक अनोन्हारिका समिति है जिसमें दोनों सदनों के सदस्य नियुक्त हैं। इस अध्यक्ष द्वारा प्रन्यालय सबस्ती विषयों के बारे में उन्हें परामर्श देने के लिए नियुक्त किया जाया है। इस समिति में उपाध्यक्ष सहित, जो समिति का प्रदेन सभापति होता है, लोक सभा के छह सदस्य और राज्य सभा के नीति सदस्य होते हैं। इन सदस्यों वा दोनों सदनों के पीडासीन प्रयिकारियों द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह समिति प्रन्यालय वर्षं गठित करे जाती है। इस समिति का मुख्य कृत्य प्रन्यालय और उपका महायक सेवायो, अर्थात् सदर्भ, जोष तथा प्रतेकत्व सेवायों के प्रयोग में सदस्यों को महापता करना है। यह नई पुस्तकों तथा समद् प्रन्यालय में सबधित अन्य दिन प्रतिदिन के विविध विषयों पर प्रश्नान्वय के लिए नियम बनाते और इसकी आड़ी योजनाएं बनाते प्राप्ति से संबधित मापलों में अध्यक्ष को परामर्श देती है।

संसद् सदस्यों के बेतन तथा भत्तों सबघी समुक्त समिति(Joint Committee on Members Salary & Allowances) इस समिति का गठन 1954 में किया गया था जिसमें कि संसद् सदस्यों के बेतन तथा भत्ते अधिनियम 1954 के प्रधीन नियम बनाये जा सके। इस गमुक्त समिति में लोक सभा के दम और राज्य-सभा के पाल सदस्य होते हैं, जिनको दोनों सदनों के पीडासीन प्रयिकारी नाम निर्देशित करते हैं।

इस समिति के कृत्य है केन्द्रीय सरकार वे परामर्श में दोनों सदनों में सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ते, चिकित्सा, आवास, टेलीफोन, डॉक, पानी,

विजली, निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी तथा मचिवीय सुविधायें आदि देने के बारे में नियम बनाता है।

निष्कर्ष –सप्तसदीय समितिया विचारधीन विषय को शान्त बातावरण में बारीकी से छान-बीन कर निष्कर्ष निकालती है और सिफारिशें देती हैं। सरकार द्वारा इनकी सिफारिशों को बड़ी गभीरतापूर्वक लिया जाता है और सामान्यतया अधिकार सिफारिशें स्वीकार कर नी जाती हैं। समितिया शक्ति का योत है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जो सरकारी विभाग कुशल दक्षता से कार्य नहीं करते अथवा जिनके अधिकारी युटियो के दोषी हैं उन्हें सम्बद्ध विषयों पर साइय के दौरान समिति के मदस्यो द्वारा की जाने वाली कठोर जिरह के समय अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उनको इस बात का भान भी होता है कि समिति को भूठी जानकारी देना समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है, जिसके गभीर परिणाम निकलते हैं। अत समितिया सरकार के अकुशल प्रशासन पर अ कुश लगावर उसे नुस्ख बनाने में गहायक सिद्ध होती है। भारतीय सप्तसद की समितिया यह काम बड़ी कुण्ठलतापूर्वक कर रही है। इन समितियो द्वारा निरन्तर सतर्क रह कर और सरकारी विभागो के कार्यकरण के न्यायोचित एवं रचनात्मक मूल्याकन से समितियो ने सप्तसद के प्रभावी कार्यकरण में विशिष्ट योगदान किया है और देश में सप्तसदीय सम्पाद्यों को सामान्य रूप में सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

समितियों के रचनात्मक प्रभाव को देखते हुए यह विचारधारा जोर पकड़ती जा रही है कि आधुनिक प्रशासन की बदती हुई जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय सप्तसद की समिति प्रणाली को और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। सप्तसद में दलगत विचारधारा के कारण बहुत सा समय थीटाकशी में ब्यर्थ चला जाता है, जिसमें कोई रचनात्मक कार्य नहीं हो पाता है। समितियों में मदस्य दलगत भावना में ऊपर ऊचकर सामंजस्यपूर्ण ढांग में कार्य करते हैं वयोंकि समितियों में समान उद्देश्य के लिए कार्य किया जाता है। अत देश में विषयों पर आधारित या मंत्रालयों/विभागों पर आधारित विशेषज्ञ समितिया स्थापित करने की विचारधारा की गभीरता में ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यकरण की लगातार द्यानबीन करना बजट प्रस्तावों और विधायी प्रस्तावों की उनके अपने-अपने विषय दोनों में जाच करना गम्भीर होगा और समितियां संपर्क की पूरक सिद्ध होगी। ऐसी समितियों की स्थापना ने सप्तसद के पास ऐसे साधन उपलब्ध दो जायेंगे, जिनमें कि वह सरकार के श्रियाकलापों वी निरन्तर द्यानबीन कर सकेंगी और माथ ही कायंपातिका में ग्राप्त होने वाले गभीर प्रस्तावों की उनके विषय-दोनों में ही जाच कर सकेंगी। इस मदर्भ में हान ही तीन विषयगत समिति बनाकर जो पहल की गई है बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।

भारत की गणराज्य समिति प्रणाली को सुदृढ़ बताते समय इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शक्ति प्राप्त होने से निरक्षुण न बनें वहिंक गृहीर बनें। उनको भूमिका तथा भी पूरक भीर सहायक की होनी चाहिए न कि वे तो एक विद्यानमण्डल द्वादश काव्यसंस्कार के मुकाबले में शक्ति के अलग कैन्ट बनें। वे तो एक मित्राद्युषण समालोचक घटवा आतंरिक परंपरा लेसा परीक्षक भी तरह होनी चाहिए। अतः समिति व्यवस्था में सुधार इस उद्देश्य गे किए जाने चाहिए कि वे उन्होंनो सोचे जाने वाले काव्य को प्रभावी ढंग में कर सकें।

संदर्भ

- 1 देविये मुमाप काश्यम, कमेटीज इडियन लोक सभा, जॉन डी लोज एंड मालकम बाँ (सम्प.), कमेटीज इन लेज़िस्लेष्टर ए कम्पेरेटिव स्टडी, दृष्टक मुनिवर्सिटी प्रेस, 1979, पृ 297-300
 - 2 मनु ४४ और 105
 - 3 काश्यम, अपर उद्देश, पृ 297
 - 4 नियम, 254
 - 5 नियम 256 और 298
 - 6 नियम 267, 270 और 263 तथा निर्देश 50 (1), 56 और 57
 - 7 नियम 266, 268, 261, 262, 276 और 277
 - 8 नियम 219 (1) और निर्देश 68 (1), 71 (क) (1-3), 55 और 65 (1)
 - 9 नियम 309, 311 और 312 ए और निर्देश 99 (1)
 - 10 नियम 310 और निर्देश 98
 - 11 मिमिति पहली बार माटगु-चेमाकोड़ रिकार्म के अधीन वर्ष 1921 में राधापित की गई थी। 1954-55 से पूर्व इसके 15 सदस्य द्वे जो तोक मभा में ही लिए गये थे।
 - 12 नियम 303
 - 13 नियम 308 (3)
 - 14 नियम 312 के बोधी भन्नाथुची और नियम 312 का परन्तुक (एक-तीन)
 - 15 स्वागतशास्त्री और व्यावधिक निकायों के वायिक प्रतिवेदन, समय समय पर निषुक्त होने वाली समितियों तथा आयोगों के प्रतिवेदन राधापित द्वारा प्रह्यापित घट्यादेश, साविधिक नियम और आदेश कुछ शेरियों के पत्र हैं, जो सभा पठत पर रखे जाते हैं।
-

संसदीय विशेषाधिकार

विशेषाधिकार (Privileges) का मीठा-मादा शब्दिक अर्थ "छूट का प्रसादारण अधिकार" है। इस शब्द का कानूनी अर्थ यह है कि "यह विसी कर्त्तव्य वोझ या दायित्व से छूट है जो वाकी सब के लिये हो।" यह "विशेष" इसलिये है कि यह अधिकार या छूट ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं है। संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges) संसद के विशेषाधिकार नहीं है बजे कि संसद तो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से बनती है जब कि संगीतीय विशेषाधिकार केवल दोनों सदनों को, उनकी समितियों को भी और उनके सदस्यों को प्राप्त है।

संसदीय भाषा में, "विशेषाधिकार" शब्द से अभिप्रेत है ऐसे कर्तव्य अधिकार तथा उन्मुक्तियाँ जो संसद के प्रत्येक सदन तथा उसकी समितियों को सामूहिक रूप से और प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हैं और जिनसे विना वह अपने कृत्यों का निवंहन दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कर सकते। संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य संसद की स्वतंत्रता, प्राधिकार तथा गरिमा की रक्षा करना है। ये मदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हैं क्योंकि संसद अपने सदस्यों की सेवाओं के बाधारहित प्रयोग के बिना अपने कृत्यों का निवंहन नहीं कर सकती और प्रत्येक सदन को अपने मदस्यों के भरकण तथा प्राधिकार एवं गरिमा की रक्षा के लिये ये सामूहिक रूप से प्राप्त हैं। परन्तु ये सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से केवल उभी मीमा तक उपलब्ध हैं जहाँ तक कि सदन को किसी घबरोपय या वाधा के बिना अपने कृत्यों का स्वतंत्रापूर्वक निवंहन करने के लिये आवश्यक है। वे सदस्यों को समाज के प्रति दायित्वों से, जो अन्य नागरिकों पर लागू होते हैं, मुक्त नहीं करते। संसद के विशेषाधिकार कानूनों के लागू होने के मामले में संसद सदस्यों को साधारण नागरिकों से किसी भी प्रकार भिन्न स्थिति में नहीं रखते, जब तक कि व्यक्ति संसद के हित में ऐसा करने के लिये ठोग तथा पर्याप्त कारण न हो।

पायारभूत सिद्धान्त यह है कि सभी नागरिक, जिनमे समृद् सदस्य भी प्राप्ते हैं, कानून की दृष्टि मे दर्शकर हैं। कानून के लागू होने के विषय मे कोई समृद् सदस्य, जब तक ति सविधान या कानून मे स्पष्ट रूप मे इसकी व्यवस्था न की गई हो, सामान्य नागरिक की अधिकारों की मांग नहीं कर सकता। अतः किसी सदस्य को किसी प्रकार की आक्रामक अथवा परेशान किये जाने की कार्यगाही के विवद विशेषाधिकार तभी उपलब्ध होता है जब कि समृद् सदस्य के रूप मे अपन कर्त्तव्यों वा निर्वहन करते समय उनके लिये कोई वाधा उपस्थित की जाये या किसी प्रकार उसको परेशान किया जाए। इसी प्रकार यदि किसी समृद् सदस्य के किये ये अपमान या उस पर लगाये गये प्रादेश के सदन के सदस्य के रूप मे उसके प्रश्नरण या चरित्र मे लकड़ नहीं है और वह सदन के कार्य के बास्तविक नियादन मे उच्चतम भागलो पर प्राप्ति नहीं है तो समृद् के विशेषाधिकार का मापना नहीं बनता। सदस्यों को देश की साधारण विधियों के प्रवर्तन से दूट नहीं होती। एक विशिष्ट माध्यमे मे यह निर्णय दिया गया कि किसी सदस्य को अभी नागरिकों पर गमन कर्त्तव्य से लगाने काली विधि द्वारा प्राप्ति कृत हूप से डाक को सेम्पर करते और टेलीफोन पर होने वाली बातों को बीच मे गुनने के बारे मे कोई विशिष्ट विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। जब कोई व्यक्ति या कोई प्राप्ति कार, डाकिंग रूप से सदस्यों वा सामूहिक रूप से सभी वे किसी विशेषाधिकार, अधिकार या उन्मुक्ति की अवृत्तता करता है या उस पर कुठाराघात करता है तो उस अपराध को विशेषाधिकार भए की सजा दी जाती है।

संवेधानिक उपचार (Constitutional Provisions)

रामद के दोनों सदनों तथा उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तिवाल भारत के सविधान के अनुच्छेद 105 मे उल्लिखित हैं। इस अनुच्छेद मे प्रमुख उपचार यह किया गया है कि समृद् मे सदस्यों की बाक् स्वातन्त्र्य प्राप्त है, समृद् मे या उसकी किसी समिति मे सदस्य द्वारा कही गई किसी बात प्रथवा दिये गये किसी भत के बारे मे किसी समृद्-तदेश के विवद किसी न्यायालय मे कोई कार्यवाही नहीं चलाई जर सकती। राज्यो के विधान मण्डलो और उनके सदस्यों के बारे मे ऐसा उपचार अनुच्छेद 194 मे किया गया है। उनमे से कुछ विशेषाधिकार कतिविधि सविधियो मे और लोक गभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सम्बन्धी नियमो मे उल्लिखित हैं और कुछ अन्य देश मे विकसित प्रथाओं पर पूर्वोंदारणाओं पर प्राप्ति की जाती हैं।

उपचार वे अनुच्छेद 105 मे यह उपचार है

- (1) इस सविधान के उपचारों के और समृद् की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी ग्रादेशों के अधीन रहते हुए, समृद् मे वार्-स्वातन्त्र्य होगा।

- (2) संसद् या उसकी किसी समिति में संसद् के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात पर दिये गये किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कायंवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद् के^१ किसी संन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पर, मतों या कायंवाहियों के प्रकाशन के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई कायंवाही नहीं की जाएगी ।
- (3) अन्य बातों में संसद् के प्रत्येक मदन की ओर प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तिया, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद् समय-समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक वही होंगी जो संविधान (चवालीसवा मण्डल) अधिनियम, 1978 की द्वारा 15 के प्रवृत्त होने से टीक पहले उस सदन की ओर उसके सदस्यों और समितियों की थी ।
- (4) जिन व्यक्तियों को इस नाविधान के आधार पर संसद् के किसी सदन या उसको किसी समिति में बोलने का और उसकी कायंवाहियों में अन्यथा भाग लेने का प्रधिकार है, उनके संबंध में खड़ (1), खड़ (2) और खड़ (3) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार व संसद् के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं ।

मनुच्छेद 105 (3) अथवा 194 (3) में स्पष्ट रूप में यह उपबंधित किया गया था कि जब तक भारतीय समद् द्वारा अन्य शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तिया विधि द्वारा परिभावित नहीं की जाती तब तक “ट्रिटिश हाउस आफ कामस” की शक्तिया, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तिया भारत की संसद् और विधान मंडलों और उनके सदस्यों के लिये उपलब्ध रहेंगी । इससे अभिप्रेत है कि यदि संसद् किसी समय किसी विशिष्ट विशेषाधिकार के संबंध में कोई उपबन्ध अधिनियमित करती है तो ट्रिटेन के पूर्वोधारण उस गोपना तक भारतीय समद् पर नागू नहीं होंगे । परन्तु 1978 में खड़ (3) में संशोधन करके यह उपबन्ध किया गया कि संविधान में उल्लंसित विशेषाधिकारों के अलावा विशेषाधिकारों के संबंध में, संसद् के प्रत्येक गद्दन की, उसके सदस्यों की ओर समितियों वी शक्तिया विशेषाधिकार और उन्मुक्तिया वही होंगी जो संविधान (चवालीसवा मण्डल) अधिनियम, 1978 की द्वारा 15 के प्रवृत्त होने (20.6.1979 ते) टीक पहले उस मदन की ओर उसके सदस्यों और समितियों की थी । इस मण्डल द्वारा वस्तुतः ट्रिटिश हाउस आफ कामस के सभी निर्देशों का लोप करके केवल जाबिदक परिवर्तन किये गये हैं पर सार वही रहता है । कहना न होगा कि संविधान में उल्लंसित शक्तियों और विशेषाधिकारों के अलावा प्रत्येक सदन को, उसके सदस्यों और समितियों को व्यवहार में वही

शक्तिया और विजेयाधिकार प्राप्त है, जो २० जनवरी, १९५० को ब्रिटेन के हाउस प्राक बामन्ज उनके महस्यों तथा मस्तिष्ठों को प्राप्त थे।

मुविधान (ममदीय) विधेयक पर कोनते हुए, मनुच्छेद 105 (3) में संशोधन करने का प्रयोगन बनाते हुये तत्कालीन विधि मत्रों ने इहा या “कि मूल उपचार्य, विस्ता कि कोई विश्वन्य नहीं था, ए ब्रिटिश हाउस याक बामन्ज का उन्नेम विद्या गदा था। इब भारत जैमा स्वामिमानी इश अपने पावन सबैधानिक दस्तावेज में किसी विदेशी संस्का का उन्नेख नहीं करना चाहमा ...” इसकिंदे इन स्पष्ट के द्वारा यह नाभिद्व परिवर्तन विद्या या रहा है ताकि एक विदेशी संस्का का उस्तेस्त न रहे।

मुख्य विशेषाधिकार

ममद, इसके महस्यों तथा मस्तिष्ठों के कुछ विजेयाधिकारों का स्पष्ट उन्नेख मविधान, कुछ शान्तों और ममद के प्रक्रिया मवधी नियमों में विद्या गदा है, कुछ इन देश में विश्वित परिवाटियों पर दायारित है। इनहे आधार पर ममदीय विजेयाधिकारों सम्बन्धी नूचिया द्वारा की जा सकती है परन्तु ऐसी कोई मूली व्यापक नहीं हो सकती। कुछ महस्तवूर्म विजेयाधिकार यह हैं —

(एक) समद में बाक स्वनतना (सावधान का अनु 105 (1))

(दो) समद में या उमकी किसी मस्तिष्ठ में किसी कदस्य द्वारा कटी हुई किसी दाता या दिए गये मत के आधार पर किसी स्त्री व्यायालय की कार्यवाही में उन्मुक्ति (मविधान का अनुच्छेद 105 (2))

(तीन) किसी व्यक्ति द्वारा समद के किसी मत के प्राधिकार द्वारा या उसके अध्योन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मत या आवंकाहियों के प्रकाशन के सबध में उमर्के विश्व किसी न्यायानय में कार्यवाही लिये जाने से उन्मुक्ति (मविधान का अनुच्छेद 105 (2))

(चार) न्यायानयों द्वारा समद की बावंकाहियों की जात करने वा नियेष (मविधान का अनुच्छेद 121)

(पाच) मत के मत के दोगत तथा उमर्के आरम्भ होने के 40 दिन पहले और उमर्के समाप्त होने के चातोंम दिन बाद तक दीवानी शास्त्रों में महस्यों की निरपत्तारी से उन्मुक्ति (इन्ह प्रक्रिया सहित की गारा 135 क)

(छह) महस्यों का जूरी की महस्यता के दायित्व में छट (दण्ड प्रक्रिया सहित की गारा 320 क)

(मात्र) किसी नदस्य की विरक्तारी, नदरवदी, दोष विद्यि, बारावान तथा रिहाई के मध्य में तुरन्त सूचना प्राप्त करने का मत का अधिकार (लोक ममा प्रक्रिया तथा कार्य मध्यानन नियम, मातवा मस्तकरण नियम 229 और 230)

- (ग्राट) अध्यक्ष को ग्रनुजा प्राप्त किये विना सदन के परिसर में पिरपतारी और किसी कानूनी आदेशिका की तामील पर रोक (लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य मंचालन नियम मातवा संस्करण, नियम 232 और 233)
- (नो) सदन की किसी नोपनीय बैठक की कार्यवाहिया या फँसले प्रकट करने पर रोक (लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य मंचालन नियम, सातवा संस्करण, नियम 252)
- (दस) सदन के सदस्य या अधिकारी सदन को ग्रनुमति के बिना सदन की कार्यवाहियों के सबध में किसी न्यायालय में साइय नहीं देंगे या दस्तावेज पेश नहीं करेंगे (दूसरी लोक सभा द्वारा 13 सितम्बर, 1957 को स्वीकृत किया गया),
- (ग्यारह) सदन के सदस्य या अधिकारी सदन की ग्रनुमति के बिना दूसरे सदन के या उसकी किसी समिति के समक्ष या राज्य विधान मण्डलों के किसी सदन के या किसी समिति के समक्ष नाशियों के रूप में उपस्थित नहीं होंगे और उन्हें सम्बन्धित सदनों की सम्मति के बिना ऐसा करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता । (दूसरी लोक सभा की विभेदाधिकार समिति का छठा प्रतिवेदन जो लोक सभा द्वारा 17 सितम्बर, 1958 को स्वीकृत किया गया),
- (बारह) सभी संसदीय समितियों को उनके द्वारा की जाने वाली किसी जाच के प्रयोजन के लिये सगत व्यक्तियों को ग्राहृत करने, पत्रों एवं अभिलेखों को भागने की शक्ति प्राप्त है । किसी संसदीय समिति द्वारा किसी साक्षी को बुलाया जा सकता है और उसे समिति के प्रयोग के लिये अपेक्षित दस्तावेज पेश करने के लिये कहा जा सकता है (लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-मंचालन नियम, सातवा संस्करण, नियम 269 और 270),
- (तेरह) किसी संसदीय समिति के समक्ष किसी साक्षी की जाच के समय समिति उसे शपथ दिला सकती है या प्रतिज्ञान करा सकती है (लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य मंचालन नियम मातवा संस्करण नियम 272),
- (चौदह) किसी संसदीय समिति के समक्ष दिया गया साइय और उसका प्रतिवेदन एवं कार्यवाहियां किसी के द्वारा तब तक प्रकट या प्रकाशित नहीं जा सकती तब तक कि उन्हें सभा पटल पर नहीं रख दिया जाता (लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य मंचालन नियम, सातवा संस्करण, नियम 275),

उपरोक्त विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक सदन को कुछ शक्तिया प्राप्त हैं जो उनके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के गवाहणा के लिए आवश्यक हैं। वे शक्तियाँ निम्नलिखित हैं :—

- (एक) व्यक्तियों को चाहे वे सदन के सदस्य हों या नहीं, सदन के विशेषाधिकार मार्ग करने या अवमान के लिये दोषी मिछ करने की शक्ति,
- (दो) साधियों को उपस्थित होने के लिये बाह्य करने और पत्र एवं दस्तावेज मार्गने की शक्ति,
- (तीन) अपनी प्रक्रिया और अपने वार्य सचालन को स्वयं विनियमित करने की शक्ति (संविधान का प्रतुच्छेद 118),
- (चार) अपने वाद-विवाद और कार्यवाही वृत्तान्त के प्रकाशन पर रोक लगाने की शक्ति (लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचालन नियम, सातवा संस्करण, नियम 249),
- (पांच) बाहर के व्यक्तियों वी सदन में उपस्थिति पर रोक लगाने की शक्ति (लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचालन नियम, सातवा संस्करण, नियम 248)

संविधान के प्रतुच्छेद 105 में संसद में वाक् स्वतंत्रता का विशेषाधिकार और सदस्यों को संसद या उसकी किसी संघर्षत में “उनके द्वारा कही गयी किसी बात या किये गये काम के सदध में किसी न्यायालय की कार्यवाही” में उन्मुक्ति का उपचर्य विशिष्ट रूप से दिया गया है। संविधान के प्रतुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को भी वाक्-स्वतंत्र और अधिक्षमता-स्वतंत्र का अधिकार प्राप्त है। किन्तु जहाँ प्रतुच्छेद 105 और 194 में मानवों द्वारा विधान मण्डले के सदस्यों के बोलने की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया है वहाँ प्रतुच्छेद 19 के अधीन वाक्-स्वतंत्र का अधिकार युक्तियुक्त निर्वचनों के प्रध्याधीन है। उदाहरणार्थं अपमान रायधी विधि के अध्यधीन यदि कोई भाषारण व्यक्ति कोई अपमानजनक बात कहता है तो उसके विशद कार्यवाही की जर रक्ती है परन्तु यदि कोई संसद् सदस्य सदन में या उसकी समितियों में बोलता है तो उसके विशद इस आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती कि उसका भाषण अपमानजनक या मानहानिकारक था।

सांसद अपने निर्वाचन द्वे वर्ष के संग्रामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको संसद में उन लोगों की शिकायतें पेश करनी होती हैं, लोक महस्त के भाग्य से उठाने होते हैं बत उनकी वाक्-स्वतंत्रता पर कोई निवंशन नहीं लगाया जा सकता। मात्र इसके फि इन्हें सदन के या सम्बन्धित समितिय

के जिसके कि वे सदस्य होते हैं, आन्तरिक अनुशासन में रहता होता है। वे किमी बाहरी अधिकारी के प्रति जबाबदेह नहीं होते हैं। कोई सदस्य समृद्ध में अपनी किसी बात या भाषण के सम्बन्ध में सभा के अनुशासन के ही अधीन है और उनके सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई दीवानी या फौजदारी कार्यवाही उसके विरुद्ध नहीं की जा सकती। समृद्ध या उमी समिति में कहीं गयी किसी बात या दिये गये किसी मत के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विशेषाधिकार दिया गया है जिससे कि सदस्य अपनी बात कहते हुए इस नहीं और अबाध रूप से अपने विचार प्रकट करें। इस प्रकार सदस्य को न्यायालयों की कार्यवाही से पूरा सरक्षण प्रदान किया गया है। उसने विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती क्यों कि सदन में दिये गये भाषण विशेषाधिकार के अन्तर्गत आते हैं और अनुच्छेद 122 में ससद् की कार्यवाहियों की न्यायालयों द्वारा किसी जाच की विशेष रूप से मना ही है। सदन में जो भी बात कही जाय या काम किया जाए उसके सम्बन्ध में सदन में कार्यवाही हो सकती है। भ्रतः 105 के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा जो वाक्-स्वतत्त्वता दी गयी है वह संविधान के केवल उन्हीं उपबन्धों के अधीन है जो ससद् की प्रक्रिया को विनियमित करते हैं। इसके आन्तरिक उस पर सभा के नियम तथा स्थायी भादेश लाए होते हैं। लेकिन इस पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लग सकता जो कि अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत कानून द्वारा किसी साधारण नागरिक की वाक्-स्वतत्त्वता पर लगाया गया हो। सदस्यों द्वारा अपने संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये कहीं गई किसी बात या किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में ससद् के बाहर कोई जाच सदस्यों के अधिकारों में गम्भीर हस्तक्षेप होगा।

परन्तु सदस्यों को प्राप्त वाक् स्वतत्त्व का अधिकार अबाध अधिकार नहीं है। वह संविधान के उपबन्धों के अध्यधीन है। संसद् में चर्चा पर भी निर्वन्धन लगे हैं। उदाहरणार्थं अनुच्छेद 121 में उपबन्धित है कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किये गये धाचरण के विषय में ससद् में कोई चर्चा उपबन्धित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रारंभना करने वाले समावेदन द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार लोक सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी तथा कार्य सचालन नियमों के नियम 352 और 353 में अन्य बातों के साथ-साथ किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मान-हानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का धारोप लगाने पर रोक लगाई गई है। जब कोई सदस्य किसी प्रतिबन्ध का उल्लंघन करता है तो अध्यक्ष ऐसे सदस्य के आचरण की ओर सभा का ध्यान दिलाने के बाद उस सदस्य को अपना भाषण बन्द

करने का निर्देश वर सकता है या आदेश दे सकता है कि सदस्य द्वारा प्रयोग में लाये गये मानहानिकारक, अशिष्ट, अममदीय या अभद्र शब्द वापस लिये जायें या, उन्हें सदन के कार्यवाही वृत्तान्त से निवारण दिया जाए। उक्त आदेश का और उल्लंघन किये जाने पर अध्यक्ष सदस्य को बाहर चले जाने का निर्देश भी दे सकता है और/अथवा सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित करने का कार्यवाही आरम्भ कर सकता है।

सदस्यों को भवनों सप्तदीय कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा ढालकर रोका नहीं जा सकता। उसे जिस मदन का वह सदस्य है उमके सब के द्वारान या उसके प्रारम्भ से चालाक दिन वृद्धि या समाप्त होने के चालाक दिन बाद, किसी कोजदारी अपराध के आरोप या निवारक निरोध प्रधिनियम के अन्तर्गत नियन्त्रण के अतिरिक्त, अन्य किसी प्रकार गिरफ्तार किया या करवाया जाता है तो वह सभा का विजेयाधिकार भग तयः प्रवक्तान होगा। इसी प्रकार यदि कोई सदस्य सप्तद या उसकी किसी समिति का कोई काय करने के लिए नयी दिल्ली भग रहा हो तो नयी दिल्ली से बाहर किसी स्थान पर उसे परेशान किया जाता या काहिं बाथा उपस्थित किया जाना भी विजेयाधिकार का भग करना होगा। सदस्यों को प्राप्त इस विजेयाधिकार का उद्देश्य यह है कि सदस्य बिना किसी रोक टोक के सप्तद की कार्यवाहीयों में नियमित रूप से भग ले सके।

यद्यपि गिरफ्तारी में उन्मुक्ति का विजेयाधिकार कोजदारी आदाय या निवारक निरोध प्रधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार पर लागू नहीं होता, तथापि, नियमों में यह उपबन्ध स्पष्ट रूप से किया गया है कि जब किसी मदस्य का किसी कोजदारी आदाय पर या कोजदारी अपराध के प्राद्धार पर गिरफ्तार किया जाता है या किसी अन्यायलय द्वारा उस कारावास दण्ड दिया जाता है या कार्यकारी आदाय के अन्तर्गत उस नजरबन्द किया जाता है तो सम्बद्ध आधिकारी का इस बात की सूचना प्रध्यक्ष को तुरन्त देना होता है। योर अम्बद आधिकारी मदन के किसी सदस्य की गिरफ्तारी, नजरबदी या कारावास की सूचना नहीं दता तो यह सदन का विजेयाधिकार भग होगा। यदि कोई सदस्य दण्ड के किसी दूरस्थ स्थान पर गिरफ्तार हो, उसकी सूचना तार भग कर अवश्य दी जाना चाहिए और बाद में पत्र भेज कर उसकी पुष्ट करनी चाहिए।

सप्तद के परिसर में बन्दीकरण और वंदे आदशों के निवहन के बारे में उपर्युक्त है कि सप्तद के पारसरों के भीतर अध्यक्ष/सभापति की आज्ञा प्राप्त किये बिना किसी सदस्य को बन्दी नहीं बनाया जा सकता और न ही अध्यक्ष/सभापति की अनुमति के बिना दीवानी या अपवाधिक कोई कानूनी आदेशिका कोई "समन" दिय जा सकते हैं। इसी प्रकार सदन या उसकी किसी समिति के सामन पश्चात के लिए बुलाए गए किसी सदस्य को बन्दी

बनाना भी सभा का अवमान है। अत्. समद् के परिसरों के भीतर अध्यक्ष/सभापति की अनुमति के बिना किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता वयोःकि समद के परिसरों में केवल समद के प्रत्येक सदन के या अध्यक्ष/सभापति के आदेश लागू होने हैं। समद् के परिसरों में धारा 144 भी लागू नहीं की जा सकती। वहा अध्यक्ष/सभापति के आदेशों का ही अनुपालन होता है।

सामदों को “ज्यूरी” का सदस्य बनने के दायिन्व से छठ वा विशेषाधिकार प्राप्त है। इन विशेषाधिकार का दट्टेश्य भी यह सुनिश्चित करना है कि सामदों को अपने कर्तव्यों एं निर्वहन में किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। दूसरे शब्दों में सदन में सदस्य के कर्तव्य न्यायालयों तथा अन्य ग्राहों में उपस्थिति के दायिन्व से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

सदन के किसी अधिकारी या सदन द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति अथवा सदन के आदेशों का पालन करने वाले किसी व्यक्ति वे काम में बाधा ठालना सभा का अवमान है। उसको सदन वी अनुमति के बिना किसी सदन की कायेवाही के नवध में माध्य देने या कोई दस्तावेज पंज बरने के लिए बाध्य नहीं किया का सकता। इसी प्रकार किसी सदस्य को, उस सदन वी अनुमति के बिना जिसका वह गदस्थ हो, दूसरे सदन के समक्ष माझी के स्व में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

यदि सदन या उसकी किसी समिति के आदेशों का पालन करने में लगे हुए सुदन के किसी अधिकारी को बाधा पहुचाई जानी है या उसके द्वारा अपने कर्तव्य के पालन के दीरात किए गए किसी काम के लिए उसे तग किया जाता है तो यह सभा वा विशेषाधिकार भग तथा अवमान है। सभा या उसकी समिति के मामन पेश होने के लिए बुलाए गए माझी को गिरफ्तार करना सभा का अवमान है। उसी प्रकार सदन या उसकी समिति के मामने उपस्थिति के ममय किसी माझी को बाधा पहुचाना या माझी के स्व में उसके पेश होने तथा माध्य के आधार पर बाद में उसकी तग करना सदन का अवमान है।

दूसरी ओर सदन या उसकी किसी समिति के मामने किसी प्रकार का कदाचार चाहे दोष समद के सदस्य का हो या माधारण नागरिक, जो दण्ड की दीर्घि में जाने दिये गये हो या माझी के स्व में समिति की बैठक में आए हो—सदन का अवमान माना जाता है। ऐसे कदाचार को सदन के मामने अव्यवस्थापूर्ण, मानहानिकारक, अनादरपूर्ण, या पृष्ठा दर्शन वाला अवहार माना जाता है। सदन या उसकी समितियों के मामने मामान्य नागरिकों और माझियों द्वारा कदाचार के हुए विशेष दण्डान्य जिनमें विशेषाधिकार भग होता है और सदन और समिति की अवमानना होती है, ये हैं—

- (एक) मदन या उमको समितियों की कार्यवाही में बाहर या गडबड़ डालना,
- (दो) किसी समिति का वैदुक के मामले किसी माली द्वारा ग्रहण नेने या प्रतिज्ञान करने से इन्कार,
- (तीन) किसी माली द्वारा किसी समिति के प्रबन्धों का उत्तर देने से इन्कार, या दस्तावेज़, जो उमके पास हो, पेश करने से इन्कार,
- (चार) किसी समिति के मामले टार्मटाइव करना या भट्टा मालिय देना या जानवृत्त कर सज्जाई देना, या बार-बार समिति को गुमराह करना, और
- (पाँच) समिति के माले विवाह इरना, उमके प्रबन्धों के अवमानने के उत्तर देना, या उनमें से छुत होकर समिति के मामले भाला।
- मगर वी समितियों के आदानों की अवज्ञा की मदन का अवमान समझा जाता है। समितियों भी उमी सम्मान की अविकारी हैं विनाश कि मदन। यदि कोई व्यक्ति किसी समशीय समिति के फैमिली, पर आचरण वर आशेष करता है तो उसे विनेयाधिकार भग करता और मदन की अवमानना करना माना जाता है।
- हिराम में रखे गये किसी सदस्य द्वारा ग्रध्यका, यहामचिव या किसी समशीय समिति के सभारति के नाम चिखे दर गेहना विनेयाधिकार भग है। उमको विश्वान मण्डल के माले उस व्यवहार करने ग्रध्यका तथा विनेयाधिकार समिति के सभापति को ग्रध्यावेदन देने का ग्रधिकार प्राप्त है तथा किसी कांक्षारी प्राधिकारी को यह ग्रधिकार नहीं है कि वह उसे पत्रों को रोक सके।

किसी समशीय समिति की कार्यवाही, नाइट या दस्तावेजों के समान में पेश किए जाने ने पहले उमकी कार्यवाही या उमके मामले दिए गए नाइट या उमके मामले रखे दखे दस्तावेजों के किसी घटन का प्रकाशन नहीं किया जा सकता है, यदि उमी प्रकार किसी समशीय समिति के प्रतिवेदन के मदन में पेश किये जाने से पहले उमी प्रकार किसी समशीय समिति के प्रतिवेदन का प्रकाशन मदन का विनेयाधिकार भग माना जाता है।

विनेयाधिकार भग (Breach of Privilege) मगर मदन्यो अद्वा समझि के क्षय में मदन के ग्रधिकारों, विनेयाधिकारों या उमुक्तियों की अवहेलना करना अपडा किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा उनकी आनोखता करने या उमके प्रति अवमान प्रतिनिधि करने से विनेयाधिकार भग हो सकता है। मदन द्वारा पूरी तरह में जाव किए जाने के पश्चात् विनेयाधिकार भग के मामले में बैठे ही दण्ड दिया जा सकता है जैसे कि न्यायालय अनन्यी प्रतिलिपा अद्वा प्राधिकार की अवमानना किए जाने पर है। विनिष्ठ विनेयाधिकारों के भग किये जाने के अतिरिक्त, सभा के प्राधिकार या गरिमा के विद्व आपराधिक कार्य-मामलों के अतिरिक्त,

बाहिया दया उसके विधिमन्त्रन आइरों की प्रवक्षा या उसके सदस्यों प्रयत्ना प्रति-
कारियों के बारे में भरभासृजनक निष्ठ यादि का प्रकाशन करना भी कभी कभी के प्र-
भाव के रूप में दर्शनीय है।

मदन की प्रवक्षानना सदन के प्रवक्षान की सामान्यता इस प्रकार परिभ्रमा
दी जा सकती है कि 'ऐसा कोई कायं या भुन-चुक, जो समद के किसी मदन के बान
में उसके कुर्सों के निवेदन में बाधा या अड़चन डालती है प्रयत्ना मदन के किसी सद-
स्य या अधिकारी के मार्ग में उसके वर्तव्य के पालन में बाधा या अड़चन डालती है
प्रयत्ना विनम्र प्रव्यवर्तन या प्रवन्दलन ऐसे परिस्थापन उत्पन्न हो सकते हैं, समद का
प्रवक्षान माना जाता है।' विनेयाधिकार नग द्वारा मदन की प्रवक्षानना में बहुत
धोड़ा सा अन्वय है। विनेयाधिकार नग के सभी मामले अवक्षान के मानते हैं लेकिन
ममता है कि कोई व्यक्ति मदन के किसी विनेयाधिकार को नग तो न करे लेकिन
निर भी वह प्रवक्षान बा दोशी हो, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी ममिति की बैठक में
पेश होने के प्रारंभ की अवहेन्ता तो या किसी सदस्य के आचरण या चान्त्र पर
आक्षेप प्रकाशित कर दे। किसी परिभ्रम्यनि में कोई विनेय कायं प्रवक्षानना हो
हो सकता है तो किसी अन्य परिभ्रम्यनि में वही कायं प्रवक्षानना नहीं हो
हो सकता। इस बात का निरुत्य समद का सवधित मदन ही कर सकता है कि प्र-
वक्षानना की गयी या नहीं। सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि संसद के दोनों सदनों
प्रौढ़ द्वारा समितियों वी सर्वोच्चता, प्राधिकार या नरिमा पर किया गया कोई भी
प्रहार उनकी प्रवक्षानना है। समद के कुछ महत्वपूर्ण प्रवक्षानों के उदाहरण इस
प्रकार हैं—

मदनों, उनकी समितियों प्रयत्ना सदस्यों पर आक्षेप करने वाले भाषण
या वेच,

अध्यक्ष/सभापति के कर्तव्यों के पालन के मंवष्ट में उनके चरित्र या निष्पक्षता
पर आक्षेप,

मदनों की कायंबाहियों के भूठे तथा विहृत वृत्तान्त का प्रकाशन, वीठासीन
अधिकारियों द्वारा मदनों की कायंबाहियों में ने निकाले गये धर्मों का प्रकाशन,
किसी समदीय समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में पश्चात किये जाने का
आरोप लगाना,

मदनों में सदस्यों के आचरण को लेकर उनकी निष्ठा या सदस्यों के रूप में
अपने कर्तव्यों का पालन करने समय या मदनों में या उनकी किसी समिति
को बैठकों में उपस्थित होने के लिए जाने हुए या वहाँ में आते हुए सदस्यों
के मार्ग में बाधा पहुंचाना,

मदस्यों के समदीय कायं पर अप्रूढ़ दानने के लिए उनको पूर्ण देने की
पेशकश करना,

महस्यों के गमदीय प्राचरण के सम्बन्ध में उनको आम पहुँचाना, किसी महस्य द्वारा या साक्षी द्वारा सदनों के समक्ष या उनकी विसी समिति के समझ जानकूझ कर लेन या गुप्तरात्र करने वाला महाद देना, और सदनों के समक्ष या उनकी विसी समिति वे सदन उपस्थित होने वाले विसी साक्षी के लिए वाधा दाखला या उसे परेशान करना,

पापसे त्रिमें सदनों का विशेषाधिकार भग नहीं होता सदनों के कार्यों से संबंधित विभिन्न मामलों का समय से पहले प्रचार नहीं एक अनुचित कार्य है, लेकिन सदन का विशेषाधिकार भग या अवसान नहीं है। ऐसे अनेक कार्य हो सकते हैं जो अनुचित हो लेकिन जो सभा के विशेषाधिकार भग या अवसान की परिभाषा में नहीं माने जाते। उदाहरणात्मक, दल की बैठकों से मन्त्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं। यदि लोकहित वे विद्यों के सबै में वक्तव्य सदन में नहीं, बल्कि सदन के बाहर दिए जायें, जो उसमें समद के किसी विशेषाधिकार की क्षति नहीं पहुँचती। ऐसे कार्य परिषाटी तथा ओनिन्द के विशद हैं, लेकिन उनके आधार पर विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं उठाया जा सकता। तियमो, परिषाटी तथा प्रष्ठापो के उल्लंघन को विशेषाधिकार, भग नहीं माना जाता। यदि नियम आदि का उल्लंघन किया जाये तो उपर्युक्त प्रत्याक के महाद से सभा या प्रध्यक्ष का रोप घटक किया जा सकता है।

विशेषाधिकार भग, अवसानना आदि के लिए दण्ड :

समद के परिमरों में किसी दोष के लिए मानान्य न्यायालयों द्वारा दण्ड दिये जाने का प्रावधान नहीं है। वहां पौडामीन अधिकारियों का आदेश चलता है। सब सदन अपने विशेषाधिकारों की रक्षा करते हैं। सदन के विशेषाधिकार को भग दर्शने के लिए दोषी पाये गये किसी व्यक्ति को सदन सबै उमकी अत्यन्ति करके या ताडना करके या निर्धारित अवधि के लिए कारावास द्वारा दण्डित कर सकता है। जिन मामलों से विशेषाधिकार भग या सदन की अवसानना का अपराध इतना गम्भीर न हो कि उसके लिए कारावास को ही टीक दण्ड समझा जाए, उस व्यक्ति को सदन की "दार" में नुकाया जा सकता है और पौडामीन अधिकारी सदन के आदेश से उसकी सतर्कता कर सकता है या ताडना दे सकता है। ताडना देना अपने पार से नरम किस्म का दण्ड है और अत्यंता करना अधिक गम्भोर किस्म का दण्ड है जिसके द्वारा सदन की अप्रत्यन्ता वृक्ष की जाती है। विशेषाधिकार भग या सदन की अवसानना के लिए दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को सदन ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दे सकता है जो साधारणतया सदन के अधिवेशन की अवधि से अधिक नहीं होती। दर्शकों द्वारा दर्जक दीर्घायों से नारे लगाकर और प्रपञ्च इश्तिहार फेंक कर सदन की अवसानना बरते के बाराण, दोनों सदनों ने समय-समय पर प्रपञ्चियों को सदन के उस दिन स्थानित होने तक कारावास का दण्ड दिया है।

विशेषाधिकार भग के उन मामलों में जो बानूत वे अन्तर्गत भी अपराध हैं, यदि मदन आवश्यक समझता है कि उसके द्वारा दिया जाने वाला दण्ड अपराध की तुलना में अपर्याप्त है, अद्वा किसी अन्य कारण में मदन की राय में बानूनी कायं-वाही करना अनिवार्य हो, तो वह अपनी कायं-वाही के म्यान पर या उसके अनिवार्य उस व्यक्ति पर अन्यायालय में मुकदमा चलाये जाने का निर्देश दे सकता है।

अपने मदस्यों के मामलों में मदन दो और दण्ड दे सकता है और बैनाइनी नथा भन्नेता में अधिक बड़ा रौप प्रकट कर सकता है। वह है मदस्यों को मदन की सेवा में निलम्बित करना और निष्काशिन करना। मदन का दायित्व अधिकार क्षेत्र अपने मदस्यों तक और उसके सामने किये गये अपराधों तक ही सीमित न होकर मदन ही मनी अनभाननाओं पर व्याप्त होता है चाहे अनभानना मदस्यों द्वारा की गई हो या गोमे वर्कियों द्वारा जो मदस्य न हों। मदन का विशेषाधिकार अब करने या उसकी अनभानना करने के कारण व्यक्तियों को दण्ड देने की मदन ही यह अन्ति नमीदीय विशेषाधिकार की नीति है। मदन अपनी दायित्व अक्षियों का प्रयोग वह गम्भीर मामलों में ही करता है। मदन की तरीके परम्परा भी नहीं है कि दोषी व्यक्तियों द्वारा स्पष्ट रूप में छोर बिना किसी जर्न के दिल में अत्यंत हिया गया त्रैद मदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और मायारग्ननया मदन अपनी तरिमा को देखते हुए तिसे मामले पर आगे कायं-वाही न करने का विशुद्ध करता है।

विशेषाधिकार के प्रश्नों सम्बन्धी प्रक्रिया :

विशेषाधिकार के प्रश्नों को निपटाने की प्रक्रिया तोक ममा के प्रक्रिया तथा कायं-नचालन नियमों (नियम 222 से 228 और नियम 313 से 316) में दी गयी है। कोई मदस्य, अध्यक्ष की अनुमति ने, इसी सुदस्य के या मदन के या उसकी किसी सुमिति के विशेषाधिकार का भग अनन्दस्त होने वाला कोई प्रश्न उठा सकता है। विशेषाधिकार का भग किये जाने का प्रश्न उठाने वाले सुदस्य को उसकी विस्तृत सूचना उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व जिस दिन कि उस प्रश्न को उठाने का उनका विचार हो, महासचिव को देनी होती है। यदि उठाया जाने वाला प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो, तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी संबंधित होता है। सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा मामले पर विचार हिया जाता है। अध्यक्ष विशेषाधिकार का प्रश्न ममा में उठाये जाने के लिए अपनी सम्मति दे सकता है या इन्कार कर सकता है। तथापि, यह निषेच उठाने से पूर्व, कि क्या विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाये जाने प्रस्तुतित मामले पर ममा में विचार किये जाने की आवश्यकता है और क्या उस मामले को समा में उठाये जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, अध्यक्ष उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध अभियोग लगाया गया है, अपना स्पष्टोकरण अध्यक्ष के सुमित्र देने का अद्वितीय

प्रदान कर सकता है। तत्परतामुख गवर्निंग मदस्य को प्रध्यक्षा वे लिएंगे की गूचना दी जाती है। अध्यक्ष के इस निर्णय की फ़ि उसने मामले को सदन में उठाये जाने की सम्भवति नहीं दी है गूचना मदस्य को दिये जाने के पश्चात् उस सदस्य को सभा में वह मामला उठाने की अनुमति नहीं होती है। तथापि, यदि सदस्य सम्मुच्छ न हो, तो वह गूचना मामला प्रष्ट करने के लिए प्रध्यक्ष को उसके कान्ह में जाकर मिल सकता है। यह प्रविधि इसनिए निर्धारित की गई है कि जो मामला प्रध्यक्ष दृष्टया गूचीत करने योग्य न हो उसे उठाने से गाढ़ का समय व्यय न जाए। जहाँ मामला अविलम्बनीय स्वल्प का हा और गूचना देने का समय न हो तो प्रध्यक्ष लिखित पूर्व भूचना के विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकता है :

इस प्रश्न का केवल बेवल सदन कर सकता है कि जिस मामले को शिरायत की गई है वह वह बास्तव में विशेषाधिकार भग का या सदन की घबमानना का मामला है, नदोहि बेवल सदन ही अपने विशेषाधिकारों का स्वामी है। प्रध्यक्ष जब किसी मामले को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में सदन में उठाए जाने के लिए अपनी सम्भवति देता है तो वह बेवल यह विचार करता है कि वह यह मामला अवश्यक जाने योग्य है और इस उसे सदन के समझ लाया जाना चाहिए। यदि प्रध्यक्ष सदन में विशेषाधिकार का मामला उठाये जाने के लिए अपनी अनुमति प्रदान कर देता है तो जिस मदस्य ने मूचना दी होती है वह प्रध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए सभा की अनुमति मांगता है। ऐसी अनुपस्थिति मानने समय, गवर्निंग मदस्य को विशेषाधिकार वे प्रश्न से सगत बेवल एक समिप्त वल्लभ्य देने की अनुमति प्रदान की जाती है। यदि अनुमति दिये जाने के समय में अपार्टमेंट की अनुमति की जाती है तो प्रध्यक्ष उन मदस्यों से जो अनुमति दिये जाने के पश्च में होते हैं प्रतुरोध करता है कि वे अपने स्थानों पर लड़े हो जायें। यदि तदनुसार पञ्चीस या अधिक मदस्य लड़े हो जाते हैं, तो यह माना जाता है कि सदन ने मामले के उठाये जाने वी अनुमति दे देती है और प्रध्यक्ष घोषणा करता है कि अनुमति दी जाती है, पन्थया प्रध्यक्ष मदस्य को सूचित करता है कि उसे मामला उठाने के लिए सदन की अनुमति नहीं है।

सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वी अनुमति बेवल उसी मदस्य द्वारा मानी जा सकती है, जिसने विशेषाधिकार के प्रश्न को सूचना दी हो। वह अपनी ओर से किसी अन्य मदस्य नो ऐसा करने के लिए प्राप्तिकृत नहीं कर सकता है। विशेषाधिकार के प्रश्न का कार्य-भूची की अन्य मदों के ऊपर प्राप्तिकृता दी जाती है। तदनुसार विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति प्रश्नों के पश्चात् और कार्य-भूची की अन्य मदों को लिये जाने से पूर्व मानी जाती है। तथापि, प्रध्यक्ष ऐसे अविलम्बनीय मामलों को जिन पर सभा द्वारा सुरक्षा विचार किये जाने की आव-

श्यकता हो, किसी बैठक के दौरान प्रभुओं को निपटाये जाने के पश्चात्, किसी भी समय उठाने की अनुमति दे सकता है।

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाये जाने के लिए सदन द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के पश्चात् उम मामले पर मदन द्वारा स्वयं विचार और विनिश्चय किया जा सकता है या उसे सदन द्वारा किसी मदन के प्रस्ताव पर परीक्षण, अन्वेषण और प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है। सामान्य प्रथा यह है कि गिरायत वाला मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाता है और मदन अपना निर्णय समिति का प्रतिवेदन पेश किये जाने तक स्थगित रखता है। जहां मदन यह देखता है कि मामला बहुत ही मामूली है या अपराधी ने पर्याप्त क्षमा याचना कर ली है, उस में आगे कोई कार्यवाही न करने का निर्णय करके सदन स्वयं उम मामले को निपटा देता है।

जब समिति का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) सदन में पेश कर दिया जाता है तो समिति का कोई अन्य सदस्य यह प्रस्ताव रख सकता है कि रिपोर्ट पर विचार किया जाये। प्रतिवेदन पर विचार किये जाने के पश्चात्, समिति का सम्माप्ति या कोई अन्य सदस्य प्रस्ताव कर सकता है कि प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के माध्यम सदन महमत है या अमहमत है या भूलोधनों के माध्यम सहमत है। इस प्रस्ताव को कि समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये, मामान्यतया वही पूर्ववर्तिता दी जाती है, जोकि विशेषाधिकार के किसी प्रश्न को बताने कि उस प्रस्ताव को लाने में देरी न की गई हो।

अपनी गरिमा के अनुहृत, मस्द् वे दोनों मदन विशेषाधिकार भग के मामलों में मदन अधिकतम उदार रहे हैं। अब तक कुछ ही मामलों में कार्यवाही की गई है। उन्होंने सदैव उदार दृष्टिकोण अपनाया है और तुच्छ और महत्वहीन मामलों की ओर ध्यान देना सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं यमझा है। उनके विचार में यदि ऐसे मामलों को गम्भीरता पूर्वक लिया जाता है तो इससे उन नोंगों या तत्वों वो अनुचित महत्व मिलेगा जो ऐसी मिथिलिया उत्पन्न करती है।

इवल संसद् ही अपने विशेषाधिकारों की निर्णायक :—

कभी-कभी लघाकथित ‘उच्चतम न्यायालय के निर्णय’ का उल्लंघन किया जाता है जिसकी रिपोर्ट ए आई आर 1965 उच्चतम न्यायालय 745 में प्रकाशित हुई थी। वाम्लय में वह कोई निर्णय नहीं था वहिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा सविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन 26 मार्च, 1964 को निर्दिष्ट किए गए विशेष मामले पर उच्चतम न्यायालय की राय थी। वह मामला विशेषाधिकार भग करने और सदन की अवमानना करने के बारण उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा थी केवल मिह वो कारावास का दन्ड दिये जाने, और उनको मुक्त किये जाने के निये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई गिट याचिका के बारे में था जिसके कारण अनेक घटनाएँ पटी और राज्य विधान मठलों और उनके

मदस्यों की गतियों एवं विशेषाधिकारों के साथ में उच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों को गतियों एवं अधिकार के साथी विधि के महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न उठ रहे हुए।

भारत में न्यायालयों ने यह बात मानी है कि किसी विशेष सामने में विशेषाधिकार मग हुआ है या नहीं हुआ है इस प्रश्न का फैसला करने का अधिकार बैचल समझौता या राज्य विधानसभा के सदन का है। यह भी निर्णय दिया गया है कि अवधानना करने के कारण दण्ड देने की शक्ति वैसे ही है जैसे कि हाउस भाफ बापन्न की है और उस शक्ति के प्रयोग की दावेदारी करने के लिए कोई न्यायालय मशम नहीं हो सकता।

1959 में, सर्वताइट सामने में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया —

“भनुच्छेद 194 के संष्ट(2) के उपबन्धों के प्रतुसार खण्ड(1) में निर्दिष्ट वाहू-स्वतंत्र उम वाहू-स्वतंत्र और अभिभ्यक्ति-स्वतंत्र से भिन्न है तिसकी पारदी भनुच्छेद 19(1)(क) के प्रधीन दो गई है और उसमें भनुच्छेद 19 के संष्ट(2) द्वारा परिवर्तित किसी विधि द्वारा किसी भी तरह कमी नहीं की जा सकती।”

“भनुच्छेद 105(2) और 194(2) के उपबन्ध संवेदनात्मक विधिया हैं त कि अस्त् या राज्य विधानसभालों द्वारा बनाई गई साधारण विधिया और वे उसी प्रकार सर्वोच्च हैं जिस प्रकार भाग तीन [मूल अधिकारों से राजधित भनुच्छेद] के उपबन्ध हैं।”

“मुसंगत अधिनियम का मिलान अवश्य भागनाया जाना चाहिए और उसी प्रकार अर्थ लगाये जाने चाहिए कि भनुच्छेद 19(1)(क) के सम्बन्ध, जो सामान्य है, भनुच्छेद 194(1) और इसके संष्ट(3) के बाद वाले विशेष भाग के प्रधीन होने चाहिए।”

1965 में उच्चतम न्यायालय ने, 1964 के केशव मिह के गामले में अपनी परामर्शदाती राय में ये टिप्पणियां की की

“सर्वताइट नामले में बहुमत के निर्णय का यह अर्थ सामान्य सदी नहीं होगा कि उस के द्वारा समान्य सिद्धान्त निर्धारित किया गया है कि जहा कही भनुच्छेद 194(3) के बाद वाले भाग के उपबन्धों और भाग(3) में प्रत्याभूत भूल अधिकारों के किसी भी उपबन्ध के बीच टकराव हो तो वाद में उल्लिखित उपबन्ध पहले उल्लिखित उपबन्धों के सघीन होगा। अतः बहुमत के निर्णय का यही अर्थ सामान्य चाहिए कि यह फैसला दिया गया है कि भनुच्छेद 19(1)(क) लागू नहीं होगा और भनुच्छेद 21 लागू होगा।

“भनुच्छेद 194 के संष्ट(3) में किये गये उपबन्धों के प्रभाव के संबंध में जब किसी ऐसा प्रतीत हो कि उक्त उपबन्धों और मूल अधिकारों सम्बन्धी उपबन्धों के बीच टकराव है तो मुसंगत अधिनियम का नियम प्रभाव कर टकराव का समाधान करने

का प्रयास करना होगा।"

यहां यह बता दिया कि सचिलाईट मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत मार्गदर्शी सिद्धान्त ऐसे सभी मामलों में लागू होने वाले माने गये हैं।

भारत में विधायी निकायों के पीटासीन प्रधिकारियों के 11 और 12 जनवरी, 1965 को बम्बई में हुए सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय की राय पर विचार किया गया। सम्मेलन ने मर्मसम्मति से एक सकल्प स्वीकृत बिया जिसमें यह विचार अक्तु किया कि रायिधान के निर्माताओं के आशय पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए, जिसमें किसी सन्देह की गुजारण न रहे, अनुच्छेद 105 और 194 में उपयुक्त गशोधन किये जाने आहिए ताकि विधानभृत्यों, उनके सदस्यों और समितियों वी शक्तियों, विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों किसी भी मामले में सविधान के किसी अन्य अनुच्छेद के प्रधारीन या प्रधीन न समझी जायें।

इनाहावाद उच्च न्यायालय ने केशवसिंह मामले में 10 मार्च, 1965 के अपने निर्णय में, अर्थात्, उच्चतम न्यायालय की परामर्जनावी राय प्राप्त होने के पश्चात् दिये गये निर्णय में, ये टिप्पणियाँ दी

- (1) "प्राधिकार के अनुगार और सविधान के सात उपबन्धों पर विचार करने पर, हमारी राय है कि यही उचित है कि विधान सभा को, अनुच्छेद 194(3) के कारण, अपनी अवमानना किये जाने पर दण्ड देने की वही शक्ति प्राप्त है जोकि हाउस फ्राफ कामन्ज को प्राप्त है।"
- (2) "हमारी राय है कि सविधान के अनुच्छेद 22(2) के उपबन्ध सहम प्राधिकारी द्वारा दोषसिद्धि के और कारावास का दण्ड लागू किए जाने के अनुगारण में नजरबन्धी पर लागू नहीं हो सकते।"
- (3) "हम चूंकि पहले ही निर्णय दे चुके हैं कि विधान सभा को उसकी अवमानना किये जाये जाने के कारण प्रार्थी को दण्ड देने की शक्ति प्राप्त है और चूंकि विधान सभा ने अनुच्छेद 208(1) के अधीन अपनी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम बनाये हैं, अतः प्रार्थी का दण्डित किया जाना और उसको वैयक्तिक स्वतंत्रता में बचित किया जाना सविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन में विधि द्वारा निर्णीत प्रक्रिया के अनुदृत ही ठहराया जा सकता है।"
- (4) "एक बार जब हम इस निष्पत्ति पर पहुंच जाते हैं कि विधान सभा को उसकी अवमानना किये जाने के कारण दण्ड देने और प्रार्थी पर दण्ड को लागू करने की शक्ति है और ऐसा करना उसके प्रधिकार देव में है तो हम दण्ड के राही होने, उसके औचित्य या वैधता के प्रश्न में नहीं जा सकते। यह न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद

266 के प्रधीन किसी यानिका में, विधान सभा द्वारा उसकी अवमानना किये जाने के कारण ग्रामीणों को दण्डित करने के फैसले के विषद् ग्रामीण का फैसला नहीं कर सकता। विधान सभा अपनी प्रक्रिया स्वयं नियंत्रित करती है और इस प्रश्न का फैला केवल वही कर सकती है कि उसकी अवमानना की गई है या कि नहीं की गई है।"

इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने कहा कि संविधान में सशोधन करना आवश्यक नहीं है। सरकार का विचार या कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दो गई और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रकाश में विधानपट्टल और न्यायालिका स्वयं अपनी प्रथाएँ विकसित करेंगी।

अब यह ध्यान देने योग्य बात है कि सचेताईट मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, विशेषाधिकार के मामलों में अभी तक वही निर्णय घनिष्ठ है।

सामाजीय विशेषाधिकार और प्रेस

प्रेस के दो मुख्य वार्ष हैं—एक समाचार प्रकाशित करना और दूसरा जनसत् बनाना। प्रेस ही जनता दो समाजीय नोकताव में कार्यपालिका और विधान मडल तथा सत्ताहृष्ट दस छोर विधियों दल के पारस्परिक संबंधों और उन्हें बायों से अवगत कराता है। जनता को शिक्षित करने के माध्य-माध्य प्रेस प्रबालन्त्र के द्वायों को दूर इन्हें में सहायता करता है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान व अनुच्छेद 19/1/क के दृष्टीनाम नागरिकों को प्रत्याभूत "वाक्-स्वातंत्र्य और अभिभृत्ति-स्वातंत्र्य" के मूल अधिकार में प्रत्यनिहित है। ससद् के वाद-विवाद या कार्यवाही के वृत्तान्त के प्रकाशन पर प्रत्येक सदन का नियन्त्रण है। दोनों सदनों को अधिकार है कि वे इस वृत्तान्त के प्रकाशन का नियंत्रण कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जब भी आवश्यक हो, वाद-विवाद को गुप्त रख कर वाक्-स्वतंत्रता की रक्षा की जाये। यह शक्ति संविधान द्वारा व्यक्तियों को दिये गये "वाक्-स्वातंत्र्य" के अधिकार के ऊपर है। तथापि, ससद् की कार्यवाही के प्रकाशन के माध्य में मंविधानिक उभयुक्ति कार्यवाही के समाचार पत्रों से प्रकाशन यह श्यामलगो द्वारा अन्यथा प्रकाशन पर लागू नहीं होती लेकिन नसद् द्वी कार्यवाही (प्रकाशन का सरकार) अधिनियम के प्रत्यन्त, ससद् की कार्यवाही से मूलत सच्चे वृत्तान्त के समाचार पत्रों में प्रकाशन की गरकार दिया गया है। गद्दे की कार्यवाही से निकाले गये अब उकाशित करना विशेषाधिकार भग करना और सदन की अवमानना करना है। ससद् के प्रत्येक मडल वी कायमाहियों के प्रकाशन से रखधिन सभी व्यक्तियों को, यदि ऐसा प्रकाशन सदन द्वारा या सदन

की कार्यवाही से निकाले गये अब उकाशित करना विशेषाधिकार भग करना और सदन की अवमानना करना है। ससद् के प्रत्येक मडल वी कायमाहियों के प्रकाशन से रखधिन सभी व्यक्तियों को, यदि ऐसा प्रकाशन सदन द्वारा या सदन

के प्राधिकार से किया जायें, संविधान के अधीन, किसी न्यायालय में कायंबाही में पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान की गई है। (अनुच्छेद 105(2)(1)

दोनों सदनों या उनकी समितियों के स्वरूप या कायंबाहियों या सासद् सदस्य के रूप में किसी सदस्य के चरित्र या आचरण पर या उसके सम्बन्ध में कोई मानहानिकारक बात द्यायना या प्रकाशित करना सभा का विशेषाधिकार भग तथा अवमान है। किन्तु, सासद् के प्रत्येक सदन की किसी कायंबाही की मूलरूप से मही रिपोर्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित करने या वायरलेस टेलीप्राफी द्वारा प्रसारित करने के लिए सांविधिक सारक्षण दिया गया है बशर्ते कि वे रिपोर्ट सार्वजनिक हित में हों और किसी दुर्भावना से न की गई हों। (संविधान का अनुच्छेद 361क)

उक्त सारक्षण इस मीमा के साथ प्रदान किया गया है कि प्रत्येक सदन को अपने वाद-विवाद और कायंबाहियों के प्रकाशन का नियन्त्रण करने और यदि अंतर्व्यक्त हो, प्रकाशन के नियेष की शक्ति प्राप्त है। सामान्यतया सभा की कायंबाही का वृत्तान्त द्यापने पर कोई प्रतिवध नहीं है। परन्तु जब वह वृत्तान्त कदाचय से प्रकाशित किया जाता है, अर्थात् जब वाद-विवाद को जानदृष्ट कर गलत ढंग से पेश किया जाता है तो ऐसा करने वाले को सदन का विशेषाधिकार भग करने और सदन की अवमानना करने के अपराध में दण्ड दिया जा सकता है। इसी प्रकार सदन की किसी गुप्त बैंटक की कायंबाही या निषंयो का रहस्योद्घाटन जब तक कि सदन न उन्हें गुप्त रखने का प्रतिबन्ध हटाने लिया हो, और विशेषाधिकार भग माना जाता है। कारण यह है कि प्रेस द्वारा ऐसी बात प्रकाशित का गई है जिसका प्रकाशन न करने का आदेश सदन ने दिया है। किसी संसदीय सांसद की कायंबाही, साध्य या दस्तावेजों के सदन में पेश किए जाने से पहले उसका कायंबाही या उसके समक्ष दिए साध्य या उसके सामने रखे गये दस्तावेजों के किसी अंश का तब तक प्रकाशन नहीं किया जा सकता जब तक कि वह कायंबाही या साध्य या दस्तावेज सदन में पेश नहीं कर दिये जाते। इसी प्रकार सदन की कायंबाही के वृत्तान्त से जो अंश निकाल दिया गया हो, उसका प्रकाशन सदन का विशेषाधिकार भग तथा अवमान है और उसके लिए दंड दिया जा सकता है। दूसरी ओर यदि यालाचना न्यायोचित और सदमग्वपूर्ण हो तो कोई कायंबाही नहीं की जाती। प्रायः देखा गया है कि विधान मण्डलों की कमियों की मही यालाचना करने वाले लेखकों, वक्ताओं या व्याय वित्तकारों के विश्व विशेषाधिकार भग के बारे में कायंबाही नहीं की जाती।

लोक सभा द्वारा विशेषाधिकार के मामलों में सामान्य रूप से वही इस अपनाया जाता है जो यूके में हालस आफ कामन्ज़ का रहता है।

हाऊस शायर बामन्ज (पू.के.) की सासदीय विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रबन्ध समिति, 1967, ने निम्नलिखित सिफारिश की थी ।

“हाऊस को अपने दाइडक अधिकार द्वेष का प्रयोग (व) किसी भी स्थिति में यथासम्भव कम से कम करना चाहिए, और (त) तभी करना चाहिए जब वे सन्तुष्ट हो जाये कि ऐसा करना अवश्यक है जिससे कि हाऊस को, उसके सदस्यों को या उसके अधिकारियों को ऐसी प्रतुचिन रकावट से पा रकावट डालने के प्रयास से या रकावट डालने की धमकी से, जिससे उनके अपने-अपने दृश्यों के पालन से काफी हस्तक्षेप हो रहा हो या होने वी गम्भीरना हो, मुक्तियुक्त सरकार मिल भई ।”

उसके बाद, हाऊस शायर कामज की विशेषाधिकार समिति ने अपने तीसरे प्रतिवेदन (1976-77) में उक्त सिफारिश को दोहराया और हाऊस शायर कामज, यू.के. ने उसे 6 फरवरी, 1978 को स्वीकार किया ।

इसी सोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने अपने तेरहवें प्रतिवेदन में यन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की थी ।—

“कोई भी प्रेस को या किसी नागरिक को न्यायोचित टिप्पणी करने के अधिकार से बचित नहीं रहेगा । परन्तु यदि टिप्पणियों में समद् में सदस्यों के आचरण के कारण उनकी व्यक्तिगत हृषि से भालोचना की गई हो या यदि टिप्पणियों के भाग्या अशिष्ट या अपमानजनक हो तो उन्हें न्यायोचित टिप्पणिया या भालोचना नहीं माना जा सकता । प्रेस शायर (1954) का भी यह विचार था कि “अशिष्ट पा अपमानजनक भाग्या में की गई टिप्पणिया प्रतुचिन है ।” गंत-जिम्मेदाराना सत्तगनीवाद भी न्यायोचित टिप्पणी को परिभाषा में नहीं प्राप्ता ।”

छठी सोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने अपने चौथे प्रतिवेदन में यह विचार व्यक्त किया था —

“समिति जानती है कि प्रेस की स्वतंत्रता वाक्-स्वातंत्र्य और अधिकार-स्वतंत्र्य के मूल अधिकार का भास्तव्य अग्र है जिसकी नामरिकों को दी गई है । समिति इस बात को महत्वपूर्ण मानती है कि ससदीय प्रणाली में ससद की कार्यवाहियों की न्यायोचित हृषि से भी वकादारी से प्रकाशित करने की प्रेस को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए परन्तु यदि प्रेस की स्वतंत्रता का प्रयोग दुर्भावना से किया जाता है तो ससद का कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे ममलों में हस्तक्षेप करे । इसके साथ ही समिति का विचार है कि सासदीय विशेषाधिकार के कारण विचारों की निर्बाध अधिकारिता या न्यायोचित टिप्पणी में कोई रकावट नहीं भानी चाहिए या उसे निरसाहित नहीं किया जाना चाहिए ।”

मात्रबी लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में यन्य

बातों के साथ-साथ यह विचार व्यवत हिये —

“समिति का विचार है कि यदि लोकतन्त्रात्मक प्रणाली में शक्ति का प्रयोग संघर्ष से किया जाये तो उससे सभी की गरिमा बढ़ती है, जितना शक्तिशाली कोई निकाय या संस्था हो उतने ही प्रधिक संघर्ष की विशेषकर अपने दाखिले प्रधिकारों के प्रयोग से, उससे अपेक्षा की जाती है।”

विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codification) करना

संसद् के सदनों तथा विधान मण्डलों और उनके सदस्यों एवं समितियों की शक्तिया, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 तथा 194 के खण्ड (1) तथा (2) में दी गयी हैं। अन्य बातों के साथ साथ इस अनुच्छेद के खण्ड 105(3) में उपबंधित है कि “संसद् के प्रत्येक सदन और उनके सदस्यों तथा समितियों की शक्तिया, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ वही होगी जोकि संसद् समय-समय पर कानून बना कर परिभाषित करें, किन्तु इस उपबंध के अनुसरण में अभी तक समद् ने प्रत्येक सदन, उसके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों की परिभाषा करने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं बनाया। बास्तव में संसद् का एक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार यह है कि विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध न किया जाये। वह वैसे ही अपरिभाषित रहने चाहिए जैसे कि आज है और जैसे कि वे सदा रहे हैं। जहाँ तक इस संविधानिक उपबंध का, अर्थात् “जब तक संसद् द्वारा विधि द्वारा, परिभाषित न किये जायें” और संसदीय विशेषाधिकारों की परिभाषा करने या उन्हें संहिताबद्ध करने के प्रश्न को सरध है, उस बारे में मतभेद है।

इम विषय पर कानून बनाने का प्रश्न भी पीठासीन अधिकारियों के विचाराधीन रहा है। अधिकतर सोगों का मत यह कि तत्वसम्बन्धी कानून बनाने का कोई लाभ नहीं होगा बल्कि उसको संहिताबद्ध करने से विधानमण्डलों की प्रतिष्ठा और शक्तियों को धृति पढ़ौंचाने की अधिक सम्भावना है। उनका यह भी विचार यह कि हाऊस आफ कामन्ज नये विशेषाधिकार बनाने की अनुमति नहीं देता है और ऐसे विशेषाधिकारों को मान्यता देता है जो परम्परा में विद्यमान है। मत बर्तमान परिस्थितियों में संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करना न तो आवश्यक है और न बाध्यनीय। विधानमण्डल और न्यायपालिका अपने-अपने द्वेषों में सर्वोच्च है। संसद् अपने द्वेष में सर्वोच्च है और न्यायपालिका अपने द्वेष में। जो मामले न्यायानयों के समक्ष आते हैं उनमें विधि की व्याख्या करना न्यायपालिका का काम है। इस मम्बन्ध में श्री एम हिंदायतुल्ला, भारत के भूतपूर्व मुस्य न्यायाधीश और राज्य सभा के मूतपूर्व सभापति का यह कथन स्मरण कराए जाने योग्य है :

“यदि संसद् और न्यायालय एक दूसरे के प्रति विशदास और सम्मान की भावना रखते हैं तो विशेषाधिकारों के विषय पर विधि को संहिताबद्ध

करने को कोई भावशक्ति नहीं रहती। यहाँ बदल विधि में उन लोगों को प्रधिक नाम होगा तो समृद्ध, उमड़े गदस्यों और गमिनियों को बदलाय करने पर कुने होते हैं और न्यायालयों का अधिकारिक दायरों में हस्तक्षेप करने के लिए वहाँ आएगा। याज जो स्थिति है उम्मे द्यगर दोनों तरफ उचित नूभवूभ हो तो अधिक मध्यावता यही है कि सामाजीय विशेषाधिकार घण करने और उमड़ी घबरानना करने के मामलों में दड़ देने के सामाजीय धर्मिकार को न्यायालयों वा सम्बन्धित मिलेगा न कि इसके विपरीत एवं अपनाया जायेगा। लिखित स्पष्ट में विधि होने से समृद्ध के लिए तथा न्यायालयों के लिए वह गटिया बनाए रखना कठिन होगा जो वंश स्पष्ट में समृद्ध की है और जिसे न्यायालय मदर उत्साहपूर्वक बंगे हो बनाए रखेंगे जैसे कि वे अपनी गरिमा बनाए रखते हैं।"



13

सदन में व्यवहार के नियम सदस्यों के लिए आचार संहिता

राष्ट्र की सर्वोच्च गरिमामयी विधायी मम्या के सदस्य होने के नाते सदस्यों में यह आशा की जाती है कि वे सदनों में और सदनों के बाहर मम्या के अनुरूप आचरण के कुछ स्तर बनाए रखें। तू कि विधान मङ्गल कोई ग्रामोद्योगी की "करब" मात्र नहीं होता, अत उसके सदस्यों में अपेक्षित है कि उनके व्यवहार से समद् की गरिमा बढ़े और माय ही में उनकी भी गरिमा बढ़े। गिर्धाचार के कुछ नियम और प्रथाएं ऐसी होती हैं जो प्रत्येक विधायी सम्बा के लिए समान होती हैं। अत उक्त मम्या के सदस्यों का आचरण उक्त के नियमों और प्रथाओं के विपरीत नहीं होना चाहिए और न ही किसी प्रकार में सदन की प्रतिष्ठा के विशद् और उस स्तर से असंगत होना चाहिए जिसकी आगा सभद् अपने सदस्यों से करती है। सदन में कार्य व्यवस्थित ढंग में, निर्वाचन स्वयं में कुशलतापूर्वक निपटाया जा सके और विविध विचाराधाराओं को महत्व मिल सके, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाज के सर्वोच्च विचार-विमर्शी मंच में बातावरण का गम्भीर एवं गरिमापूर्ण होना अनिवार्य है।

समद् के दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण में सदस्यों द्वारा निजी व्यवहार का गिर्धाचार संबंधी कुछ नियमों का पालन करना केवल इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता कि सदन का कार्य निर्वाचन स्वयं में और जिष्ठता में चलता रहे बल्कि इसलिए भी कि समद् और उसके सदस्यों की गरिमा बनी रहे। ये नियम दोनों सदनों के प्रक्रिया तथा गरिमा संबंधी नियमों पर आधारित हैं और ग्रामों तथा पीठासीन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये विनियंत्रणों से घोर-घीरे इनका विकास हुआ है।¹

सदन में व्यवहार

बैठक प्रारम्भ होने पर, मन के दोरान सदस्यों में यह आशा की जाती है कि प्रति-दिन सदन की बैठक प्रारम्भ होने के लिए जो समय निर्धारित हो उससे और

प्रधान को प्रत्येक सदन के मुन्ह में बूँद भिन्न पूँड के अपना-प्रपना स्थान प्रहरण करते हैं। अध्यक्ष के सदन में प्रवेश के समय जब मार्गेन्स अध्यक्ष के आगमन की घोषणा करता है और अध्यक्ष सोक सभा बैच्चर में प्रवेश करता है तो सदस्यों की धावमें बातचीत बढ़ कर देनी चाहिए और अपने-प्रपने स्थानों पर बढ़े हो जाना चाहिए और अध्यक्ष जब अपने स्थान पर आते हुए सदन के यही भौंग कर अभिवादन करता है तो सदस्यों को भी अध्यक्ष की ओर भौंग कर अभिवादन करना चाहिए। यन्हे अद्वय जो उसी समय सदन में प्रवेश कर रहे हों, उन्हे तब तक मार्ग में बासोनी से छोड़े रहना चाहिए जब तक कि अध्यक्ष अपना स्थान प्रहरण न करते। ऐसा अध्यक्ष पीठ के प्रति सम्मान मूल्य किया जाता है।

जब सदन को बैठक हो रही हो तो प्रत्येक सदस्य को सर्वोदायूर्वक और उन ठग से नैक सभा नैच्चर में प्रवेश करना और वहा से प्रस्थान करना चाहिए कि उसमें यद्दन की कायंवाही में बाधा न आये। सदन में प्रवेश करते समय या सदन में बाहर जाने समय और अपने स्थान पर बैठने समय या वहा से उटते समय भी सदस्य को अध्यक्ष पीठ के प्रति नमन करना चाहिए।¹ इस प्रशार की आदर भावना समूचे सदन के प्रति होनी है न कि अध्यक्ष पीठ पर विराजमान व्यक्ति के प्रति। सदन के सामूहिक स्वल्प के प्रतीक में उपर्युक्त पीठ के प्राधिकार का सम्मान करना समझीय धावरण का मूल्य मिलाना है।

बोलते समय आवरण सदन की कायंवाही को मुख्यवस्थित ठग से बोलने के लिए सदस्यों को एक समय में बोलने एक सदस्य के बोलने का सिद्धान्त अपनाना चाहिए। पीछामीन अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सदस्यों को एक एक कर बोलने के लिए उपकरे। जब कोई सदस्य बोलता चाहे तो उसको अपने स्थान पर खड़ा हो जाना चाहिए और अध्यक्ष की दृष्टि में आते के परदात उसके द्वारा बोलने के लिए कहने पर ही बोलना चाहिए। पीछामीन अधिकारी का ध्यान प्राक्षिपित करने के लिए हाथ हिलाना स्वस्य सरकीय प्रथा नहीं भासी जाती। यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हो तो जिस सदस्य को अध्यक्ष बोलने की अनुमति दे दे उसी ने बोलना चाहिए और ऐसे सबको तुरन्त बैठ जाना चाहिए।²

सदस्यों की बाकू-स्थानत्य का अधिकार बार-बार बीच में बोलकर अन्वर्धा डालने के लिए उपलब्ध नहीं किया जाया है। अन्वर्धा डालने से सदन की कायंवाही में शडवड होती है और इसमें सारी सभा को प्रतिष्ठा को हानि पूँचती है जिसकी अध्यक्ष द्वारा निभा की गई है। यदि कोई सदस्य सदन के माध्यमे किसी विषय के सबूद में कोई बात बहना चाहता हो या उस सदस्य में प्रस्त फूँदा चाहता हो जो कि बीच रहा ही कोई सरटोकरण प्राप्त करने के लिए या सदन के विवारणों किसी विषय के बारे में किसी

बात की व्याख्या के लिए तो उमेर अपने प्रश्न प्रध्यक्ष को मम्बोधित करने चाहिए। पीठासीन अधिकारी की अनुमति मिल जाने पर यदि वह औचित्य का प्रश्न उठाने या वैदेत्तिक स्पष्टीकरण के लिए थड़ा हो जाए तो भाषण करने वाले सदस्य को अपना स्थान ग्रहण कर नेना चाहिए। बोलते समय सदस्यों को अपने स्थान से बोलना चाहिए और खड़े होकर बोलना चाहिए लेकिन यदि कोई सदस्य बीमार हो या इनना कमज़ोर हो कि थड़ा न हो सके तो प्रध्यक्ष उसे बैठेन्वैटे दोनों की अनुमति प्रदान करता है।⁴

मदस्यों में यह आगा की जाती है कि बोलते समय वे मदस्यों को नाम में मम्बोधित नहीं करेंगे, उनको मदा पीठासीन अधिकारी को मम्बोधित करना चाहिए और उसी के माध्यम में अन्य मदस्यों में कुछ कहना चाहिए।⁵ सदस्यों को एक दूसरे को तृतीय पुरुष में मम्बोधित करना चाहिए। उसी प्रकार मत्रियों का उल्लेख उनके नामों से न करके मरकारी पदनामों से किया जाना चाहिए।

यदि पीठासीन अधिकारी यह महसूस करे कि जो सदस्य बोल रहा है वह दार-नार अमरगत बातें कह रहा है और अपनी या उन मदस्यों की दलीलों को दोहरा रहा है जो उसमें पढ़ने बोल चुके हैं तो वह उस सदस्य में अपना भाषण समाप्त करने के लिए बहु सकता है।⁶ बोलते समय मदस्यों वो पुरानी दलीलों को नहीं दोहराना चाहिए मिवाए उन मामलों के जहा कि किसी बात पर बल देने के लिए उसका दोहराया जाना जरूरी हो। यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी के कहने की परवाह न करते हुए अपना भाषण जारी रखता है तो वह निर्देश दे सकता है कि उस सदस्य के कथन कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

मदस्य वाद-विवाद में भाग लेते समय उन मामलों की चर्चा नहीं कर सकते जो किसी न्यायालय के विचाराधीन हों, परन्तु विशेषाधिकार के मामलों पर या जहाँ मदन के अपने मदस्यों के सबैध में मदन के अधिकार दोनों का प्रश्न हो वहाँ यह नियम लागू नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में पीठासीन अधिकारी और मदन द्वारा प्रत्येक मामले में उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

सदस्यों को एक दूसरे के विशद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए। किसी मदस्य से यह आगा नहीं की जाती कि वह सप्तद्या किसी राज्य के विधान मङ्डल के प्राचरण या उसकी कार्यवाही के सबैध में अपनान्दों का प्रयोग करे। मदस्य मदन के किसी निरंय पर, मिवाय उस हानित में जबकि उस निरंय को रद्द करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया हो, आरोप नहीं कर सकते।⁷ किसी मदस्य को किसी अन्य मदस्य या किसी मनो के विशद्ध मानहानिकारक या ग्रपराधारोपक स्वहप का आरोप लगाने की अनुमति नहीं है जब तक कि मदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित

मत्री को भी पर्याप्त अधिकार मूलना न दे दी हो ।^{१०} सदस्यों को सदन के लिसी अन्य सदस्य पर विसी प्रकार का लाल्हन नहीं लगाना चाहिए या इस इष्ट से उसका विषयकिक रूप से उल्लेख नहीं करना चाहिए या उसकी मद्दावना पर प्राप्ति बही करनी चाहिए । सदस्यों को सरकारी अधिकारियों का नाम लेकर उनका लस्लेख नहीं करना चाहिए वयोंकि वे अपनी रक्षा में कुछ बहने के लिए वहाँ उपनियत नहीं होते । उन्हें उच्च प्राधिकार दाते व्यक्तियों के आचरण पर आक्रोप भी नहीं करना चाहिए जब तक कि व्याचार उचित रूप से रखे गये मूल प्रश्नाव पर आधारित न हो ।^{११}

सदस्यों को ऐसी प्रदावलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनमें देशद्वेष-पूर्ण, राजद्वेषपूर्ण भानहानिजनक या अधमानजनक शब्दावली का प्रयोग हो । पथिपि गरकार की आलोचना करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, फिर भी सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे सदन के कार्य में वाधा डालने के लिए अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे ।

सदस्यों को भानहानिज्ञारक या अध्यक्ष पीठ पर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए जिससे उस दर किसी प्रकार का दोष मात्रा हो । भीचित्य, शिष्टाचला तथा शालीनता की मांग है कि सदस्य बोलते समय मसदीय भाषा का प्रयोग करें । पीठ-सीन अधिकारी दिष्ट प्रीर घसघदीय शब्द और वाच्याशों को कार्यवाही वृत्तान्त से लिकालने के प्रदेश दे सकता है ।

सदस्यों को, शिवाय अपने प्रथम भाषण के, लिखित भाषण पढ़ने की अनुभति नहीं है । यथापि वह प्रपनी याद ताजा करने के लिए लिखित टिप्पणियाँ देख सकते हैं । इसी प्रकार जड़ उन्हें ध्याकड़े या उड़रण शहदुत करने हो तब के प्रपनी लिखित टिप्पणियों से पढ़ सकते हैं । पहले से तैयार किए गये भाषणों का वाद-विवाद के दोगन अन्य सदस्यों प्रारा कही गई बातों से मैल नहीं रहता इसमें भाषण समत नहीं बन पाते । वाद-विवाद हचिकर तब ही हो सकता है । जब विचारों से विचार प्रीर तकी से तक टकरायें । अत सदन में वाद-विवाद को सजीव एवं तथ्यपरक बनाने के लिए वह भनिदार्य है कि उसमें बातों की पुनरोक्ति न हो तथा तक फैल विचाराधीन मुहूर्त तक ही सीमित रहे । इसीलिए लिखित भाषणों दर रोक का यह नियम लागू किया गया है । जूँकि मनियों को नीति उबड़ी वस्तुत्य देने होते हैं, वे तैयार किए गये भाषण यह सकते हैं, उन पर लिखित भाषण का यह नियम लागू नहीं होता ।

जब कोई सदस्य भोल रहा हो वाद-विवाद में सक्रिय रूप से तभी भाग लिया जा सकता है जब श्रोता सदस्य बोलने वाले सदस्य का भाषण ध्यानपूर्वक सुनें । अत सुनने वाले सदस्य का आचरण उन्होंने ही महत्वपूर्ण है जितना कि भाषण देने वाले का । इस बारे में भी आचरण सम्बन्धी नियम है ।

विरोधी दृष्टिकोण बुरा तो लगता है परन्तु संसदीय प्रक्रिया में उसका अपना थलग से महत्व है। अतः सरकारी पक्ष के मदस्यों को उसके प्रति राहनशील होना चाहिए। संसदीय विषयों का पेचीदा और जटिल होना स्वाभाविक ही है। सदन में उन विषयों पर प्रसङ्गति न हो यह समव नहीं है प्रत यह आवश्यक है कि सदन में विचार-विमर्श परस्पर प्रादान-प्रदान की भावना से प्रेरित हो। जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो किसी भन्य सदस्य को अव्यवस्थित ढंग में उसमें अन्तर्वाद्या नहीं डालना चाहिए। जहा तक सगत टिप्पणियों और वाक्पटुता का प्रश्न है, वह तो वाद-विवाद में प्रफुल्लता भरने और सदन के बातावरण को तनाव मुक्त बनाने के साधन है। किन्तु निरन्तर बाधा खड़ी करने में बोलने सदस्य के तकं की थृंखला टूट जाती है और सदन की कार्यवाही में अव्यवस्था उत्पन्न होती है जो कि अच्छा आचरण नहीं। हो सकता है कि थोता सदस्यों को भाषण पसन्द न आ रहा हो किन्तु तत्सम्बन्धी आपत्ति, यदि कोई हो, भाषण के पश्चात् ही व्यक्त करनी चाहिए। सदस्यों को मदैव याद रखना चाहिए कि वे एक गरिमापूर्ण सदन के मदस्य हैं और उसकी गरिमा को बनाए रखना उनका दायित्व है। उन्हें सोक मधा चंम्बर में एक दूसरे में बातें नहीं करनी चाहिए। यदि किसी विषय पर बात करनी अत्यन्त आवश्यक हो जाये तो बहुत ही धीमी आवाज में ऐसा करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसमें वक्ता का ध्यान प्राकृष्ट न हो और न ही किसी अन्य सदस्य की तम्मियता भग हो। उन्हें भाषण के अपने अधिकार का उपयोग सदन के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन से नहीं करना चाहिए।¹⁰ सदन की बैठक के दौरान किसी सदस्य को कोई ऐसी पुस्तक, समाचारपत्र या पत्र नहीं पढ़ना चाहिए जिसका सभा की कार्यवाही से संबंध न हो।¹¹ किसी मदस्य को अध्यक्ष पीठ और ऐसे सदस्य के बीच से, जो भाषण दे रहा हो नहीं गुजरना चाहिए और न अध्यक्ष पीठ की ओर पीठ करके खड़ा होना चाहिए और न बैठना चाहिए।¹² यह आचरण आपत्तिजनक है।

यह स्वभाविक ही है कि हर व्यक्ति को अपनी आवाज सुनने का आकर्षण होता है किन्तु यही बात दूसरे पक्ष पर भी लागू होती है। कोई मदस्य यदि स्वयं अपने भाषण में दूसरे सदस्यों की अन्तर्वाद्या को पसन्द नहीं करता तो उसे जब कोई दूसरा मदस्य बोल रहा हो तो सदन में शान्त बैठना चाहिए।

दर्शक और गेलरियाँ दर्शक दीप्तियों में बैठे किसी अजनबी व्यक्ति को इगति कर सदन में उमड़ा उल्लेख नियम विरुद्ध है। परन्तु यदि अध्यक्ष पीठ द्वारा सदन की किसी विशिष्ट दीप्ति में विशिष्ट विदेशी मेहमानों ने उपस्थित होने का उल्लेख किया जाता है तो सदस्यों को अपने मेज थपथपाकर उन विशिष्ट मेहमानों

का स्वागत करना चाहिए। किन्तु जब सदन की किसी दीर्घी में धर्षवा विशेष स्थान (वाक्म) में कोई अजनकी प्रवेश बरता है तो प्रशस्ता-घोष नहीं करना चाहिए। सदस्य को कभी इस उद्देश्य में सदन में नहीं बोलना चाहिए कि इसमें समाधार पत्रों में उसका नाम प्राएगा और न ही इसी उद्देश्य के बिसी प्रकार की अर्पण या किसी बात का उल्लेख करना चाहिए।¹³

मदन में साधान्य आचरण सदस्य को समद् मदन के परिसर में ऐसे — साहित्य, प्रश्नावली, पुस्तिकाग्रो, प्रेस टिप्पणियों, पच्चो इत्यादि का वितरण नहीं करना चाहिए जिनका मदन के कार्य में संबंध न हो, और न ही समद् परिसर में भूत्य हड्डीताल करने, धरना देने, या किसी प्रकार का प्रदर्शन करने या कोई धार्मिक कार्य करने की अनुमति है।

समदोय प्रथाओं के अनुमार सदस्य मध्या में शस्त्र नहीं ला सकते और न ही उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। वे अपने काठ करने या बाहू पर लटका कर लाक सभा चैम्बर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और न ही सदन में टेस्क पर अपना हैट/टोपी, कोट, शाल या जैकेट रख सकते हैं। जब तक इवास्थ के आधार पर धर्यक द्वारा अनुमति प्रदान न की गयी हो, सदस्य सोक मध्या चैम्बर में छढ़ी नहीं ना सकते। वे लोक मध्या चैम्बर में पूछापान नहीं कर सकते या मदन में नार नहीं लगा सकते, मदन की कार्यालयी में द्वावट या बाधा नहीं ढान सकते और जब बोई दूसरा सदस्य बोल रहा हो तो साध-माय टीवी-टिप्पणी नहीं कर सकते। मदन में अपने बैठने के स्थानों पर झटे, प्रतोक या कोई बैलंग आदि प्रदर्शन नहीं कर सकते, लोक मध्या चैम्बर में कैमट या टपरिकाईर नहीं ला सकते या बजा सकते, मांग में गहे हाँकर अन्य मदस्यों से चाल नहीं कर सकते, बाद-विवाद के दौरान कोई साह्य बस्तु नहीं ला सकते या मदन में उसका प्रदर्शन नहीं सकते और बाद-विवाद के दौरान कोई हल्की-फुलकी हरकत नहीं कर सकते या ऐसा भजाक नहीं कर सकते जिसमें कदाच का तत्त्व हो। सदस्य को सदन में अव्यक्त पंछ के पास स्वयं नहीं जाना चाहिए, यदि अवश्यक हो तो वह पटल अधिकारी के साम परिवार भेज सकता है। इसके प्रतिरक्त, मदस्यों का अपना भाषण देने के तुरन्त बाद मदन में बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा जरना शिष्ट यसदीय आचरण नहीं है। उनमें यह अपेक्षा की जाती है कि अपने भाषण पर अन्य मदस्यों वी टिप्पणियों को भी मुने। विषेष रूप में जब कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य की या मत्री की धान्नोबना करता है तो उस सदस्य या मत्री को मह आशा करने का प्रधिकार

है कि आत्मोचक उसका उत्तर सुनने के लिए सदन में उपस्थित रहे। उस समय उसका उपस्थित न होना सप्तरीय शिष्टाचार का उत्तरधन है।

सदन की मर्यादा एवं गरिमा बनाये रखने के लिये सदस्यों से अपेक्षित है कि वे कोई ऐसा आचरण न करें जिससे सदन की मर्यादा और गरिमा को धनका पहुँचता हो। विशेष रूप से महिला सदस्यों से आशा की जाती है कि वे सदन में दुनाई जैसे कोई कार्य न करें।

अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया, जब भी अध्यक्ष सदन का सम्बोधित करने के लिए रदा हो तो सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे शातिपूर्वक उसे गुने और कोई सदस्य, जो उस समय बोल रहा हा या बोलने वाला हो, उसको तुरन्त अपना स्थान प्रदूषण कर लेना चाहिए।¹⁴ सदस्यों को उस तमय, जब अध्यक्ष सदन का सम्बोधित कर रहा हो, अपना स्थान छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। यह सप्तरीय पारपाटी गुस्थापित हो जुकी है कि जब भी अध्यक्ष लाक सभा चैम्बर में आय या सदन को सम्बोधित करने के लिए खड़ा हो या “शाति-शार्त” कह तो प्रत्येक सदस्य को तुरन्त अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिए। जब अध्यक्ष सदन को सम्बोधित कर रहा हो तो सदस्यों को व्यवस्था सबधी प्रश्न उठाने के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। जब पीठासीन प्राधिकारी खड़ा हो, तो सदस्यों को सभा-भवन के एक भाग से दूसरे भाग में नहीं जाना चाहिए, न चलना चाहिए, न खड़े होना चाहिए, न सदन में प्रवेश करना चाहिए और न वहाँ से उटकर जाना चाहिए।

किसी सदस्य का आयिक हित, जब किसी सदस्य का सभा के दिचाराधीन किसी विषय में, अक्तिगत, आयिक या प्रत्यक्ष हित हो, तो उससे आशा की जाती है कि वह अपने भाषण के प्रारम्भ में ही बता दे कि उसका उस मामले में किस प्रकार का हित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विचार-विमर्शों में निष्पक्षता रहे और ऐसा न हो कि वैयक्तिक, आयिक या प्रत्यक्ष हित के आधार पर उस सदस्य के मत पर आपस्त हो जाए। इसी प्रकार जहाँ किसी समिति के किसी सदस्य का उस समिति के सामने विचार के लिए आने वाले किसी विषय में कोई अक्तिगत, आयिक या प्रत्यक्ष हित हो, तो उससे यह अपेक्षा की जाता है कि वह समिति के सभापति के माध्यम से अध्यक्ष को बताये कि उसका उस मामले में व्या हित है।¹⁵

मान्यताएः एवं प्रथाएः : मदस्यो द्वारा सदन में सप्तरीय शिष्टाचार के नियमों का जो पालन करना होता है उसके अतिरिक्त बहुत सी मान्यताएँ और प्रथाएँ हैं जो गंमदीय जीवन में उचित स्तर बनाए रखने और मदन तथा इसके सदस्यों की गरिमा बनाये रखने के लिए समान महत्व रखती हैं। घरः सप्तद सदस्यों से आशा की जाती है कि वे सदन के भग्नार ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी आचरण का एक स्तर बनाये रखेंगे।¹⁶ सदस्यों का आचरण प्रथा के प्रतिकूल या सदन की गरिमा के

गवाददाता या व्यापारिक कर्म के मालिक आदि के रूप में, उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग करना चाहिए।

- (पाच) सदस्य को अपने निर्वाचिकों की ओर से कोई कार्यवाही करने से पूर्व तथ्यों की पूरी तरह से जाच कर लेनी चाहिए। उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा की गयी शिकायतों के समर्थक के रूप में अपना प्रयाग नहीं करने देना चाहिए। माधारणतया, विधायक को अपने निर्वाचिकों की शिकायतों के बारे में पहले सबधित मत्री को लिखना चाहिए या उसने बात करनी चाहिए। यदि किसी शिकायत का रथरूप सामान्य प्रकार का हो तो वह प्रभनकाल में उठा सकता है या किसी अन्य तरीके से सदन में उठा सकता है। परन्तु व्यक्तिगत मामले सदन के समक्ष नहीं लाय जा सकते। यदि विधायक सोचता है कि मामला न्यायोचित और वंघ है परन्तु राधारण तरीके में न्याय मिलने में विलम्ब हो जाएगा तो वह सबधित अधिकारी या कर्मचारी से मिलकर मामला ध्यान में ला सकता है, परन्तु ऐसा भर्यादापूर्वक और ऐसे ढग में किया जाना चाहिए कि उसमें दबाव दालने या अनुचित प्रभाव का प्रयोग करने की बात न हो।
- (छह) रादस्य को ऐसे कोई प्रमाण-पत्र नहीं दन चाहिए जो तथ्यों पर आधारित न हो। उसे जो मकान अपने आवास के लिए मिला हो उसे अथवा उसके किसी भाग को किराये पर देकर लाभ अंजित नहीं करना चाहिए।
- (मात्र) जिस व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से मदस्य को कार्य करना हो उसमें ऐसे किसी कार्य के लिए जो वह करना चाहता है या करने का विषार रखता है, किसी भी प्रकार का कोई आतिथ्य घीकार नहीं करना चाहिए।
- (आठ) मदस्य को अपने किसी सम्बन्धी या दूसरे व्यक्तियों के लिए, जिनमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में रचि रखता हो, नोकरी या व्यापारिक सम्बन्धों के सबध में सहकारी पदाधिकारियों जो न तो सिफारिश-पत्र लिखना चाहिए और न हो उसे कुछ कहना चाहिए।
- (नौ) सदस्य को किसी सरकारी कर्मचारी को प्रलोभित करके अनाधिकृत ढग में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं करना चाहिए जो उस कर्मचारी को अपने सामान्य वृत्तियों के दोरान नहीं देनी चाहिए और न हो उसे ऐसे किसी व्यक्ति को इस बात का प्रोत्साहन देना चाहिए कि वह लोक महस्त्र और नीति के विषय पर अपने बारिष्ठ पदाधिकारियों के विशद उससे कुछ कहे।
- (दस) जिम मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सदस्य का वित्तीय हित हो, उसके सम्बन्ध में उसे सरकारी पदाधिकारियों या मनियों पर अनुचित प्रभाव नहीं दालना चाहिए।

- (यारह) यदस्य को किसी भौती प्रम, यमवाय या सरषा के लिए सरकार से कारोबार प्राप्त करने वा प्रथम नहीं करना चाहिए जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हो ।
- (दारह) यदस्य को किसी भौती या अद्वैताधिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी कार्यपालक अधिकारी के समक्ष वर्कोल या विधि सलाहकार या सॉलिसिटर के स्थ में उपस्थित नहीं होना चाहिए ।
- (तरह) यदस्य के नाते अपने करोब्य का निवेदन करते हुए अट्टाचार में तिल होने का उसका प्राचरण सदन द्वारा विशेषाधिकार भग माना जाता है । अत यदस्य द्वारा कोई घूस सना, जिसमें कि सदस्य के नाते उसके प्राचरण पर प्रभाव पड़ता हो या किसी विधेयक, सकल्प, विधय या उस बात के सम्बन्ध या विरोध के लिए जो कि सदन या उसकी किसी समिति के सामने पानी हो, काई गुल्क प्रतिकार या इनाम लेना विशेषाधिकार का भग माना जाता है । यदि काई सदस्य किसी व्यक्ति के साथ सदन में उसके दाको का पक्ष लेने तथा उन्हें मनवाने के लिए पेसा लेने का करार करता है तो वह भी उस सदस्य का अट्टाचार भव्यता उसके द्वारा विशेषाधिकार भग किया जाना माना जाता है ।

सदन

1. सुभाष काश्यप, मिनिस्टर एण्ड लेजिस्लेटर्ज, मंट्रोपोलिटन, नई दिल्ली, 1952, पृ. 49-50
2. नियम 349 (तीन)
3. नियम 350, निर्देश 115 क (2)
4. नियम 351
5. नियम 349 (छह)
6. नियम 356
7. नियम 352 (तीन) और (चार)
8. नियम 353
9. नियम 352 (दो) और (पाच)
10. नियम 349 (पाठ)
11. नियम 49 (1)
12. वही (चार)
13. वही (दस) और (यारह)
14. नियम 361 (1)
15. नियम 371
16. काश्यप, उपर उद्दृत, पृ. 139-40
17. यदस्य निर्देशिका (प्राटवा सरकारला)

□□□

14

संसदीय सचिवालय

मसद् जन इच्छा की प्रतीक है और जनहृत में नीतियों का अनुमोदन करती है। किन्तु नीतियों को कार्यालय देने में अथवा उसके प्रशासन में उसका कोई दबल नहीं होता। फिर भी लोगों की प्रतिनिधि निकाय के रूप में मसद् कार्यपालिका पर निरीक्षण एवं नियन्त्रण रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्रशासन संविधान के दायरे में रहकर कार्य करे।

यदि देश के विधान महल के सदस्यों ने निर्भीकतापूर्वक और बेलाग अपने अधिकारों का प्रयोग करना है और अपने दायित्वों को निवाहना है तो उन्हे इतनी स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिए कि वे सरकार की अटियों को प्रकाश में लाए सके जिससे सरकार की नीतियों और उसके कार्यनिष्पादन की मार्वजनिक रूप से घानबीन हो सके। उनको अपने इस दायित्व को पूरा करने के लिए एक ऐसे सचिवालय की आवश्यकता होती है जो कायपालिका के नियन्त्रण में मुक्त हो। यदि मसदीय लोकतंत्र को लोगों के अधिकतम हित में काम बरना है तो उसके सचिवालय का स्वतंत्र होना आवश्यक है क्योंकि सदस्य विधान महल में ही सरकार की नीतियों को चुनौती देते हैं और उन पर चर्चा करते हैं और यह फैगला सचिवालय की सहायता से पीठासीन अधिकारी ही करता है कि किसी प्रश्न या चर्चा को गृहीत किया जायें या नहीं। यदि पीठासीन अधिकारी वे फैसले कार्यपालिका के प्रभाव में आकर किये जाते हैं तो संसदीय लोकतंत्र का आधार ही खतरे में पड़ जाता है।

भारतीय विधानमठन के लिए "सरकार से स्वतंत्र और असम्बद्ध" एक सचिवालय का विचार जनवरी, 1926 में तब सामने आया जब तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष श्री विठ्ठल भाई पटेल ने भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया, जिसमें यह सकल्प पास किया गया कि विधान सभा के लिए एक अलग कायलिय बनाया जाये, जिसका सरकार से कोई सम्बन्ध न हो। और जो सबंध स्वतंत्र हो। उसके बाद 22. 9. 1928 को तत्कालीन केन्द्रीय विधान सभा में मुख्यमंद नेता पं० मोतीलाल नेहरू ने सकल्प पेश किया जिसका समर्थन तत्कालीन अन्य प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय ने किया। उस सकल्प का

उद्देश्य एक भलग विधान सभा विभाग बनाना था, पहुंचने सवै-समस्ति से स्वीकार कर लिया गया। विदेश के भारत मंत्री ने उस सदस्य में दी गयी घोषणा कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर ली और एक भलग, भपने भाष में समूर्ण विभाग 10 जनवरी, 1929 को बनाया गया जिसका नाम "विधान सभा विभाग" या और विधान सभा का "प्रेजीडेंट"¹ उम्मका वहतुग्न प्रधान बना।

स्वतंत्रता के बाद की स्थिति (Post Independence Condition)

भारत स्वतंत्रता प्रधिनियम, 1947 के उपकथा के अन्तर्गत 15 घण्टा, 1947 को केन्द्रीय विधान सभा समाप्त हो गयी और विधान सङ्ग के हृत्य भारत की सविधान सभा ने सभाल लिये, परन्तु विधान सभा विभाग के नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान तारू होने पर भन्त कालीन संसद के निमाण पर विभाग का नाम बदल कर "सप्तदीय सचिवालय" कर दिया गया। 1952 में नये संविधान के पश्चिम दो भलग-भलग सदन—कोसिल आफ स्टेट्स (राज्य सभा) और हाउस आफ द पीपूल (लोक सभा) बनने के बाद भी यही स्थिति रही, परन्तु कोसिल आफ स्टेट्स के निए "कोसिल आफ स्टेट्स सचिवालय" नाम का नया सचिवालय स्थापित किया गया। 1954 में उक्त दोनों सचिवालयों के नाम बदलकर क्रमशः लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय रखे गये।

संविधानिक उपबन्ध (Constitutional Provisions)

सविधान में उपबन्ध किया गया है कि प्रत्येक सदन का एक भलग सचिवालय हाँगा। दोनों सदनों के लिए पूर्वक और स्वतंत्र सचिवालय स्थापित करने का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा है कि संसद के प्रति कार्यपालिका की जिम्मेदारी और प्रशासन के उत्तराधिकार का प्रभावी एक पूर्ण प्रयोग हो। वास्तव में स्वयं भारत के संविधान में इस भृत्यपूर्ण आवश्यकता को माना गया है। सविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में उपबन्ध है कि राष्ट्रपति को सहायता और प्राप्ति देने के लिए एक भविपरिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होता तथा भविपरिषद् लोक सभा के प्रांत सामूहिक रूप से उत्तराधीय होती होगी और अनुच्छेद 98 खण्ड(1) में उपबन्ध है कि संसद के प्रत्येक सदन का पूर्वक सचिवीय कमंचारीबूद् होगा। उसमें दोनों के सामंजस्यों के सूजन की भी अनुमति दी गई है। इसी अनुच्छेद के खण्ड(2) में उपबन्ध है कि संसद, विधि द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवीय कमंचारीबूद् (Staff) में सतीं और वियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शती को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी। इसके खण्ड(3) में उपबन्ध किया गया, है कि जब तक संसद द्वारा ऐसी विधिया बनाई नहीं जाती तब तक राष्ट्रपति, यथा-स्थिति, लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के समर्पण से परामर्श करने के पश्चात्

लोक सभा के या राज्य सभा के सचिवीय कमंचारीवृद्धि में भर्ती के प्रौढ़ नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकता है। संविधान के अनुच्छेद 98(2) के अधीन संसद ने अब तक कोई विद्यान पास नहीं किया है। परन्तु प्रथम अक्टूबर, 1951 को अनुच्छेद 98(2) के प्रत्युमरण में, राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से लोक सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा जरूर) नियम, 1955 बनाये गये और प्रत्यापित किये गये। राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा मविवालय के लिए ऐसे ही नियम 1957 में सभापति के परामर्श से बनाये गये और प्रत्यापित किये गये।

पृथक् भर्ती तथा सेवा-शर्त

संसद के सचिवालयों में नियुक्त लोगों की भर्ती प्रौढ़ सेवा-शर्ते उपरोक्त नियमों द्वारा विनियमित होती है। वे प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा अपने-अपने सचिवालय में भर्ती करते हैं।¹ इस प्रकार से सचिवालय ममापति या अध्यक्ष के, जैसी भी स्थिति हो, मार्गदर्शन और नियन्त्रण में स्वतंत्र सचिवालयों के रूप में कार्य करते हैं। यह परिपाटी भी मुस्थापित हा चुकी है कि सरकार द्वारा भारत सरकार के मवालयों तथा विभागों द्वारा जारी किये गये आदेश स्वतंत्र लोक सभा के अधिकारियों तथा कमंचारियों पर लागू नहीं होते। सरकार द्वारा अपने कमंचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में जारी किये प्रत्येक आदेश की जाच भी जाती है प्रौढ़ यदि यह फैसला लिया जाये कि उन आदेशों को पूर्णरूपेण मविवालय के अधिकारियों और कमंचारियों पर लागू किया जावे तो वित्त मवालय या सम्बद्ध मवालय से परामर्श किये बिना, भर्ती तथा सेवा की शर्ते सुवधी आदेश के रूप में जारी किये जाते हैं। परन्तु जहा आदेशों में कोई ऐसे भद्र या परिवर्तन आदि आवश्यक समझा जाये वहा उन्हे अपनाने के आदेश वित्त मवालय के परामर्श के बाद जारी किये जाते हैं। स्वतंत्र मिठ्ठा है कि यदि विद्यानमडल सचिवालय के अधिकारियों एवं कमंचारियों को अपनी सेवा के भविष्य के लिये और पदोन्नतियों, वेतनमानों इत्यादि के लिए यह मवालय, वित्त मवालय या सरकार के किसी अन्य विभाग पर निष्पर करना पड़े तो वे कार्यपालिका के मुकाबले में स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं।

संसद के दोनों सदनों का बजट

संसद के भद्रस्यों तथा अधिकारियों के वेतन तथा भर्ती प्रौढ़ उनकी सुख-सुविधाओं के लिये होने वाला सबंध भारत की मधित निधि में से किया जाता है। केन्द्रीय सरकार के अन्य मवालयों के मुकाबले में इस सबंध में भी विद्यानमडल के सचिवालयों की स्थिति स्वतंत्र रही गयी है। भारत सरकार के अन्य मवालयों की तरह राज्य सभा तथा लोक सभा के मवध में अलग-अलग अनुदानों की मार्गे

गमद के दोनों सदनों के मामले रखे जाते हैं। गमद प्रत्येक वर्ष विनियोग प्रधितिपथ के माध्यम से उस तर्जे की धनुरी देती है। दोनों सदनों को और उनके मत्तिवालयों की मालों पर कटौती प्रमाण पेश करने वा चर्चा करने की प्रमुखति नहीं है।

राज्य सभा और लोक सभा तथा उनके मत्तिवालय के बड़ट प्रावक्तव्यों की तैयारी को रिपोर्टरी मुख्य स्वर्ग से राज्य सभा तथा लोक सभा के मत्तिवालयों पर है। इन प्रावक्तव्यों को मत्तापत्रिय के अनुमोदन के पश्चात् मत्तापत्रि/प्रध्यक्ष द्वारा, विधासिति, नियुक्त एवं नदर्ये समिति के समक्ष रखा जाता है। इसमें उपाध्यक्ष पोर वित्तीय समितियों के समाप्ति समिति के समक्ष के इस से जामिल होते हैं। तत्त्वज्ञान, समिति की सिफारिशों के माध्यमिक विधि कोई हो, प्रावक्तव्य समाप्ति/प्रध्यक्ष के अनुमोदन के लिये उनके मामले रख जाते हैं। राज्य सभा और लोक सभा के मत्तिवालय मत्तापत्रि-प्रावक्तव्य, दो विधायक समिति द्वारा अनुमोदित प्रावक्तव्य के अन्तर्गत अनुदानों की मालों से रखा जाता है। अध्यक्ष/समाप्ति द्वारा अनुमोदित प्रावक्तव्य, वित्त मत्तिवालय की वित्तीय बड़ट में सामान्य स्वर्ग समिक्षात वर्तने के लिए भर्ते जाते हैं। इन प्रावक्तव्यों की जाच वित्त मत्तिवालय की रिपोर्टरी समिति या गमद की रिपोर्टरी समिति द्वारा नहीं की जाती।

कृत्यात्मक आधार पर मोटे तौर पर कार्य विभाजन

मत्तिवालयों की स्वतन्त्रता और कार्यकृताकारी आवश्यकता की द्वारा विभाजन में रखते हुए, लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के मत्तापत्रि ने एक दूसरे से परामर्श करके 21 जुलाई, 1981 को गमद की इस समिति नियुक्त की थी जिसका द्वेष्य यह था कि वह वित्तीय स्वर्ग से सारल गरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड वेन्यू विधायक द्वारा दिया गया, सिफारिशों के प्रकाश में, गमद अधिकारियों और इमंचारियों के वेन्यूमालों और सेवा की अन्य गलों के पुनरीक्षण के माध्यम से उन्हें परामर्श दे। समिति ने 18 जून, 1987 को अपना प्रतिवेदन अध्यक्ष/समाप्ति को प्रस्तुत कर दिया था। अपने विचार-विषयों में, समिति ने दोनों मत्तिवालयों के वित्तीय इकाय के द्वारा इकहे हृत्यों पर उत्तरादायित्वों के विशिष्ट स्वरूप का ध्यान में रखा। समिति ने, भव्य बातों के साथ-साथ, दोनों मत्तिवालयों को अधिक कार्यकृत एवं वित्तीयी बनाने के लिये वैज्ञानिक आधार पर इनके पुनर्गठन की मिफारिज की। परिणामस्वरूप, मत्तिवालयों का विभाजित सेवायों के रूप में कृत्यात्मक पुनर्गठन किया गया।

- (एक) विधायी सेवा (Legislative Service) जो विधान, प्रग्नो, कार्य-मूर्ची नेताओं करने वाली त्रैमे गदत सम्बन्धित कार्य करती है,
- (दो) वित्तीय समिति सेवा (Finance Service) जो दोनों वित्तीय समितियों को और रेतके अधिकारिय समिति का मत्तिवाली सहायता उपलब्ध कराती

है और इनमे सम्बन्धित सभी कार्य करती है,

- (तीन) एकजीवयुटिव तथा प्रशासन सेवा (Executive & Administrative Service) जो प्रशासन और सामान्य मामलो से संबंधित और मदस्यों तथा प्रधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तो की घटायगी और अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित कार्य करती है,
- (चार) अन्यालय, संदर्भ, शोध, प्रलेखन तथा सूचना सेवा (Library, Reference, Research, Documentation and Information Service) जो अद्यतन और पूरी तरह से सुसज्जित अन्यालय तथा कुशल शोध एवं संदर्भ सेवाओं के द्वारा भारत मे और विदेशों मे प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं मे संसद् सदस्यों को सुपरिचित रखती है और दोनों सदनों-लोकसभा और राज्य सभा के समक्ष आने वाले विधायी उपायों एवं अन्य मामलो पर संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराती है ताकि सदस्य अपने-अपने सदन मे होने वाले वाद विवाद में प्रभावी रूप से भाग ले सकें,
- (पाच) शब्दश आगुनेलन (रिपोर्टिंग) विद्यक्ति सचिव तथा आगुलिपिक सेवा : जो समदीय कार्यवाहियों और समितियों की कार्यवाहियों का आगु लेलन करती है और प्रधिकारियों के लिए आगुलिपिक महायता की व्यवस्था करती है,
- (छ) संसदीय भाषायन्तरकार सेवा (Interpreters Service) जो लोक सभा की तथा इसकी समितियों की कार्यवाहियों के माध्य-साध अनुवाद के लिये उत्तरदायी है,
- (पाँच) मुद्रण, प्रकाशन, लेखन-सामग्री, विद्यय भंडार वितरण सेवा . जो (क) मुद्रण, रीटा प्रिटिंग और जिल्ड वाघने के कार्य (ख) लेखन सामग्री और भंडार रिकार्ड रखने (ग) विक्रय और (घ) प्राप्ति तथा वितरण का कार्य करती है,
- (प्राठ) सम्पादकीय तथा अनुवाद सेवा : (Editorial and translation Service) : जो वाद-विवाद का सम्पादन करती है और वाद-विवाद के मारांश तैयार करती है, वाद-विवाद, प्रतिवेदनों और समदीय पत्रों का अनुवाद करती है,
- (नौ) सुरक्षा, छारपाल तथा सफाई सेवा (Watch & Ward Service) : जो मरद मरन के अन्दर और बाहर सुरक्षा के उपायों की देख-रेख करती है और परिमरो का उचित रख रखाव मुनिशिवत करती है;
- (दस) इलर्क, टाईपिस्ट, रिकार्ड सार्टर और वपतरी सेवा : और (एकारह) संदेशावाहक सेवा जो अन्य सभी मेवाओं द्वारा अपेक्षित महायक कर्मचारियों के हृष मे कार्य करती है।
- समदीय सेवा के महत्व को ध्यान मे रखते हुए दोनों सचिवालयों का सम्बन्ध

दोनों कूटपारमक प्राप्ति वर पुनर्मिलन किया गया है, जहाँ कहीं सम्भव है, वह "इंडिक आफिसर" प्रशान्ति पर प्राप्तिरित है जिसमें कि उत्तरदादित्व के घटावद्यक दिस्तार के बिना कर्तव्य शीघ्र हो और गुणवत्तादूरते हों।

समझौत अध्ययन तथा प्रशिक्षण केन्द्र (Bureau of Parliamentary Studies & Training) :

समय के साथ समझौत कोर्टनक की प्रक्रियाओं और कार्य पद्धतियों का नेतृत्व में विकास होता है जो उन्होंने उन्नत हिस्से की है कि उनको महज में समझ पाना एवं इन्होंना समझ नहीं है। इन लोकतन पद्धति का चलाने के उत्तरदादी सभी पक्षों द्वारा विचारकों, नीति विद्वानों द्वारा को तथा विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले सभ्य व्यक्तियों का समझौत सम्मानों के निदानों, साधनों और कार्य पद्धतियों में प्रशिक्षण प्रशान्त करना आवश्यक हो गया है। श्रीगंगाधर निकाय होने के नाते विकासमान उपर्युक्त प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित और दूसरे विकासमान उपर्युक्त प्रक्रियाओं का आवश्यक नहीं करने का दायित्व समझौत का है। लोक सभा सचिवालय में समझौत अध्ययन तथा प्रशिक्षण केन्द्र समझौत सम्मानों के विभिन्न पद्धतियों तथा विकासों में कब्ज़े प्रशिक्षण, प्रबोधन तथा समझौत और व्यवहार वरक घटावद्यक का दबावर प्रशान्त करना है।

समझौत अध्ययन तथा प्रशिक्षण केन्द्र लोक सभा के लिए एक प्रभाग के रूप में 1976 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य विचारकों और अधिकारियों को समझौत सम्मानों के विभिन्न विषयों, कार्यपद्धतियों एवं प्रक्रियाओं में दैदा होने वाली समस्याओं की दृष्टि से सम्बन्धित और कम बढ़ प्रशिक्षण के सम्बन्धित भवित्व उपलब्ध कराने की काफ़ी समर्पण में मद्दम की जा रही आवश्यकता पूरी करना है।

केन्द्र की विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्राप्त है समझौत अधिकारियों के विभिन्न विषयों पर सक्सेद महस्यों और विचारकों के लिए विचार सोलियर आयोजित करना, नए मंत्रिय यदस्यों और विचारकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम उत्पादन, लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधानसभाओं तथा विदेशी नवदौरों के समझौतों के सचिवालयों के प्रधिकारियों के लिए प्रशिक्षण तथा तुनाखदारी पाल्यकर करना, सारल मरकार और राज्य विधानसभाओं के विभिन्न तथा सम्बन्ध स्तर के अधिकारियों, और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुनिम सेवा और द्वितीय द्वितीय भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं के परिवेशालीन अधिकारियों के लिए तुनाखदारी पाल्यकर करना। अतः 1985 से विदेशी समझौत अधिकारियों के लिए वायिक समझौत अतरण कार्यक्रम तथा विचारों आठवें में घन्तरामदूषक कार्यक्रम आयोजित करना का रहा है। इसके सन्तुरिक्त उम्मेदों के लिए भारत के विचारों अधिकारियों के विदेशी में तथा भारत में विदेशी

विद्यायी अधिकारियों के प्रशिक्षण दोनों का आदान-प्रदान और प्रतिनियुक्ति की देखरेख करना, विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों के प्राच्यापकों/व्याख्याताओं के लिए विषयबोध पाठ्यक्रमों का आयोजन करना ताकि इसमें उन्हें अपनी सम्बन्धित संस्थाओं में आदर्श सुसद् का आयोजन करने में महायता मिल सके। आदर्श समझौते के समर्थन में गैर-द्वात्र युवकों को इसके दायरे में लाने के लिए प्रति वर्ष विभिन्न नेहरू केन्द्रों के युवा संगठनों के एक ग्रूप को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराता है।

संसदीय संग्रहालय तथा अभिलेखागार (Parliamentary Museum & Archives)

इस देश में संसदीय संस्थाएँ आदिकाल में पनाम रही हैं और संसदीय व्यवस्था भारतवासियों की जीवन पद्धति बन गई है। यह कुछ असेंगे, इस क्षेत्र में देश की बहुमूल्य विरासत को बनाना और भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने, उनका समर्ह करने और उनके परीक्षण के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों दो प्रयोग में लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस क्षेत्र में शुरूआत 1976 में ही बी बी गई जब लोक सभा सचिवालय ने संसदीय संस्था को, इसके क्रियाकलापों के और इसकी महान् विभूतियों के इतिहास का प्रामाणिक, विस्तृत, पूर्ण एवं प्रदर्शन चिन्हियं रिकार्ड सुरक्षित रखने के लिए फोटो तथा फिल्मों का संसदीय अभिनेत्रागार स्थापित किया। संसदीय संग्रहालय तथा अभिनेत्रागार स्थापित हरने के प्रस्ताव बा. सोब-सभा की सामान्य प्रयोजन ममिति ने प्रथम प्रगति, 1984 बो अनुमोदन किया।

इसका मुख्य उद्देश्य संविधान और सत्रद में सद्वित भी, बत्तमान काल के और भूत काल के, बहुमूल्य अभिनेत्रों, ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा लेखों को, भावी पीढ़ियों के लिये समय के प्रक्रोप और उपेक्षा से बचाना है जिसमें कि सोग उनमें संसदीय संस्थाओं तथा राजनीतिक प्रणाली के इतिहास और विकास को वेहतर समझ सकें। इसके विकास के बत्तमान चरण में, यह उपरोक्त विस्तृत दस्तावेज, वस्तुएँ भावित प्राप्त करने, जो सामग्री इसके पास उपलब्ध है उसका समुचित परिरक्षण करने और चयनित सामग्री को प्रदर्शनात्मक रखने की ओर ध्यान दे रहा है। यथा समय इसका विचार संसदीय संस्थाओं के विषय में जानकारी का प्रसार करने के उद्देश्य से और समृद्धि के विकास में इसके क्रियाकलापों में और उसकी उपलब्धियों में रचि पैदा करके सुसद् की समुचित छवि बनाने और इसके प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिये अन्य कार्य करने का है।³

राष्ट्रीय उपलब्धियों का केन्द्र (हाल आफ एचीवमेंट्स) (Hall of National Achievements) :

लोक सभा की सामान्य प्रयोजन ममिति ने प्रथम प्रगति, 1984 बो राष्ट्रीय उपलब्धियों का केन्द्र (हाल आफ नेशनल एचीवमेंट्स) स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्

दिग्भास क्षेत्रों में राष्ट्र द्वारा की गई उपलब्धियों की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करना है। प्रदर्शनियों, परिमानों, फोटो तथा अन्य दृश्य मामलों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत द्वारा की गई उपलब्धियों का विस्तृत वृश्य प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। दृष्ट अवधि साधनों के माध्यम से विदेशी संसदीय शिल्ट मण्डलों के सदस्यों, भ्रमणकारी प्रतिष्ठित अधिकारीयों, विद्यार्थियों, पर्यटकों तथा अन्य लोगों के लिए देश की अपाप्णी जगति प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

संसदीय अधिकारियों की भूमिका

सूचना के प्रभाव का दोष हो था प्रोत्तोगिकीय दोष, मानव जीवन से सम्बद्ध प्रत्येक क्षेत्र में नित नए अधिकार हो रहे हैं। इससे मरकारी कार्य-क्षेत्र भी अद्वृता नहीं रहा है। माध्यनिक कार्य पद्धति की जटिलताओं को देखने हुए हमारी संसद के दोनों सदनों के सचिवालयों के लिये भी प्रधिक प्रभाव एवं उपकृत प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रावश्यकता और हाल के वर्षों में घटान आकर्षित हुआ है। यह एक प्रपरिहार्य ग्रावस्थकता है।

विश्वान मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दायित्वों को देखते हुए उनमें उच्च कोटि की योग्यता और तत्परता होने, कुशलता एवं विशेषज्ञता होने के साथ-साथ उनके मितव्यकी होने की प्रेक्षा की जाती है। वे ही लोग हैं जिनके संसद सदस्यों को विविध प्रकार की सेवा एवं उपलब्ध करानी होती है तथा संसद की कार्य-वाहियों की उपयोगी बनाने के लिए सासांड़ा द्वारा यादी गई सूचना तुरत और ठीक-ठीक उपलब्ध करानी होती है। इस प्रकार उनको प्रपने पहच्चपूर्ण उत्तर-दायित्वों को निवाहने के लिए पूरी योग्यता, चतुराई और अनुभव से काम लेना होता है।

संसद के सचिवालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा परम कर्तव्य महम्यों की सहायता करना होता है जिसमें कि वे विधायिकों के रूप में यथासम्भव प्रधिक से अधिक प्रभावी और कुशल ढृश्य में प्रपने कृत्यों का निर्वहन कर सकें। एक संसदीय अधिकारी का सब से बड़ा कर्तव्य यह है कि वह भदन की सेवा और सहायता करे और सभी मामलों में निष्पक्ष एवं न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाये। उसे यह निश्चित कर लेना चाहिए कि अध्यक्ष को दी जाने वाली तथ्यात्मक जानकारी पूर्ण न ही हो, और किसी भास्मने में सम्बन्धित सभी सगान विनियुक्त एवं प्रवर्ण-घारण पीढ़ासीन अधिकारी के समझ रखे जावें ताकि उसे तभी फैसले दरने में सुविधा हो। जहां तक सदस्यों को परामर्श देने का प्रश्न है संसदीय अधिकारियों से यह अपेक्षित नहीं है कि वे अकारण ही कोई परामर्श दें। जब संसदीय अधिकारी से विशेष रूप से कहा जाए कि वह संसदीय कार्य से सबैयित किसी मामले पर परामर्श दे तभी उसे तथ्यात्मक जानकारी सदस्य को उपलब्ध करानी चाहिए। इस विषय में प्रपनी राय नहीं देनी चाहिए।

संसदीय अधिकारी को इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि किसी सदस्य की विचारधारा क्या है या वह किस राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखता है। सदस्य का दल कोई भी हो, योग्यताएँ कुछ भी हो और जीवन में दर्जा कुछ भी हो, संसदीय अधिकारी के लिए मदस्य लोगों का सम्माननीय प्रतिनिधि है जिसके साथ उसे आदर में और धैर्य में पेश आना है। सदन के मेवक के नाते, संसदीय अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह सभी सदस्यों से समान रूप से पेश आए। वह सदैव स्मरण रखते हुए कि सभी सदस्य उसके समान एवं निष्पक्ष सेवा पाने के अधिकारी हैं, उसे प्रत्येक मदस्य की, जो अपने संसदीय सिलसिले में उससे सहायता माने, कुशल ढग से सेवा करनी होती है।

अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकारी को अपने कार्यक्षेत्र में विनेप ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है और प्रक्रियाओं की जटिलताओं एवं वारीकियों को भी पूरी जानकारी होना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि वह सभी महत्वपूर्ण मामलों और नाजुक मदस्याओं से घरबगत रहे ताकि ऐसा न हो कि प्रक्रमात ही कोई स्थिति सामने आ जाये जिसके लिए वह तंयार न हो, जैसा कि प्राप्त होता है। यदि कोई स्थिति या कोई कठिन समस्या घचानक ही सामने आ जाये तो उसे इत्योग्य होना चाहिए कि वह तुरन्त और कुशलता से उससे निपट सके। इस प्रकार, काम निवाटने में तत्परता और त्रुटिहीनता संसदीय अधिकारी के कार्य चालन के मुख्य तत्त्व हैं।⁴

यह भी अपेक्षा की जाती है कि संसदीय अधिकारियों और कर्मचारियों में संसदीय कार्य व्यवहार के मिदानों की जानकारी हो और उनमें स्वोजी एवं जिजासु भाव पैदा किया जाये। सक्षेप में कुछ मार्गदर्शी मिदान्त इस प्रकार हैं :

- (एक) संसद की संस्था और लोगों के प्रतिनिधियों के प्रति सम्मान ;
- (दो) सदस्यों की सेवा के प्रति प्रदूष प्रतिवर्द्धता चाहे वे किसी भी दल के हों ;
- (तीन) सदस्यों और अन्य लोगों के साथ व्यवहार में समर्पण, शिष्टता, आत्म-नियंत्रण, धैर्य, शान्त भाव और महिष्णुता ;
- (चार) मुम्पटता और त्रुटिहीनता और अध्यक्ष के वमक्ष पूर्ण तत्त्व रखने और निष्पक्ष परामर्श देने की आदत ;
- (पांच) फैसले करने में और काम निवाटने में तत्परता प्रर्यात् काम करने की ऐसी पद्धति जिसमें कोई काम कल पर न छोड़ा जाये ;
- (छ) सजगता, चेहरे पर मुस्कान और किसी की भी बात सुनने का धैर्य ;
- (सात) दलगत रहित, निष्पक्ष दृष्टिकोण। एक संसदीय अधिकारी को सभी क्रियाकलायों में भाग लेते हुए भी निलेंप होना चाहिए ; और
- (पाठ) ऐसे समाधान ढूँढ़ने की योग्यता जो केवल संदानिक रूप में ही नहीं बरन् व्यावहारिक भी हो।

संसद के मत्तिवालय गतिशील और विकासशील सम्बन्ध हैं जिनके लिए ध्येयित है कि वे समझों की बढ़ती हुई एवं परिवर्तनशील आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरन्तर ध्यान देने रहे। सचिवालयों के अधिकारियों और कमंचारियों को सदा मनकर रहना पड़ता है और वरावर सोचने रहना होता है कि मदस्यों तथा समीक्षा सम्बन्धों की सेवा करने के तरीकों में क्या सुधार लाए जाने चाहिए। संसदीय सम्बन्धों की गतियों में सुधार की गुआयग सदा रहती है। भारत की संसद उत्तम कार्य-निष्ठादार के लिए यद्यं का अनुभव कर सकती है और इसका थ्रेय प्रजिज्ञान की प्रक्रियाओं और सुविधाओं दो जाता है। वह यह भी भाग्य रखती है कि याने वाले वर्षों की उपलब्धियों इससे भी बेहतर होगी।⁵

संदर्भ

1. केन्द्रीय विधान सभा के मठवाड़ा की उम्र समय "प्रेजीडेंट" कहा जाता था।
2. विस्तृत चर्चा के लिए देखिए राष्ट्र मण्डल समझों के क्षावर्म-एट-द-टेबल की सीखाइटी की प्रवृत्ति, 1985 से समाप्त, कनाडा में हुई बैठक में रिकूटमेंट एण्ड ट्रेनिंग प्राक पारियामेट्रो स्टाफ विषय पर दा सुभाष काश्यर द्वारा प्रारुद किया गया सुनान। व पारियामेट्रियन 67, सद्या 3, जुलाई, 1986 मे पृ 134-36।
3. सुभाष काश्यप, पारियामेट्रो म्यूजियम एण्ड प्रारकार्फ्युज दिल्ली 1985
4. देखिए काश्यर, रिकूटमेंट एण्ड ट्रेनिंग प्राक पारियामेट्रो स्टाफ, ऊपर उद्धृत।
5. वही।

□□□

लोक सभा का विघटन

प्रतिनिधिक सम्बोध सत्याग्रो के इतिहास के साथ "विघटन" (dissolution) प्रवधारणा का अटूट मबंध है। कोई जनसभा, चाहे कितनी ही लोकप्रिय ढंग से निर्वाचित व्यों न हो, हमेशा के लिए जनता का प्रतिनिधित्व करती रहेगी, ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। इसीलिए इस बात की आवश्यकता है कि वह निश्चिद प्रधिके उपरान्त पुन जनादेश प्राप्त करे। सामान्यतः सभा का कायंकाल सांविधानिक दस्तावेज मे निर्धारित होता है प्रयवा विधायी अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। विद्वेष प्राप्त चुनाव मे निर्वाचित उमके गदस्यो के कायंकाल के ममाण होने के माय-माय उसकी प्रधिभी समाप्त हो जाती है। "विघटन" संसद प्रयवा उसकी जन प्रतिनिधि समा के कायंकाल की समाप्ति का दोतक होता है। परनी निर्धारित कायंविधि पूरी कर लेने पर सामान्यतः एक निर्वाचित विधान सभा स्वतः ही विघटित हो जाती है। जबकि सभा का इस प्रकार विघटित होना एक मुविदित सांविधानिक बात है, लेकिन वारीकी से देखने पर ज्ञात होगा कि कायंपालिका द्वारा विधान मण्डल का कायंकाल पूरा होने से पूर्व उसे समाप्त करने की कोई कायंवाही करना भी "विघटन" का दोतक है। ऐसी कायंवाही का उद्देश्य निर्वाचक मण्डल से नया जनादेश (mendate) प्राप्त करना प्रयवा तात्कालिक सम्बोध बहुमत के दिवारो के विशद प्रयिम निर्णायक जनता जनादेश से अपील करना हो सकता है। निर्धारित कायंकाल पूरा होने के पश्चात् सभा का स्वतः विघटन हो प्रयवा राज्य प्रमुख द्वारा उसकी कायंविधि पूरी होने से पूर्व उसे भग किया जाना हो, दोनों ही मामलो मे यह विघटन पूरी तरह से युक्तियुक्त, वंघ घोर सांविधानिक होता है क्योंकि सविधान घोर देश की विधियों के अन्तर्गत इसकी विशेष रूप से अनुमति होती है तथा उनमें ऐसा उपवन्ध होता है।¹

सांविधानिक हित (Constitutional Position)

भारत के संविधान के प्रत्युच्छेद 83(2) मे उल्लिखित है

- (2) लोक सभा, यदि एहुने ही विषटित न कर दी जाए, तो अपने प्रथम प्रधिवेशन के लिए नियुक्त तारीख से पाच बर्ष के तक चालू रहेगी और इससे प्रधिक नहीं तथा पाच बर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति का परिणाम लोक सभा का विषटन होगा :

परन्तु उक्त कालावधि को, जब तक आपान की उद्घोषणा प्रवर्तन मे है, सप्तद विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार मे एक बर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवश्या मे भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् यह मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी।¹

संविधान के प्रत्युच्छेद 85(2)(क) मे उपबन्धित है कि राष्ट्रपति समय-नियम पर लोक सभा का विषटन कर सकेगा। इस प्रकार,

- (1) लोक सभा की सामान्य कालावधि (term) पाच बर्ष है,
- (2) लोक सभा के प्रथम प्रधिवेशन के लिए नियुक्त तारीख से पाच बर्ष की कालावधि समाप्ति तक ही इसका विषटन होगी,
- (3) राष्ट्रपति सभा को कालावधि से पूर्व भी विषटित कर सकेगा,
- (4) आपातकाल के दौरान, सप्तद विधि द्वारा लोक सभा की कालावधि बढ़ा सकेगी जो एक बार मे एक बर्ष ही होगी।²

यदि कुछ मिश्र तरम मे रखे जाएं तो इन सांविधानिक उपबन्धो का तात्पर्य बदलता नजर आता है। उदाहरण स्वरूप यह कहा जा सकता है कि

- (1) "समय-नियम पर" सभा को विषटित करना राष्ट्रपति का करम है,
- (2) परन्तु, यदि राष्ट्रपति पाच बर्ष की वर्षीय तक सभा को विषटित नहीं करता है तो पाच बर्ष की समाप्ति पर, यदि इस बीच आपातकाल के दौरान सप्तद द्वारा उसका कार्यकाल बढ़ा न दिया गया हो, वह अपने आप विषटित हो जाएगी।

इस उदाहरण से समिप्राप्त है कि पाच बर्ष की कालावधि समाप्त होने से पूर्व लोक सभा का विषटन होना एक सामान्य बात है, और इस पाच बर्ष की अवधि का नियंत्रण वे बल बाल्य सीमा प्रथवा सामान्य काल के दौरान भ्रमिकतम कालावधि के क्षेत्र मे किया गया है, और कोई निश्चित कालावधि के रूप मे नहीं।³ इसका यह मर्य हृष्णा कि भारत के संविधान के प्रधीन लोक सभा के विषटन से अमिश्रत होगा सभा की कालावधि की समाप्ति जो प्रत्युच्छेद 85(2)(क) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणा मे प्रथवा पाच बर्ष की कालावधि या प्रत्युच्छेद 83(2) के अधीन इसके प्रथम भ्रमिकतम के लिए नियंत्र तारीख से बढ़ाई गई किसी कालावधि की समाप्ति द्वारा होगी। आम निर्वाचन (election) के पश्चात् संयुक्त रूप से समवेत दोनों सभा ओ

को जिस दिन राष्ट्रपति उद्घाटन भाषण द्वारा सम्बोधित करते हैं, उस दिन से सभा का प्रथम अधिवेशन चालू हुआ माना जाता है। इस प्रकार विधिवत् रूप से उद्घाटित होने से पूर्व सभा द्वारा कोई कायं निष्पादित नहीं किया जा सकता है। जिन दिनों में सदस्य शपथ आदि ग्रहण करते हैं अर्थात् सभा के गठित होने और इसकी प्रथम बैठक आयोजित होने के बीच की अवधि इस उद्देश्य के लिए गिरती में नहीं ली जाती है।

निर्वाचन विधि

विधान के पश्चात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Peoples' representative Act, 1951) के अन्तर्गत नई लोक सभा का गठन करना होता है। उक्त अधिनियम में उपबोधित है कि :

नई लोक सभा गठित करने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन वर्तमान सदन की अस्तित्वावधि का अवसान पर या उसके विधान पर किया जाएगा। और यह भी कि :

उक्त प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति ऐसी तारीख या तारीखों को, जिनकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा सब संसदीय निर्वाचन धोरों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के उपबोधों के भवुतार सदस्य निर्वाचित करें। परन्तु जहाँ वर्तमान लोक सभा के विधान के कारण नहीं अन्यथा साधारण निर्वाचन होता है वहाँ ऐसी कोई अधिसूचना उस तारीख से, तीसको मदन की अस्तित्वावधि का अवसान होता, पूर्व के छह मास के पहले न तिकाली जायेगा।⁶

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अन्तर्गत लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन विद्यमान सभा की कालावधि समाप्ति से छह मास पूर्व आयोजित किया जा सकता है यद्यपि नई सभा का गठन केवल विद्यमान सभा के विधान के पश्चात् ही होता है। यह विटन में अपनाई जा रही प्रथा से भिन्न है जहाँ पहले विधान होता है और तत्पश्चात् नये 'हाउस ऑफ कॉमन्स' के गठन के लिये आम निर्वाचन आयोजित होते हैं।⁷

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 में अन्य बातों के साथ-साथ उपबोधित है कि निर्वाचन आयोग द्वारा सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों के नाम जास्तीय राजपत्र (Gazette) में अधिसूचित किए जाने पर, समझा जाएगा कि लोक सभा "सम्यक रूप से गठित हो गई है।" और इस प्रकार एक बार जब सभा का गठन हो जाता है तो यह विधान योग्य बन जाती है, अर्थात् इसको अधिवेशन के लिए आदृत करने या कायं सचालन आरम्भ करने से पूर्व विधिवित किया जा सकता है। ठोक आयू बनाम भारत सरकार अन्य के मामल में न्यायालय द्वारा, यह नियम दिया गया था कि सविधान के किसी भी उपदन्त के अधीन यह प्रतिवाद्य नहीं कि इसकी प्रथम बैठक की तिथि नियत की जानी चाहिए। "एक बार जब सभा

गठित हो जाती है, यह विषयटन याप्त बन जाती है। पौर, एक बार जब इसका विषयटन हो जाता है, इसको मधिवेशन के लिए प्राहृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि तत्काल ही इसके सदस्यों की श्रतिनिधित्व करने की हेसियत समाप्त हो जाती है।¹⁷

विषयटित करने की शक्ति

संविधान के अनुच्छेद 75(3) में उपबन्धित है कि मनिपरिषद् (Council of Ministers) सोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मतः सोक सभा अधिश्वासा प्रस्ताव द्वारा सरकार को गिरा सकती है। बिन्दु, परिणामरूप, कार्यपालिका (executive) के हाथ में भी तत्त्वमान प्रभावकारी शक्ति होती है और वह गति है "समय-समय पर" अर्थात् उसकी नियंत्रित पाव वर्ष की कालावधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय लोक सभा को विषयटित कर सकते की। सासदीय राज्य-व्यवस्था में, सगद को विषयटित करने की शक्ति कार्यपालिका के पास उभी तरह है जिस तरह सासद व प्रास लोक सभा के प्रति मनिपरिषद् की जवाब देही सु-निश्चित करने का मधिकार है ये दोनों दक्ष परस्पर गतुलन बनाते हैं। सोक सभा याद सरकार का वर्याचित कर सकती है तो सरकार लोक सभा को विषयटित कर सकती है। तथापि, विषयटन सोक सभा को सरकार की इच्छाओं के अधीन नहीं बनाता है, किन्तु वह घण्टे सर्वोच्च स्वाभियोग्यता स्वयं जनता-जनादेन की इच्छाओं के अधीन बनाता है।

संविधान के अनुच्छेद 53 में उपबन्धित है कि यह की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 74(1) के अधीन राष्ट्रपति को अपने सभी कृतयों का सम्पादन प्रधान मंत्री की अद्यताता में कियाशेल मनिपरिषद् की सहायता द्वारा मन्त्रणा से करना हांगा। अनुच्छेद 85(2) के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त लाल सभा को विषयटित करने की शक्ति, राष्ट्रपति वद का कार्यपालिक कृत्य है और इसलिए इसे मनिपरिषद् की सहायता द्वारा मन्त्रणा से सम्पादित करना होता है। इस्तेंड की तरह राष्ट्रपति को विषयटन की शक्ति किसी विशेषाधिकार से प्राप्त नहीं होती है, मतः प्रथम दृष्ट्या इसका सम्पादन वेष्टन मनिपरिषद् की मध्यांते से ही किया जा सकता है। जेसा कि संविधान में उपबन्धित है, राष्ट्रपति "अपने कृतयों का सम्पादन ऐसी मन्त्रणा के अनुसार करेगा।" गोवधान (ग्रामालीसवा संशोधन) भागितियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में शब्द "करेगा" जोड़े जाने से पूर्व यह दियति थी उसके अन्तर्गत मनिपरिषद् की मन्त्रणा के व्यवस्कारी हृष्टरूप के सम्बन्ध में कुछ दोहे अर्थ किये गये थे और कभी-कभी वह भी कहा गया था कि राष्ट्रपति ऐसा विषयटन करने से इकात कर सकता है जिसको मात्र अनुपयुक्त हो, या जहां इस प्रकार की मन्त्रणा, प्रधान मंत्री द्वारा शांखत का दुष्प्रयाग किये जाने को आशका उत्पन्न करती हो। संविधान (ग्रामालीसवा संशोधन) भागितियम, 1978, राष्ट्रपति को इस राम्भन्ध में जो एक मात्र विशेषाधिकार देता है, वह यह है कि वह मात्र पारियद् को इस प्रकार

की मत्रणा पर पुनः विवार करने के लिए कह सकेगा किन्तु यदि मत्रिपरिषद् पुनर्विचार के उपरान्त अपनी मत्रणा को दोबारा प्रस्तुत करती है तो वह उसके अनुसार कार्य करने से इकार नहीं कर सकेगा।⁸

दिसम्बर, 1970 में प्रधान मंत्री श्रीमनी इदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को लोक सभा विधिटि करने का इस आधार पर परामर्श दिया था कि कुछ गम्भीर समस्याएँ हैं जिनका समाधान किया जाना है और विभाजित हो जाने से बायेस दल कमज़ोर पड़ गया है और इसलिए उन्हे जनता से नवीन आदेश प्राप्त करना ज़रूरी हो गया है। चूंकि मत्रणा मत्रिपरिषद् द्वारा नहीं दी गई थी बल्कि प्रधानमंत्री ने दी थी, इसलिए राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री को यह मामला सर्वप्रथम मत्रिपरिषद् के सम्मुख रखने को कहा था। अन्त में, यद्यपि राष्ट्रपति ने मत्रिपरिषद् की मत्रणा स्वीकार कर ली थी, परन्तु उनके सांचवालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में यह स्पष्ट है मेरुलिखित या कि राष्ट्रपति ने, “मामले की वारीकी के माय जाच करने के पश्चात्” लोक सभा को विधिटि करने के लिये उसको मत्रणा देने के “मत्रिपरिषद् के निषेद्” को स्वीकार किया है।⁹ यह बात नोट करने योग्य है कि उक्त बात, संविधान (यालीर्वा संशोधन) भाइनियम, 1976 द्वारा मत्रिपरिषद् की मत्रणा को राष्ट्रपति के लिये कानूनी तौर पर वाध्यकर बनाये जाने से पूर्व घटी थी।

यालीसवा संशोधन लागू हो जाने के पश्चात् विघटन करने की शक्ति को लागू करने का पहला अवसर 19 जनवरी, 1977 को आया था जब राष्ट्रपति ने लोक सभा कालावधि, जिसे आपातकाल के दौरान मार्च, 1976 में सामान्य कालावधि समाप्त हो जाने के पश्चात् बढ़ाया गया था, समाप्त होने से एक वर्ष पूर्व लोक सभा को विधिटि कर दिया था। राष्ट्रपति ने ऐसा प्रधान मंत्री की सिफारिश पर किया था जिसका आधार, राष्ट्र के स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो प्रातरिक आपातकाल की घायणा की थी, उन उपायों के समर्थन में लोगों से जनादेश प्राप्त करने के पश्चात् पुनः सामान्य प्रशासन को लागू करना था। उक्त मामले में सभा विधिटि करते समय राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को सिफारिश को मात्र स्वीकार कर लिया था।¹⁰

इस प्रकार का दूसरा अवसर 22 अगस्त, 1979 को आया था जब प्रधान मंत्री श्री चरणसिंह ने जिन्होंने सभा का सामना न कर पाने के कारण अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत कर दिया था, राष्ट्रपति को लोक सभा विधिटि करने का परामर्श भी दिया था। इस प्रकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मत्रिपरिषद् का परामर्श भी राष्ट्रपति में स्वीकार कर लिया था और तदनुसार कार्यवाही की थी। तथापि, इस बार जारी की गई विज्ञप्ति में अन्य पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा निजी विवेक का उपयोग करने का भी उल्लेख किया गया था।¹¹

यह धारा मान्यता है कि साविधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति को कोई

मन्त्रिविवेक-सभा (discretionary power) प्राप्त नहीं है। विद्युते नालीस वर्षों से दोरान में सांकेतिक राष्ट्रपति ने किसी मामले में मन्त्रिविवेक की महापत्रा और मत्रणा की उपेक्षा की है या अपनी इच्छा में प्रेरित होकर कायं बाही भी हो। मविधान में उन्नितिन होने के बावजूद कि मन्त्रिविवेक की मत्रणा राष्ट्रपति पर व्यवस्थापन होती है, इस प्रत पर, विशेष रूप में विद्युते में, कुछ विवाद बना हुआ है कि क्या राष्ट्रपति के निए मन्त्रिविवेक की महापत्रा और मत्रणानुसार कायं करना मन्त्रिविवेक की महापत्रा है या कुछ ऐसे मामले जैसा परिस्थितियाँ हैं जहां वह स्विवेक से कायंबद्ध होकर महता है या मन्त्रिविवेक द्वारा दी गई मत्रणा की उपेक्षा कर सकता है।¹²

मविधान प्राप्त मनिति के मध्यापति दा-भीमसाव अम्बेडकर ने मविधान मध्या में कहा या कि जब कि राज्य के मानविधानिक अमुख होने के नाते राष्ट्रपति के निए मन्त्रिविवेक की मत्रणा भानना बहुतशारी है लेकिन दो विशेषाधिकार भी हैं विनाश राज्य प्रमुख उपयोग कर सकते, प्रथम प्रधान मंत्री को नियुक्त करना दूसरा "समृद्ध का विषयत बना", बाद में अपने मत को स्पष्ट करते हुए डा० अम्बेडकर ने युन कहा।

भारत मत का राष्ट्रपति मध्या की भावनाओं के बारे में यह जाच करेया कि बदा मध्या यह स्वीकार करती है कि विषयत कर दिया जाना चाहिए अथवा क्या मध्या यह स्वीकार करती है कि कायं वा मत्रानन मध्या को विषयतिन किए जिन्हा इनी मध्य नेत्रा द्वारा किया जाना चाहिए। यदि वह यह पाना है कि विषयत करने के अन्तिरिक्त कोई दूसरा विकल्प प्राप्त नहीं है, तो नि सदैह मानविधानिक राष्ट्रपति होने के नाते वह मध्या को विषयित करने मवधान प्रधान मंत्री की मत्रणा स्वीकार करेगा।¹³

विषयत की जक्ति मवधी उपर्युक्त करने के निए ममय-ममय पर विभिन्न मुमाव दिए गए हैं, 1970 में एक मुमाव यह उपबवित करने के निए दिया गया या कि राष्ट्रपति को लोक मध्या का विषयत करने की अपनी जक्ति का उपयोग केवल उस ममय करना चाहिए जब समृद्ध इस प्रकार के प्रमाणाव की स्वीकार करे और स्वतः ही प्रधान मंत्री या मन्त्रिविवेक की मत्रणा पर विषयत नहीं करना चाहिए। श्री श्रीनिवास मिश्र, समृद्ध मदस्य द्वारा इस मवधे में 27 परवरी, 1970 को लोक मध्या में एक मविधान (मनोधन) विवेक पुर स्थापित किया गया था। विवेक के निए यह जोटकर अनुच्छेद 85(2)(ब) के मनोधन की उपर्युक्त की गई थी कि

राष्ट्रपति ममय-ममय पर लोक मध्या का विषयत कर सकेगा यदि

- (1) मध्या एक सकल (resolution) द्वारा ऐसे विषयत को स्वीकृति प्रदान करती है, या
- (2) मध्या या तो अनुदान मवधी ऐसी माम को स्वीकृति प्रदान करने से इकार करती है या ऐसे विवेक को प्रस्वीकार कर देती है जो तीन

उत्तरोत्तरी मन्त्रि-परिषद की सहायता और मन्त्रणा से रखी गई हो अथवा पूर स्वापित किया गया हो ।

मन्त्रि परिषद को जब तक लोक सभा सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त है, इसमें कदाचिं कोई सदेह नहीं हा मकता कि राष्ट्रपति सभा को विघटित करने के लिए दी गई प्रधान मंत्री या मन्त्रिपरिषद वी मन्त्रणा को अस्वीकार कर सके । क्या सभा का विघटन किया जाए और नवीन निर्वाचन कराए जाए और ऐसा कब किया जाए । ये ऐसे मामले हैं जो प्रधान मंत्री की राजनीतिक मूलभूत पर निर्भर करते हैं । यह भी कि जब सभा में पेश किसी मूल प्रस्ताव पर प्रधान मंत्री हार आता है या ऐसी हार का उम्मोद भय होता है, तो उस निर्वाचिकों से छोपील करने और उनसे दोबारा जनादेश प्राप्त करने का अधिकार है । राष्ट्रपति सभा का विघटन करने सुवधी उसका अनुरोध अस्वीकार नहीं करेगा । जहाँ प्रधान मंत्री का दल निर्वाचन में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में असफल रहता है, वहाँ भी राष्ट्रपति यह बात ध्यान में रखेगा कि सभा का विघटित करने की प्रधान मंत्री की मन्त्रणा अस्वीकार करने में पूर्व, वैकल्पिक सरकार ढूँढ़ने का दायित्व स्वयं उम्मोद है और उस इस बात पर विचार करना हांगा कि क्या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मक्षम वैकल्पिक सरकार बनाना सभव होगा क्योंकि सप्त स्तर पर राष्ट्रपति शामन लागू करन सबधा काई उपयोग नहीं है और केन्द्र में सदेह मात्र पारिषद होता अनिवार्य है ।

शायद एक प्रश्न यह उत्पन्न होगा कि राष्ट्रपति के लिए स्वाकायं अथवा बघनकारी हानि के लिए मन्त्रणा प्रधान मंत्री से नहीं बल्कि मात्रपरिषद से आता चाहिए व्योकि सर्वधान के अनुच्छेद 74 (1) में यह वाधित है कि राष्ट्रपति मन्त्रि-परिषद की सहायता और मन्त्रणा पर कायं करे और न कि एकमात्र प्रधानमंत्री का मन्त्रणा पर । अनुच्छेद 78 (ग) इस तर्क का और सुझौ बनाता है, जिसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी विषय का, जिस पर किसी मंत्री ने निरांय कर दिया हो किन्तु मन्त्रि-परिषद ने विचार न किया हो, मन्त्रि-परिषद के विचार के लिए लोटा दे । तथापि, इसमें यह तथ्य उपेक्षित हो जाता है कि प्रधान मंत्री न केवल मन्त्रि-परिषद का प्रमुख है बल्कि मात्र-परिषद के मध्यी सदस्य उसकी मन्त्रणा से नियुक्त किए जाते हैं और मन्त्रि-परिषद के सामूहिक दायित्व के सदर्भ में भी वे केवल तब तक परिषद के सदस्य बने रह मकते हैं जब तक वे प्रधान मंत्री के विश्वासपात्र हैं । ऐसी स्थिति में, मन्त्रि-परिषद को मन्त्रणा शायद ही प्रधान मंत्री की मन्त्रणा से भिन्न होगी क्योंकि अन्ततोगत्वा प्रधान मंत्री के विचार ही संवेदन्य होते हैं । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि केवल ऐसी प्रपवाद स्वरूप स्थिति को द्योड़कर जिसमें कोई विपक्षी इस स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर चुन लिया जाए और वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए काई मक्षम नेता उपलब्ध हो, अन्य स्थिति में राष्ट्रपति लोक सभा का विघटन करने के बारे में प्रधानमंत्री

बी सत्तणा ने मानने में कभी इकार नहीं कर सकेगा। प्रधान मंत्री को, जब भी वह चाहे, जनता में नवीन जनाईजन प्राप्त करने की प्रतुपत्ति होनी चाहए। इकार से, राष्ट्रपति पर पथरात् और राजनीतिक घड़ीयमें गामिल होने का दोष लग सकेगा, यह भी ऐसे समय में जब जिसकार मुद्रृ न हा, तभी का विषयटम करने से इंदार करने से हर प्रकार के धनेतिक धड़ी और विधायकों तथा राजनीतिक दलों में जोड़-तोड़ और दल-बदल तथा विधायकों को धन प्रत्योगन से अपने पथ में लेने की प्रवृत्ति को¹¹ प्रोत्ताहन मिलेगा, जबकि दल-बदल विरोधी कानून है जिस में विभाजित होने "और सविलयन" की प्रतुपत्ति है।

सविधान में इस बारे से कुछ भी उपबचित नहीं है कि वब, किन बातों से और किन हालात में लोक सभा को विषयटम करने की शक्ति का उपयोग किया जा सकेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक मासमें स्थिति की अत्यावश्यकता का दब्खते हुए निर्णय लेने वा पूरा उत्तरदायित्व कामंपातका पर छाड़ दिया गया है। ज्ञायद सविधान के निर्माताओं ने विषयटम करने की शक्ति के बड़ व्यापक दायरे की परिकल्पना की है।

विषयटम की प्रक्रिया

लोक सभा के "सामान्य" विषयटम पर्याद उसकी वाचवय की कालावाधि की समाप्ति पर विषयटम, के बारे में प्रतिया यह है कि लोक सभा के प्रात्तम सत्र का समाप्ति के कुछ दिन पूर्व महासचिव, संसदीय काय मंत्री और सदन के नता, (याद प्रधान मंत्री स्वयं सदन का नता नहीं है) या संसदाय काय मंत्री (या सदन के नता जसी स्थित हो) के मध्यम से प्रधान मंत्री से पूछता है और सभा का विषयटम करने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा गुमाई गई तारायक सम्बन्ध में स्वयं एक वश करने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा गुमाई गई तारायक सम्बन्ध में स्वयं एक वश जारी करता है। प्रधान मंत्री का प्रस्ताव, प्रध्यध द्वारा स्वाकृत स्वयं म, महासचिव द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। नाट के साध-साध आदेश का प्राप्त सभा भेजा जाता है जिसमें सभा का विषयटम करने की प्रस्तावत ताराय बताइ गई हाता है। राष्ट्रपति उस दिन आदेश पर दृस्तादार करते हैं जिस दिन लोक सभा विषयटम ही जाना होती है। राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिया जाने पर इसका, जस दिन साक सभा सचिवात्मक में आदेश प्राप्त हाता है, उस दिन भ्रष्टादारण राजपत्र में ग्राफ-सुचित कर दिया जाता है। इसके साध-साध लोक सभा साचिवात्मक आदेश के सुचित कर दिया जाता है। इसके साध-साध लोक सभा साचिवात्मक आदेश के ग्राफ-प्रकार के लिए एक ब्रेस विज्ञति जारी करता है और इसका आकाशवाणी पर दूरदर्शन पर भी प्रसारित करता है। लोक सभा के विषयटम को सदस्यों का जानकारी देने के लिए एक पंच सोक सभा के समाचार बुलॉटन में भी निकाला जाता है।

जहा प्रधान मंत्री लोक सभा की सामान्य कालावाधि की समाप्ति से पूर्व इसको विषयटम करने की सिफारिश राष्ट्रपति को करने का निर्णय लेता है, वह

राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजता है और विधटन सबधी राष्ट्रपति के भादेश की जान-कारी अध्यक्ष को देता है। तत्पश्चात् महामन्त्रिव इस भादेश को राजपत्र मे ध्यान-सूचित करता है और लोक सभा समाचार बुलेटिन के माध्यम से सदस्यों को मूर्चित करता है। प्रेस और प्रन्थ समाचार माध्यमों से इसका प्रचार भी किया जाता है।¹⁶

विधटन के प्रभाव :

लोक सभा को विधटित किए जाने के परिणाम निरपेक्ष और प्रनिवर्तनीय है। विधटन से सभा की कालावधि समाप्त हो जाती है। यह भाभारमुक्त हो जाती है, इसकी सत्ता समाप्त हो जाती है और तत्पश्चात् नई सभा का गठन होता है। किसी ने ठीक ही कहा है, इससे वस्तुतः “संसदीय स्लेट पर न्यज फिर जाता है”, और इसके समक्ष तथा इसकी सभी समितियों के समक्ष लम्बित पढ़े सभी कार्य ध्यपगत हो जाते हैं। इसमे विधेयको सबधी कार्य, जिसको लोक सभा ने तो निष्पादित कर दिया होता है, किन्तु जो विधटन की तारीख को राज्य सभा मे लम्बित हो, भी शामिल है। विधटित सभा के रिकाउं का कोई भी भाग आगे नहीं ले जाया जा सकता है और नई सभा के रिकाउं या रजिस्टरो मे समिलित नहीं किया जा सकता, तथापि इसमे संसदीय समितियों की रिपोर्टें और मन्त्रियों द्वारा संसद मे दिये गये आश्वासन शामिल नहीं होते हैं जिन्हे आगे ले जाया जा सकता है और नई सभा के रिकाउं और रजिस्टरो मे शामिल किया जा सकता है। मध्येप मे, विधटन द्वारा विद्यमान सभा का अन्तिम पटाक्षेप हो जाता है।¹⁷

मार्क्सिनिम के अनुसार लम्बित पढ़े सभी कार्यों का इस प्रकार ध्यपगत हो जाना तर्क और राजनीतिक दृष्टि से न्यायसंगत है। “तर्क को दृष्टि से इसलिए व्योकि नई संसद अपनी पूर्वामी सभा की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती जिनके लिए उसका तर्तनक भी योगदान नहीं होता है। राजनी-तिक दृष्टि से इसलिए, व्योकि ऐसा विश्वास है कि पूर्व सभा का लम्बित पढ़ा कार्य नई संसद से अभिभ्यक्त राष्ट्रीय विचारधारा के विपरीत जा सकता है। यह उचित ही है कि नई सभा को यह निर्णय करने का अवसर दिया जाये कि वह किन विषयों के मध्य मे विधायी कार्य करेगी।”¹⁸

मविधान के अनुच्छेद 107 मे लोक सभा का विधटन होने पर संसद के समक्ष पढ़े विधेयको पर पठने वाले विधटन के प्रभाव का उपबन्ध किया गया है। लम्बित पढ़े विधेयको के प्रभाव के सबध मे वर्तमान मिति इस प्रकार है।¹⁹

लोक सभा मे विधटन के ममय लम्बित पढ़े सभी विधेयक, खाहे सभा मे पुर स्थापित हुए हो अथवा राज्य सभा द्वारा भेजे गये हों, ध्यपगत हो जाते हैं; और राज्य सभा मे, लोक सभा द्वारा पारित विधेयक, किन्तु विधटन की तारीख को जो राज्य सभा द्वारा पारित न किए गए हों और

राज्य सभा में लम्बित हों, अपवगत हो जाने हैं। केवल राज्य सभा में पूर-स्थापित किए गये विधेयक, जो सोक सभा द्वारा पारित न किए गए हों प्रीर अमीर राज्य सभा में लम्बित हैं, अपवगत नहीं होते हैं। राज्य सभा में पूर-स्थापित कोई विधेयक, जो सोक सभा को भेजे जाने के पश्चात् प्रीर सोक सभा द्वारा संशोधन के माध्य लौटा दिए जाने के पश्चात् उस सभा में लम्बित हो वह भी अपवगत हो जाता है।

तथापि, यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में अगहनति हो प्रीर राष्ट्रपति ने सभा का विषट्टन हो जाने से पूर्व विधेयक पर विचार करने के लिये दोनों सदनों की समुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए आहन करने के अपने अधिप्राप्त को अधिमूचित कर दिया हो, तो उक्त विधेयक अपवगत नहीं होता, इस बात के होने हए प्रीर कि राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को नयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए आहन करने का अपना अधिमूचित कर दिया था और सभा का विषट्टन बीच में हो चुका है, और दोनों सदनों भी बैठक पर विधेयक पारित हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रीर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिये गये विधेयक पर विषट्टन के प्रभाव के बारे में मतिज्ञान में कोई विवेप उपबघ नहीं है। तथापि, न्यायालय द्वारा पुरुषोत्तमन नस्तूदरी बनाम केरल राज्य के मामले में यह निरुण्य दिया गया था कि ऐसा विधेयक जो हकीकृति के लिए लम्बित है, सभा के विषट्टन के पश्चात् अपवगत नहीं होता है। यह प्रीर कि यदि ऐसा विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है, तो उल्लंखनों सभा उस पर पुनर्विचार कर सकती है प्रीर यदि उल्लंखनों सभा द्वारा इसको (मण्डेन) के साथ अवधार विना संशोधन (परिवर्तन) पारित कर दिया जाता है, “इसको पुनर्विचार हुआ माना जायेगा।”¹⁹ लोक सभा में लम्बित गेप सभी माध्यमे यथा प्रस्ताव, सक्षम्य, संशोधन अनुपूरक प्रतुदान मांग दृष्टादि, चाहे कार्यवाही के किसी भी स्तर पर हो, विषट्टन होने पर अपवगत हो जाते हैं, सदन में प्रस्तुत याचिकाओं जो याचिका समिति को भेजी गई मानी जाती है के मामले में भी ऐसा हो माना जायेगा। किसी अधिनियम के उपबघों के घटीन दोनों सदनों के सभा पट्टनों पर रखे गये साविधिक नियमों के प्रतुमोदन या संभेद करने के लिए लोक सभा द्वारा पारित और सहसति के लिए राज्य सभा को भेजा गया कोई प्रस्ताव प्रीर प्रतिलोमन राज्य सभा से प्राप्त ऐसा कोई प्रस्ताव भी लोक सभा का विषट्टन होने पर अपवगत हो जाता है।²⁰

लोक सभा की संसदीय समितियों के समझ लम्बित सभी कार्य लोक सभा का विषट्टन होने पर बायात हो जाता है। लोक सभा का विषट्टन होने पर समितियां भी मांग हो जाती हैं। तथापि, कोई समिति, जो सभा के विषट्टन से पूर्व अपना कार्य पूरा करने में अग्रसर्य रहती है, इस बारे में सदन को सूचित कर सकती है, ऐसे मामले में जब गोमति ने कोई प्रारम्भिक ज्ञापन या नोट तैयार किया हो अथवा

इसके द्वारा कोई माध्य लिया गया हो तब नई समिति के नियुक्त हो जाने पर उसे यह उपलब्ध करा दिया जाता है। इसी प्रकार, जब सभा का सत्र नहीं होता है तब किसी समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट उसके सभापति द्वारा अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाती है और सभा के अगले सत्र में इसको सभा में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व लोक सभा का विघटन हो जाता है, तो प्रथम मुविधायुक्त अवमर पर महासचिव द्वारा रिपोर्ट नई सभा के सभा पटल पर रखी जाती है। रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय महासचिव इस सवाल में एक वक्तव्य देता है कि पिछली लोक सभा के विघटन से पूर्व यह रिपोर्ट उस सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत की गई थी, जहां अध्यक्ष द्वारा यह भादेश दिया गया हो कि रिपोर्ट को नियम 280 के अधीन मुद्रित पश्चात परिचालित किया जाये, महासचिव सभा को इस तथ्य से भी अवगत करता है।²¹

विघटन के मामले

प्रथम लोक सभा, जिसका प्रथम अधिवेशन 13 मई, 1952 को हुआ था, राष्ट्रपति द्वारा 14 अप्रैल, 1957 को उसकी पाच वर्ष की सामान्य कालावधि से एक मास और नींदिनी के बाद दिया गया था कि रिपोर्ट को नियम 280 के अधीन मुद्रित पश्चात परिचालित किया जाये, महासचिव सभा को इस तथ्य से भी अवगत करता है।

दूसरी लोक सभा, जिसका प्रथम अधिवेशन 10 मई, 1957 को हुआ था, को 31 मार्च, 1962 को उसकी सामान्य कालावधि से 40 दिन पूर्व विघटित कर दिया गया था।

तीसरी लोक सभा का प्रथम अधिवेशन 16 अप्रैल, 1962 को हुआ था और उसको 3 मार्च, 1967 को उसकी सामान्य कालावधि के 44 दिन पूर्व विघटित कर दिया गया था।

चौथी लोक सभा को जिसका प्रथम अधिवेशन 16 मार्च, 1967 को हुआ था। 27 दिसम्बर, 1970 को उसकी पाच वर्ष को पूरी कालावधि में एक वर्ष 79 दिन पूर्व विघटित कर दिया गया था।

संसद् ने 4 फरवरी, 1976 को नोक सभा (कालावधि विस्तार) अधिनियम 1976 पारित किया था जिससे पाचवीं लोक सभा की कालावधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी जबकि उसकी सामान्य कालावधि 18 मार्च, 1976 को समाप्त हो जानी थी। इसकी कालावधि को दूसरी बार 18 मार्च, 1978 को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया किन्तु उसकी बढ़ी हुई दूसरी कालावधि समाप्त होने से पूर्व उसको 18 जनवरी, 1977 को विघटित कर दिया गया था। यह उस समय किया गया था जब आपातकाल संबंधी धोपण्याएं एक, 3 दिसम्बर, 1971 को (बगला देश के सकट के दौरान) "वाहु आक्रमण" के ग्राधार पर और दूसरी 25 जून, 1975 को "आतंकिक घटनात्मक" के ग्राधार पर साध-साध लागू थी।

छठी लोक सभा का प्रथम अधिवेशन 25 मार्च, 1977 को ग्रायोजित हुआ और लगभग दाईं वर्ष सत्ता में रहने के पश्चात कुछ रोकक राजनीतिक घटनाओं के मध्य, राष्ट्रपति ने 22 अगस्त, 1979 को इसका विघटन कर दिया।

चौथी लोक सभा का विघटन 1967 के साधारण निर्वाचनों ने काग्रेंग दल को पूरी तरह में हिता कर रख दिया था और उसे इस बात के लिए पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया था कि असमानताएं कम करने तथा एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए समाजवादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। प्रतिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जून, 1967 में एक दस सूचीय कार्यक्रम अपनाया था जिसमें वैको का राष्ट्रीयकरण, भूतपूर्व राजाप्रो व राजकुमारी के विशेषाधिकारों और प्रिवी पर्सेंज जैसे पेंशन भत्तों का उन्मूलन आदि विभिन्न प्रतिशील उपायों पर कार्यवाही करने को कहा गया था। प्रतिल भारतीय काग्रेंग कमेटी के जूलाई, 1969 में बगलौर में हुए अधिवेशन में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दस सूची कार्यक्रम को कियान्वित करने और आयिक नीतियों को नया रूप देने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने का सुझाव दिया। उन्होंने भूमि सुधारों, एकाधिकारों पर एक प्रतिबन्ध लगाने, वैको के राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्सेंज एवं विशेषाधिकारों इत्यादि के उन्मूलन पर जोर दिया। उनके मुझाओं को प्रतिल भारतीय काग्रेंग कमेटी द्वारा पारित सकल्प में शामिल किया गया था।

वर्ष 1969 की शेष अवधि में घटनाएँ बड़ी तेजी से थठी। उप-प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई में वित्त विभाग लिए जाने पर उन्होंने मन्त्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। चौदह बड़े वैको का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार श्री एन० सजीव रेड्डी को पराजित कर श्री वी० वी० गिरी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तत्पश्चात् पार्टी का विभाजन हो गया, कांग्रेस पार्टी के 62 सदस्यों द्वारा दल-बदल करने के परिणामस्थल्प जो शासक कांग्रेस दल बचा रह गया उसे लोक सभा में पूर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं रहा। वह पट कर एक मात्र बड़ी पार्टी की स्थिति में प्रा गई। तथापि, श्रीमती इन्दिरा गांधी को लोक सभा में सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहा। उनको भारतीय साम्यवादी दल तथा भ्रम्य विरक्त के गूप्तों और कुछ स्वतत्र सदस्यों ने अपना समर्थन दिया। बगलौर सकल्प में उन्निति आयिक नीति के अनुसरण में लोक सभा में 18 मई, 1970 को तीन बड़ों बाला एक सक्षिप्त संविधान (चौथीसदी संशोधन) विधेयक पुरस्थापित किया गया।

विधेयक में अनुच्छेद 29। और 362 तथा अनुच्छेद 366 के खण्ड (22) को हटाने का उपबन्ध किया गया था जिससे कि भारत में राजाशाही शासन के प्रणित चिन्हों को रामाप्त किया जा सके। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया था :

राजाशाही की अवधारणा, जिसके गाय किन्हीं वर्तमान हृत्यों और सामाजिक उद्देश्यों से भ्राम्यद पेंशन भत्ते और विजिट विशेषाधिकार जहे हैं, समता-

बादी सामाजिक धरमस्था के भाष मेल नहीं आती। अतः सरकार ने भूतपूर्व भारतीय रियासतों के प्रेशन भत्ते और विशेषाधिकार समाप्त करने का निर्णय लिया है।²¹

लोक सभा में विधेयक पर केवल 1 सितम्बर, 1970 को विचार प्रारम्भ हुआ। स्वर्य प्रधानमंत्री ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया। शासक दल के सभी सदस्यों को तीन पत्तियों का 'तिहाई' जारी किया गया जिसमें उन्हें धनिवार्य रूप में मदन में उपचित रहने और मतदान करने को कहा गया था किंतु किसी शकार ने "प्रात्मा की प्रावाज पर मतदान करने" को पूर्ण मनाही की गई थी।

लोक सभा में 1 और 2 सितम्बर, 1970 को दो दिन विधेयक पर चर्चा हुई। दूसरे दिन शासक पक्ष और विधक के एक बटे भाग के भमर्यन के बीच अध्ययन ढाठ जौठ एवं डिल्पो ने घोषणा की कि श्रीमती गांधी द्वारा पेश किये गये भरकानी संशोधन ढारा १ संशोधन ३७ में विधेयक 154 भनों की तुलना में 339 मतों अद्यात् वाचित दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ।

खचाखच भी नभा में जितने थाज तक के इतिहास में सदस्यों की मदसे प्रधिक उपस्थिति (98.5 प्रतिशत) थी, विधेयक पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने राजस्थान में भपील की कि ममतता और सामाजिक न्याय के लिए प्रयत्न कर रहे एक यतिहासित समाज की भावशप्तना में गढ़भंग में वे ऐतिहासिक सूक्ष्मदृक प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि राजकुमारों के प्रेशन भत्ते और विशेषाधिकार लोकतात्त्वक संविधान, समय की मीठा और परिवर्तन की इच्छा के पाप मेल नहीं आते।²²

लोक सभा द्वारा पारित ३४ में विधेयक विचारार्थ राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया और उस पर 4 और 5 सितम्बर, 1970 को चर्चा हुई। जिन शब्दों में लोक सभा में भपील की थी लगभग उन्हीं शब्दों में प्रधानमंत्री ने विधेयक की श्वीकृति प्रदान करने की राज्य सभा में भपील की छोड़णी की कि इतिहास के प्रवाह को बीचे नहीं मोड़ा जा सकता और परिवर्तन प्रवश्यमानी है। जब विधेयक पर मतदान हुआ तो उसे पक्ष में 139 मत प्राप्त हुए तथा 75 सदस्यों ने उसका विरोध किया। तथापि, उसे वाचित दो तिहाई मतों वर बहुमत प्राप्त नहीं हो गका और उसमें एक मत के एक निहाई भत्ते की कमी रह गई। इस प्रकार विधेयक के पारित होने में घबरोध हो गया।²³

राज्य सभा में संविधान (बीबीएवा संशोधन) विधेयक, 1970 अस्वीकार किये जाने के पश्चात् प्रधानमंत्री ने बैन्ड्रीय मन्त्रिमण्डल की एक ग्रापातकालीन बैठक बुलाई। मन्त्रिमण्डल ने राष्ट्रपति को यह परामर्श देने का विर्णव किया कि वह संविधान के अनुच्छेद 366 (22) के भपील, जिसमें राजा से ग्रभित्राय, ऐसे किसी व्यक्ति से थर जिसमें भत्ते बातों के साथ-साथ उस समय राष्ट्रपति ने ऐसी

मान्यता दी हुई हो एक आदेश जारी करके सभी 278 राजाधो की ऐसी मान्यता समाप्त कर दें। ग्रगली प्रात में पूर्वं श्री बी० बी० गिरी ने, जो उस समय दिल्ली में हैदराबाद में निवास कर रहे थे, ऐसे राष्ट्रपतीय आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये। मान्यता वापस लेने का अवश्यम्भावी परिस्थाम था प्रिवी पर्सेज और निरोपाधिकारी का स्वत ही उन्मूलन। मान्यता वापस लेने के आदेश जारी किए जाने के चार दिनों के भीतर भूतपूर्वं राजाधो में से पांच राजाधो ने राष्ट्रपतीय आदेश को चुनौती देते हुए और उसके कार्यान्वयन पर एकतर्फा रोक लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी। उच्चतम न्यायालय ने 15 दिसम्बर, 1970 को अपना निर्णय दिया और 2 की तुलना में 9 के बहुमत में मान्यता वापस लेने के राष्ट्रपति के आदेश को अवधिधानिक, अवैध और अप्रवत्तनीय करार दिया और इस आधार पर उसका कार्यान्वयन रोक दिया।"

उच्चतम न्यायालय के निर्णय को प्रतिक्रिया स्वरूप और उद्देलित एवं क्रोधित सप्तद सदस्यों की पूछताछ पर प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सोक सभा और राज्य सभा को क्रमशः 15 और 16 दिसम्बर, 1970 को बताया कि सरकार को, प्रगति की ओर हमारे कृच और हमारे लोगों को बेहुतर जीवन-पासन प्रदान करने के हमारे प्रयासों में, प्रत्येक पण पर अडचनें मिलने की आशा थी। न्यायालय का निर्णय सरकार की "हार" नहीं और न ही सरकार के रास्ते में यह कोई "अडचनें" पैदा करेगा क्योंकि सरकार "उचित सविधानिक उपायों द्वारा प्रिवी पर्सेज उन्मूलन की अपनी नीति के प्रति वचनबद्ध है।"

27 दिसम्बर, 1970 को सविधान के घनुच्छेद 85 के खड (2) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने लोक सभा का विघटन कर दिया। घटनाक्रम, अन्त में जिसका फून राष्ट्रपतीय आदेश जारी करना हुआ जैसाकि राष्ट्रपति भवन से जारी सरकारी विज्ञप्ति में दर्शाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण था। विज्ञप्ति का ध्यानपूर्वक पठन करने से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि 24 दिसम्बर, 1970 को प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के साथ प्रथम भेट, जब उन्होंने लोक सभा के विघटन के संबंध में प्रस्ताव रखा था, की तारीख और 27 दिसम्बर, 1970 को हुई दूसरी भेट, जब उन्होंने इस सबध में मंत्रिमण्डल के निर्णय से अवगत कराया था, की तारीख के बीच चार दिन का अन्तराल था। इससे पता चलता है कि—

- (1) विघटन, मंत्रिमण्डल की मंत्रणा पर स्वीकार किया गया था और न कि केवल प्रधानमंत्री की मत्रणा पर, और
- (2) राष्ट्रपति ने मामले के मध्ये पहलुओं, जिनमें विपक्ष के नेताओं, जो इस दौरान उनसे मिले थे, के दूषिकोण भी शामिल हैं, पर "ध्यान-पूर्वक विचार करने" के पश्चात् ही मंत्रणा स्वीकार की थी।

इससे पता चलता है कि राष्ट्रपति ने यद्यपि वह मन्त्रिपरिषद की "महापता और मत्रणा" मानने के लिए बचमबद्द हैं, सविधानिक महृत्व के ऐसे पड़लुप्रो पर "श्रान्तपूर्वक विचार" किया।

लोक सभा के विघटन के बारे में 27 दिसंबर, 1970 को राष्ट्रपतीय आदेश जारी करने के तत्काल पश्चात् प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने प्रतारण में सामाजिक-एराधिक परिवर्तनों सबधी अपने समाजवादी कार्यक्रमों और नीतियों यथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार प्रथा पर नियंत्रण भारी को कार्यान्वित करने में उनकी सरकार के आदे आ रही कठिनाई का उल्लेख किया और बताया कि विस प्रहार राज्य सभा में एक मत के अनुरूप से भूतपूर्व राजाध्यों के वेदन भर्ते और विशेषधिकारों का उन्मूलन करने सबधी भविधानिक संशोधन गिर गया और इस प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा भूतपूर्व राजाध्यों की मान्यता समाप्त करने सबधी राष्ट्रपतीय आदेश को रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यद्यपि सरकार को राराद में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, परम्तु उनकी सरकार ने जनता से नया जनादेश प्राप्त करने का विचार किया है जिससे कि "समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रमों और नीतियों का कारगर ढग से लागू किया जा सके।" उन्होंने लोक सभा के समय पूर्व विप्रदन को "भारत में एक अनूतपूर्व पम कहा, यद्यपि यह कोई असामान्य सत्त्वीय प्रथा नहीं है।"

लोक सभा में विघटन के समय पार्टीवार स्थिति इस प्रकार थी

कांग्रेस-221, भारतीय नायवादी दल (मावसेवादी)-19, भा सा० द०-24, द०भ०द०-24, जनताध०-33, कार्यस० (ओ)-63, स्वतन्त्र 35, एस० एस०पी०-17, पी० एस० पी०-15, य० प्राई० पी०जी०-2९, बी० क० ई०-10, निर्दलीय-24, रिक्त स्थान-3

यह दोहराना आवश्यक है कि राष्ट्रपति को लोक सभा का विघटन करने की मत्रणा देते समय श्रीमती माधी जी लोक सभा के सदस्यों के बहुमत का निविवाद समर्थन प्राप्त था। यद्यपि छत्तारुड कांग्रेस दल को सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था, यह अभी एक मात्र बड़ा दल था और इसका सरकार को अनेक विषय के समूहों और निर्दलीय सदस्यों का विनाशतं समर्थन प्राप्त था। इस पर भी प्रधानमंत्री ने विघटन को ग्राधिकाता दी क्योंकि जैसाकि उन्होंने 27 दिसंबर, 1970 को राष्ट्र के नाम अपने प्रतारण में कहा था—

'राष्ट्र के जीवन में एक ऐसा समय प्राता है जबकि तात्कालिक सरकार को कठिनाईयों पर काबू पाने के लिए असामान्य कदम उठाने पड़ते हैं जिसमें कि राष्ट्र के सम्मुख पेश आई गम्भीर समस्याओं का समर्थन निकाला जा सके। अब वह समय था गया है। यह इसलिए नहीं कि हम केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वल्कि उस सत्ता का उपयोग अपनी

जनता के एक विशाल बहुमत के लिए जीवनयापन के बेहतर साधन सुनिश्चित करने और एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था सबधी उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं । नमय हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगा । करोड़ों ही लोग, जो अन्न, आवास और रोजगार की मांग कर रहे हैं, कार्यदाता करने की जोरदार याग कर रहे हैं । नीकतप में सत्ता जनता के हाथ में होती है । इसीलिए हमने अपनी जनता के पास जाने और उनसे नया जनादेश प्राप्त करने का निर्णय किया है ।^{५६}

मार्च, 1971 में आयोजित लोक सभा के नये आम निर्वाचितों से प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के कार्यक्रमों और नीतियों की जीत हुई । उनके शासक कांग्रेस दल ने न केवल अपने आप में निरपेक्ष बहुमत प्राप्त किया बल्कि उसे स्पष्ट रूप में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ ।

छठी लोक सभा का विघटन । निर्वाचितों में श्रीमती इंदिरा गांधी के कांग्रेस दल की पराजय के पश्चात् जनता पार्टी, जो कांग्रेस का विकल्प उपसंघ कराने के लिए विभिन्न पार्टियों को मिला कर बनी थी, ने सरकार का गठन किया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने । जनता पार्टी में तत्काल ही विखराव के चिन्ह दिखाई देने लगे पहे, और नीति सबधी महत्वपूर्ण मामलों में मंत्रिपरिवर्द का सामूहिक दायित्व लागू करना कठिन हो गया । श्री राजनारायण, जो एक मशी पे, ने सरकार पर मर्वप्रथम खुला आक्रमण किया, जिन्होने 7 सदस्यों के माथ पार्टी थोड़ी और एक नई पार्टी जनता (एस) का गठन किया । तत्पश्चात् कुछ और सदस्य दल बदल कर जनता (एस) में शामिल हो गये । बाद में श्री चरणसिंह भी दल बदल कर बनी पार्टी में शामिल हो गये और उसके नेता निर्वाचित हुए । कांग्रेस, जो अधिकृत विधायी दल बना, के नेता श्री देमाई दी० चह्वाणु ने सरकार के विरुद्ध एक अविश्वाम प्रस्ताव रखा । श्री मोरारजी देसाई ने 16 जुलाई, 1979 को जनता सरकार का त्यागपत्र प्रस्तुत किया । राष्ट्रपति ने उनका ह्यागपत्र स्वीकार कर लिया और जब तक कोई बैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, उनको तब तक के लिए सरकार में बने रहने को कहा ।

राष्ट्रपति ने श्री चह्वाणु को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया । उनके द्वारा अपनी असमर्थता व्यक्त किये जाने पर राष्ट्रपति ने सर्वधी मोरारजी देसाई और चरण सिंह को अपने समर्थकों की भलग-प्रलग सूचिया प्रस्तुत करने को कहा । दोनों सूचियाँ विधिवत् प्रस्तुत की गई । बाद में, श्री देमाई की सूची ने सम्मिलित हुई सदस्यों ने कहा कि वे उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं । श्री देमाई ने जनता पार्टी के नेतृत्व से त्याग-पत्र दे दिया और श्री जगजीवन राम को इसका नेता चुन लिया गया ।

राष्ट्रपति ने श्री चरण सिंह को सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित

किया क्योंकि उनके द्वारा प्रभुतुर की गई तूची में सदस्यों को सहजा अधिक थी, यद्यपि उनको पूछ बहुमत प्राप्त नहीं था। उनको अधिक में अधिक 20 प्रगति, 1979 तक सभा में अपना बहुमत मिल करने को कहा था। तथापि, श्री चरणसिंह ने जिस दिन प्राप्त सभा को बैठक होनी पीछे और उनको सभा का विषयात् प्राप्त करना था, सदन के नमूना एक दिन के लिए भी आए विना प्रधानमंत्री के पद से ह्यागपत्र दे दिया।

तथागपत्र देने समय श्री चरण सिंह ने राष्ट्रपति को लोक सभा का विषयटन करने और नए निर्वाचनों का आदेश जारी करने को मन्त्रणा दी। श्री जगजीवन राम ने भरकार का घड़म झटके को आमंत्रित करने का अपना दरबा ऐश किया। तथापि, राष्ट्रपति इसने महसूत नहीं हुए बल्कि उन्होंने लोक सभा का विषयटन करने की श्री चरणसिंह की मन्त्रणा स्वीकार कर ली और श्री चरणसिंह को, जब तक निर्वाचनों के प्रभावात् नयी अधिकारियों अडित नहीं हो जाती, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के हृष्य में कार्य करने रहने का बहा। लोक सभा के विषयटन के लिए उसरदायी उक्त घटनाओं के दोरान जा अखड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ वह या "क्या राष्ट्रपति लोक सभा के विषयटन की प्रधानमंत्री श्री चरणसिंह की मन्त्रणा को प्रस्तुतीकार कर सकता था?" इस पर भिन्न-भिन्न मत थे। एक दश बहु या कि राष्ट्रपति श्री चरण सिंह का मन्त्रणा स्वीकार करने के लिए बाइय नहीं थे, विचेष हृष्य से ऐसे समय जबकि उनकी विधुक्ति सत्रातं को गई थी और उनको बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं था। बास्तव में इन सभी गवायों का समाधान करने के लिए यहले ही सुविधान में बयासीमवा संग्रहण जोड़ा जा दुका था जिसके द्वारा प्रत्युष्येद 74(1) में शब्द "करता" जोड़ा गया था जिसके द्वारा राष्ट्रपति के लिए अधिकारियों की मन्त्रणा स्वीकार करना दानवार्य बना। यदा यदा तयााद, सुविधानिक मामलों में कभी भी कोई बात पर्यार की जानी नहीं होती है।

नवो लोक सभा के लिए चुनावों के नतीज आ आने के बाद उसके विधिवत् गठन के लिये आवश्यक अधिसूचना जारी करने का प्रश्न आया। अधिसूचना निर्वाचन आयोग का जारी करनी पीछे किन्तु आठवीं लोक सभा का भभी राष्ट्रपति ने विषयटन नहीं किया था और उसकी सावधानक कार्यविधि में भभी समय शेष था। ऐसी स्थिति में कुछ धोने से यह मत अक्त किया गया कि आठवीं लोक सभा का विषयटन हुए बिना ही नवो लोक सभा का घटन किया जा सकता है। यह मत निरान्त भासक और असर्वत था, क्योंकि

- (1) हुविधान से एक ही न्यैक सभा यहन का प्रावधान है अतः एक ही समय दो लोक सभा सदन नहीं रह सकते।
- (2) नये सदन का घटन होते ही उसके सदस्य वैज्ञन, कुच मत्ते और कुच अन्य सुविधान के अधिकारी हो जाते हैं तथा जब तक पुरानी सदन

का विषट्टन न हो तब तक उसके सदस्य भी इस सब के अधिकारी रहते हैं किन्तु यह सब एकूसमय में ऐसी ही लोक सभा के सदस्यों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

- (3) सविधान लागू होने से आज तक सदैव नयी लोक सभा का गठन होने से पहले पुरानी लोक सभा का विषट्टन किया गया है।
- (4) सदन का गठन होते ही राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल जाता है कि वह उसका विषट्टन कर सके। अगर पहली लोक सभा का विषट्टन किये बगेर नई लोक सभा का गठन हो जाये तो राष्ट्रपति के सामने दो विधियत् गठित सदन होंगे जिन दोनों का या जिनमें से एक का विषट्टन किया जा सकता है। सविधान-निर्माताओं ने ऐसी परिस्थिती कभी नहीं की हो सकती।

यदि आठवीं लोक सभा का विषट्टन किये बिना नवी लोक सभा का गठन कर दिया जाता तो सविधानिक इटिट से बड़ी विषम स्थिति पैदा हो जाती और बहुत-सी कठिनाईया पैदा हो सकती थी। अत यह उचित ही हूमा कि अन्तत 27 अक्टूबर, 1989 को राष्ट्रपति ने आठवीं लोक सभा का विषट्टन कर दिया और 2 दिसम्बर, 1989 को नवी लोक सभा के गठन को अधिसूचना जारी की वर्द।

संदर्भ

- 1 देखिये वी. एस. मार्केनिस - द इयोरी एण्ड प्रेविटस थॉफ डिसोल्यूशन ऑफ पालियामेट, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1972, अध्याय—।
- 2 सविधान (बोकालीसवा सशोधन) प्रधिनियम, 1976 द्वारा लोक सभा की प्रवधि 6 वर्ष कर दी गई थी। परन्तु 1978 में चोकालीएवें सशोधन द्वारा इसे पुनः पाच वर्ष कर दिया गया।
3. इस प्रकार की वृद्धि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अभिप्राप्य यह है कि प्रत्येक बार लोक सभा की कालावधि एक वर्ष के लिए बढ़ाने हेतु बार-बार विधि पारित करना सम्भव होगा ताकि आपातकाल की समूलं प्रवधि के लिए लोक सभा का अधिवेशन चालू रखा जा सके और राष्ट्रीय अस्तित्व के कायों से राष्ट्र का ध्यान न हटाना पड़े। परन्तु जैसे ही आपातकाल ममात्त हो, सभा के नये निर्वाचित आयोजित किए जाने चाहिए और तत्पश्चात् लोक सभा की कालावधि द्वि मास से अधिक काल के लिए

बढ़ाई नहीं जा सकेगी।

इस पत्र पर विधानदूव के चर्चा के लिए दोउए बीजी वर्गीज द्वारा "डिसोल्यूशन थॉफ लोक सभा—ध्यूम एण्ड लोट्स", जनरल थॉफ इंस्टी-ट्यूशनल एण्ड पालियामेट्रो स्टडीज, वाल्मूम 5 न० 3।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 14।

एल ए. ध्याहम एण्ड एमी सी हावटरे पालियामेट्रो 19वें नंबर, सालन, 1956 पृ 82

ए.प्राई थार, 1965—केरल 224

मनुच्छेद 70(ग) भी देते जिसमें लिखा है—“यह प्रधानमंत्री का किसी विषय को, जिस पर इकाई मध्ये ने विनियोग कर दिया हो किन्तु मन्त्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया हो, राष्ट्रपति के भेदेश करने पर परिषद् के सम्मुख विचार के लिए रखने का कलंठय होगा।”

27 दिसम्बर, 1970 को जारी विज्ञाप्ति का पाठ इस प्रकार है

“24 दिसम्बर को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले थे और उनके सम्मुख लोक सभा विधायिक करने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि उक्त विधायिक करने का एक मात्र उद्देश्य सोगो से नवीन जनादेश प्राप्त करने की सरकार की दृष्टि है ताकि वह अपने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रमों पर नीतियों को बारेमर ढग से लागू कर सके। तदुपरान्त, बृद्ध विषयी नेता भी उसी दिन राष्ट्रपति से मिले थे।

इस साध्य प्रधानमंत्री दोबारा राष्ट्रपति से मिली थी और उन्हें लोक सभा विषयाटत करने के मन्त्रिपरिषद् के निषय से अवगत कराया। मामले की बारीको से जांच करने के पश्चात् राष्ट्रपति ने विधायिक स्वीकार कर सी है।

प्रधान मंत्री के आकाशवाणी से 18-1-1972 को राष्ट्र के नाम प्रशारित भाषण से सगत उद्घारण तीव्र दिये गये हैं—

“प्रत्येक व्यक्ति यह देख सकता है कि विधायिक एक सम्बोधन काल की भेदेश माज राष्ट्र प्रधिक स्वस्थ, कुशल और गतिशील बन गया है। हमारे सामने यह यह सबाल है कि जिन राजनीतिक प्रक्रियाओं पर मजबूर होकर हमें प्रतिक्रिया लगाने पड़े थे उन्होंने पुनः स्थानित्व किस प्रकार प्रदान किया जाय ...।

“हमारी जातन प्रणाली इस विश्वास पर टिकी है कि सरकार मध्ये शक्ति जनसा से प्राप्त करती है, और लोग हर बार कुछ वयों के बाद, स्वतंत्रतापूर्वक और विना किसी स्कावट के अपने हारा वाधित सरकार

निर्वाचित करके और नीतियों के प्रति अपनी परामर्श व्यक्त करवें, अपनी सार्वभौमिक इच्छा को आभ्युक्त रूप देते हैं।"

"किन्तु हमारा यह भी पक्षका विश्वास है कि सरद और सरकार को बापस जनता के पास जाना चाहिए और उनसे राष्ट्र की शक्ति और कल्याण के कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में स्वाकृति प्राप्त करना चाहिए।"

"जनता की शक्ति में इस प्रकार के धूट विश्वास के कारण ही मैंने राष्ट्रपति को बत्तमान लोक सभा का विघटन करने और निर्वाचन आयोजित करने का परामर्श दिया है। उन्हांने इस स्वीकार कर लिया है...."

11. 22 अगस्त, 1979 का जारी की गई विज्ञाप्ति का पाठ इस प्रकार है--

"राष्ट्रपति ने 22 अगस्त, 1979 का प्रधान मंत्री था चरणसिंह और उनके मन्त्रिपरिषद् का त्यागपत्र स्वीकार करने हुए उन्हें तब तक पद पर बैठे रहने को कहा है जब तक कि कोइ अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, संविधानिक और विधि विषेषज्ञों से परामर्श किया।"

"मन्त्रिपरिषद् ने 20 अगस्त, 1979 का आयोजित अपनी बैठक में संबंधमात्र स यह परामर्श देने वा निरुद्य दिया। एक जनता में नए जनादेश प्राप्त करने के लिए प्रवन्ध किए जाएं। जनता दल का छाटकर लगभग सभी राजनीतिक दल इस बात के लिए महमत ये कि निवाचकों से नवीन जनादेश प्राप्त किया जाये। राष्ट्रपति ने, स्थिति के सभी संगठ पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्, लोक सभा को विघटित करने का निर्णय किया। संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अधीन लोक सभा विघटित करने के बारे में एक राष्ट्रपतीय आदेश जारी कर दिया गया है।"

"राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री और उनके मन्त्रिपरिषद् के कुछ सहयोगियों से परामर्श किया था, जिन्होंने आश्वासन दिया कि :—

- (1) निर्वाचन शातिष्ठीवंक, स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण तत्काल शुरू हो जाएगा और अब तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। निर्वाचन समय सारणी नवम्बर में शुरू होगी और दिसम्बर, 1979 तक इनको पूरा कर लिया जाएगा। यह मुनिश्चित बनाया जाएगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण और लोक सभा में आगल-भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के दारे में संविधानिक उपवध लायू रहें।
- (2) इस व्यवधि के दौरान सरकार कोई भी ऐसा निरुद्य नहीं लेगी जिससे नई नीति का निर्धारण हो अथवा पर्याप्त मात्रा में तया व्यय हो या व्यापक

प्रशासनिक कार्यकारी निणंव हो। तथापि, तात्कालिक भृत्य का कार्य, जिसमें राष्ट्रीय हित मलम्ब हो, गोका नहीं जाएगा।"

12. क्या सभा को विधित करने के बारे में मनिषिरिपद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई मत्रणा राष्ट्रपति पर वधनकारी है, इस प्रभन पर शमशेर सिंह के मामले में चर्चा की गई थी। यायात्रय ने दाटान स्वरूप एक अपदादिक रियति का उल्लेख किया जहा ऐसा प्रतीत होता था कि राष्ट्रपति मनिषिरिपद की मत्रणा के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है। क्या बयानोंमें गणेशन द्वारा पुरस्थापित आज्ञायक पाठ के नमूदा यह प्रदर्शन ठहर मकता है, इस प्रक्षेत्र का समाधान निर्वाचन के मिदान्ती को लागू रखके निशानता होगा। मनि-परिपद की मत्रणा के प्रभन पर इसका लागू करने पर यह प्रतीत होगा कि जहा इस प्रकार की मत्रणा उपलब्ध नहीं होती है अथवा जहा कृत्य अन्त-निहित रूप से इस प्रकार का दो कि उसे विद्यमान मनिषिरिपद की मत्रणा से सम्पन्न न किया जा रकता हा वहा राष्ट्रपति के निए मन्त्र परिपद की मत्रणा के अनुसार कार्य करना अनिवार्य नहीं हो रकता है।

विस्तृत जानकारी के लिए देखिए शमशेर सिंह बनाम पजाब राज्य, 1974

३० न्या० 2192, दंरे 66—32

श्री जैक्सिंह के राष्ट्रपतिन्द्र काल के अन्तिम समय के दौरान, विशेष रूप से शाक-विशेषक, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान नहीं की थी और स्वीकृति प्रदान करने के बारे में दी गई मत्रणा को कथित रूप में पुनर्विचार के लिए लोटा दिया गया था, यह प्रतिवाद कुछ अधिक मुश्वर हा गया था।

13. सविधान गभा बाइ-विवाद, न्य० 7, पृ० 1158 और खण्ड 8, पृ० 107.
14. देविये तम पी जैन "प्रोप्राइटी आफ डिसोल्यूशन आफ लॉक सभा" जरनल आफ कान्स्टीट्यूशनल एण्ड पालियामेंट्री स्टडीज, न्य० 5 ग 3
15. एम. एन. कोल एण्ड एस एन शक्धर, प्रेविटम एण्ड प्रोसिजर ऑफ पालियामेट, मैट्रोपालिटन, दिल्ली, नीसार स्करेण, 1978 पृ 158
16. वही, पृ. 159, एम एन कोल, इफँस आफ डिसोल्यूशन अपान पेंडिंग विजिनिम इन पालियामेट, जरनल ऑफ पालियामेट्री इन्फारमेशन, खण्ड-चार, स 1, पृ 19
17. पार्कसिनिम, पूर्वोलिंगित, पृ 17-18
18. सविधान का मनुष्योद 108 (5)
19. ए. आई. प्रार. 1962, उच्चतम न्या 694
20. कोल शक्धर, पूर्वोलिंगित, पृ 160
21. वही, पृ. 160-161 और कोल, जे. पी आई (पर्ण 4, स. 1), पूर्वोलिंगित ।

22. उदाहरण के लिए देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण भाग-I, 27 दिसम्बर, 1970.
23. "टाइम्स ऑफ इण्डिया", 19 मई, 1970 और देखिए "द हिन्दु", 19 मई, 1970.
24. लोक सभा वाद-विवाद, 1-2 सितम्बर, 1970
25. सरकार को न्यूनतम 149 $\frac{1}{2}$ मतों (240 सदस्यों में से उपस्थित और मतदान करने वाले 224 सदस्यों के दो-तिहाई) की आवश्यकता थी। देखिए सुगाय काश्यप, "द इण्डियन प्रिमिज एण्ट द कास्टिट्यूशन, द टेबल (लदन) खण्ड 40, 1971 (1972)
26. द ईयर्स ऑफ एडीबर, मिलेनिटड स्पीचेज ऑफ इंदिरा गांधी, अगस्त, 1966 से अगस्त, 1972, नई दिल्ली, पृ 75-76

□□□

दल सचेतक, संसदीय विशेषाधिकार और दल - परिवर्तन विरोधी कानून

हमारे संसदीय दृष्टिहार से पहली बार, आठवीं संसद सभा के नवे सद में शामक दल के मुख्य सचेतक (Chief Whip) की कार्यवाही को लेकर सदन के ममता विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया। इसके बहुत गरमा-गरमी भीतर विवाद पैदा हुआ तथा सविधानिक, वैधानिक और संसदीय प्रक्रिया की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गए।

मामले के तथ्य 17 नवम्बर, 1987 की प्रश्न वाल के बाद भ्रमम के एक सदस्य (श्री दिनेश गोस्वामी) ने प्रगम के दोषाधिकार से आने वाले स्थानों में नागर-सेंट के चुनावों के लिए मतदान बैन्डों की स्थापना के बाबध में एक प्रश्न उठाना चाहा, इस पर बहुत शोरगुल हुआ, ग्रनेक बार व्यवधान ढाला गया और कई सदस्य तो प्राप्ति में ही विवाद करने लगे; एक ही गाय ग्रनेक सदस्य बोल रहे थे और सभी व्यवधान की घनुमति के बिना बोल रहे थे। ऐसे में जो कुछ कहा गया, उसमें से प्रधिकारी गुनाही नहीं दिया गया, और व्यवधान क आदेश से कार्यवाही बहाने में सम्मिलित नहीं किया गया। निरन्तर व्यवधान ढाने जाने के बारह और तभी और ऐसे हो रहे शोरगुल के बीच व्यवधान के लिए व्यवस्था कायम करना कठिन हो गया। उन्होंने टिप्पणी की कि सदन में जो हा रहा है, वह बहुत शर्मनाक और सेवनक है और इस प्रकार के "पदकर्म और हुड़दग" के लिए उनके मन में कोई जगह नहीं है। व्यवधान महोदय द्वारा भर्तीना किए जाने के बाद और श्री गोस्वामी द्वारा उठाये गए मुख्य मुद्दे में सम्बन्धित मामलों को स्पष्ट करने के लिए एह मन्त्री के सदस्यत हो जाने पर सदन में तनाव और शोरगुल घटने लगा और ऐसा लगा कि सदन में फिर में सामान्य और व्यवस्थित रूप से कार्य होने लगा, किन्तु तभी दो राजस्थों, श्री रामधन और प्रोफेसर के तिवारी के बीच तीव्री झड़प हो गई। अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें नहीं गुनाही दिया कि प्रोफेसर तिवारी और श्री रामधन ने एक-दूसरे से बया कहा किन्तु प्रोफेसर तिवारी को उठाकर श्री रामधन को डराने-

घमकाने हुए, उनकी ओर बढ़ते देखा। अध्यक्ष ने देखा कि वे दोनों एक-दूसरे की ओर बढ़े और उन्होंने एक-दूसरे को मुझे दिखाये। इन परिस्थितियों में, अन्त अध्यक्ष ने नमा की। 4 बजे पुन ममवेत होने के लिए स्वगत कर दिया।

दोपहर बाद जब ममा पुन ममवेत हुई तो अध्यक्ष ने दोनों मदस्यों (श्री रामधन और प्रोफेसर वे के तिवारी) को ध्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने वो कहा। दोनों सदस्यों ने कहा कि उनकी एक-दूसरे के प्रति कोई दुर्भाविना न थी। श्री रामधन ने वहा कि उन्होंने तो केवल प्रत्यने प्रति अनुचित ध्यवहार किये जाने पर आपत्ति की थी। प्रोफेसर वे के तिवारी ने यह स्पष्टीकरण दिया कि सदन में अपने नभी मायियो के प्रति उनका ध्यवहार सम्मानजनक और मित्रतापूरण रहा है और उनकी भावना श्री रामधन को किसी भी प्रकार मे घमकी देने की नहीं थी। तत्पश्चात् अध्यक्ष ने यह विनिर्णय दिया कि इस मामले को यही समाप्त समझा जाए। अध्यक्ष के इस विनिर्णय के बाद भी सर्वथी रामधन और राजकुमार राय दोनों सनाहृष्ट पार्षें (भाई) दल के निलम्बित सदस्य-महिला अनेक सदस्य इस बात पर झड़े हुये थे कि अध्यक्षपीठ वो प्रोफेसर तिवारी का उनके आपत्तिजनक ध्यवहार के लिए सेव व्यक्त करने और शमावाचना करने के लिए कहना चाहिए। ऐसा लगता था कि जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक वे सभा की कार्यवाही को नहीं चलने देंगे। अध्यक्ष ने मदस्यों मे ध्यवस्था वायम रखने का अनुरोध किया और उनमे अपनी सीटों पर बैठ जाने का अनुरोध किया ताकि सभा की कार्यवाही सुचारू रूप मे चल सके। भिर भी अनेक सदस्य खड़े ही रहे और उन्होंने अध्यक्ष से उनके विनिर्णय पर बहस करनी चाही। इस हिति मे, कार्यें (भाई) दल के मुख्य सचेतक (श्री एच के एल. भगत) ने सभा मे उन दोनों सदस्यों वो लिखित "विहप" जारी किए। स्पष्टतः ऐसा उक्ती शण किया गया था। "विहप" हाथ से निम्ने गए थे और उसमे सदस्यों से कहा गया था कि वे "और आगे कुछ न कहे" तथा अध्यक्ष के विनिर्णय का पालन करने के लिए कहता है। यह विहप है जिसका पालन अनिवार्य है।

श्री रामधन,

आप अब भी कार्यें पार्टी मे हैं। मैं, कार्पेस पार्टी के मुख्य सचेतक के हृष मे आपने और आगे कुछ न कहने तथा अध्यक्ष के विनिर्णय का पालन करने के लिए कहता है। यह विहप है जिसका पालन अनिवार्य है।

एच. के. एल. भगत

17-11-87

श्री रामधन,

"ममद मदस्य"

क्रिय श्री राजकुमार राय,

माप भव भी काप्रेस पार्टी में है। अध्यक्ष ने विनिर्णय दिया है। हम सब को अवश्य ही इसका पायन करना चाहिए और हम उनके विनिर्णय से विहृ और आगे न बोलें। मैं मुख्य सचेतन के साथ में अपनी यह। यह रहा है। यह विहृ है जिसका पालन अनिवार्य है।

गव के एा भगत
. 7-11-87

थी गजेन्द्रमार राय

"संसद सदस्य"

विहृ जारी करने के पश्चात् भी भगत ने सभा में निम्नलिखित टिप्पणी की-

"महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यह अध्यक्षीड़ के विनिर्णय का पालन नहीं कर रहे हैं। मैंने काप्रेस पार्टी के मुख्य सचेतन के हाथ में उन्हें और थी राय, दोनों को एक विहृ जारी कर दिया ताकि वे बावेस पार्टी के विहृ का पालन करें और अध्यक्षीड़ के विनिर्णय को नुकीली न दे। यदि ये विहृ की प्रक्रिया करना चाहते हैं, तो ये जानकूमहर ऐसा करें। मैंने विहृ जारी कर दिया है और मैं उन दोनों को विहृ जारी करने वे निए प्रधिकृत हैं।"

शाह मे 17 से 20 नवम्बर, 1987 के दौरान घनेक गढ़स्यो (संघीय रामगत, वे पी. उमोहनलाल, जदयाल रेडी, मधु दण्डउते और विठानरण शुक्ल) ने सदन के दो सदस्यो—गईदी रामधन और राजेन्द्र राय—को डराने-धमकाने और सभा में विहृ जारी दरके सदन में उनके वाक्फ़ाव़क़द को प्रतिबन्धित करने के तिए सफाईय कार्य मणि (धी) एवं एत भगत) के विहृ विशेषाधिकार के प्रश्न के अलग-अलग नोटिस दिए।

प्रत्यर्पंत मुद्दे

सहस्यो द्वारा विशेषाधिकार के प्रश्न को सेक्षर दिये गए नोटिसों से जो एन उत्पन्न हुए, उनमें से कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं

(एक) क्या संसदीय कार्य मणि को, काप्रेस (मार्ड) पार्टी का मुख्य सचेतक होने के नाते, अपनी पार्टी के दो सदस्यों को सभा में विहृ जारी करने का प्रधिकार है,

(दो) क्या मणि को उपर्युक्त तरीके से विहृ जारी करके जानकूमहर दोनों सदस्यों को सभा में सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन से रोके तथा उन्हें डराने-धमकाने के तिए दोषी टहराया जा सकता है,

(तीन) क्या मणि ने किसी प्रकार अध्यक्ष के दीनाधिकार का भतिरमण किया है,

(चार) क्या सभा में विलित प्रणाली मौमिक विहृ जारी करना सदर की धरमानन्दा है; और

(पांच) ऐसे में जब कि सभा के सम्मुख कोई प्रस्ताव नहीं था, क्या इन दोनों

मदस्यों को अध्यक्ष के विनियंत्रण का पालन करने का निर्देश देने के लिए विहृप जारी किया जा सकता है ?

“विहृप”—अर्थ और कार्य

जबकोप में “विहृप” का भाविक अर्थ है मूठ अधिकार कुन्देयुक्त कोडा, जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति को अपराध का दण्ड देने अथवा अवचालित वस्थी को चलाने में घोड़े को तीव्र गति से दीटा ने हेतु उसे पीटने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार “दू विहृप” का अर्थ है किसी व्यक्ति या पशु को कोडा मारना। ऐसा माना जाता है कि इस जब्द की उत्पत्ति आखेट की शब्दावली से हुई है जिसमें जिकारी का वह कमंचारी, जो शिकारी कुत्तों (हाउण्ड्स) को समालने और उन्हें उनके स्थान में रखने के लिये जिम्मेदार होता था “विहृपर इन” कहलाता था।

राजनीतिक दलों और संसदीय जीवन के सन्दर्भ में “विहृप” दलों और उनके सदस्यों के बीच सबै के मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। “विहृप” दल के नेताओं और सदस्यों के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए दोतरफा माध्यम रूप से कार्य करता है। “विहृप” संसदीय दल अथवा ग्रुप का वह अधिकारी होता है जो उसके सदस्यों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने, विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में दल की नीति से उन्हें अवगत कराने और सभा में उठने वाले विशिष्ट मुद्दों के मम्यन्ध में मतदान करने के मामले में दल के अनुशासन का पालन करने हेतु नमयन-समय पर आवश्यक निर्देश अथवा विहृप जारी करने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरी ओर, विहृप विभिन्न मुद्दों के सबै सदस्यों की राय के बारे में जानकारी भी जुटाता है और दल के नेताओं को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम घटारहवी शदाव्दी में सर एडमड वर्क द्वारा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामन्स में इस शब्द का संसदीय सन्दर्भ में प्रयोग किया गया था। सन् 1769 में ऐसा हुआ कि एडमण्ड वर्क ने हाउस ऑफ कामन्स में एक मत विभाजन के मामले में मतदाताओं को एकत्रित करने के लिए किये गये प्रबल प्रयासों का उल्लेख करते हुये बताया कि किस प्रकार सम्मान के मन्त्रियों ने अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए प्रबल प्रयास किए, किस प्रकार उन्होंने ममी दिशाओं से अपने सदस्यों को “विहृपिंग” करके मदन में बुला भेजा। वर्क द्वारा प्रयुक्त यह शब्द जनता को अच्छा लगा और शीघ्र ही यह संसदीय प्रयोग में आम हो गया।

वस्तुत ब्रिटेन में पार्टी की नीतियों के अनुसार मतदान करने की प्रणाली के विकास के साथ-साथ विहृप की महत्वना का भी ऋमिक रूप से विकास हुआ है। उदाहरण के लिए वर्ष 1836 में केवल 23 प्रतिशत मामलों में दनगत आधार पर सभा में मत विभाजन के रूप में मतदान हुआ, अर्थात् 100 में से 77 मामलों में सदस्यों द्वारा दल के विश्व मतदान किया गया। 1898 तक दल की नीति के

प्रनुभार किए गए मनदान की प्रतिशतना दहकर 69 हो गई। वर्ष 1924—28 के दौरान यह दहकर 95 प्रतिशत हो गई और 1948 में यह दहके-बहन 98 प्रतिशत तक जा पहुँची।¹

छिप बेस्टमिस्टर की प्रतिलिपि ममकों तक हो सीमित नहीं है। यह सर्वुक्त राज्य अधरीशा जैसे देशों में भी जहाँ हाउग आफ रिप्रेंटेटिव में प्रत्येक दल को छिप के हृषि में जाने जाने वाले एक सदस्य की सेवाएं प्राप्त होती हैं। बेस्टमिस्टर के समान ही अधरीशी काप्रेस में छिप आवश्यक दौनरफा सम्मेलण का आयं करते हैं, एक प्रारं तो वे दल के नेताओं को मदहस्यों के विचारों में अवगत बराते हैं और दूसरी प्रारं सदस्यों को नेता वे विचारों की जानकारी देते हैं।

भारतीय समर्दीय प्रणाली के मन्दम में हिसी समर्दीय दल का छिप वह अपेक्षित होता है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए पदनामित किया जाता है कि दल के सदस्य वर्धित महया में उत्तिष्ठित हो और वे महत्वपूर्ण मुद्रा पर दल द्वारा निश्चित की गई नीति के अनुगाम मनदान करें। सोइ ममा/राज्य ममा में सरकारी पक्ष का मुहय सचेतक समर्दीय रायं मन्त्री होता है और वह सीधा मदन के नेता के प्रति उत्तरदायी होता है। सरकार को समर्दीय कायों के सम्बन्ध में परामर्श देता उसके कर्तव्य का द्वारा है। यदौ उक्त मदस्यों का मध्यवन्द्य है, मुहय सचेतक दल के नेता के नेत्र और कान के स्वयं में वृद्धि करता है। मत के दोरान, दल के नेता का परामर्शदाता होने के नाते उसे दिर्घातर प्रधान मन्त्री से सम्पर्क बताये रखना होता है। दो राज्य मन्त्री मुहय सचेतक की महापता करने हैं उसका यह उन्नरदायित है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक मदस्य अपने दायित्व को भली-भीति निभाये और उभका दल मुद्रा, मजबूत और सुमण्डित रहे सत्तान्वद दल और विषयों दलों के सचेतक तामाज़ द्वित के भागों को हत करने और अपने नामुक प्रदमरो पर एक-दूसरे का भागभाने और धारणों लालमेल के लिए मिलत रहते हैं। इन प्रकार सत्तान्वद दल और विषय के सचेतक समर्दीय लोकतन्त्र के सुचारू प्रारं शुभल कार्यकरण के निए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पिछले कुछ दशवरों से मचेतक के कायों में बहुत दृढ़ि हो गई है और उसमें कई दिशाओं में विस्तार हो गया है। विशेषकर समर्दीय गजनीति में मचेतक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार वा वने रहना भयवा न वने रहना, मदन में एक निर्णायक मत पर निर्भर हो सकता है। सरकारी पक्ष के सचेतक को "ममा को बनाना और उसे कायद रखना" होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि सदस्यों को मदन की सम्पूर्ण बैठक के दोरान मत विभाजन सूचक घटियों की स्वर धीमा में रखकर गणपूर्ति सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है विशेषकर ऐसे गमय में जबकि हिसी महत्वपूर्ण मुद्रे पर विचार किया जा रहा हो। उभका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कायं मदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना प्रारं विशेष हृषि से

महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने दल की शक्तियों को व्यवस्थित रखना है। समद्वय में गचेतक दल के प्रबन्धक होने हैं और सप्तरीय दल के प्रबन्धक की कला को 'विहृप-फापट' कहा जा सकता है।

सभा प्रबन्धक होने के बाते गत्तारुद्ध दल के मुख्य गचेतक को मतभेदों को दूर करना होता है और दूसरे दलों के भजेतकों से परामर्श करके सभा के कार्य को योजनाबद्ध करना होता है। उसे एक और समद्वय के सदनों, उनके पीठासीन अधिकारियों तथा उनके मञ्चिवालयों और दूसरी और मन्त्रियों और सरकार के मत्रालयों और विभागों के बीच सरकं बताये रखना होता है। सधेष में आज सचेतक के कार्यों की परिधि में प्रबन्ध, सम्प्रेषण और प्रबोधन का कार्य गम्भीरित है। वे अपने मदस्यों को समा के कार्य और विभिन्न मुद्दों पर दल की नीति से अवगत रखते हैं और दल के अनुशासन को लागू करते हैं। यहा हमारा सुरोकार मुहृष्टः सचेतकों की प्रबन्धकीय भूमिका अथवा उनके अनुशासनिक कार्यों से है।

विहृप (सचेतक) के पद के अतिरिक्त "विहृप" शब्द का एक और अर्थ भी है। मध्दी के दौरान विभिन्न दलों के सचेतक अपने मदस्यों को महत्वपूर्ण वाद-विवादों और मत विभाजनों की गूचना देने और उन्हें मनदान का समय बताने तथा समय पर उपस्थित रहने हेतु बहने के लिए आवधिक नोटिस और निर्देश भेजते हैं। ऐसे नोटिस और/अथवा निर्देश भी "विहृप" कहलाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि श्रिटेन के हाउम आफ कामन्स में 1621 से ही ऐसे विहृपों का प्रयोग किया जाता रहा है जब मग्राट के मित्रों को इ बार अधोरेखाकित नोटिस भेजे जाते थे।

विहृप की किस्में

दलगत निर्देशों के सदर्भ में विहृप तीन प्रकार के कहलाते हैं— एक बार रेखाकित विहृप, दो बार रेखाकित विहृप और तीन बार रेखाकित विहृप। इनका पाठ जितनी बार अधोरेखाकित होता है, उसी के प्राधार पर इन्हें ऐसा कहा जाता है। रेखाप्राप्ति की सद्या इन बात की गूचक है कि सदन के सम्मुख रेखाकित मुद्दे का महत्व और उम्मी अविलम्बनीयता किम स्तर की है। एक अधोरेखा युक्त विहृप मदस्यों गामान्य होता है, इसमें सदस्य को सदन में तारीत विशेष को समय विशेष पर उपस्थित रहने को कहा जाता है। साथ ही एक अधोरेखा इस बात की भी गूचक है कि मत विभाजन होने की सभावना नहीं है। दो अधोरेखायुक्त विहृप अधिक बाध्यकर और दल का भाषेशाकृत कहा निर्देश माना जाता है। यह उग स्थिति में जारी किया जाता है जबकि कोई प्रयाप्त महत्वपूर्ण बायं ही और मत विभाजन की समावना हो। तीन अधोरेखायुक्त विहृप गवाधिक महत्वपूर्ण बायं और मत-विभाजन का गूचक होता है। सदस्य के लिए इसका पालन करना और सदन में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। यह पूर्णतः बाध्यकर है क्योंकि भी गदस्य अपने जोगिम पर ही इसकी अवज्ञा कर सकता है। तीन अधोरेखायुक्त विहृप की

बवज़ा किए जाने पर निश्चिह्न सर में गम्भीर अनुग्रामनिक बख्यवही किए जाने की पूर्ण ममावता होती है।

रावर्ट जेवेन ने बिटेन के हाउस थाक कामन में काम्बेटिव प्रोटलेबर पार्टी के लिए द्वारा जारी तीन प्रकार के विहारों को निष्ठलिमित उदाहरणी द्वारा समझ दिया है³

(पृष्ठ)

बुधवार, 2 अगस्त को हाउस 2.30 बजे म ० प ० समवेत होगा,

यदि आवश्यक हो तो लाइसेंसिंग विष के लिए दस बजे बाता नियम

स्थगित करने का प्रस्ताव 10 बजे म ० प ० प्रस्तुत किया जाएगा।

कामन मार्केट में मवधित सरकार के एक प्रस्ताव पर चर्चा होगी (गहना दिन)

सम्पूर्ण चर्चा के दोरान पर्याप्त संस्था में उपस्थित रहने के लिए विशेष सर से अनुरोध किया जाता है।

लाइसेंसिंग विषेवक लाइस के मर्जिनों पर आगे विवार (यदि पूरा न होपा हो)

मत विभाजन होगा और टोक दस बजे म ० प ० तक कार्य की समाप्ति तक प्राप्ति उपस्थित रहने के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है जिसने कि आपने इसमें अनुरक्षित रहने की पूर्व अनुमति न ले ली हो।

गुरुवार 3 अगस्त को हाउस 2.30 बजे म ० प ० समवेत होगा।

कामन मार्केट पर चर्चा की ममालि।

एक अन्तिम अनुच्छेद मत विभाजन होगा और 9.30 बजे म ० प ० प्राप्ति उपस्थिति आवश्यक है।

गुरुवार, 4 अगस्त को हाउस 11 बजे म ० प ० समवेत होगा।

प्रोत्तमावधान के लिए स्थगित

आपने उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाता है।

मार्टिन रेहमेयन
(काम्बेटिव विधायक)

1961

(दो)

गोपनीय

सोमवार, 5 अप्रैल 1965 को हाउस 2.30 बजे म० प० समवेत होगा ।

रेट विल : दूसरा वाचन और धन मकल्प का समिति चरण ।

(धन सकल्प-45 मिनट के लिए इगजेमिटड विजनिस)

मत विभाजन होगा और आपको उपस्थिति अनिवार्य है ।

इडस्ट्रियल एड प्राविडेंट सोसाइटीज विल (लाइस) : दूसरा वाचन

(समेकन कार्यवाही)

सारथ ईस्ट एशिया ट्रीटी प्राप्तेनाइजेशन (इम्फूनिटीज एड प्रिविलेजेस)

भार्ड सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार

(इगजेमिटड विजनिस)

मिनिस्टर्स आफ दि शाउन आर्डर को रद्द करने के लिये विपक्ष का अनुरोध

(एस० आई० 1965 स० 319)

(इगजेमिटड विजनिस)

मत विभाजन हो सकते हैं और कार्यवाही समाप्ति तक आपको उपस्थिति

अनिवार्य है बशर्ते कि आपने पक्के तोर पर अनुपस्थित रहने की अनुमति

न ले सी हो ।

नोट : इडस्ट्रियल एड प्राविडेंट सोसाइटीज विल (लाइस) के लिये 10

बजे वाला नियम स्थगित करने का प्रस्ताव 10 बजे म० प० प्रस्तुत किया जायेगा ।

मंगलवार, 6 अप्रैल, को हाउस 2.30 बजे म० प० समवेत होगा ।

चासलर आफ दि एक्सचेकर बजट पर चर्चा आरम्भ करेंगे ।

बजट संकल्पों के पारित हो जाने तक आपको उपस्थिति अनिवार्य है

(एडवर्ड शाटे)

(लेवर बिल्प)

1965

भारत में भी हमारे यहाँ वैसे ही तीन प्रकार के विष्य हैं, निम्नलिखित उदाहरण संसद में कांग्रेस (आई) दल द्वारा जारी तीन प्रकार के विष्यों को स्पष्ट करते हैं :—

(एक)

संसद में कांग्रेस (भाई) दल

क्षिप्र संवया 10/8/9/87

125, संसद भवन

नई दिल्ली

4 दिसम्बर, 1987

राष्ट्रीय नौयहन बोर्ड चुनाव मण्डलवार, 8 दिसम्बर, 1987 को 11.30

बजे से 14.30 बजे तक समिति कमरा सं. 62, पहला तल, संसद भवन में होगी

दस के उम्मीदवार निम्न हैं

- 1 श्रीमती एम. चन्द्रशेखर
- 2 श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
- 3 श्री नित्यानन्द मिश्र

लोक सभा में कांग्रेस (भाई) दल के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्ती में उपस्थित रहें और दल के उम्मीदवारों के धरा में इकाय ही मत दें। सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे नीचे बताए गए तरीके से मतदान करें।—

मत विभाजन संवया 1 से 135

श्रीमती एम. चन्द्रशेखर

मत विभाजन संवया 136 से 270

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी

मत विभाजन संवया 271 से आगे के सदस्य श्री नित्यानन्द मिश्र के पक्ष में

अपने प्रथम अधिमान मत ढालें

सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे दल के उम्मीदवारों से मिल लिये अन्य उम्मीदवार को कोई अधिमान मत न दें।

एच० के० एल० भगत

मुख्य सचेतक

सेवा में

लोक सभा में कांग्रेस (भाई) दल के सभी सदस्य

(दो)

संसद में कांग्रेस (भाई) दल

क्षिप्र सं. 7/8/9/87

125, संसद भवन

नई दिल्ली

1 दिसम्बर, 1987

सरकारी कार्य को निम्न मध्ये को बुधवार, 2 दिसम्बर, 1987 को लोक सभा में लिया जायेगा :—

(एक) 1987-88 के लिये बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मार्गो और उससे सम्बन्धित विनियोग (संख्या 5) विधेयक पर चर्चा और मतदान;

(दो) प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) संशोधन विधेयक पर विचार तथा उसे पारित करना;

(तीन) निरसन और संशोधन विधेयक पर विचार तथा उसे पारित करना; और

(चार) पारसी विवाह और विवाह विच्छेद (संशोधन) विधेयक पर विचार और उसे पारित करना।

लोक सभा में कांग्रेस (आई) दल के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे बुधवार, 2 दिसम्बर, 1987 को सभा में उपस्थित रहें और सरकार के पद का समर्थन करें।

श्रीला दीक्षित
उप मुख्य सचेतक

सेवा में

लोक सभा में कांग्रेस (आई) दल के सभी सदस्य

(तीन)
संसद् में कांग्रेस (आई) दल

चिह्न सं 6/3/9/87

125, संसद् भवन
नई दिल्ली

19 नवम्बर, 1987

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संविधान (56 वां संशोधन) विधेयक, 1987 मंगलवार, 24 नवम्बर, 1987 को लोक सभा में विचार करने तथा पारित करने के लिए लिया जायेगा।

जैसा कि सदस्यों को विदित ही है, भारत के संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उप-

हिष्पत तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से प्रत्यूत बहुमत से पारित होता है।

अब लोक सभा में काप्रेस (आई) दल के सभी सदस्यों से अनुराग किया जाता है कि वे अपना कार्यक्रम इस प्रकार बनाएं जिसमें कि वे मगतवार, 24 नवम्बर, 1987 को सभा से और विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने के प्रत्येक चरण पर उपस्थित रहे तक और सरकार के पक्ष का समर्थन कर सके।

एच० के० एन० भगत
मुख्य सचेतक

संवाद में

लोक सभा में काप्रेस (आई) दल के सभी सदस्य।
(चार)

समद् में काप्रेस (आई) दल

विष्प संख्या 13/8/9/87

125, नवाद भवन,
नई दिल्ली।
8 दिसम्बर, 1987

आगामी तुद्य दिनों के दौरान लोक सभा में चर्चा हेतु वायं को कुछ महत्वपूर्ण मर्दे ली जायेगी। अतएव, लोक सभा में काप्रेस (आई) दल के सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे समद् के चारूं अधिकारों के अन्त तक दिल्ली में रहें और सभा में उपस्थित रहे तथा सभा में चर्चा के लिये आने वाले विभिन्न विद्यकों पर सरकार के पक्ष का समर्थन करें।

एच० के० एन० भगत
मुख्य सचेतक

संवाद में

लोक सभा में काप्रेस (आई) दल के सभी सदस्य।

इससे यह पता चलता है कि एक और ड्रिटेन के लेवर और कजबैटिव रासदीय दल के विष्पों द्वारा जारी किये गये विष्पों और दूसरी ओर भारत में काप्रेस (आई) समादीय दल के विष्पों द्वारा जारी किये गये विष्पों में प्रयोग की गई भाषा में कुछ अन्तर है। सबसे महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि जबकि ड्रिटेन के विष्प उपस्थित

रहने के लिये केवल "भनुरोध" भवत्वा "विशेष रूप से भनुरोध" करते हैं या उपस्थिति को "भनिवार्य" घोषित करते हैं, भारत में व्हिप इससे भी भागे बढ़ जाते हैं और वे सदस्यों को न केवल उपस्थित रहने के लिए कहते हैं भपितु उन्हें सरकार के पक्ष का समर्थन करने के लिए भी निदेश देते हैं भवत्वा व्हिप द्वारा बताये गये तरीके में "दल के उम्मीदवारों के पक्ष में भवत्वा ही मतदान करने के लिए" कहते हैं। ब्रिटेन में व्हिप "समर्थन" या "मतदान" के लिये नहीं केवल "उपस्थिति" के लिये ही भनुरोध करते हैं। यद्यपि दल के सदस्यों को उपस्थित रहने के लिये कहने का आशय स्पष्ट ही है और उनसे आशा की जाती है कि वे किसी भी मत विभाजन में दल के निर्णय का समर्थन करेंगे, सभवत ब्रिटेन के हाऊस ऑफ कामन्स में चली आ रही प्रथा में एक विशेष तरीके से मतदान करने के लिये व्हिप में विशेष निदेश देना किसी सदस्य की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता और संसद् में मतदान करने के उसके मौखिक विशेषाधिकार का हनन समझा जाता है।

ब्रिटेन में, व्हिप का मिलना दल की सदस्यता का विशेषाधिकार समझा जाता है और कोई भी सदस्य व्हिप को न मानने के लिए स्वतंत्र है। हाऊस ऑफ कामन्स में व्हिप को जारी करना दल का आन्तरिक मामला माना जाता है, और व्हिप हमेशा हाऊस के बाहर जारी किया जाता है। सभा में व्हिप को मौखिक भवत्वा लिखित रूप में जारी करने की बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार के व्हिप को जारी करने और सदस्य को व्हिप न मानने के विरुद्ध चेतावनी देने का अर्थ वास्तव म सभा की भवमाना हो सकता है। व्हिप में सदस्यों को केवल सभा के कायं की सूचना दी जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे सभा में उपस्थित रहें।³ यदि कोई सदस्य किसी भन्य सदस्य को बोलने में रोकने की कोशिश करता है भवत्वा उसमें अपना भाषण जारी न रखने के लिये कहता है तो इसका तात्पर्य सदस्य को उत्पीड़ित करना होगा। इसके अतिरिक्त, व्हिप अध्यसंपीठ के कृत्यों पर अपना भनधिकार स्वतंत्र नहीं जमा मकता और व्हिप का प्रयोग हाऊस में स्पीकर द्वारा दिये गये विनिर्णय को चुनौती देने से सदस्यों को रोकने में नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन में हाऊस ऑफ कामन्स के दीर्घकालीन इतिहास में ऐसा कोई मामला नहीं प्राप्त है जब व्हिप सभा में ही जारी किया गया हो भवत्वा जब दल के मुख्य व्हिप ने दल के कुछ चुनौती सदस्यों को ही कोई व्हिप जारी किया हो।

राष्ट्र जैक्सन के अनुमार, ब्रिटेन के राजनीतिक दलों में खुले विद्वाह की रोकने के लिए व्हिप का काम धमकी भरी भाषा में नहीं किया जाता है।⁴ लेकिन एक दूसरा मत भी है जो इस बात पर जोर देता है कि दल की गदस्यता के दायित्वों का पालन सुनिश्चित करने वे लिए अनुशास्ति की भूमिका का होना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, जेवर पार्टी की भाजार महिना में घनेक बड़ी अनुशासनात्मक कायं-वाहियों की व्यवस्था है। पहली, मुख्य रूप में लिखित में भत्तमंना। दूसरी, "निलवन"

जो वास्तव में परिवेशाधीन भवधि है जिसके द्वारा न बदल्य को बदलियाँ पार्टी की चर्चा में आग नहीं लेने दिया जाता है, तथापि उसमें प्राशार की जाती है कि वह पार्टी के विहृप वा पालन करे। एक अन्य अति गभीर अनुशासित पार्टी विहृप का वापस लिया जाना है जिसके बारे में निषेध (निम्नवन की भौति) समझीय लेवर पार्टी करती है। पार्टी विहृप को वापस लेने का अर्थ यह होता है कि सदस्य को अब विहृप द्वारा मार्गनिर्देश बाना साप्ताहिक परिवर्तन नहीं भेजा जाता है और वह वास्तव में समझीय दल का सदस्य नहीं रहता है। इसका विलक्षण उल्लंघन प्रभाव भी पड़ सकता है वयोंकि जिस बदल्य के मामले में विहृप वापस लिया गया होता है वह अपने मत के अनुसार बोल सकता है और मतदान कर सकता है और इस प्रकार वह समझीय दल के अन्दर की अपेक्षा उसके बाहर ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। एक और कार्यवाही यह हो सकती है कि उसे राष्ट्रीय दल से निष्कासित कर दिया जाए और उसके निवाचिन दोनों से दल के उम्मीदवार के रूप में उसे पुनर्जुनने से इकार कर दिया जाए।¹⁵ तथापि हाउस आफ कामस में मतविभाजन लाभियों से दल के विहृप के अद्वेष को न मानने के कारण समद सदस्यों को दफ्तर देने के लिए दस से किसी सदस्य को निष्कासित करने के अधिकार का प्रयोग वयों से प्रयोग नहीं किया गया है।¹⁶

प्रश्न यह है कि भारत में बनंभान रियति किस प्रवार और कहा तक उसमें भिन्न है?

भागल और मतदान करने की स्वतंत्रता का विशेषाधिकार भारत के सविधान में, सदनों, समितियों और संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का निर्धारण इसनिए नहीं किया गया है ताकि उनका निर्धारण आमतौर पर संसद द्वारा पारित विधि द्वारा किया जा सके तथा यह भी कहा गया है कि जब तक उनका ऐसा निर्धारण नहीं हो जाता है, वे वही रहेंगे जो सविधान के लागू होने के दिन वे ग्रिटेन के हाउस आफ कामस में थे। किर भी, भारत के सविधान के नियमान्त्रों ने दो विशेषाधिकारों को सबसे अधिक महत्व दिया जिनको वे समझीय लोकतन की सफलता के लिए आवश्यक मानते थे और इसनिए उन्होंने उनको सविधान के पाठ में अनुच्छेद 105(1) और (2) में विशेष रूप से मन्मिलित किया। संसद के सदस्यों के ये विशेषाधिकार सदनों और उनकी समितियों में भागल और मतदान करने की स्वतंत्रता के विशेषाधिकार हैं। संसद में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिए हुए किसी मत के विषय में समद के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी व्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी। सविधान के अनुच्छेद 105(1) और (2) का पाठ निम्नलिखित है।

105(1), इस सविधान के उपबंधों के तथा रागद की व्रकिया के विनियामक नियमों और स्थाई आदेशों के ग्राहीन रहते हुए संसद में वार्ष स्वातंत्र्य होगा।

(2) समस्त में या उम्मीद किसी समिति में कही हुई किसी वात अथवा दिए हुए किसी भूत के विषय में समस्त के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कायंवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध समस्त के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या शधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कायंवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कायंवाही चल सकेगी।

इस प्रकार कोई भी मदस्य समस्त में अपने भाषण और कृत्य के लिए केवल मविधान के उपबधीयों और सदन के नियमों तथा शनुशासन के अध्ययीन है। उसे समस्त अथवा उसकी किसी समिति में कही गई किसी वात अथवा दिये हुए किसी भूत के विषय में पूर्ण विजेपाधिकार प्राप्त है। मदस्य बिना किसी भय के अथवा पक्षपात के अथवा अपने विचार रखने के कारण किसी भी तरह के प्रतिकूल परिणाम के प्रति आशक्ति हुए बिना निर्मुक्त रूप में बोल सकते हैं और भूत दे सकते हैं। वे जैसा चाहें, अपने विचार रख सकते हैं और भूत दे सकते हैं। दलीय अवस्था और पार्टी विषय सम्बन्ध को विद्यमानता में यह स्वतंत्रता विधिमत्तमत रूप में कहा तक कम की जा सकती है? यह प्रश्न 1973 में उस समय उठा था जब तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष ढा जी एम डिल्लन ने एक समसीय दल द्वारा अपने सदस्यों को अन्य दलों के सदस्यों के साथ मेल मिलाय न रखने के लिए जारी विधित निर्देश के सबूध में विजेपाधिकार के प्रश्न को नामजूर करते हुए अन्य वातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी की थी-

उन्हें अपने दल की बैठकों में, अपने दल की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में हर विषय पर चर्चा करने का अधिकार है और उन्हें अपने दल के लोगों को निर्देश देने का अधिकार है। यदि उनके दल का कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है और मेरे पास वापा है और कहता है यह केवल निर्देश ही नहीं है, यह सदस्य वो हैमियत में मेरे कर्तव्य निर्वहन के मार्ग में एक हकावट है, तब मैं इस पर विचार करूँगा। " ॥

पूर्व 1978 में, श्री एडुप्राहों पलेरो ने विजेपाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर की जाने वाली कायंवाही के सम्बन्ध में दल में निर्णय करने के लिए दल की बैठक बुलाने के कारण प्रधान मन्त्री और जनता समसीय दल के पदाधिकारियों के विरुद्ध विजेपाधिकार के प्रश्न के बारे में एक मूचना दी। प्रधान मन्त्री ने श्री पलेरो के प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियों में अध्यक्ष को सूचित किया कि इस मामले पर चर्चा की गई थी परन्तु इस मामले में जनता पार्टी ने कोई विषय जारी नहीं किया था। इस पर अपनी सम्मति न देने हुए अध्यक्ष ने यह टिप्पणी की;

"ममा मे पिछले विनियों ने यह स्थापित किया है कि सभा दल की बैठकों में होने वाली किसी चर्चा को ध्यान में नहीं रखेगी। जब सभा विजेपा-

धिकार के प्रस्तुत के बारे में नियंत्रण करती है, उस समय यह घटना-व्याधिक सम्भावा के रूप में कार्य करती है । सभा के समझ आये प्रश्नाव पर प्रश्नातात् द्वाग से विचार नहीं रिया जा सकता । परन्तु इस जैसे मामले में भी, दल द्वारा मामले पर चर्चा करना कोई गलत बात नहीं है व्यक्ति इसमें सदस्यों को सभा के समझ आये प्रस्ताव के प्रति सही दृष्टिकाल के बारे में अग्रय सदस्यों को प्राप्तवत्त करने का अवसर मिल सकता है ।¹

दल परिवर्तन विरोधी कानून (DPL-defection law) भारत के संविधान प्रथमा सदन के प्रतिया सम्बन्धी नियमों में मंचेनक का कोई उल्लेख नहीं है । बास्तव में, हाल ही तक राजनीतिक दलों को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी । संविधान (बाबतवा संजोधन) विधेयक, 1985, द्विने दल परिवर्तन विरोधी कानून के रूप में जारी जाना है, पारित होने के बाद से "विहृप" ने हमारी समझोय सोन-तात्रिक प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ने लिया है । इस संगोधन में अन्य बातों के साथ-साथ इस परिवर्तन के खात्र एवं निरहंता का भी उल्लेख है-

(1) मणिमोय प्रधान गज़द विधानमण्डिन का कोई सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, सदन का सदस्य होने के लिए निरहंत होगा।

(2) यदि उसने ऐसे राजनीतिक दल को विसका वह सदस्य है तो उसी सदस्यना संबन्धी में घोट दी है; या

(म) यदि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा विसका वह सदस्य है प्रथमा उसके द्वारा इस निमित्त प्राप्तिकृति किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिये गए किसी निवेश के विशद दोनों ही दण्डाधी में, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहना है और ऐसे मतदान पा मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान पा मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पहले ही दिन के भीतर पार कर ली किया है ।

संविधान की दमड़ी अनुमती के उपबन्धों वे धर्षीन प्रध्यक्ष द्वारा बनाये दरे लोक सभा मुद्रस्य (इस परिवर्तन के प्राप्ताव पर निरहंता) नियम, 1985 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख है कि दमड़ी अनुमती के अन्तर्गत किनीं सदस्य की निरहंता के संबन्ध में केवल प्रध्यक्ष में याचिका द्वारा ही पूछा जा सकता है । याचिका पर विचार करने के परवान् प्रध्यक्ष याचिका को रद कर सकता है प्रधान यह धोषणा कर सकता है कि मदस्य निरहंत हो गया है । (वर्ण 6 और 8)

अन: यह स्पष्ट है कि संविधान (बाबतवा संजोधन) अधिनियम, 1985 तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये दल-परिवर्तन विरोधी नियमों के साथ होने पर राजनीतिक

दलों को सर्वेश्वानिक मान्यता एवं वैधता मिलने लगी तथा दल नेतृत्व द्वारा जारी निदेश विधिसंगत बन गए हैं। अतः पार्टी निदेशों अथवा विषय का उल्लंघन करने से सदस्य निरहं हो सकता है और उसे सदस्यता से बच्चित होना पड़ सकता है। तथापि, यह बात नोट की जानी चाहिए कि निरहं होने के लिए सदस्य को “राजनीतिक दल द्वारा जारी निदेश के विरुद्ध सदन में मतदान करना होगा या विरत रहना होगा”। मतदान से भिन्न कायों पर यह जागू नहीं होता अर्थात् यह सदन में भाषण देने की किसी सदस्य की स्वतंत्रता में वाधक नहीं है।

विशेषाधिकार का मामला

बतमान मामले में सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार अध्यक्ष महोदय ने सप्तसदीय कार्य मंत्री के विशद्ध 17-20 नवम्बर, 1987 के दौरान प्राप्त विशेषाधिकार के मामलों सम्बन्धी सभी सूचनाएं उनकी टिप्पणी के लिए भेजी। जब 18 नवम्बर, 1987 को कुछ गदस्यों ने सदन में मामला उठाने की प्रनुभति मांगी, तो अध्यक्ष ने अन्य बातों के साथ-साथ टिप्पणी की

“मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूँ कि इस सदन में भाषण की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता और न ही कभी किया जाएगा। इसका प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने श्री भगत अथवा अन्य कभी किसी मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है यद्योंकि मुझे इस मामले की जाच करनी है। मुझे इसकी जाच करने का समय दीजिए। यही मैं चाहता हूँ। मामले का अध्ययन किये बिना मैं अपना निर्णय नहीं दे सकता। पहले मुझे यह जाच करनी है कि क्या यह एक प्रथम दृष्टया मामला है—। मुझे इस मामले के सभी पहलुओं का अध्ययन करने दीजिए। मुझे दोनों पहलुओं से ही देखना है—मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि यदि मैं उनके स्पष्टीकरण में सतुर्प्त नहीं हुआ तो नियमों के अनुसार कार्यवाही करूँगा।”

सप्तसदीय कार्य मंत्री, श्री एच. के. एल. भगत ने अपनी टिप्पणियों और उत्तर के रूप में मलीभौति तेवार एक विस्तृत वक्तव्य । दिसम्बर को अध्यक्ष महोदय को भेजा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें कही गई थीं—

- (एक) संविधान के अनुच्छेद 105 (1) में सप्तसद में भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, “वर्तमान के उपवंशी तथा संगठन की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसृप्त हो।”
- (दो) श्री रामधन और श्री राय सभा की कार्यवाही में बाधा ढाल रहे थे, अप्पदा पर आधेप कर रहे थे और अध्यक्ष के विनिर्णय का निरतर उल्लंघन करके

सदन तथा अध्यक्ष महोदय की अवमानना कर रहे थे। उन्हें विभिन्न विद्युप भेजा गया था कि "वे अध्यक्ष के वित्तियों को मान ले।"

- (तीन) यद्यपि सदन की गरिमा, मर्यादा एवं प्रनुग्रामन बनाए रखने का दायित्व एवं विशेषाधिकार अध्यक्षपीठ का होता है तथापि सदस्यों का भी कर्तव्य है कि नियमों वे यनुमार तथा विभिन्न दर्तों/पूँजी वे नेताओं/मंचेतकों के नियमों के अनुमार कार्य करें ताकि सभा की कार्यवाही के सुचारू हार से सचालन को गुनिश्चित बरन के लिए किसी परिस्थिति विशेष में अपने सदस्यों को नियन्त्रित करके अध्यक्षपीठ वी महायता को जा सके।
- (चार) मंचेतकों के विभिन्न सम्पेलनों में भी यह चर्चा की जा चुकी है कि मंचेतकों को जिम्मेदारी गवाहित दलों के मदम्यों द्वारा सदन की मर्यादा और गरिमा बनाये रखने में सभावनि की महायता करना भी है।
- (पांच) मुश्य संचेतन/संचेतक वा सदन में घटने दल के सदस्यों को विद्युप जारी करने में डोर्ट नहीं रोक गवता। यदि सदन में कुछ मुद्दे अचानक उठ जाते हैं और मन विभाजन हो जाता है तो मंचेतकों को ही अपने सदस्यों को निर्देश देना होता है कि वे सदन में चल रही कार्यवाही पर व्या रखना अपनायें।
- (छह) मंचेतक सदन में विशेषाधिकार का उल्लंघन नथा गरिमा और प्रनुग्रामन मात्र करने के दोषी सदस्यों को ही अनुदेश जारी कर गक्के हैं।

निकटस्थ श्री भगत ने सदस्यों के भाषण की स्वतन्त्रता के अधिकार के बारे में अपना विश्वास दोहराया जैसा कि गविधान के प्रत्युच्छेद 105 में दिया गया है और कहा कि दोगो सदस्यों वे प्रति उनकी कोई दुष्प्रविज्ञा नहीं थी तथा उनके कर्तव्य पालन में बाधा दालने तथा उन्हें परेशान करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। उनसे अध्यक्षपीठ की आज्ञा की घबराहना न करने के लिए उन्हें का उनका मात्र यही उद्देश्य था कि सदन की मान-पर्यादा तथा प्रनुग्रामन बनाये रखा जाये।

मत्री जी के बताये की एक एक प्रति, जिसमें इस भाषण के बारे में उनकी टिप्पणी अन्तविष्ट थी, उन सभी मदम्यों को दी गई जिन्होंने विशेषाधिकार हस्ता की सूचनाएं दी थीं। सदाय उत्तर में मतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने पूर्ववर्ती मुद्दों को दोहराया। उनमें से एक प्रो मधु दण्डवते ने अन्य वालों के माथ-माथ कहा कि श्री भगत ने "विद्युप का उल्लंघन न करने के लिए थी रामधन और थी राय वो सदन में खुसें तीर पर घमकी दिए जाने" ने सुविधित भाषण के बारे में कुछ नहीं कहा। थी रामधन ने दो यहाँ तक कहा कि श्री भगत के उत्तर से तो सभा को अवमानना दी है जो उन्होंने दावा करके और उनके द्वारा सदन में अपने दल के सदस्यों को विचार व्यक्त करने में रोकने के लिए अधिकार के इस्तेमाल में बी है। श्री जयपाल रेणू ने अध्यक्ष की पूर्ववर्ती टिप्पणियों का हवाला दिया कि "विद्युप

पार्टी का आतंरिक मामला है” और पूछा कि सदन में विषय को खुले तौर पर धमकी इसके अनुच्छेद कैसे है। श्री उन्नीकृष्णन ने अन्य वातों के साथ-साथ इस वात पर जोर दिया कि यद्यपि सदस्यगण, विशेषतौर पर मुख्य सचेतक, अनुशासन बनाये रखने में अध्यक्ष महोदय की सहायता कर सकते हैं तथापि वे “अध्यक्ष के कृत्यों को नहीं ले सकते” और नियमों को लागू करने का प्रयत्न नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों द्वारा ध्यक्त किये गये विचारों और संसदीय कार्य भवित्वों की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य सचालन संबंधी नियमों के नियम 222 के अधीन 14 दिसम्बर, 1987 को सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात् श्री रामधन ने सदन की अनुमति मार्गी। सदन द्वारा अनुमति दिये जाने के पश्चात् श्री रामधन ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया। इस मामले पर सदन में विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। श्री रामधन के अतिरिक्त कुल 14 सदस्यों ने बहस में भाग लिया। सबधित मुद्दों के महत्व को देखते हुए, विशेषाधिकार प्रश्न पर बोलते हुए सदन में कुछ सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों से कुछ प्रश्न उढ़त करना उचित होगा।

श्री रामधन

संविधान में “दल” और “सचेतक” शब्दों का कोई जिक्र नहीं है। 52वा संशोधन और उसके द्वारा जोड़ी गई 10वीं अनुसूची में ‘सभा’ ‘विधानमहल दल’ ‘मूल राजनीतिक दल’ शब्दों की परिभाषा दी गई है। इसमें ऐसे ध्यक्ति धर्थवा प्राधिकारी की वात कही गई है जिसको दल द्वारा ‘इस निमित्त’ धर्थवा मतदान करने या मतदान से विरत रहने के सबध में निर्देश देने हेतु प्राधिकृत किया गया हो। परं यह मान भी लिया जाए कि सचेतकों को उपरोक्त प्राधिकार है, तो भी उनका देशाधिकार मत विभाजन के दौरान मतदान तक सीमित है और इसका संविधान और प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत सदस्यों को दिये गये अधिकारों का प्रतिलिपन करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

सदस्यों को अनुशासित करने का अधिकार अध्यक्ष को है। सभा का नेता धर्थवा मुख्य सचेतक किसी सदस्य को निलम्बित करने का प्रस्ताव भी तब तक प्रस्तुत नहीं कर सकता है जब तक कि अध्यक्ष किसी सदस्य को अभद्र ध्यवहार करने के कारण नाम लेकर न पुकारे।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

तू कि विषय होने वाले मत विभाजन के समय सदस्यों को उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जारी किये जाने हैं वे दल के सभी सदस्यों को बिना किसी अपवाद के जारी किये जाते हैं। कुछ सदस्यों को ही एसे विषय पर विषय हो, विषय का मजाक बनाना है।

सचेतकों के अधिकारों और हृत्यों के बारे में सभा द्वारा कोई नियम नहीं बनाये गये हैं और न ही सभा के नियमों में उनका उल्लेख है जबोकि इसका सभा में कोई सबध नहीं है और चिह्न जारी करना दलों का प्रातिरक्षण मामला है।

माननीय अध्यक्ष को सभा की प्रक्रिया तथा कार्यवाही पर नियन्त्रण रखने का पूर्ण अधिकार है हालांकि इस बारे में सर्वोच्च अधिकार सभा के पास ही है। अन्य कोई भी व्यक्ति सभा की प्रक्रिया अध्यवा कार्यवाही को नियन्त्रित अध्यवा विनियमित नहीं कर सकता और किसी विधि अध्यवा नियम के अन्तर्गत चिह्न जारी करने की शक्ति किसी बोनही दी गई है।

कृ लृ लृ लृ लृ

- सम्बोध कार्य मन्त्री के उत्तर में सभा की अवमानना का मामला और अस्पीर हुमा है जबोकि उन्होंने माननीय अध्यक्ष की उपस्थिति में अपने दल के सदस्यों की सभा में अभिध्यक्ति पर रोक लगाई है। सभा में भाषण की अभिध्यक्ति के नेटे अधिकार को दबाने का यह उनका स्वरूप प्रयत्न है। यदि सचेतक इस प्रवार सदस्यों को सभा में किसी मामले में बोलने अध्यवा न बोलने के निए निर्देश जारी करता है तो सदस्यों के संवेदनिक अधिकार मजाक बनकर रह जाएगे। इस स्थिति में मैं अध्यक्ष महोदय में विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस मामले को विचार के लिए तथा उम् पर निर्णय लेने के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए।

प्रो० मधु देहवते

अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत हमें जो भाषण की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है वह सर्विधान में निर्धारित प्रक्रिया तथा विभिन्न नियमों, प्रक्रिया और स्थायी आदेशों में निर्धारित बातों के अधीन है... नियम 352 में भी भाषण की स्वतंत्रता पर कठिपप्रतिबन्ध समाये गये हैं। किस्तु इसके अनिरिक्त अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत सदस्य सदस्यों की प्राप्त भाषण की स्वतंत्रता पर अन्य कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

“जहा तक चिह्न का सबध है, सर्विधान की दसवी अनुमूली में इस सबध में घोड़ा सा उल्लेख है। यह बहुत स्तरण है कि जहा चिह्न को शक्तियों के लोकाधिकार का सम्बन्ध है, यह भी मतमान करने भीर मतदान से विरत रहने से सबधित है कि जब किसी विशेष दण से मतदान करने हेतु चिह्न जारी किया जाता है और यदि मतदान उसके विष्ट किया जाता है अध्यवा मतदान से विरत रहा जाता है तो यह उसका उल्लंघन है। यदि कोई रिधान मडल दल ऐसे मामले में शमा कर देता है तो अध्यक्ष उसे प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। केवल जब वे उसे चिह्न की प्रति भेजते हैं और उसे यह बनाया जाता है कि उल्लंघन के कारण इस शमा नहीं किया गया है और उस पर कार्यवाही की गई है तभी अध्यक्ष यह घोषणा कर सकता है कि सदस्य ने सम्बद्ध की सदस्यता ली दी है... जहा तक अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत प्रदत्त भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध का सबध है, इसके लिए केवल नियम 352 है। उसके परि-

नामस्वरूप हम यह देखते हैं कि इम गभा में भाषण की स्वतन्त्रता जो हमें प्राप्त है वह सिद्धान्त द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अधीन नागरिकों को प्राप्त भाषण की स्वतन्त्रता की तुलना में निर्बाध है ॥

४३ ४४ ४५ ४६

वह विशेषाधिकार का विशेष मामला है। इसलिए गभा में प्रस्तुत किये विना अध्यक्ष को शक्ति प्राप्त है कि वह पूरे मामले को विशेषाधिकार ममिति को सीधे भेज दें और भविष्य के लिए एक उदाहरण स्थापित करें।

४३ ४४ ४५ ४६

श्री एस० जयपाल रेड़ी

इम सभा में, यह स्पष्ट है कि भाषण की स्वतन्त्रता का पूर्ण अधिकार है वगते कि वह अध्यक्ष के निदेशों के अनुस्तुप हो। इन प्रतिवधों को अध्यक्ष द्वारा लागू किया जाना होता है। इन्हे सचेतक द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। 'परन्तु इस मामले में उन्होंने विष्प जारी किया और एक मौलिक घमकी द्वारा सदन में विष्प दिया।

श्री बी० आर० भगत

सप्तदीय कार्य मन्त्री न दा माननीय सदस्या, श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को, उनक द्वारा अध्यक्ष महोदय के विनियंत्रण को चुनौती देकर उस पर विवाद कर और उसकी आलोचना कर विशेषाधिकार का हनन करने अथवा सदन की अवमानना करने से केवल रोका है। विष्प की प्रणाली के विना, सदन की कार्यवाही का गुण्यवस्थित एवं मर्यादित ढंग में सचालन नहीं किया जा सकता। विष्प सभा में उपस्थिति एवं अनुशासन हेतु एक व्यवस्था है। श्री रामधन उस समय सदन की अवमानना करने वाले ये तथा उस समय समर्दीय कार्य मन्त्री का यह कर्तव्य था कि वे उन्हे अध्यक्षपीठ की आज्ञा मानने की गलाहृ दे और उन्होंने ऐसा किया। इसलिए यह कोई मुद्दा नहीं है। इसमें विशेषाधिकार हनन का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शरद विघ्ने

सप्तदीय कार्य मन्त्री ने सदस्य को अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनियंत्रण को स्वीकार करने के लिये कहा है। वया ऐसा करना किसी भी तरह भाषण की स्वतन्त्रता पर प्रतिवध लगाना है? प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनियंत्रण को मानने के लिए वाध्य हैं। उन्हे अध्यक्ष महोदय के विनियंत्रण पर टीका-टिप्पणी तक करने का कोई अधिकार नहीं है और जब कभी हम अध्यक्ष महोदय के विनियंत्रण के विरोध में सदन से बाहर चले जाते हैं तो मेरे विचार में यह भी सदन की अवमानना है पर सामान्यत हम इस बात को बहुत हल्के रूप में लेते हैं। यहा हमारी पार्टी के एक सदस्य को अध्यक्ष महोदय के नियंत्रण को चुनौती देने में मना करना बोलने की स्वतन्त्रता पर पावनी लगाना है, यह सब कहना असम्भव है। यत् इसमें विशेषाधिकार का कोई हनन नहीं होता है ॥

४३ ४४ ४५ ४६

सदन की कार्यवाही को मुचाह रूप से चलाने भीर इह उद्देश्य हेतु प्रादेश, सलाह तथा सदन में आचार व्यवहार के बारे में सदस्यों को निर्देश भादि देने का कर्तव्य मुख्य सचेतक का होता है। यहाँ तक इसका प्रश्न है इसमें विशेषाधिकार के हनन का कोई प्रश्न ही नहीं है ॥ जब भी सदन में व्यवहार सदस्यों द्वारा होती है तो दोनों ओर से विहृ को मदन की कार्यवाही को मुचाह रूप में चलाने में अधिकार की महायता करनी होती है। इग रैटि से यदि सदस्यों को बोई निर्देश दिया जाता है तो विशेषाधिकार हनन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता भीर न ही भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिवधि वा मवाल उठता है तो विहृ भी नहीं है। ये सदस्यों को मात्र निर्देश भीर प्रिवेत मलाह है कि वह सदन की भवमानना न करें। इससिए सभा का सचालन मुचाह रूप में करने के लिए ॥ सदन में सुलै तौर पर निर्देश या सलाह देने में कोई गलती नहीं है। इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता ब्योकि यह सारी घटना सदन में सभी के सामने पहिले हुई है ।

**रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री
(श्री शिवराज पाटिल)**

योदि गमरोय कार्य मन्त्री भयन दल के सदस्यों को सदन की कार्यवाही में बाधा न ढालने भीर उचित व्यवहार करने तथा सदन की कार्यवाही को मुचाह रूप से चलाने में महायता करने का निर्देश देत है तो वया इसे विशेषाधिकार हनन कहा जा सकता है?

‘माननीय सदस्य को नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्ह माननीय भ्रष्टाचार द्वारा दिय गये विनियम को भवमानना करने को अनुमति नहीं दी गई थी। माननीय भ्रष्टाचार को दो बार सभा को स्वयंसित करना पड़ा था। वया हम इस बात को भूल सकते हैं? वया, हम यह वह सकते हैं कि सदस्य को इस प्रकार का व्यवहार करन का जिसम सभा कार्य न कर सके भीर। किर सभा में विशेषाधिकार का दावा करने का भ्रष्टाचार है ॥ यदि माननीय समर्दीय मन्त्री न उनके किसी भी भिन्न नीति के प्रतिपादन पर, विभिन्न नीतियों के सामने रखने पर, कुछ नए विचार युआन भववा सरकार के विचार की आलोचना करने पर टाका होता तो हमारे लिए यह मानने का भ्रष्टाचार था कि उमें घपने विचारों का भ्रष्टाचार करते हुए दोका थया ॥’

अब प्रश्न यह है कि वया कार्यवाही की जा सकती है ॥ जहाँ तक सविधान भीर साथ ही नियमों का सबध है, मैं नहीं समझता कि हमें कोई यदेह है ॥ किन्तु यदि माननीय सदस्य समझत है कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो दोक है इस पर सम्पूर्ण सभा द्वारा नियम किया जाए। यदि हम इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपते हैं तो हम इस ऐसी समिति को सौंपते हैं जो समद का भग है भीर इस प्रकार हम भाषण को उच्चतम नियम को नहीं तौर रहे हैं। नियम 226 के मनुसार, यह सभा यहाँ इस प्रश्न पर विचार करे भीर नियंत्रण ले ॥ इस सभाले को विशेषाधिकार

समिति के समझ क्यों ले जाया जाए ? या इस मामले को लम्बा खीचने, इसका प्रचार करने और कठिनाइयाँ पेंदा करने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है ? फिर सभ्यों का पता लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है । तथ्य हम सबके सामने हैं ।

थी आरिक मोहम्मद खां

प्रश्न यह है कि नवा सदन में व्यवस्था बनाये रखने के प्रश्न को सम्बन्धित दलों के सचेतकों पर छोड़ा जा सकता है ? जो नहीं । यह पूर्णतः भ्रष्टाचार की शक्ति के अन्तर्गत निहित है, यह अध्यक्ष महोदय का विशेषाधिकार है । यह शक्ति किसी दल के सचेतक अपवा मुख्य सचेतक को नहीं प्रदान की जा सकती ।

हमें इस सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार सम्बन्धी मामलों को दलगत दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए । विशेषाधिकार हूनन का यह मामला किसी एक सदस्य का नहीं है । यह पूरे सदन का मामला है ।

थी सोमनाथ रथ

मविधान के अनुच्छेद 105 में परिभासित आधिकारिक वी स्वतन्त्रता को सभा के नियमों और प्राक्रियाओं द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है । लोक सभा के प्राक्रिया तथा कार्य सचालन नियम अनुच्छेद 105 के उपबन्धों के अन्तर्गत प्राप्त शास्त्रियों के अनुसार बनाये गए हैं :

न केवल विनियंत्रण का वल्कि अध्यक्ष महोदय की टिप्पणियाँ और वक्तव्यों की आलोचना सदन के अन्दर या बाहर नहीं की जा सकती हैं । यह अध्यक्ष और सदन की अवमानना है । सप्तदीय प्रणाली की सरकार में एक दल का संगठन के अन्दर अपना आन्तरिक संगठन हाता है और यह कार्य मुख्य सचेतक द्वारा किया जाता है सम्पूर्ण देश के सचेतकों के सम्मलन में माननीय सदस्यों के सदन के अन्दर विशेषाधिकार और व्यवहार पर विस्तार से चर्चा की गई है । सम्मेलन का यह मत है कि दोषी सदस्य को सत्तारूढ़ दल तथा विपक्षी दलों के सचेतकों द्वारा अनुशासित किया जाना चाहिए ।

थी संफुटीन चौधरी

“इस सभा के सदस्यों को इस गभा में भाषण देने का निर्दाय अधिकार है और कोई विष्प उन्हें नहीं रोक सकता”“इस मामले में मैं इसे विष्प नहीं मानता । इस सभा में हम केवल उसी को विष्प मान सकते हैं जो मतदान करने परवा मतदान से विरत रहने अपवा विरोध में मतदान करने से सद्वित हो । इसलिए यह विष्प नहीं है । यह सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को सोचना है कि वया विष्प के नाम पर इस प्रकार के हास्यास्पद निर्देश जारी किए जाने चाहिए ये अपवा नहीं ।” इस मामले विशेष में सदस्य की भाषण देने की स्वतन्त्रता के अधिकार वा गम्भीर उल्लंघन हुआ है जोकि सभा का सदस्य होने के नाते हमें प्राप्त है, वह केवल प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत ही प्राप्त है और उसे एक दल-विशेष के

मुख्य भवेतक ने कुछनने का प्रयास किया है। इसलिए यह पूरी समझ के लिए वित्त का विषय है...”मैं नवाचल विशेषाधिकार मिशन को भेज दिया जाना चाहिए और हमें किसी विहृप विषय के मनमाने निवेदनों के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।”

(थी पी० शिवशाकर) पोजना मन्त्री, कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री और विधि सभा न्याय मन्त्री

इस मामले में गवर्नर ग्रन्ट यह है कि विशेषाधिकार पा० हूमन बास्तव में क्या है? इसलिए हमें पता लगता है कि क्या मद्दत्य का अध्ययन महोदय के विनियंत्रण पर टिप्पणी करने की मनुष्यता ही जानी चाहिए थी। यदि हाँ, तो क्या कोई टिप्पणी आदि की चाहीं थी? इस मामले का दूसरा भाग यह है कि क्या टमैं माननीय मद्दत्य की बाक् स्वतंत्रता को दबाना पाना जा सकता है, मरा निवेदन यह है कि मद्दत्य में अवश्य बनाये रखने के लिये यहाँ १२ बैठ मुख्य मञ्चेतक अपने सुदृश्यों को प्राप्त करते हैं कि बैठ जाइये और यदि हम उम विहृप का मतीण अपने लोंगों जब भी बैंगी कार्यवाही करते हैं त्रिपाठिकार हूमन के दार्थी होंगे बास्तव में किसी ऐसी कोई प्रणाली अवश्य अपकारी की अवश्य नहीं है कि विहृप के जारी किया जा सकता है, इसके अभाव में विहृप मोहिक भी हो सकता है अथवा लिखित भी। क्या यह सनाह में हट कर दै, यह तथाकरित विहृप सनाह के प्रलापा और कुछ नहीं था। मैं यह नहीं मामला कि इसे माननीय मद्दत्यों के माध्यम के अधिकार में हस्ताक्षर कीमे बढ़ा जा सकता है त्रिम में विशेषाधिकार प्रस्ताव की जहरत पहें। मरा निवेदन है कि प्रथम दृष्टि में यह कोई मामला नहीं है।

थी दिनश गोस्वामी

“यह माध्यरात्र मामला नहीं है जैसा मेरे मित्र ने बताया है। कबल इस तथ्य में कि अध्यक्षपाठ ने सभा की अनुमति के लिए अपनी महत्वता दी है, पर सच्च ही जाता है कि अवश्यकता यह मामला बनता है जिस पर न्याय निर्णय की आवश्यकता है। प्रब इस पर निर्णय कौन देगा? क्या विशेषाधिकार के इस मामले पर यह सभा निर्णय लेनी अवश्य यह प्रमाणा विशेषाधिकार मिशन में जापान मेरे विचार से अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 19 के अध्यर्थन नहीं है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 19 के अध्यधीन है। क्या हम इन महत्वपूर्ण सर्वेषानिक मामले को मरों के पाधार पर तय करेंगे? यह सभा इसे स्वीकार अथवाकार करेगी और इस प्रकार इस में अनन्तिहिन मुद्दे सचेत नहीं होंगे। इसलिए यह मामला विशेषाधिकार मिशन को गौण घाए रात्रि वह अनुच्छेद 105 में थीकाधिकार तथा उसमें उठाए गए विभिन्न मुद्दों के बारे में उनके सम्बन्ध निर्णय दे सके।

बात के बावजूद अनुच्छेद 105 के थीकाधिकार की नहीं है। प्रबल यह है कि क्या विहृप मद्दत्य में किसी मद्दत्य को दरा-धमका सकते हैं? दूसरा प्रबल यह है कि

क्या यह दल का आन्तरिक मामला है। यथा दल के आन्तरिक दस्तावेज़ को इस सदन के परिसर में परिचालित किया जा सकता है, जबकि बाद-विवाद चल रहा हो? यदि सभा मतों द्वारा, निर्णय करती है तो भाषी मार्गदर्शन के लिए इन सभी मुद्दों तक तक सम्मत निर्णय नहीं हो सकेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए।

श्री राजकुमार राय

इसमें दुल मामला इतना है कि यथा संसदीय कार्य मन्त्री, मुख्य सचिवतक के रूप में सदन के अन्दर किसी सदस्य को विहृप जारी करके यह कह सकते हैं कि वह आगे न बोर्ड जबकि वह बोल रहे हो। ऐसा करना किसी सदस्य की बाक् स्वतंत्रता का हतान करना है। सभी ने यह स्वीकार किया है कि जो जारी किया गया या वह विहृप था। यह भी सच है कि विहृप जारी करना एक दल का आन्तरिक मामला है। अब निर्णय इस बात का होना है कि यथा किसी दल का मुख्य सचिवतक विहृप जारी करने के लिए इस सदन के परिसर का उपयोग कर सकता है।

वास्तव में हम अध्यक्षपीठ के विनियंत्रण का उल्लंघन नहीं कर रहे थे जैसा कि आरोप लगाया गया है। यदि यह मान भी लिया जाये कि हम विनियंत्रण का उल्लंघन कर रहे थे तो उस द्वालत में भी केवल अध्यक्ष ही हमारे विद्वद् कार्पंवाही कर सकता है। हम यह जानता चाहते हैं कि यथा माननीय अध्यक्ष महादेव इस विशेषाधिकार को संसदीय कार्य मन्त्रालय को सौंपना चाहते हैं। यह एक ऐसा मामला है जहाँ पर अध्यक्ष सभी बातों का साक्षी है। इसलिए मेरे विचार से विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है। दूसरे एक ऐसा मामले पर जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे निहित हों, सभा में मतदान द्वारा निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो विशेषाधिकार समिति का कोई ग्रोचित्प नहीं रह जायेगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि इस मामले को तुरन्त विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए।

श्री भोला नाथ सेन

संविधान में दसवीं अनुमूली के ममिलित किए जाने से उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। दसवीं अनुमूली के जोड़े जाने से दलीय प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई है। एक निटेलीय सदस्य भी, यदि किसी अन्य दल में शामिल होता है, तो वह अपनी सदस्यता खो सकता है।……‘‘भाज दल पढ़ति को मान्यता दी गई है तथा अनुच्छेद 105 का, संविधान के सभी उपबन्धों के अध्यधीन अनुच्छेद 19 समेत जो मौलिक अधिकारों के बारे में है, तथा अनुमूली दल के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

मुख्य सचिवतक का यह कार्य है कि वह हमारी उपर्युक्त मुनिनिष्ठित करे और अनुशासन बनाए रखें। यदि दल ने किसी बात पर कोई यत्न अपनाया है तो दल

को संग्रह में भी वह इस घटनाता होता है। इस को मुनिशिवत करने के लिए यदि मुख्य सचेतक अपने ही दल के सदस्यों से कुछ कहता है तो इसमें मेरे विचार में संसद् के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त

इस बात की जाव करनी होगी कि बदा दमबी अनुगृही में कोई नई धारणा समेत प्राइंट है कि जिसका अर्थ है कि किसी विषय प्राजनोनिक दल से सबढ़ होने से संसद् सदस्य को अवभाषण की वह स्वतन्त्रता नहीं रही, जिसकी उसे सुविधान और नियमों के अन्तर्यामी गारंडी दी गई है। यदि श्री रामधन द्वारा दिया गया वक्तव्य किसी भी प्रकार से अवभावनापूर्ण, दुप्रयुक्त अवधार धमकी देने वाला हो तो यह बात समझ में पाय नकती है परन्तु एमा आरोप नहीं लगाया गया है…… श्री भगत ने इस बार में विहृप जारी किया है कि वह भी भी कायेस दल में है और उन्हें निर्देश दिए कि वह भी भागे न बोलें और अध्यक्ष के विनियंत्रण को स्वीकार करें। यह विहृप है इसका पालन करना पड़ेगा। यह एक अमूल्यपूर्व घटना है यदि मानवीय अध्यक्ष महोदय भारता विनियंत्रण देना चाहे तो इस बारे में वह स्वयं फैसला कर सकत है। इसका नियंत्रण उनके विनियंत्रण से अध्यवा विशेषाधिकार समिति को सौंप कर होगा। सहसा मदन में मतदान कराकर इसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता है।

सत्ताहड़ दल कायेस (प्राइंट) के मुख्य सचेतक और भासदीय कार्य मन्त्री श्री एच० के० एल० भगत ने सदस्यों की टिप्पणियों का उत्तर देते हुए निम्नलिखित कहा :

(एक) श्री रामधन और श्री राजकुमार राय दावा हो निरन्तर अध्यक्षपीठ के आदाना का उल्लंधन और कार्यवाही में बाधा डाल रहे थे और इस प्रकार वे सभा की अवभावना कर रहे थे। अध्यक्षपीठ के विनियंत्रण को आगे चुनीती देने से उन्हें रोकने और सदन की सदर्दिया बनाए रखने के लिए विहृप जारी किया गया था।

(दो) विहृप का दायित्व व केवल सदस्यों की उपस्थिति और उनको दल के इस को समर्थन देने तथा मत देने के लिए कहता है बल्कि सबधित दलों के सदस्य द्वारा मभा की गरिमा और मर्दाना बताये रखने में अध्यक्ष की सहायता करना है। विहृप मदन को एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

(तीन) सदन में मुख्य सचेतक/विहृप को अपने दल के सदस्यों को विहृप जारी करने से कोई नहीं रोक सकता। यह प्रयत्न है कि सदन में जब मत विभाजन होता है अथवा कुछ मुद्दे प्रत्याशित रूप में उदाये जाते हैं तो मुख्य सचेतक को अपने दल के सदस्यों को दल की नीति के बारे में स्पष्ट रूप से यह संकेत देना होता है कि वे यथा नीति अपनायें।

(चार) यह कहना सही नहीं है कि विद्वां केवल दल के सभी सदस्यों को निदेश जारी कर सकते हैं, किसी सदस्य विशेष को नहीं। अध्यक्ष के विनियंत्रण को बार-बार चुनौती देकर तथा सदन की कार्यवाही में बाधा डालकर जो सदस्य विशेषाधिकार का हनन करते हैं। सदन की मर्यादा और अनुशासन को भंग करते हैं उनको भी सचेतक अनुदेश जारी कर सकते हैं।

मसदीय कार्य मन्त्री ने अपनी बात को समाप्त करते हुए इस बात को दोहराया कि उन्होंने सविधान के अनुच्छेद 105 में यथा लिखित सदस्यों की वाक्‌स्वतत्रता में पूरा विश्वास है और ससद सदस्य के नाते उनके दायित्व का निर्वाह करने पे उन्हें ढराने अथवा उनके कार्य में बाधा डालने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने कहा—

“मैं पूर्ण विनाशक के साथ इस बात को दोहराता हूँ कि मैं सविधान के अनुच्छेद 105 में यथा लिखित सदस्यों की वाक्‌स्वतत्रता में विश्वास रखता हूँ और वर्तमान मामले में उनको ससद सदस्यों के नाते उनके दायित्व का निर्वाह करने से रोकने या बाधा पहुँचाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरा उनसे कहने का आशय इसके विवरण और कुछ नहीं या कि वे सदन में मर्यादा और अनुशासन बनाये रखने के हित में अध्यक्षपीठ की अवहेलना करके और आगे न बोलें। माननीय सदस्यों के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। मेरा आशय केवल सदन के अनुशासन, मर्यादा और गरिमा के उच्च स्तर को बनाये रखना चाह था”।—

वाद-विवाद के अन्त में अध्यक्ष ने सदन का ध्यान नियम 226 की ओर दिलाया जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि नियम 225 के अन्तर्गत अनुमति दी जाती है तो सदन प्रश्न पर विचार कर सकता है और विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले सदस्य या किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्ताव रखे जाने पर सदन उस पर विचार कर सकता है और नियंत्रण से सकता अथवा उसे विशेषाधिकार समिति को भेज सकता है। अध्यक्ष ने कहा—

“इस प्रकार समा को या तो (क) इस मामले में नियंत्रण लेना है अथवा (ख) मामले को विशेषाधिकार समिति को दोपना है। यदि कोई सदस्य प्रस्ताव रखता है तो (क) अथवा (ख) पर विचार किया जा सकता है।”

परन्तु किसी भी सदस्य ने इस मामले पर सदन द्वारा फैसला करने अथवा जाच तथा रिपोर्ट के लिए विशेषाधिकार समिति को दोपने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं रखा। इन परिस्थितियों में अध्यक्ष के पास उम दिन की कार्य-सूची की घगड़ी मद पर विचार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।

संक्षेप में, कुछ मुद्दे जो उभरकर मामले आये हैं और जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है; वे संक्षेप में इस प्रकार हैं—

(एक) विद्वां का पद समदीय दल के ढांचे की एक महस्त्वपूर्ण कढ़ी है। सदन के भीतर वाद-विवाद में अपने सदस्यों की प्रभावी भागदारी

और मत विभाजन के महत्वपूर्ण प्रवासी पर उनको उपस्थिति मुनि-रिचत कर दल व्यवस्था के कुशल कार्यकरण का दायित्व इसे सोपा गया है।

- (द) ३० के० में, दल के निदेशों को विहृप का नाम दिया जाता है जो सदस्यों को सभा में उपस्थित रहने के लिए सम्मत की तरह के होते हैं परन्तु वास्तव में वहाँ पर विहृप सदस्यों से छहते हैं कि "वह उनके दल के साथ मतदान करें अथवा उन्हें विद्रोही माना जायेगा, शायद दण्ड भी दिया जाए।" यह केवल स्ववृष्टि का घन्तर है। जहाँ तरु भारत में इस स्थिति का गम्भीर है, बाबनवाँ सविधान (मणीधन) प्रधिनियम में भी सदैह दूर हो गए हैं। जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि कोई सदस्य दल द्वारा जारी किए गए किसी मंडेश के विपरीत मतदान करता है अथवा मतदान में भाग नहीं लेना है तो वह घन्तरता का पात्र है। अब विहृपों के लिए दल द्वारा जारी किए गए निदेशों के प्रनुसार सदस्यों को मतदान में भाग लेने के लिए कहना पूर्णतः सर्वधनिक है। यदि विहृप को शब्दावली इस प्रकार हो तो विजेपाधिकार का हनन नहीं होता है।
- (तीन) यह एक सुस्थापित मान्यता है कि किसी मामले पर जिसकी शिकायत की गई है, सभा को यह निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है कि क्या वह विजेपाधिकार हनन का मामला है अथवा सभा की प्रवासनना का, क्योंकि सभा ही प्रपने विजेपाधिकारों का एकमात्र प्रदाता है। अध्यक्ष सभा में विजेपाधिकार के प्रश्न के रूप में कोई मामला उठाने की प्रनुसारत देने समय केवल इस बात पर विचार करता है कि क्या वह मामला आगे जाच करने के उपयुक्त है अथवा इसे सभा के समझ रखा जाना चाहिए। वर्तमान मामले का बहुत अनामान्य स्वरूप होने के कारण तथा चूंकि यह मामला स्वयं सभा के समझ हृष्ण है, अध्यक्ष के पास इससे प्रचल्य और कोई विकल्प नहीं था कि वह इस बारे मामले को सभा के समझ रखें और वह जैसा चाहे वैसा नियंत्रण ले।
- (चार) जिस स्वरूप में विहृप जारी किए जाने हैं और जिन अवसरों पर विभिन्न प्रकार के विहृप जारी किए जाते हैं, उनसे पता चलता है कि इस मामले में जारी किया गया विहृप असामान्य था। वास्तव में सत्तांश दल और विपक्ष दोनों ने इस बारे में सदैह व्यक्त किया है कि क्या मन्त्री द्वारा दो सदस्यों को जारी किए गए लिखित निदेशों को विहृप माना जा सकता है? कांग्रेस (शाई) दल के थी शरद दिपे ने कहा है कि उनके विचार से यह विहृप न होकर केवल निदेश था,

सभा के एक सदस्य को आगे कोई अवमानना न करने के लिए दिया गया एक मित्र का परामर्श । योजना मन्त्री (थी पी० शिवशंकर) की राय थी कि “तथाकथित विषय परामर्श के अतिरिक्त और कुछ नहीं था ।” संसदीय कार्य मन्त्री ने भी इस बात को पूर्ण स्पष्ट किया कि विषय सदस्यों को यह कहने के लिए जारी किया गया था कि वे प्रियेयाधिकारी के विनियोग को चुनौती न दें ताकि सभा की मर्यादा कायम रखी जा सके और सदस्यों के बाक् स्वातन्त्र्य के अधिकार को छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था ।

(पात्र) इस मामले में दल परिवर्तन कानून लागू नहीं होता वयोंकि उस कानून के अन्तर्गत अनहंता का प्रणन तभी उठता है यदि मतदान करने वाया मतदान से विरत रहने के मामले में निदेशों की अवहेलना की जाये, इस सम्बन्ध में वाय्यक को एक याचिका दी जाए और वाय्यक इस प्रकार की अनहंता के पक्ष में नियंत्रण दें ।

विशेषाधिकार के मूल प्रश्न, जिसके बारे में पाव सदस्यों ने नोटिस दिया था, पर सभा में केवल चर्चा हुई थी । सभा में कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था और न कोई घोषणा की गई थी तथा न यह मामला विशेषाधिकार मिति को सौंपा गया था । तथापि कोई भी व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि इसके परिणाम-स्वरूप भविष्य में इस प्रकार का विषय जारी किए जाने की कोई सभावना नहीं है । जिन कुछ मुद्दों को अनियोग्यता और गुआ छोड़ दिया गया है, वे इस प्रकार हैं :—

(एक) क्या

(क) मदन में

(ख) दल के केवल कुछ सदस्यों को

(ग) मदन में अनुसासन बनाए रखने के लिए व्यक्तिपीठ की सहायता करने योग्य और वाय्यकपीठ के विनियोग/प्रादेशों का पालन करने के प्रयोजन में

विषय—मौसिक वाया लिखित-जारी किया जा सकता है ?

(दो) क्या इस प्रकार जारी किए गये विषय को

(क) गदन में सदस्यों के बाक् स्वातन्त्र्य के अधिकार का हनन करने वाला, उन्हें डराने-घमकाने वाला और सदस्य के नाते उनके दायित्वों के निर्वाचित निवंहन में वाधा उत्पन्न करने वाला

(ख) सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन और सभा की अवमानना करने वाला माना जा सकता है ?

संसदीय विशेषाधिकार के मामलों को यो ही नहीं उठाना चाहिए और जब उन्हें उठाया जाता है तो उन्हें दलगत मामलों के रूप में न लेकर मांगूँ सदन और

उसके सभी सदस्यों की प्रतिष्ठा, मर्फता और प्रधिकारी के भागीदारी के बाबतों के रूप में लिया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि विशेषाधिकार के इस प्रश्न पर सभा में राय दल-गत माध्यार पर विभाजित थी। ममवत इसीलिए विशेषाधिकार के महसूसपूण मुद्दों पर बहुमत के माध्यार पर निर्णय नहीं लिया गया और शध्यका ने स्थिति को नियुक्ता से नियटाने हुए और सदन ने अपनी वुद्दिमत्ता में प्रश्नों को खुला और अनियुक्त छोड़ दिया।

संदर्भ

1. राबर्ट जे० जैक्सन, रिवेल्स एण्ड विह्य, लन्डन, 1968, गु० 4.5
2. जैक्सन, उद्धृत कृति, पृष्ठ 40-4।
3. नाहे हेलगम के घनुसार “विह्य सदस्यों को केवल हाउस में आने के लिये कहता है न कि यह कि वे किस प्रकार मतदान करें,” दूसरे गढ़ों में, विह्य पतदान करने के लिए बुलावा नहीं है अपिनु हाउस में उपस्थित रहने के लिये बुलावा है तथापि जार्ज विले ने हाउस आफ कामना में इग विचार बा विरोध किया या जिनका यह विचार था कि तीन बार रेगाइन्स विह्य दल के निर्णय के प्रति वकादार रहने की आविरो प्रीति” है। (जैक्सन, उद्धृत कृति पृष्ठ 169-70)
4. जैक्सन, उद्धृत कृति, पृष्ठ 305
5. केन्य ब्राडलॉ एड हेविड प्रिंग, पार्लियामेंट एण्ड कार्गेम, 1972, पृष्ठ 34
6. जैक्सन, उद्धृत कृति, पृष्ठ 216
7. लोक सभा वाद-विवाद, 1 अगस्त, 1973 कालम 4514-29
8. वही 22 दिसम्बर, 1978 कालम 314-20

संसद् और हास्य विनोद

“पालियामेट” शब्द फ्रांसीसी भाषा के पार्लैमो-पालै शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है “वातचीत” अथवा “विचार-विमर्श”। किया के रूप में इसका अर्थ होगा “वातचीत करना” अथवा “विचार-विमर्श करना”。 वास्तव में एक ब्रिटिश विचारक ने पालियामेट को “वातचीत शाला” की सज्जा दी है।

संसदीय लोकतात्रिक प्रणाली में सरकार का सचालन चर्चा और बाद-विवाद द्वारा होता है। जबकि अन्ततः निर्णय बहुमत के हाथ में रहता है, अल्पमत को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। भारतीय इतिहास में एक ऐसा भी समय था जब भारतीय जनता का बहुमत चाहे कुछ भी कहे, ब्रिटिश शासक अपनी मनमानी ही करते थे। एक कहानी है कि किसी अव्रेज से पूछा गया कि भारत में संसद् भवन का आकार गोल व्यो है, तब उसने विनोदात्मक टिप्पणी की कि जानवूक कर इसका नक्शा “शून्य” वे आधार का बनाया गया है ताकि यह दर्शाया जा सके कि यहाँ आप निरन्तर बातचीत कर सकते हैं, परन्तु वस्तुतः परिणाम शून्य ही रहेगा, आप चबकर लगाते रहेंगे और लगभग तीन चौथाई मील चलने के बाद भी आप वही पहुँच जाएंगे जहाँ से आपने चलना शुरू किया था।

संसद् भारी तनाव और दबाव (Stress & Strain) की स्थिति में कार्य करती है। इसमें अनेक कठिन शरण भाते हैं। लोक सभा के एक भूतपूर्व अध्यक्ष ने जो अपने विनोदी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, एक बार गभीरतापूर्वक कहा था कि उन्हें अपने रक्तचाप एवं सिरदर्द को सही करने तथा सभा में, विशेषतौर पर तथा-कथित “झून्यकाल” के दौरान, शोखुल का सापना करने के लिए “एस्प्रिट” की गोलियाँ लेनी पड़ती हैं।

एक बार किसी परिकल्पित सर्विधानिक प्रश्न पर अध्यक्षता (Ruling) देने के बारे में, इन्हीं अध्यक्ष महोदय ने सभा को बताया कि सर्विधान में ऐसी स्थिति बी परिकल्पना नहीं की गई थी और इसलिए उनके पास कोई उत्तर नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का सर्विधान तो भद्र पुरुषों ने भद्र पुरुषों के लिए तैयार किया था, उस समय उन्हें यह पता था कि कभी भी प्रश्न उठाये जाएंगे।

सभी घट्टवक्षों को एस्ट्रिटिल की गोनिया लेने की आवश्यकता वा युरा गम्भीर भव नहीं हैं। योकि सभा की रचना तथा महस्य बदलना रहता है और प्रध्यक्षों के दण्डिकोण और स्वभाव भी भिन्न-भिन्न होते हैं।

हमारे एक प्रध्यक्ष महोदय, श्री ग्रन्तग्रन्थम् ग्रन्थंगर की मदन में त्रियांगीन कायंतर देखने हुए, यात्रा पर पाए हुए एक विदेशी गलमान्य व्यक्ति ने टिप्पणी की। "प्रापका घट्टवक्ष वास्तव में बोतता है।" कुछ ममष परवाद् तन्त्रानीन उन-राष्ट्रवाति दा० राधारूपण ने एक पाठी में इन्हीं घट्टवक्ष महोदय को बहा, "अध्यक्ष गम्भीर, प्रापका नाम ग्रन्तग्रन्थम् की वकाय ग्रन्तवचनम होना पाहिए, पर्यावृत्तिरत्तर बोलने वाला व्यक्ति।" घट्टवक्ष दा० बनराम जापट—तथाकथित शून्य-कान के दीरान अपने वाय में विशेष प्रानन्द लेते थे। वह प्राप. महस्यो को विनोद में बताने कि ग्रन्तसंत्रावधि (Inter session) में वह उडाय हो जाते हैं, तो उन नीरम हो जाता है। वह प्राप द्वारित्रवाची एवं विनोदप्रियता (Wit and humour) का प्रभावी इस्तेमाल करते थे। इसमें मदन की कायंवाही में जान पट जाती थी। इसके प्रतिरिक्त, इसमें तरंग वर्ण कर्तुता और विवाद का शोभायन भी हमीं के दृढ़वाही में लृप्त हो जाता।

एक बार मदन में विषय किमी विवादाधर विषय पर बहन करना चाहता था। शोठायीन धधिकारी कुछ उर्दीकृत महस्यों की नाल बरने का प्रयास करते हुए एक महिला महस्य से यह कहते हैं कि घट्टवक्ष तो मदन के हाथों में है। उनके मुख में नित्तला, "मैं तो आजकी बाहों में हूँ।" मारा मदन दृढ़वाही में गूँज उठा; जायद घट्टवक्ष और महिला दोनों ही शर्षी थे। हमीं प्रसार, एक बार घट्टवक्ष के एक मदन पर अपना विनियंत्र देते हुए घट्टवक्ष ने बहा: मेरा विनियंत्र यह है कि प्रस्तुत ममात्र होता है और अवश्या वायम रहता है।"

एक बार जब प्रध्यक्ष महोदय का ध्यान सभा में दोहर हवाद जापकी वा आनन्द से रहे एक मदस्य की ओर दिनाया गया तो घट्टवक्ष ने विनियंत्र दिया जिसने की अनुमति है, केवल लर्टिसेना घममदीय है।

जनता के सर्वोच्च प्रतिनिधि होने के नामे, गम्भीर महस्य देव के विशेष मम्मानीय व्यक्ति होते हैं। यद्यपि गम्भीर के मदनों की कायंवाही का गत्वान प्रतिष्ठा एवं मर्यादा ने तथा नियमों के ग्रन्तुमार किया जाता है, तथापि इसका यह प्रयं नहीं है कि वे मदव गम्भीर एवं नीरम बने रहें। हाविरित्रवाची, वाह्यरूप और हास्य-विनोद महस्यों के वाइ-विवाद रूपों तरक़ज के नीर हैं, विवधी वो खुप कराने के लिए इनका प्रयोग बहुत प्रभावग्राही दृग में किया जाता है।

वयोवृद्ध सासद आचार्य हृष्टलाली कभी अपना और कभी अपनी पन्नी श्रीमती मुचेता हृष्टलाली वा हृष्टला देवर सभा में गृह दृढ़वाही के नगदाते थे। श्रीमती हृष्टलाली कायं एवं पाठी की सदस्या थी, जबकि श्री हृष्टलाली विषय के नेता। एक

वार जब श्री कृपनानी काष्ठे स मरवार की भानोचना करने तमे तो एक सदस्य ने इम तथ्य की ओर उनका ध्यान दिलाया कि वे उम पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं जिस पार्टी ने उनकी पन्नों को भारतीय दिया है। हाजिरजवाह आत्मायें ने, जो न्वय भी अपने जीवन के अधिकांश भाग में बायेस के सदस्य रहे थे और जिन्होंने काष्ठे से अङ्गकरण महिन महिन दूसरे के लोगों को बेवकूफ ही भानता था। मुझे पढ़ा नहीं था कि वे ऐसे ददमाझ भी हैं जो इसी की पत्तियों को भाग ले जाते हैं।' अनुभवी नेता के दिलकश हास्य-विनोद में सत्तापद्धति के लोगों महित ममूल मदन कहकहों में गैंग उठा।

एक ऐसा मन होने के कारण जहाँ भृत्यन् विवाहान्पद मूँड़ों पर चर्चा होती है, यह स्त्रियाविक है कि सत्ता और विवाही दलों के सदस्यों के बीच समाज में कामी-कमी तीव्रा वाद-विवाद हो और वो एक दूसरे के लिए चुप्पने वाले और उनजनात्मक शब्दों का प्रयोग करें। इस प्रवार उत्पन्न राजनीतिक यरमा-गरमी के चरम द्वारा में एक हळ्का भा मजार यरमागरमी को समाप्त करने और मदन वा वाता-वरण मामान्य बनाने के लिए पर्याप्त होता है। उदाहरण के लिए, भारत पर चीन के हमले के समय पण्डित नेहरू ने मदन वा यह कहकर घायवन्त किया, 'हम अपनी सीमा को एक इच जमीन भी छीन को नहीं देंगे।' यह सुनकर अत्यधिक मुश्किल मदस्य श्री हरि विठ्ठु कामत अपने को नहीं रोक सके और उन्होंने खड़े होकर प्रधानमन्त्री से पूछा 'पापके नवजो में एक इच किनने भीम के बराबर है।' इस हाजिर-जवाबी से प्रधानमन्त्री के साथ ही सदन के सभी सदस्य हँस पड़े। पण्डित नेहरू विनोदप्रिय तो थे ही, वह विनोद वा भानन्द भी खुब लेते थे। एक वार जब उन्होंने अभ्याई चिन के बारे में यह कहा कि यह ऐसा केन्द्र है जहाँ पर पास का एक विनका भी नहीं उगता, तो वयोद्युष सदस्य महादीर त्यागी तत्काल खड़े हो गये और उन्होंने अपने गजे मिर की तरफ इशारा करते हुए कहा 'मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं है इसलिए वया में अपना मिर शत्रु को मौर दूँ।' यह सुनकर सभी हँस पड़े और पण्डित नेहरू सबसे पहले हँसने वालों में थे।

एक वार जब यादू जगजीवन राम सदस्यों को पत्नी-पति के लिए नि शुल्क रेत यात्रा का विधेयक देन कर रहे थे, तो एक पवित्राहित संसद सदस्य ने पूछा कि क्या वह जिसी मायी को अपने साथ ले जा सकते हैं। यादू जी ने कहा 'यह विधेयक पत्नी/पति के लिए है, मायूक के लिए नहीं।'

राज्यममा में जब एक पवित्राहित गदस्य ने अपना और सदन की एक पवित्राहित महिला मदस्य वा उल्लेख करते हुए कहा कि इस विधेयक में उन्हे कोई नाम नहीं हो रहा है, तो एक अन्य सदस्य ने मुझाव दिया कि दोनों पवित्राहित मदस्य एक दूसरे की समस्या मुलभागत हैं।

एक बार एक भारी-भरकम सदस्य ने श्री पीनू मोदी पर यह आरोप लगाया कि वह ग्राम्यता की ओर पीछ करके बड़े हैं, और इस प्रकार यह अध्यक्ष के असलन का अनुमान कर रहे हैं, तो श्री मोदी ने अपने वचाव में कहा, "श्रीपान् मेरे तो न आगा है न पीछा, मैं तो गोल मटोल हूँ।"

एक बार तन्कालीन विदेश मन्त्री एक मुद्रे की व्याप्त्या कर रहे थे तो एक सदस्य उड़े और उन्होंने कहा, "आप यी दात्रपीय का 'बैनवाल' क्यों नहीं कर देने?" ठब तब एक ग्राम्य सदस्य से श्री मोदी ने पूछा कि "व्या मन्त्री महोदय को मट्टूम है कि क्यों होता कहा है?" मन्त्री ने उत्तर दिया—"मुझे मालूम है कि उनका दिमाग टखनों से स्किन है।" लेकिन श्री मोदी आलानो से निरन्तर होने वाले नहीं थे, उन्होंने पमट कर कहा—मैंने आपमे कहा था कि उन्हें यह पता ही नहीं है कि वस्तुतः दिमाग कहा होता है, इसीलिए उनकी जीतियाँ असफल हो जाती हैं। हास्य-चिनोइ घन्तराण्डीय मामलों जैसा सर्वत नहीं है।

हिन्दू विवाह (मणोष्टन) विधेयक पर चर्चा करते हुए एक सदस्य ने कहा कि विधेयक प्रस्तुत करते हुए मन्त्री महोदय ग्रममजम में बड़े हैं। मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया—"विवाह भी तो ग्रममजम की परिणति है।" सदस्य ने दृढ़ते ही कहा—"ग्रममजम (कनपूजन) भी नहीं, वृत्तिक ममजम (पूजन) की परिणति है। दोनों में बहुत पक्के हैं।"

किसी अन्य समय की अपेक्षा प्रजनकाल के दौरान हमें अधिक मुँहतोट उत्तर सुनने को मिलते हैं। एक बार ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा गया जो भारत भरकार के प्रतिनिधि के हूप में प्रथम विदेश दौरे के दौरान अपनी पत्नी को निजी सचिव के हूप में साथ ले गया था। मुख्य प्रश्न का उत्तर दिये जाने के बाद एक अनुपूरक प्रश्न पूछा गया कि दौरे के दौरान सचिव की उपस्थिति किम थे ऐसी में पानी है, प्रावश्यकता की थे ऐसी में अवश्य सुविधा की थे ऐसी में। सुन्नत उत्तर आया—"पत्नी के हूप में प्रावश्यकता और सचिव के हूप में सुविधा।" इसे सुनकर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा।

एक शनुवूरक प्रश्न पूछने हुए एक सदस्य ने दूरदर्शन चेन्ड की इस बात के लिए प्रातोचना की कि वह वन्य जीव जैसे विषयों के लिए भी आपातित कार्यक्रमों पर अधिक निर्भर रहता है जबकि 'प्रदेश' में वन्य प्राणियों की कही भी कोई कमी नहीं है। एक दूसरे सदस्य ने इस पर तुरन्त कहा—'समृद्ध में भी वन्य प्राणियों की कोई कमी नहीं है।' हँसी के बीच ग्राम्यकाल ने चुटकी नीं कि इसका कोई प्रतिवाद नहीं कर रहा है।

एक अन्य अवधर पर एक सदस्य ने मन्त्री से पूछा—'भरकार की वया प्रतिक्रिया है।' मन्त्री ने उत्तर दिया—'हम किया (काम) करने में विश्वास रखते हैं, प्रतिक्रिया अत्यक्त करने में नहीं।'

पुनः जब एक सदस्य 'हेरोइन' (मादक द्रव्य) के बारे में बोल रहे थे, एक दूसरे सदस्य ने पूछा—'हेरोइन या हिरोइन' और टिप्पणी की कि उन्हें हिरोइनों की बहुत चाहत है। तथापि, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वह उस अवस्था को पार कर नुक्के हैं।

तिहाड़ जेल में हेरोइन से हुई मौतों के बारे में एक ताराकित प्रश्न के अनु-पूरकों के उत्तर देते हुए गृहपत्नी श्री एम धी. चहाण ने स्पष्ट किया—

".....लेकिन प्रिलिमिनरी इन्फार्मेशन है कि उन्होंने वहाँ छिपकली की पूँछ खाई थी।"

इस पर एक सदस्य श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा 'तू कि सभी छिपकलियों की पूँछ में हेरोइन नहीं होती, मैं जानना चाहती हूँ कि उस विशेष छिपकली की पूँछ में हेरोइन कैसे आ गई?' जब मन्त्री महोदय ने इस पर अपनी अनभिज्ञता प्रकट की, तो प्रो. मधु दण्डवत्ते ने टिप्पणी की, 'छिपकली युद्ध हिरोईन है।'

एक अन्य मामले में जब श्रम मती ने अपने उत्तर में बताया कि अमुक यूनिट प्रगति के उपरान्त चरण में है, तो सदस्य ने प्रगति वा वास्तविक चरण बताये जान पर जोर दिया। इस पर अध्यक्ष महोदय ने पूछा "आप उपरान्त चरण नहीं समझते?" मदस्य ने उत्तर दिया, "नहीं श्रीमान्, वया यह प्रसव पीड़ा की स्थिति है? उन्हें मर्वंत्र लेवर प्रौद्यम्भस पेश आ रही हैं।"

जब एक सदस्य ने यह कहते हुए एक अन्य सदस्य की प्रश्ना करनी चाही कि वह एक अनुभवी (मीजण्ड) सासद है, तो इस पर तुरन्त स्पष्टीकरण मांगा गया

"सीजण्ड या सीजनल सदस्य (अनुभवी अथवा मौसमी)।"

एक बार एक सदस्य ने यह शिकायत की कि वे वही प्रश्न वार-वार पूछ नुक्के हैं तथा हर बार उन्हें वही उत्तर मिला है। अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की "कितनी स्थिरता है।"

एक बार एक सदस्य, श्री पीथू मोदी ने योजना मंत्री में अनुरोध किया कि वे उनके अनुपूरक प्रश्न का उत्तर लम्बे भाषण में नहीं, केवल तीन शब्दों में दें। योजना मंत्री श्री डी. पी. घर ने जब केवल तीन शब्दों में उत्तर दिया—"मुझे नोटिस चाहिए" तो सभा में सभी सदस्य यूद्ध खिलाफिला कर हँसे।

जब परिचय बगाल में मिदनापुर में तेल के ड्रिलिंग कार्य में व्यक्तियों के रोजगार के सवाल में ताराकित प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा रहे थे, एक सदस्य, श्रीमती फूलरेणु गुहा ने बताया कि मिदनापुर में तेल की 'ड्रिलिंग' का कार्य चल रहा है। इस पर एक अन्य मदस्य प्रो. मधु दण्डवत्ते ने पूछा "वया ड्रिलिंग जमीन के नीचे को जा रही है।" तब अध्यक्ष महोदय श्राव बलराम जात्रा ने हँसते हुए पूछा "वया ड्रिलिंग जमीन के ऊपर भी हो सकती है?"

जब श्रमिद्ध फिल्म प्रभिनेता, गगड सदस्य श्री अमिताभ बच्चन ने, जिनका नव द्यु कुट से अधिक है और जो बढ़े हाने पर भी नहीं दिखते, अध्यक्ष महोदय का ध्यान पपनी धार प्राकृति करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अध्यक्ष ने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि उनका हाथ अध्यक्ष महोदय के हाथ की तरह काढ़ी लम्बा है, चाहे वह प्राणी ही उठाया गया हो, समा मे ठहरको के बीच सदस्य ने टिप्पणी की कि वह तो भभी बढ़े ही है, लेकि नहीं हुए हैं।

इसी प्रकार जब 13 मार्च, 1986 को "केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा श्रीष्ठालयों के लिए दबाइयों की सम्पाद्दी" सबधी ताराकित प्रगत पर प्रनुपूरक प्रश्न पूछे जा रहे थे तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री श्रीमती मोहिमिना किंवद्दि ने बोला "हमने यह तथ किया है कि ज्यादातर दबाइया पेकेज बाली दी जाए, जिन पर टेब्लेट की 'एकमपायरी डेट' लगारह हो।" तो एक सदस्य, प्रो० मधु दण्डवते ने पूछा

'एकमपायरी डेट टेब्लेट को या पेशेट की ?'

प्रश्न बाल वे परचात् सभा को कायंभूची के प्रनुपार मद के प्रन्तर्गत कुछ पत्र समाप्त पर रखे जाते हैं। एक बार लाक सभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष ने बताया कि सभा मे जो कुछ भी कहा जाता है वह उम्मी कायंवाही वृत्तात का एक द्वितीय बन जाता है। उन्होंने भागे यह भी टिप्पणी की कि 'प्रादि मे यहा पपनी पत्नी का उल्लेख भी वह तो वह भी सप्तद के कायंवाही वृत्तात का एक दिस्मा बन जायेगी।' इस पर एक सदस्य ने तुरन्त कहा 'महोदय, पपनी पत्नी का उल्लेख न करें, बरना कोई यह मार्ग करेगा कि उन्हे समाप्ति पर प्रभुत किया जाए।' इस पर समूची सभा मे हँसी गूँज उठी।

सभा पटल पर रखे जाने वाले पश्चों प्रादि कायं के निपटाने के बाद सभा ध्यानाक्षयण्ण प्रस्तावों, जैसे लोक महस्त वे विषयों पर चर्चा करती है। इस अवधि के दौरान सभा मे प्राय बड़ी गरमागरम बहस होती है, किन्तु हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ हल्के-कुछके लाला भी भाने हैं जब हास्य विनोद चलता है।

एक बार एक सदस्य तथा अध्यक्ष महोदय के बीच एक मामले पर झटप हो गई। सदस्य एक मामले को, जिसकी उद्धोंने नोटिस भी दे रखी थी, उठाने का प्राप्त ह कर रहे थे तथा अध्यक्ष महोदय इसकी प्रनुपति नहीं दे रहे थे। इसमे काफी रुकावूगां बालवश्चां पंदा हो गया। एक प्रत्य सदस्य ने अध्यक्ष महोदय से पनुरोध किया कि वे सदस्य को टिप्पणी के बहुजे पर प्रधिक ध्यान न दे क्योंकि 'सदस्य पपनी पत्नी मे भी इसी तरह पेश आते हैं।' तब जाकर कही तनाव कर हुया।

इससे मुझे एक प्रत्य पत्नी-प्रकरण को याद आती है। लोकसभा के एक बहुत बरिष्ठ सदस्य ने रेल बगट पर बोलते हुए रेलवे द्वारा नियुक्त किये

मानदण्ड क्या है ? मन्त्री महोदय द्वारा यह कहे जाने पर कि यद्यपि व्यक्तित्व का निमणि करने वाले आवश्यक तत्त्व सुविदित हैं, तथापि व्यक्तित्व के आकलन मवधी नियमों का निर्धारण करना कठिन है, एक अन्य सदस्य बीच में बोल पड़े कि 'मेरे विचार से व्यक्तित्व परीक्षा ऐसी है जैसे पहली नजर में प्यार हो जाना ।' इस पर उपाध्यक्ष महोदय ने मजाक में कहा, 'फिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव है, परन्तु उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता ।'

कभी-कभी सदन में हास्य विनोद पर बहुत जोर का ठहाका लगता है । वहा जाता है कि किसी विधान मण्डल की प्रेस दीर्घा में बैठा हुआ प्रेम सवाददाता किसी मजाक पर इतने जोर से हँसा कि उसके नकली दाँत भीचे मदन में अध्यक्ष पीठ के समीप जाकर गिर पड़े ।

आठवीं लोकसभा में एक दिन एक बड़ा विनोदपूर्ण बाद-विवाद हुआ । जब प्रधानमन्त्री थी राजीव गांधी ने कहा, हमारे दल की सदस्य मह्या आपके सामने हैं, थी एवं एम. पटेन ने कहा, 'आगे देखेंगे ।' थी राजीव गांधी ने तब कहा, 'मैं आगे देख रहा हूँ । आप 1990 में देखेंगे ।' तब उस पंक्ति में भी हमारे दल के सदस्य बैठे होंगे ।' प्रौ० मधु दण्डवते ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, 'इसका कारण यह होगा कि कुछ वर्षों के बाद हम इग पृथ्वी पर नहीं बल्कि उस ऊपरी सदन में चले जायेंगे ।' इस पर थी राजीव गांधी ने तुरन्त उत्तर दिया, 'महोदय, हमें इन्हें उस ऊपरी सदन में भेजने की जल्दी नहीं है । परन्तु हमें सुनी है कि वह यह मानते हैं कि ससद् की बत्तमान प्रवधि के पश्चात् नई लोकसभा में काप्रेस पार्टी विपक्षी नेताओं को इन पंक्तियों पर भी कब्जा कर लेगी ।' यह दूसरी बात है कि जब नवी लोक सभा के लिये हुए चुनावों के नतीजे आये और नये सदन का गठन हुआ तो 1990 आने गे पहले ही सरकारी और विरोध पक्षों की ओर पक्षियों की स्थिति विस्तृत बदल गई ।

पुनः आप को 5 बजे बीमार 1986-87 के शाम बजट के प्रस्तुतीकरण के लिए सभा की बैठक शुरू होने के समय अध्यक्ष महोदय डा० बलराम जालड ने टिप्पणी की कि 'इस समय सब सदस्य उपस्थित हैं' इसके तुरन्त बाद कवि और संसद मदस्य, थी बालकवि बैरागी ने कहा—मैं राजा विश्वनाथ प्रतार्पिन्ह को एक ज्ञान पत्रकर मुनासा हूँ—

'यह हक है आपको कि आप चाहे जो करें ।

पर कल्प भी करें तो प्यार से करें ।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की—

'अमीं हम और बैरागी जी एक मुशायरे से आ रहे हैं ।

आप उनकी बात का ध्यान रखें । आप जो कुछ भी ढोज दें, वह शून्य कोटेज होनी चाहिए ।'

वित्त मन्त्री का बर्ये 1986-87 का बजट भाषण में सम्बन्धी बजट घायण बताया गया है। (साथ 5 बजे आरम्भ होकर गाय 7 25 बजे अर्धांत लगभग तार्ह घट्टे चला)। एक सदस्य प्री० मधु दण्डवते ने, जो ऐसा लगता था, कि सम्बन्धी भाषण सुनते-सुनते उकता गए थे, वीच में बोलते हुए कहा—‘वया भाषण की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।’ इसके पश्चात् एक अन्य सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने पूछा—‘कितने पृष्ठ शेष रह गये हैं।’ वित्त मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर दिया—‘यदि आप सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लें तो मैं इसे इसी समय समाप्त किए देता हूँ।’ चुटकी लेने हुए प्री० मधु दण्डवते ने तुरन्त कहा ‘बकान से विचलित हुए सदस्य आपके प्रस्तावों को स्वीकार कर मारेंगे।’ इसके पश्चात् प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने परिहासपूर्ण टिप्पणी की कि ‘स्पष्टतया, हम जो गृहन प्रदान कर रहे हैं, विपक्ष के सदस्य उसे देखकर क्या पैद लगते हैं।’

ममूचे विश्व की समाजी के सभी पीठाधीन अधिकारी सभा की कार्यवाही के सचालन में सदैव हाजिर-जवाबी और हास्य-विनोद का प्रयोग करते हैं। इनकी हाजिर-जवाबी और हास्य-विनोद दोस्तब में कार्यवाही को जीवन्त बना देते हैं। राष्ट्रमण्डलीय देशों के अध्यक्षों और पीठाधीन अधिकारियों के जनवरी, 1986 में नई दिल्ली में हुए आठवें सम्मेलन में हमें तुच्छ ऐसी विनोदपूर्ण उत्तियों की मनक मिली थीं। गम्भीर और लम्बी चर्चाओं के दौरान सम्मेलन में विनोदपूर्ण अरु भी थाएं। सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ प्रतिनिधियों ने अपनी हाजिर-जवाबी और विनोदपूर्ण उत्तियों से प्रतिनिधियों तथा पर्यंकेशकों का भरपूर मनारजन किया। उदाहरण के लिए—

‘एक दलीय संसद और वेस्टमिस्टर प्रणाली’ पर चल रही चर्चा के दीच बोलते हुए सोकसभा अध्यक्ष डा० बलराम जालड ने एक चुटकुला सुनाया। उन्होंने कहा—‘एक बार एक राजकीय रहस्य चुरा लिया गया। इस पर बहुत जोर-शरादा हुआ और अपगांधी को पकड़ने के लिए चारों ओर पुलिस भेजी गई। किसी ने पूछा—राजकीय रहस्य क्या है? उत्तर दिया गया कि यह नहीं बताया जा सकता दबोकि यह 1990 का चुनाव परिणाम है।’

डा बलराम जालड ने प्रतिनिधियों को एक और सजाकिया किसासुनाया। उन्होंने कहा ‘आप कोई विकल्प नहीं बताते। आपको पता है कि एक बार एक मउजत एक महिला के पास गए और उन्होंने उसके सामने दो विकल्प रखे और कहा कि वह दोनों में से कोई एक विकल्प चुन लें।’ महिला ने बुझा—‘विकल्प क्या है?’ उस अतिल ने कहा—‘या तो आप मुझसे विवाह कर से अपवा मेरी पत्नी बन जायें।’

इसी विषय पर बोलते हुए, जिम्बाव्वे की हाऊस आफ अमेस्टली के अध्यक्ष डा० ही० एन० ई० मुतासा ने यह मुद्रित टिप्पणी की—‘वेस्टमिस्टर प्रणाली एक

विश्वविद्यालय उपाधि के समान है जिसे एक दलीय समांडे सरलता से प्राप्त कर सकती है।'

'पीठासीन अधिकारियों की राजनीतिक स्थिति' सम्बन्धी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए, प्रिटिश हाऊस थाफ कामन्स के अध्यक्ष राइट थानरेवल बर्नार्ड बेदरिल ने अपना विश्वास व्यक्त किया कि 'अध्यक्ष को पहले अध्यक्ष होना चाहिए और बाद में राजनीतिज्ञ न कि इसके विपरीत।' उनके अध्यक्ष चुने जाने के बाद पूर्ववर्ती अध्यक्ष मिठो जाजं थामस द्वारा उन्हें दी गई सलाह को उद्धृत किया गया जिन्होंने कहा था—'अब से आप जो मार्गेंग वह मिलेगा, अतः मेरा परामर्श है कि आप जो कुछ मार्गें उसके सम्बन्ध में काफी सावधान रहें।'

संसदीय हास्य विनोद के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हास्य-विनोद एक ऐसा साधन है, जिससे अनेक तनाव दूर हो जाते हैं तथा उपयोगी बाद-विवाद के लिए तनाव रहित ग्रनिवार्य मन स्थिति उपन्म हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि संसद की सभा की कार्यवाही में और अधिक हाजिर-जवाबी और हास्य-विनोद हो। अधिकारियक सदस्यों को संसद में शिष्ट हास्य-विनोद तथा उसकी उपयोगी भूमिका की सराहना करनी चाहिए।

लोक सभा में कविता और शेर - ओ - शायरी

कविता और शायरी हमारे भावों की एकी अभिव्यक्ति है, जो आदमी की जिन्दगी की सारी उदासीनता और उक्ताहट को बाहर निकाल कर उसे उल्लास और सहृदयता में भर देती है। उनमें यह तत्काल है कि वे वेजात माहौल को जिन्दगी में भरपूर माहौल में तब्दील कर दें, तीरम बानावरण में सरसता सादे। कभी-कभी जब लोक ममा में गभीर कामकाज निवाटाते-निवाटते सदस्यों को कुछ ऊँच होने लगती है और कुछ जहाँ तक ताप साधें हो जाता है तो शायरी के हृष्य में दिल की गहराइयों से उमरे मानवीय मदस्यों के भाव राखीं और खुशबू भर देते हैं पौर नारा माहौल एक बार फिर खुशगवार हो जाता है। इससे मानव मन उन्हें बैनकाब कर जिन्दगी का बेहतर और स्वस्थ दृष्टिकोण प्रदान करने में सहाय्य क होते हैं। मैंने अक्सर यह अनुभव किया है कि सदृश में बाइ-विवाद (Debate) से किसी विषय पर चर्चा में इनना प्रयत्न नहीं होता। जितना शेर-गो-शायरी या फिर कविता की कुछ प्रतियों में । कवित्व की दो-चार लाइनें दिल और दिमाग को कविता की कुछ प्रतियों में । कवित्व की दो-चार लाइनें दिल और दिमाग को कभी-कभी इनना भक्ति-देती है कि घटों की बहस और बाइ-विवाद भी उतना अमर नहीं करते।

प्रस्तुत लेख में सातवीं और प्राठवीं सोक समाजों में शेर-गो-शायरी द्वारा अभिव्यक्त रसिक मदस्यों के मारों को भासिल करने का प्रयास किया गया है। यह देखने लायक है कि शेर-गो-शायरों के माध्यम से मानवीय मदस्यों की मात्राभिव्यक्ति देखने लायक है कि प्रकार (1) राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव, (2) स्थगन ने किया प्रकार (3) बजट-अनुदान मारों पर चर्चा, (4) संविधान संशोधन विधेयक और प्रस्ताव (5) अविनामीय महत्व के विषयों जैसे शुल्क विषयों पर चर्चाओं को पुरर्णीग बना दिया।

ग्राटी लोक सभा में माननीय वालकवि वेरागी, श्री जी. एम बनातवाला, श्री नरेश चंद्र चतुर्वेदी, वेगम याविदा अहमद, थीमती मोहमिना किंदवई, श्री जैद ए असारी आदि जैसे अनेक सदस्य थे जो गदन में अबमर अपनी मादाभिन्यक्ति के लिए जीर, कविता या तुकवन्दियों का सटीक प्रयाग कर पूरे माहौल को सरम बना देते हैं। अध्यक्ष डा० बलराम जाखड़ स्वयं भी सदारत के माय-न्माय ऐस मोक्षों पर पीछे नहीं रहते थे। ससद प्रबन्ध भारी तनाव और दबाव की स्थिति में कार्य करनी है। इसमें प्रनेक कठिन क्षण आता है। ऐसे में लोक सभा के अध्यक्ष को वही कठिन परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है। कभी माहस से, कभी धैर्यपूर्वक और कभी विनोद करत हुए वे इन परिस्थितियों से ज़्यादत हैं। अध्यक्ष को सक्षम और सूक्ष्म वाला होने के साथ विनोद प्रिय भी होना आवश्यक है।

बजट सत्र रुदौरान 27 मार्च, 1989 को जैसे ही मदन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई कुछ विपक्षी सदस्यों ने व्यवस्था सबधी प्रश्न (Pointed order) उठाया और सदन की कार्यवाही में व्यवधान ढालने लगे। अध्यक्ष महादय ने गमीरतापूर्वक कहा— “मुझे आपका ऐसा करना चुरा लगता है, हम समद क बहुमूल्य गमय को किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं” और ऐसे में उनका व्यक्तित्व हृदय घृण्णत होकर निम्न रूप में फूट पड़ा—

यू रायगा काजिये न सजदे मेरे
मेरा क्या मैं उठ कर चला जाऊँगा
मगर देखना किर न कहना पड़े
कि इक सर चाहिए मरे दर के लिए

बजट जैसे आकड़ों के खेल का शुष्क विषय हो और प्राकड़ों की चट्टानों में गुलाव की खुशबू आ जाए, यह भी वर्ष 1988-89 के सामान्य बजट के गमय देखने में आया। वालकवि वेरागी जी को श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा 29 फरवरी, 1988 को प्रस्तुत बजट की तकरीर वा पहला भाग बहुत अच्छा लगा। किन्तु उन्हें दर था कि तिवारी जी अपनी तकरीर के दूसरे हिस्से में जिमके जिये नपे टैक्सो और उनमें रद्दोबदल का ऐलान होता है, नये टैक्स न लगा दे या उनमें बदोत्तरी न कर दें। तिवारी जी को बीच में गोकर्ने हुए बैंगणी जी ने कह डाला—

“हथ सफर हू आपका मजनूम हू मुफलिया भी हू,
हाय कन्धो पर ही रखना जैव में मत ढालना।”

वित्त मंत्री श्री नारायणदत्त तिवारी हाजिर जवाबी में पीछे नहीं देखने थे वेरागी जी द्वारा दर्गायी गई ममाकना का दो टूक जवाब देने हुए कहा—
“ए दोस्त बता हू क्या फर्क तुम्हें मुझमे है,
मेरा दर्द दर्द तम्हा मेरा दर्द दर्द जमाना है।”

भूतपूर्व राष्ट्रपति और तत्कालान् गृह मन्त्री जानी जैल मिह जी तो जब सदन में बढ़े होते थे तो अवमर ने शोर पा काव्याएँ की दी चार पक्कियाँ बोह कर राज को तकंहीन बता देते थे। यान् भई, 1987 का है। विपक्षी सदस्यों ने मन्त्रिमण्डल में धर्मिकाम का प्रस्ताव पेस 1 क्या और मत्ता पक्ष पर बटे पेसे प्रहार किये। ऐसे में आगी जी न विषय के मानोय मद्दयों को सचेत करते हुए कहा-

"तुम तीर मारो मैंने पर बैठक,
मगर इन्होंना हाथ में रख दिया ।
दिन मात्र में दिल है और
इस पर चुम्हारा मकाम ।"

मुदत एक ऐसा मत है जहाँ विवध प्रकार के संवदनशाल मुद्दों पर चर्चा होती है। यह स्वाभाविक ही है। कि इन मौद्दों पर सत्तापदा आर विपदा के माननीय विवरणों के बीच संवद में कभी कभी नीति वाद-विवाद उठ सकता है। और वे एक दूसरे के लिए चुम्हने वाले और उत्तरात्मक पक्षदा का प्रयोग करने लगें। ऐसी गरमा-गरमी के दिनों में अब और विपदा के संदर्भों द्वारा कहे गये कविता के दो शब्दों सारे माझोंल की कटुता को समाप्त कर वातावरण में एक खुशनुमा गुलाबीपन बोल सकते हैं। जैसे 7 फरवरी, 1982 का राष्ट्रपति के प्रमिमापदा पर धन्यवाद विवर दिन है। जैसे वो जिसमें थी जी एम वनातवाला ने सरकार पर प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी जिसमें थी जी एम वनातवाला ने कहा—

त्वाव भी न साचा या हमने कभी यह
यह आनंद भी चमत् पर गुजर जाएगा,
वानवा द्योत लेग लिवामे बहार,
सौर कुनों का चेहरा उत्तर जाएगा ।

28 फरवरी, 1984 को भी राष्ट्रपति के अभिभावण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान देश में बिगड़ते कानून और व्यवस्था की प्राप्तोचना करते हुए माननीय महाराज रमेश मंडल ने कहा—

महसूल यह होता है यह दोरे लबाहो है
 गीजे को प्रदानत में पत्थर की गवाही है।
 दुनिया में कही इसकी सत्त्वीर नहीं मिलती
 काराल ही मुहाफिज है कातिल ही निपाही है।

15 सितम्बर, 1981 को विहार-शरीफ में हुए दगो में भारी जान माल की हानि को लेकर मन्त्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था तो तत्कालीन गृह मन्त्री ज्ञानी जैलसिंह ने कहा कि विपक्ष के मदस्य सरकार पर लगाये गये आरोपों को सावित करें अन्यथा ऐसे आधारहीन आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं क्योंकि मुझे हर बात में तो—

नजर प्राते हैं इकरार मे इन्कार के पहलू
महब्बत इस जमाने मे मियामत होती जानी है।

मूचना और प्रभारण मत्रालय के अनुदानों की मांग, 1981-82 पर 25 मार्च, 1981 को चर्चा के दौरान श्री रघुद ममूद साहंव को शिकायत थी कि रेडियो और टेलीविजन से देश को ज्यादा फायदा नहीं पहुँच रहा है। उनका कहना था कि तत्कालीन मूचना और प्रभारण मन्त्री थी बसत साठे जैसे काविल मन्त्री के होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने अपनी शिकायत करते हुए शेर पेश किया—

तेरा जिक्र सुन के तडप गया,
तेरा नाम सुनके मे रो दिया
मुझे एक निस्वते खास है,
तेरे जिक्र मे, तेरे नाम से।

खेल बजट 1982-83 (मामान्य) पर 3 मार्च, 1982 को चर्चा के दौरान श्रीमती मोहसिना किदवई को शिकायत थी कि मेरठ को एक भी नई गाड़ी नहीं दी गई है। ये चाहती थी कि जब गुल औरों को बढ़ते हैं तो उनकी भोली खाली क्यों—

गुल कोंके है, औरों की तरफ बन्क ममर भी
ये खानाए वर अन्दाजे चमन कुछ ता इधर भी

थ्रम मत्रालय की अनुदान मांगे 1982-83 पर 8 अप्रैल, 1982 को चर्चा के दौरान जब विपक्ष के एक युवा समद मदस्य श्री हरिवेश वहानुर ने मत्रालय के कार्यकरण को कटु आलोचना की तो तत्कालीन अम मन्त्री थी भागवत भा भाजाद ने कहा कि युवा होने पर मेरे मित्र कभी-कभी भड़क जाते हैं, पीर मन्त्री महोदय ने उनको याद दिलाया—

सावन मे महस्यल भी हरे हो जाते हैं
काटे भी बहारो मे महङ्क जाते हैं।
इस नादान जवानी मे न भु भलायी तुम
इस उम्र मे सभी बहङ्क जाते हैं।

थमजी श्री पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) और प्रकीर्ण उपबंध (सशोधन) विधेयक पर 16 सितम्बर, 1989 को बोलते हुए श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ने पत्रकारों के लिए पालेकर एवांड को लागू करने की सरकार की दृढ़ता को इन पंक्तियों में व्यक्त किया—

जमाने भर की मुसीबते मुझे रुना नहीं सकती
मैं क्या करूँ मुझे आदत है मुस्कराने की

उन्होंने आगे कहा कि सरकार बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय में विश्वास रखती है और उन्होंने अपने इम विश्वास की अभिव्यक्ति को सुमित्रानन्दन पन की इन पंक्तियों में पाया—

जग पीडित रे अति सुख मे,
जग पीडित रे अति दुख मे,
मानव जग मे बट जाए
मुख-दुख मे और दुख-मुख मे ।

12 अप्रैल, 1985 को बालक नियोजन (मशोधन) विधेयक पर बोलते हुए श्रीमती प्रभावती गुप्ता ने कहा कि बाल अधिकारों के ग्रोथण को अनन्त कथा-अनन्त कहानी है। उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता। उनके पास इपड़े नहीं हैं। वे भ्रूंखले नगे हैं। उन्होंने उनकी हालत को जयशक्ति प्रसाद के काव्य “ग्रासू” में एक घट को उद्धृत कर व्यक्त किया—

प्रभिलापाओं की करवट फिर मुप्त व्यथा का जगना,
दुख का सपना हो जाना भीगी पत्नी का लगना ।

बजट मत्र के दौरान जब राष्ट्रपति के अभिभावण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर नाराज हो कर विषयी गदस्यो ने मदन त्याग दिया तो बाल कवि बैरामी ने उनके स्थाने को इस प्रकार लिया—

साक्षी मे स्थ कर ये मयखाना छोड़ते हैं,
लगतो है जब तलव तो पैमाना तोड़ते हैं,
तोबा भी कर रहे हैं फिर तोट भी रहे हैं,
ये लट्टुडाने वाले ऐसा ही दौड़ते हैं ।

लेकिन मुलतान सलाउद्दीन धोवमी को दस्तूर-ए-जवांददी पर शिकायत थी—
यह दस्तूर-ए-जवांददी है कंसी तेरी महफिल में,
यहा तो बाल करने को तरसती है जबा नेरी ।